

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]
Tenth Session



[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price 1 One Rupee

विषय सूची/CONTENTS
अंक 15, बुधवार, 11 मार्च, 1970/20 फाल्गुन, 1891 (शक)

No. 15, Wednesday, March 11, 1970/Phalgun 20, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र०		
संख्या		
S. Q. Nos.		
361. इटली को व्यापारिक शिष्टमण्डल	Trade Delegation to Italy	1—3
363. रद्दी लोहे तथा इस्पात उद्योग द्वारा निर्यात	Export by Iron and Steel Scrap Industry ..	3—6
364. कपास का समर्थन मूल्य	Support price of Cotton ..	6—8
365. एल्यूमिनियम से बनी नौवहन नौकाएं	Aluminium Shipping Vessels ..	9—10
366. जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ भारत के कूटनीतिक सम्बन्धों के बारे में पश्चिम जर्मनी के मन्त्री का वक्तव्य	West German Minister's Statement on India's Diplomatic relations with German Democratic Republic ..	10—14
367. लाख का निर्यात	Export of Shellac ..	14—16
369. नमक का निर्यात	Export of Salt ..	16—17

अल्प-सूचना प्रश्न

S.N.Q.

4. पोंग बांध क्षेत्र से हटाए गए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of oustees of Pong Dam Area ..	17—21
--	---	-------

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

362. नारियल जटा उत्पादों के निर्यात हेतु राजसहायता	Subsidy on Coir Goods Exports	22
368. सोमाली भारतीयों को उनके काम तथा व्यापार से चित वंकरने का प्रयास।	Move to deprive Somali Indians of their jobs and business	22

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
370.	मार्च, 1971 तक कार्यक्रम के अनुसार सिंचाई आयोग के कार्य का पूरा होना	Completion of Irrigation Commission's work according to schedule March, 1971	23
371.	भारत पाक सीमा पर राजौरी क्षेत्र में गोलीबारी	Exchange of fire in Rajori sector on Indo-Pakistan Border	23
372.	बीड़ियों तथा भारत में निर्मित सिगारों का निर्यात	Export of Bidis and Indian Made Cigars	24
373.	ताइवान को सवारी डिब्बों का निर्यात	Export of coaches to Taiwan	25
374.	भारत और श्रीलंका के बीच चाय के निर्यात का कोटा	Quota for tea export between India and Ceylon	25
375.	समापन समारोह (बीटिंग रिट्रीट) कार्यक्रम, 1970 में शामिल किये गए गीत	Songs included in beating retreat Programme, 1970 ..	26
376.	परियोजना रहित क्षेत्रों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता	Priority in electrification for unprojected areas	.. 26—27
377.	सोवियत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के विस्तार के बारे में सोवियत संघ की वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के अध्यक्ष से विचार विमर्श	Discussion with Chairman, State Committee for foreign economic relations, USSR re-expansion of Soviet aided projects	27
378.	अन्य देशों के माध्यम से इटली में भारतीय माल का आयात	Import of Indian Goods into Italy through other countries	27
379.	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में नियमित सैनिक प्रशिक्षण	Regular Military Training in Pak occupied Kashmir	.. 27—28
380.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसु) के ट्रांसफार्मर की चोरी	Theft of transformer of DESU	28
381.	रूमानिया तथा पश्चिम जर्मनी के मध्य परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की सन्धि	Nuclear non proliferation treaty between Rumania and West Germany	.. 28—29
382.	ब्रिटेन में पूर्वी अफ्रीका के भारतीय परिवारों का प्रवेश	Entry of East African Indians in Britain	29
383.	पश्चिम जर्मनी के विदेश मन्त्री के साथ बातचीत	Talks with West German Foreign Minister	29

384.	फरक्का परियोजना	Farakka Project	29—30
385.	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति	Appointment of Governor of Reserve Bank of India	30—31
386.	बर्मा में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता तथा उनकी आस्तियों का हस्तान्तरण	Citizenship to Indians in Burma and Transfer of their Assests ...	31
387.	बर्मा में रहने वाले नागाओं को स्वदेश (होम लैण्ड) चुनने की छूट	Choice to Nagas in Burma for Homeland	31
388.	भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के मामले में मूल विवाद	Basic disputes in the way of Indo-Pak relations	31—32
389.	इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर, नई दिल्ली	Indraprastha Power Station, New Delhi	32
390.	फोटो कागज की कमी	Shortage of Photographic Paper ..	32

अतारांकित प्रश्न संख्या

U.S. Q. Nos.

2401.	पूँजी गत वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange for Import of Capital Goods ..	33
2402.	अमरीका द्वारा भारत को राडारों की सप्लाई	Supply of Radars by USA to India ..	33
2403.	सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए भारतीय शिष्ट मण्डल का श्रीलंका का दौरा	Visit of Indian delegation to Ceylon for discussion on Irrigation and Power Projects	33—34
2404.	राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेश के दौरे	Foreign Tours of Officials of STC ..	34
2405.	संयुक्त राष्ट्र में मौरिशस के राजदूत को पालम हवाई अड्डे पर हुई असुविधा	Discomfiture to Mauritius Ambassador to United Nations at Palam Airport ..	34
2406.	भारत श्रीलंका बैठकों में लिए गए निर्णयों की धीमी गति से क्रियान्विति	Slow progress in implementation of decisions reached at Indo-Ceylon Meets...	35
2407.	मोहन मीकिन ब्रिवरीज लिमिटेड से खरीदी गई रम	Rum purchased from Mohan Meakin Breweries Ltd. ..	35—36
2108.	कैन्टीन स्टोर्स विभाग कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र ।	Charter of Demands presented by Canteen Stores Department Employees Union	36—37

2409.	दिल्ली तथा नई दिल्ली में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी संघ बनाना ।	Formation of Employees Union by Canteen Stores Department Employees at Delhi and New Delhi	37
2410.	शैल्य क्रिया उपकरणों का आयात	Import of Surgical Equipment	.. 37—38
2411.	भारत में बर्मा के राजदूत तथा मणिपुर के उपराज्यपाल के बीच बातचीत	Discussion between Burmese Ambassador in India and Lt. Governor, Manipur	38
2412.	पश्चिमी एशिया की स्थिति	West Asia Situation	38
2413.	स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी महाराष्ट्र की परियोजनाएं	Projects of Maharashtra Pending Clearance	.. 38—39
2414.	किफायती आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विचाराधीन परियोजना	Scheme under consideration for cheap rural electrification	39
2415.	विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों की सहायता से चलायी जा रही सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं	Irrigation and power project run with the assistance of world Bank and United Nations Organisations	39
2416.	एल्यूमिनियम का निर्यात	Export of Aluminium	40
2417.	मंत्रियों को कृषि से आय	Agricultural Income of Ministers ..	40
2418.	पूना नगर निगम के परिवहन प्रबन्धक द्वारा विदेशी मुद्रा का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of foreign exchange by transport Manager of Poona Municipal Corporation ..	.. 40—41
2419.	भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों में मंत्रियों के शेयर	Shares held by Central Ministers in Indian and Foreign Companies	41
2420.	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	41
2421.	नेपाल में भारत के स्वरूप का विकृत होना	India's Tarnished image in Nepal ..	.. 41—42
2422.	राज्यों में नलकूप लगाने में असंतुलन	Imbalance in installation of tube-wells in States	42
2423.	मृत सैनिकों के आश्रितों को पेन्शन का दिया जाना	Grant of Pension to the Dependents of Dead Soldiers	43
2424.	बरेली में सेबाधिकारी की हत्या	Murder of Army Officer in Bareilly	43
2425.	सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बसाने के बारे में याचिका समिति की सिफारिशें	Recommendation of Committee on Petitions Regarding Settlement of Released Emergency Commissioned officers	44

2426. पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी से सिंचाई	Irrigation from River Tapti in East Nimad, Madhya Pradesh	44
2427. कपास के वितरण के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Agriculture Price Commission regarding distribution of Cotton	44—45
2428. प्रमुख नगरों के लिए बाढ़ रोको अभियान परियोजना	Scheme of Operation Flood for Major Cities	45
2429. दिल्ली को निर्जल पत्तन घोषित करना	Delhi as Dry Port	45—46
2430. नई दिल्ली से गुम हुए रूसी प्रेस अधिकारी को शरण देना	Asylum to Soviet Press Officer disappeared from New Delhi	46
2431. काहिरा में आयोजित संसद सदस्यों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल	Indian Delegation to conference of Parliamentarians in UAR	46—47
2432. योजनाओं के लिए संसाधन	Resources for Plans	47
2433. भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	Notifications issued by the President of India under Article 77(3) of the Constitution of India	47
2434. राजस्थान नहर परियोजना की शीघ्र क्रियान्वित हेतु धन	Funds for Accelerated Implementation of Rajasthan Canal Project ..	48
2435. गांवों, नगरों तथा कस्बों में असमानता कम करने की योजना	Scheme for Reducing Disparity among Villages, Towns and Cities ..	48—49
2436. जापान को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Japan ..	49
2437. कृषि के लिए विद्युत की दरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव	State Governments' proposal for increase in power tariff for agriculture	49—50
2438. उद्जन बम	Hydrogen Bomb	50
2439. विमानों के पुर्जे बनाने के लिए लखनऊ में एक कारखाने की स्थापना	Setting up of a factory at Lucknow for the Manufacture of aircraft Components	50—51
2440. हिन्द महासागर में प्रतिरक्षा कार्यों के लिए श्रीलंका से बातचीत	Talks with Ceylon on Defence operation in Indian Ocean	51
2441. विदेशों में राज्य व्यापार निगम के क्षेत्रीय कार्यालय	S.T.C.'s Regional set ups in foreign Countries	51—52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
2442. बिड़ला उद्योग समूह द्वारा विदेशों में कपड़ा मिलों की स्थापना	Cloth Mills set up in Foreign countries by Birla Group of Industries	53
2443. रद्दी चाय (टी वेस्ट) से कैफीन का उत्पादन	Production of caffeine from Tea Waste	53
2444. लौह अयस्क का एक समान आयात मूल्य	Uniform import price of Iron Ore. . .	53—54
2445. बिड़ला फर्म द्वारा कीनिया में कागज के कारखाने की स्थापना	Establishment of a paper factory in Kenya by a Birla Firm . .	54
2446. अमरीका को इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods to USA . .	54—55
2447. एक मृत सैनिक अधिकारी के आश्रितों को परिवार पेंशन	Family pension for dependants of a deceased Army Officer . .	56—57
2448. प्राचीन पूर्णिमा मेले में भारतीयों को नेपाल जाने से रोका जाना।	Indians prevented from going to Nepal to attend ancient Purnima Mela. .	57
2449. सिविल इंजीनियरिंग सम्बन्धी जानकारी को निर्यात करने की क्षमता का सर्वेक्षण	Export Potential Survey of Civil Engineering Consultancy . .	57—58
2450. कपास के मूल्य	Prices of Cotton . .	58
2451. ग्राम्य विद्युतीकरण निगम के लिए पी० एल० 480 की निधियों का प्रयोग	Use of PL 480 Funds for rural electrification corporation . .	58—59
2452. सीमा सुरक्षा के बारे में भारत नेपाल करार	Indo-Nepal Agreement on Border Security	59
2453. भारत रूस संयुक्त समिति	Indo Soviet Joint Committee . .	59—60
2454. आयात बिलों की राशि	Amount of Import Bills . .	60
2455. विद्रोही नागाओं द्वारा भारतीय सुरक्षा दल पर गोली बारी	Firing by Naga Hostiles on Indian Security Forces . .	61
2456. श्रीलंका में भारतीय बागान श्रमिकों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by the Indian Plantation Labour in Ceylon. . .	61
2457. ईराकी प्रतिनिधि भण्डल	Iraki Delegation .	62
2458. तमिलनाडु में कावेरी डेल्टे में जल निकास में रुकावट सम्बन्धी समस्या	Problem of drainage congestion in Cauvery Delta in Tamil Nadu . .	62—63

2459.	चीन में 1500 विद्रोही नागाओं को शस्त्रास्त्रों का प्रशिक्षण	Armed Training to 1500 Rebel Nagas in China	63
2461.	मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को उनके मेहमानों के लिए गणतन्त्र दिवस के पासों का दिया जाना	Republic Day passes issued to Ministers and Members of Parliament for their guests	63
2462.	काश्मीर विवाद को छापामार युद्ध प्रणाली से निबटाने के सम्बन्ध में एयर मार्शल असगर खां का वक्तव्य	Air Marshal Asgar Khan's statement regarding settlement of Kashmir dispute through guerilla war	64
2463.	जापान द्वारा अन्तरिक्ष उपग्रह का छोड़ा जाना	Space satellite launched by Japan ..	64
2464.	रूस को जूतों के निर्यात में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of foreign exchange due to Fall in Export of Footwear to USSR ..	64—65
2465.	पूर्वी पाकिस्तान को मछली के बदले में भारत से कोयला भेजा जाना	Exchange of Indian Coal for fish from East Pakistan	65
2466.	रूस को इस्पात का निर्यात	Export of steel to USSR ..	65—66
2467.	लहासा में तिब्बतियों और चीनियों के बीच संघर्ष	Clashes between Tibetans and Chinese in Lhasa ..	66
2468.	वार्षिक तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजना ।	Major and minor irrigation schemes provided in annual and Fourth Five Year Plan ..	66—67
2469.	दिल्ली से बाहर के विदेशी दूतावासों को बन्द करना	Closure of Embassy offices outside Delhi ..	67
2470.	भारत में विभिन्न दूतावासों से राजनयिकों का लापता होना	Missing diplomats from various embassies in India ...	67—68
2471.	हांग कांग के व्यापारियों के शिष्ट-मण्डल का दौरा	Visit by Hong Kong Businessmen's Mission ..	68
2472.	निर्यात को प्राथमिकता देने की योजना	Plan to give priorities for Export ..	68
2473.	उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति सहायता	Per capita aid to Uttar Pradesh ..	68
2474.	हज यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Haj Pilgrims	69
2475.	धन की कमी के कारण लम्बित सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के प्रस्ताव	Proposal for completion of All Irrigation projects lying pending due to lack of funds ..	69

2476. कोसी नहर परियोजना के लिए खरीदा गया सामान	Material purchased for Kosi Canal Project	69
2477. उत्तर बिहार में अणु शक्ति केन्द्र	Atomic power Station in North Bihar	70
2478. भारतीय सीमाओं पर चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं की गतिविधियां	Chinese and Pakistani Forces activities on Indian Borders	70
2479. भारत द्वारा नेपाल को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms by India to Nepal ..	70
2480. कालपक्कम अणुशक्ति परियोजना की असंतोषजनक प्रगति	Unsatisfactory progress of Kalpakkam Atomic Project	71
2481. दार एस स्लाम में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन	Non-aligned meet at Dar es Salam	71
2482. आयुध उपकरण कारखाने को कलकत्ता से कानपुर ले जाया जाना	Shifting of Ordnance Equipment Unit from Calcutta to Kanpur	71
2483. अमरीकी प्रतिनिधियों के साथ राज्य व्यापार निगम की सांविधिक बैठकें	STC to have periodical meetings with US Representatives	72
2484. जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया गया कार्यक्रम	Programme incorporated in Fourth Plan for meeting basic needs of masses	72
2485. रूस द्वारा भारत को हथियारों की सप्लाई सम्बन्धी जानकारी	Alleged leakage of Information regarding supply of Arms by USSR to India	72
2486. गुट निरपेक्ष देशों की बैठक	Meeting of non-aligned countries..	73
2487. मणिपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे का त्रुटिपूर्ण निर्माण	Defective construction of Tulihal Airport in Manipur ..	73
2488. गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा पुनर्गठन समिति की सिफारिशें ।	Recommendation of the Textile reorganisation Committee appointed by the Gujarat Govt.	73
2489. अणु शक्ति के बारे में जनवरी, 1970 में बम्बई में हुई गोष्ठी	Seminar on Nuclear Power held in Bombay in January 1970 ..	74
2490. ब्रिटेन में भारतीयों के विरुद्ध जातीय भेद-भाव	Racial Discrimination against Indian in U.K.	74
2491. एच०एफ० 24 विमान में लगाने के लिए रूसी इंजन का विकास	Development of Russian Engine for being fitted into HF 24	74—75

2492.	काजू का निर्यात	Export of Cashewnuts	75
2493.	इंजीनियरी सामान के निर्यात पर इस्पात के मूल्यों को बढ़ने का प्रभाव	Impact of rise in price of steel on Export of Engineering Goods	75
2494.	ब्रिटेन का यूरोपीय सांझा बाजार का सदस्य बनने का भारतीय व्यापार पर प्रभाव	Impact of Britian's Entry into ECM on India's Trade ..	76
2495.	अतिरिक्त लाभ वाले पदों पर काम कर रहे अधिकारियों का तबादला	Transfer of officers working against posts carrying extra gains	76
2496.	निकोबार द्वीप समूह में एक निर्विध व्यापार पत्तन की स्थापना	Establishing a free port in Nicobar Islands ..	76
2497.	इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए इस्पात की आवश्यकता	Requirement of Steel for export of Engineering Goods ..	76—77
2498.	चीनी हथियारों तथा हिदायत पुस्तिका सहित नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of Naga Rebels with Chinese Arms and Instruction Books ..	77
2499.	भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ शेख अब्दुल्ला की मुलाकात	Sheikh Abdullah's meeting with Pakistan High Commissioner in India ..	77
2500.	हंगरी के साथ व्यापार करार	Trade pact with Hungary ..	78
2501.	भारत पाकिस्तान युद्ध में जप्त की गई सम्पत्ति की बिक्री	Indo-Pak War-Seizure and disposal of properties	78
2502.	हिन्द महासागर को मरमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र रखना	Keeping Indian ocean as a nuclear free zone	79
2503.	देहातों में बिजली लगाने के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के बीच विषमताएं।	Disparities among the states in progress made in rural electrification	79
2504.	विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के सिद्धान्त	Principles for opening cultural centres by foreign missions in India —	79
2506.	विदेशों में भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए प्रकाशन	Publications for countering Anti Indian propaganda Abroad .. — —	80
2507.	नायचार (प्रोटोकोल) अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of protocol officers — —	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
2508.	मध्य प्रदेश द्वारा बिजली दरें घटाने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध	Request for financial assistance for reducing electricity rates by Madhya Pradesh ..	80
2509.	मध्य प्रदेश में बिजली की कमी	Power shortage in Madhya Pradesh ...	81
2510.	दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटेन की नौ-सेना का हटाया जाना	Withdrawal of British Navy from South East Asia ..	81
2511.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गंधक का आयात	Import of Sulphur through STC ..	— 81—82
2512.	चाय के कारखाने की स्थापना	Setting up of Tea Factory ..	— 82
2513.	छावनी बोर्डों के अन्तर्गत स्कूल	Schools under Cantonment Boards ...	82
2514.	दानापुर छावनी के क्वार्टरों के निवासियों द्वारा अपने क्वार्टरों में परिवर्तन करने के लिए मांगी गई अनुमति	Permission sought by occupants of quarters of Danapur cantonment for making alterations in their quarters ..	83
2515.	बिहार की पुनपुन सिंचाई परियोजना के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Pun Pun Irrigation Project of Bihar	83
2516.	देश में नहरों द्वारा सींची जाने वाली भूमि	Land Under Canal Irrigation in Entire country	83—84
2517.	तारापुर अणु शक्ति केन्द्र का विकास	Development of Tarapore Atomic Energy Station	84
2518.	संसद् सदस्य द्वारा मीटर रीडरों के वेतनमानों के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री को लिखा गया पत्र ।	Letter Written by M.P. to Minister of Defence regarding Pay scale of Meter Readers	84
2519.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में केन्द्रीय मंत्री का वक्तव्य	Union Minister's Statement on the Supreme Court's judgement on Nationalisation of Banks ..	85
2520.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court's judgement regarding Nationalisation of Banks	85
2521.	रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Russian Supply of Arms to Pakistan ...	85
2522.	विद्रोही नागाओं का सैनिक प्रशिक्षण के लिए सीमा पार कर के पूर्वी पाकिस्तान जाना	Naga Hostiles crossing over to East Pakistan for Military Training	85—86
2523.	भारत ईरान संयुक्त आयोग	Indo Iranian Joint Commission ..	86
2524.	मलेशिया के साथ व्यापार वार्ता	Trade Talks with Malysia..	— 87

2526. दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार	Trade with South East Asian Countries ..	87
2527. विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यालय भवनों तथा कर्मचारियों के निवास स्थानों का निर्माण	Construction of Office Building of Indian Embassies Abroad and Residence for Staff ..	87—88
2528. प्रधान मन्त्री का दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा	Prime Minister's visit to South East Asia	88
2529. हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र बनाये रखने के लिए भारत तथा लंका में वार्ता	Indo-Ceylon Talks to keep Indian Ocean a Nuclear Free Zone ..	88
2530. ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Export of Textile to U.K. ..	88—89
2531. पुराने विमानों का विक्रय	Disposal of Obsolete Aircraft	89
2532. राणाप्रताप सागर बांध बिजली घर की क्षमता	Capacity of Rana Pratap Sagar Dam Power Station ..	89—90
2534. भेड़-बकरी की चर्बी उर्वरकों तथा चमड़े का आयात	Import of Mutton Tallow Fertilizers and skins	90
2535. राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद	Purchase of Jute by STC ...	91
2536. लौह अयस्क का निर्यात	Export of iron ore ..	91
2537. विभिन्न राजनयिक मिशनों से खरीदी गई कारों का विक्रय	Sale of cars purchased from various Diplomatic Missions ..	92
2538. ब्रिटेन की सहायता से पाकिस्तान द्वारा गिलगित पर कब्जा के बारे में ब्रिगेडियर घंसारा सिंह का बयान	Brigadier Ghansara Singh's Statement regarding capture of Gilgit by Pakistan with British help ..	92
2539. केरल में बागान उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में केन्द्रीय सलाह	Central Advice re. Nationalisation of Plantation industry in Kerala ..	92—93
2540. सूती धागे की कीमत	Price of Cotton Yarn	93
2541. भारतीय चलचित्रों का निर्यात	Export of Indian Films	93
2542. वर्तमान तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा दिल्ली में तथा इसके उपनगरों में खरीदी गई सम्पत्ति	Property acquired by present and former Central Ministers in Delhi and in Suburban Areas	94
2543. सैनिक स्कूल में विद्यार्थी का प्रतिवर्ष व्यय	Amount spent annually by a student in Sainik School ..	94

अंश० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ, Pages
2544. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी तथा भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण देने हेतु स्कूलों से छात्र सैनिकों का चयन	Selection of Cadets from Schools for Training them for NDA and IMA ..	94—95
2545. लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक सैनिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु	Retirement age of officers upto the Rank of Lt. Colonel ..	95
2546. सैनिक स्कूलों तथा अन्य स्कूलों से भर्ती किये गए छात्र सैनिकों में अन्तर	Difference between the Cadets recruited from Sainik School and other Schools ..	95
2547. शराब का आयात	Import of Wine	96
2548. निर्वाध यात्रा के लिए भारतीयों को पारस्परिक आधार पर वीसा की सुविधाएं।	Reciprocal visa facilities to Indians for free travel	.. 96—97
2549. ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास से एक भारतीय अधिकारी का गुम हो जाना	Disappearance of Indian Embassy Official in Brazil	97
2550. तमिल नाडु तथा मैसूर के बीच कावेरी जल विवाद	Cauvery water dispute between Tamil Nadu and Mysore..	97
2551. मिग कारखाना समूह	MIG Complex	.. 97—98
2552. लफ्टीनेंट जनरल एल० पी० सेन की स्लेंडर वाज दी थ्रैड नामक पुस्तक	Book entitled slender was the thread by Lt. General L.P. Sen	.. 98—99
2553. 18वीं पंजाब रेजीमेंट के राइफल कम्पनी कमांडरों के लिए लांगरियों की नियुक्ति	Employment of cooks for rifle company commanders of 18th Punjab regiment..	99
2554. जद्दाह में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन	Foreign Ministers' Meet at Jeddah	99
2555. 1970 की गणतन्त्र दिवस परेड के लिए दिल्ली प्रशासन की झांकी	Republic Day Tableau of Delhi Administration for 1970 Parade ..	99
2556. चीन द्वारा तिब्बत के पठार में मोटर चलाने योग्य एक सड़क का निर्माण	Construction of a Motorable road by China in Tibet Plateau ..	100
2557. प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के लिए अलग वेतन आयोग	Separate Pay Commission for Defence Services Personnel	100
2558. मारीशस के व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के साथ बातचीत	Talks with Mauritius Trade Delegation ..	100

2559. भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में लोगों की हिन्दी का अध्यापन	Teaching of Hindi to People in Foreign Countries by Indian Embassies ..	100—01
2560. पोंग बांध की ऊंचाई में कमी के कारण वचत	Saving due to reduction of height of Pong Dam	101
2561. चलचित्र उद्योग द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences by Film Industry ..	101—02
2562. आर्डनेन्स ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट के असैनिक कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Civilian Employees of * Ordnance Transit Group	102
2563. आर्डनेन्स ट्रांजिट ग्रुप पठानकोट असैनिक कर्मचारियों की भूख हड़ताल	Hunger Strike by Civilian Employees of Ordnance Transit Group, Pathankot ..	102—03
2564. आर्डनेन्स ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट कर्मचारियों को दिये गए 'कारण बताओ नोटिस'	'Show cause Notices served on Employees of Ordnance Transit Group' Pathankot	103
2565. इस्लामी सचिवालय	Islamic Secretariat	103
2566. बकाया निर्यात आदेश	Pending Export Orders ..	103—04
2567. रूस द्वारा सैनिक सामान की सप्लाई	Military equipment supplied by USSR ..	104
2568. गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिरक्षा उत्पादन में योगदान	Contribution of private Sector in Defence production	104
2569. बम्बई (कांग्रेस सत्ताधारी) अधिवेशन के लिए प्रधान मंत्री के साथ जाने वाले जन सम्पर्क अधिकारी	P.R.Os accompanying the Prime Minister for Bombay Congress (R). Session	105
2570. खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि मण्डल का जापान का दौरा	Visit by M.M.T.C. Delegation to Japan ...	105
2571. चिलका झील, उड़ीसा के निकट नौसेना केन्द्र	Naval Centre near Chilka Lake (Orissa) ..	105—06
2572. राजस्थान में अणुशक्ति कर्मचारी संघ द्वारा की गई मांगें	Demands made by Atomic Energy Employees Union in Rajasthan ..	106
2573. मध्य प्रदेश के उकई में ताप विजली घर	Thermal Power Station at Ukai in Madhya Pradesh	106
2574. रूई का आयात	Import of Cotton ..	106—07

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
2575. महाराष्ट्र में भूमिहीन सैनिक कर्म- चारियों को भूमि का आबंटन	Land allotted to Landless army personnel in Maharashtra	107
2576. निर्यात व्यापार	Export Trade ..	107—08
2577. राज्य व्यापार निगम के जरिये ऊनी हौजरी वस्तुओं का निर्यात	Export of Woollen hosiery through STC ..	108
2578. माताटीला बांध से बिजली तथा पानी की सप्लाई	Supply of electricity and water from Mata tilla Dam ...	108—09
2579. चम्बल पन-बिजली परियोजना से जल का सम्भरण-	Water Supply from Chambal Hydrel Project	109—10
2580. मध्य प्रदेश के व्यक्तियों द्वारा विदेशों से प्राप्त पुरस्कार	Prizes received from foreign countries by persons belonging to Madhya Pradesh	110
2581. सिंचाई संसाधनों के लिए सर्वेक्षण	Surveys for Irrigation Sources	110—11
2582. गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा निर्मित तलकषक (ड्रेजर)	Dredgers made by Garden Reach Work- shop	111
2583. चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Violations by China	111—12
2584. आसाम को पाकिस्तान से मिलाने के बारे में मौजाना भाषानी का वक्तव्य	Maulana Bhashani's Statement regarding inclusion of Assam in Pakistan ..	112
2585. जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और कच्छ में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-servicemen in J.&K. Rajasthan and Kutch	112
2586. विद्रोही मिजो लोगों को चीन से वित्तीय सहायता मिलना	Mizo Rebels Getting Financial Assistance from China ..	112—13
2587. भारत चीन विवाद को हल करने के लिए नेपाल की मध्यस्थता के बारे में अमरीका का प्रस्ताव	US proposal for Nepalese intervention to Settle India China Problem	113
2588. चेकोस्लोवाकिया अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत	Bilateral Talks with Czechoslovakia and USA	113
2589. तीसरा एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय मेला	Third Asian international fair	113
2591. अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	114
2592. गुमती पनबिजली परियोजना त्रिपुरा	Gumti Hydro Electricity Project, Tripura	114

2593. कार्डाईट कारखाना, अरुगनकाडू के उन कर्मचारियों के पुनः नौकरी में रखा जाना जिन्होंने सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था	Reinstatement of Employees of Cordite Factory Arugankadu who participated in Sept. 1968 strike	.. 114—15
2594. चाय पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि का विरोध	Opposition to the Increase of Excise Duty on Tea	.. 115
2595. नार्थहोल्ट हवाई अड्डे पर भारतीय वायु सेना के कान्सटेलेशन विमान का दुर्घटनाग्रस्त होने से बचना	IAF Constellation Escaping Collision at Northolt Airport	115
2596. कलकत्ता में उत्तर वियतनाम के प्रतिनिधिमण्डल का सरकारी तौर पर स्वागत	Official reception to North Vietnam Delegation at Calcutta	116
2597. कपड़ा मिलों को रूई की सप्लाई में कमी	Shortage in Supply of Cotton to Textile Mills	116
2598. रेशे तथा रेयन के धागे का आयात	Import of Fibre and Rayon Yarn	.. 116—17
2599. सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों के विदेश तबादले तथा वापसी पर एयर इंडिया के विमानों से यात्रा करने के लिए हिदायतें	Instructions issued for Armed Forces Personnel to travel by Air India on Transfer Abroad and Vice Versa	117
2600. रूस द्वारा सरकारी क्षेत्र के कारखानों से माल की खरीद	Purchase of goods from Public Sector Units by USSR	.. 118
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	... — .. 118—22
दिल्ली में पानी के दूषित होने और उसके परिणामस्वरूप पीलिया के संक्रामक रोग के खतरे के समाचार	Reported pollution of water in Delhi and resultant threat of Jaundice epidemic	.. 118—22
उड़ीसा में दुर्घटना के बारे में	Re. incident in Orissa	.. 122—23
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Paper laid on the Table	123
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	123
संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमा और भत्तों में संशोधन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Revision of Scales of Pay and Allowances of Employees of the Union Territories	 123—24
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K.S. Ramaswamy	.. 123—24

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
पटना विश्वविद्यालय में हड़ताल के बारे में	Regarding Strike in Patna University ..	124—25
सामान्य आयव्ययक 1970-71 सामान्य चर्चा	General Budget, 1970-71-General Discussion ..	125—50
श्री महाराजसिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharti ..	125—26
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Badabrata Barua ..	126—28
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok ..	128—33
श्री एस० आर० दामानी	Shri S.R. Damani ..	133—35
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur ..	135—37
श्री भगवती	Shri Bhagwati ..	137—38
श्रीमती सुचेता कृपलानी	Shrimati Sucheta Kripalani ..	138—41
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajeet Yadav ..	141—43
श्री तेन्नेटी विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham ..	143—47
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai ..	147—48
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K.N. Pandey ..	148—50
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	150
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
भारत द्वारा परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb by India ..	150—51
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	150—51
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	151—55

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 11 मार्च, 1970/20 फाल्गुन, 1891 (शक)
Wednesday, March 11, 1970/Phalguna 20, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इटली को व्यापारिक शिष्टमंडल

*361. श्री श्रीचन्द गोयल:

श्री गार्डिलिंगन गोड़ :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यात तथा आयात के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के एक शिष्टमण्डल ने नए व्यापारिक ठेके करने तथा पुराने ठेकों का नवीकरण करने के लिए और अपने-अपने उत्पादों के लिए वहां के बाजार की स्थिति का अध्ययन करने हेतु जनवरी, 1970 में इटली का दौरा किया था;

(ख) इटली गए इस शिष्टमण्डल के सदस्यों की विस्तृत सूची क्या है; और

(ग) क्या कुछ करारों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें शिष्टमण्डलों के सदस्यों के नाम तथा उनके द्वारा आयात-निर्यात के सम्बन्ध में किये गए प्रतिनिधित्व का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल०टी० 2800/70]।

(ग) इटली की सरकार के साथ ऐसे करार नहीं किए गए हैं। हां, कुछ सदस्यों ने वैयक्तिक स्तर पर अपने इटली के साथियों से कुछ व्यापारिक समझौते किये हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : ठीक एक वर्ष पहले इटली से भारत में एक व्यापार शिष्टमण्डल आया था और इस वर्ष हमारे देश से एक शिष्टमण्डल वहां गया था। माननीय मन्त्री जानते हैं कि इटली के साथ व्यापार करने से हमें लाभ नहीं होता। वहां से हम जितना आयात करते हैं उससे आधे मूल्य का निर्यात

उसे करते हैं। क्या इन दो शिष्ट-मण्डलों के आने जाने के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे उपाय निकाले गए हैं जिनसे इटली के साथ भारत का निर्यात हमारे पक्ष में असंतुलित न रहे? क्या इटली ने कुछ ऐसी वस्तुओं की ओर संकेत किया है जिनका निर्यात उस देश को किया जा सके?

श्री रामसेवक : जहां तक उन वस्तुओं का सम्बन्ध है जिनका निर्यात इटली को किया जा सके, उनके नाम ये हैं: तैयार चमड़े का सामान ग्लेसकिड एनिलीन पिगमेंट, बकरी तथा भेड़ की खाल से बना अस्तर, हथकरघे से तैयार सूती कपड़ा, हस्तशिल्प की वस्तुएं, बहुमूल्य जेवरात, सूती कपड़ा, तथा स्टी-टाइट फेल्डस्पर, ग्रेनाउट जैसे खनिज। इनमें से कुछ वस्तुओं के बारे में शिष्टमण्डलों के सदस्यों ने करार किये हैं। जहां तक व्यापार में असंतुलन की बात है हम इस स्थिति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मंत्री महोदय को पता है कि निर्यात के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं। पटसन तथा नारीयिल रेशे से बने सामान पर यूरोपीय आर्थिक संगठन का प्रशुल्क लगा है और सूती कपड़े पर अपने देश में भारी कर लगे हैं। प्रतिवेदन को पढ़ने से यह पता चलता है कि इंजीनियरी सामान का भविष्य अच्छा है। सरकार इस उद्योग को इस दृष्टि से क्या सहायता देगी कि वह मूल्यों की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें? सरकार उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्य वाही कर रही है जिससे निर्यात का लक्ष्य पूरा हो जाए।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जहां तक यूरोपीय साझा बाजार के मात्रा सम्बन्धी और आर्थिक प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, हम समय-समय पर उनसे ऐसे प्रतिबन्ध हटाने के लिए बातचीत करते रहे हैं। इसी सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि इटली यूरोपीय साझा संगठन का सदस्य है जहां तक इंजीनियरी सामान का सम्बन्ध है, जिसका सचमुच ही भविष्य अच्छा है, हमने अनेक ऐसे कार्य किये हैं जिनसे उस माल का अधिक उत्पादन किया जा सके जिसकी मांग है। साथ ही उक्त माल के निर्माताओं को कच्चे माल के आयात, मूल्य में छूट और निर्यात सम्बन्धी अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इस वर्ष इंजीनियरी सामान के निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है।

Shri K.N. Tiwary : Our trade balance with Italy is highly unfavourable, May I know the efforts being made by Government to convert this unfavourable trade balance into our favour keeping the above fact in mind and the attitude of Italian Government to such efforts.

Shri B.R. Bhagat : I have not export and import figures with me.

Shri Shri Chand Goyal : Import and export figures respectively are : 35 crores rupees and 17 crores rupees.

Shri B.R. Bhagat : It is true that there is imbalance of trade with Italy. We import more things from and export less number of items to Italy. Delegation to that country was sent and their delegation was invited with a view to increase the number of items of export so that the imbalance in trade with Italy may be removed.

श्री हेम बरुआ : ऐसा बताया जाता है कि इटली में भारत का माल दूसरे स्रोतों से आता है क्या इस शिष्टमण्डल से इस समस्या पर भी बातचीत हुई थी ताकि व्यापार-असंतुलन समाप्त हो जाता।

श्री ब० रा० भगत : ऐसे व्यापार के बारे में हमें जब भी जानकारी मिलती है, तो हम इस मामले की छानबीन करते हैं। ऐसा व्यापार सामान्य व्यापार पद्धति के प्रतिकूल होता है। किन्तु उक्त शिष्टमण्डल के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई, क्योंकि उनका ध्येय तो पारस्परिक व्यापार में वृद्धि की सम्भावनाओं पर विचार करना था। उनमें निर्यात में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से बातचीत की गई।

श्री हेम बरुआ : किन्तु निर्यात में वृद्धि का सम्बन्ध इस बात से घनिष्ट रूप से है कि किसी देश में भारतीय माल चोरी छिपे रास्ते से जाता है।

श्री ब०रा० भगत : आप की यह बात तो मैं मानता हूँ। किन्तु शिष्टमण्डल के निर्देश-पदों में यह बात सम्मिलित नहीं थी। ऐसे मामले में भारत सरकार सीधे सम्बद्ध देश की सरकार से बात करती है। इस सम्बन्ध में जब-जब हमें कोई जानकारी मिली हमने तभी इटली सरकार से बातचीत की।

श्री रा०कृ० बिड़ला : क्या हमारे शिष्टमण्डल ने जो हाल ही में इटली गया था पूंजीगत माल तथा मशीनी औजार के निर्यात के बारे में भी बातचीत की थी? यदि हमारे यहां से अधिक पूंजीगत माल का निर्यात किया जाए, तो उससे भारत को अधिक लाभ होगा।

श्री ब०रा० भगत : कुछ प्रकार के पूंजीगत माल तथा निर्मित वस्तुओं के बारे में बातचीत की गई थी। शिष्टमण्डल ने प्रतिवेदन के रूप में सरकार को कोई दस्तावेज नहीं दिया। हां, जो सरकारी अधिकारी उसके साथ गए थे, उन्होंने प्रतिवेदन दिया है।

श्री लोभो प्रभु : मुझे ऐसा लगा है कि शिष्टमण्डल के सदस्यों का चयन उद्योगवार किया गया। यह भी स्पष्ट है कि उक्त शिष्ट-मण्डल का पूरा खर्च सरकार ने वहन किया। क्या चयन करते समय सरकार ने सम्बद्ध उद्योगों से परामर्श लिया था या यह काम सचिवालय पर ही छोड़ दिया गया था। तैयार खाद्य पदार्थों के उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में कलकत्ते का एक व्यक्ति शिष्टमण्डल में था। किन्तु मैं नहीं समझता कि कलकत्ता में खाद्य-पदार्थ उद्योगों का आधिक्य है।

श्री श्रीचन्द गोयल : इसके लिए तो हिमाचल प्रदेश से प्रतिनिधि होना चाहिए।

श्री ब०रा० भगत : लगभग सभी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। चयन करते समय हम इन परिषदों से सिफारिश लेते हैं। निर्यात संवर्धन परिषदें प्रतिनिधियों के नाम भेजती हैं।

श्री लोभो प्रभु : उनके सदस्य आपके द्वारा मनोनीत हैं।

श्री ब०रा० भगत : जी नहीं।

रही लोहे तथा इस्पात उद्योग द्वारा निर्यात

***363. श्री एन० शिवप्पा :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रही लोहा तथा इस्पात संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि यदि देशी भट्टी-मालिकों को रही लोहे की वर्तमान सप्लाई बन्द कर दी जाए, तो 1970-71 में रही लोहा उद्योग 15 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य पूरा कर सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोषपूर्ण नीति के कारण पिछले कुछ वर्षों में यह उद्योग कुछ पिछड़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग को विकासशील बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। रही लोहे के बाजार में, विशेषतः जापान में मंदी के कारण निर्यातों में गिरावट आई।

(ग) निर्यातों में गिरावट के करव को, जो 1967 के अन्त में प्रगट हुआ था, दूर करने के लिए रही धातु व्यापार निगम ने नए ग्राहक ढूँढने के लिए जापान, ताईवान तथा दक्षिण कोरिया को एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा था। निर्यात बाजार में आस्थगति भुगतान की शर्तों पर रही धातु भेजने के लिए सुविधाएं आरम्भ की गई। गिरावट का रुख हाल ही में समाप्त हो कर ऊर्ध्वप्रवृत्ति आरम्भ हो गई है।

श्री एन० शिवप्पा : बड़ी विचित्र बात है कि मंत्री महोदय ने मुख्य प्रश्न का ही उत्तर नहीं दिया है तथा उन्होंने लोहे तथा रही इस्पात संगठन के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जिसके बारे में मुख्य प्रश्न पूछा गया है तथा जिनकी ओर देश के हितों में, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया है। फिर भी उस उत्तर को देखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से यह जान सकता हूँ कि सरकार ने रही धातु का उपयोग करने के बारे में क्या वरीयता निर्धारित की है तथा देश में यह रही धातु कितनी मात्रा में उपलब्ध है और इसमें से कितनी धातु भारत में पुनः पिघलाने के काम में लायी जाती है तथा कितनी धातु का निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को कुछ गलत-फहमी हुई है। मुख्य प्रश्न के उत्तर मैंने जी हाँ कहा है।

जहां तक निर्यात होने योग्य अतिरिक्त रही धातु का प्रश्न है, यह उद्योग मुख्यतः लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में है और इस बारे में वर्ष-वार कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। परन्तु समय समय पर सर्वेक्षण होता रहता है तथा वर्ष 1968 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1970-72 कुल 35 लाख टन रही धातु के उपलब्ध होने का अनुमान है जिसमें से 20 लाख टन एकत्रित कर लिया जायेगा। इस 20 लाख टन में से 15 लाख का यहां देशीय मंडी में उपभोग कर लिया जायेगा तथा 5 लाख टन का निर्यात कर दिया जायेगा।

श्री एन० शिवप्पा : इस दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने किसी ऐसी योजना के बारे में विचार किया है जिसके इस मद के अधीन इस समय अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि की जा सके, और यदि हाँ, तो यदि उपलब्ध रही धातु को देशीय निर्माण तथा निर्यात के लिए इस्तेमाल करने की कोई योजना बनाई जाए तो आगामी वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है ?

श्री ब० रा० भगत : अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा के ठीक ठीक आंकड़े देना तो मुश्किल है क्योंकि यह मूल्यों तथा अन्य बातों पर निर्भर करता है।

श्री रंगा : सरकार ने कोई तो योजना बनाई ही होगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैं कह नहीं सकता कि कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है।

श्री रंगा : सरकार कितनी आय की आशा कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 के आंकड़े तो दे सकता हूँ परन्तु मैं अनुमानित आय नहीं बता सकता।

श्री रंगा : वैसे सम्भावनायें क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह बताना बड़ा कठिन है। वर्ष 1969 में 8,88,23 626 रुपए का निर्यात हुआ था। विभिन्न सुविधाएं हमने आरम्भ की है उनसे हमारा प्रयत्न है कि यह आय बढ़े। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गिरावट का रुख मोड़ दिया गया है। परन्तु दूसरी बात यह है कि स्थानीय मांग बढ़ती जा रही है। आन्तरिक बाजार की ओर से पहले ही यह मांग की जा रही है कि इसका निर्यात रोक दिया जाये। अतः इन दोनों परिस्थितियों के बीच हमें कोई मार्ग निश्चित करना है कि आन्तरिक बाजार की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और बचे हुए माल का निर्यात भी कर दिया जाए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूँ कि हमने जो नीति बनाई है उसके अनुसार हमारा प्रयत्न है कि देशीय मंडियों की आवश्यकता भी पूरी करें तथा देश की विदेशी मुद्रा की आय में भी वृद्धि करें।

श्री द्वा० ना० तिवारी : प्रायः यह होता है कि रद्दी धातु का उपयोग करने वाले निर्माताओं को काफी मात्रा में यह माल प्राप्त नहीं होता तथा उन्हें विक्रेताओं से खरीदना पड़ता है। परन्तु विक्रेताओं के पास भी काफी माल नहीं होता। इसलिए इसकी कोई नियमित सप्लाई नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या निर्माताओं को सीधी सप्लाई करने तथा विक्रेताओं को काफी मात्रा में माल रखने की सलाह देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ताकि काम का हर्ज न हो ?

श्री ब० रा० भगत : निर्माताओं को रद्दी धातु की सप्लाई समान मूल्यों पर की जाती है। इस बारे में अधिक जानकारी इस्पात मंत्रालय के पास है। हम तो निर्यात के बारे में कार्यवाही करते हैं। निर्यातक संगठन की एक मांग यह भी है कि देश के निर्माताओं को समान मूल्यों पर की जाने वाली सप्लाई बन्द कर दी जाए।

श्री कमल नयन बजाज : स्वयं भारतीय उद्योग को ही रद्दी लोहे तथा इस्पात की अधिकाधिक आवश्यकता है। सारे विश्व में इस्पात की कमी है तथा गत छः महीनों में इसके मूल्यों में वृद्धि हो गई है। यदि हम रद्दी धातु का भारत में ही अधिकाधिक उपयोग करें तथा रद्दी धातु के बजाय तैयार माल का ही निर्यात करें तो हमें अधिक विदेशी मुद्रा की आय होगी तथा अधिक श्रम-मजूरी भी मिलेगी। मंत्री महोदय ने स्थानीय आवश्यकताओं तथा निर्यात की तुलना की है। मैं समझता हूँ कि देश के उद्योग में ही इसका पूरा-पूरा बल्कि 110 प्रतिशत उपभोग किया जाना चाहिए तथा तैयार माल का निर्यात करना चाहिए। इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : हम भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। परन्तु हम 110 प्रतिशत की व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमें ही इसका आयात करना पड़ेगा। जब हमने 20 लाख टन के उपलब्ध होने की बात कही तो उसमें से 15 लाख टन का स्थानीय निर्माण में उपयोग किया जाएगा ताकि इससे बनाया जाने वाले तैयार माल से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें। केवल 5 लाख टन रद्दी धातु का ही निर्यात किया जाएगा।

श्री कमल नयन बजाज : चूंकि इस बारे में कोई दृढ़ नीति नहीं रही है, भारतीय इस्पात भट्टियां तैयार माल के अपने निर्यात-वायदों के बारे में कोई नियमित योजना नहीं बना सकी है जैसाकि उन्हें करना चाहिए था। पहले भी कच्चे माल की सप्लाई के किए गए वायदों को लगातार पूरा नहीं किया जा सका इसके परिणाम स्वरूप इस उद्योग को हानि हुई तथा देश को विदेशी मुद्रा की हानि हुई। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री रंगा : क्या इस बारे में विशिष्ट प्रयत्न किए जायेंगे कि कुछ ऐसे संगठन बनाए जाएं जो मरम्मत के लिए पड़ा तथा सड़क पर न चलने योग्य ऐसी अनेक कारों, जीपों, ट्रकों तथा बैनों को एकत्रित करें जो कि देश के विभिन्न भागों में बेकार पड़ी सड़ रही है क्योंकि उन्हें रद्दी धातु के रूप में इस्तेमाल करके कोई काम की चीज बनाने के लिए कोई नहीं उठाता।

श्री ब० रा० भगत : यह अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम इस सामग्री को एकट्ठा करें और रद्दी धातु के रूप में इस्तेमाल करें। जब रद्दी धातु निगम ने विभिन्न एककों से प्राप्य इस सामग्री की मात्रा का पता लगाने के लिए एक दल भेजा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वर्ष 1971 तक रद्दी धातु के कुल 35 लाख टन उत्पादन में से 20 लाख टन सामग्री एकत्रित की जा सकती है—जिसके आंकड़े मैंने अभी दिए हैं—इसमें से स्थानीय उद्योग की क्षमता 15 लाख टन है जिसे उसके लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा 5 लाख टन का निर्यात किया जाना चाहिए। इससे निर्यात तथा स्थानीय उद्योग को आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी।

श्री रंगा : प्रश्न तो इससे भिन्न है। पहले इसे एकत्रित किया जाना चाहिए।

कपास का समर्थनमूल्य

*364. श्री देवराव पाटिल: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) जनवरी, 1970 में कपास का मध्यमान बाजार मूल्य क्या था;
- (ख) क्या सरकार ने 1969-70 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुछ कपास खरीदी थी; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें जनवरी, 1970 के आरम्भ और अन्त में रूई की कतिपय प्रमुख किस्मों के मूल्य दिये गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) रूई के बाजार मूल्य, समर्थन मूल्यों से काफी अधिक रहे और सरकार को समर्थन मूल्यों पर रूई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी।

विवरण

किस्म का नाम	प्रति क्विंटल 1-1-70 को	मूल्य रुपयों में 31-1-1970 को
1. कम्बोडिया-बी	568	554
2. खानदेश-विनार	443	474
3. बंगाल देशी फाईन	336	360
4. ए० के० 235 तथा 277	437	468
5. पंजाब अमरीकन 320-एफ	439	484
6. पंजाब अमरीकन एच-14	430	458
7. एल-147	485	508
8. मोगलाई जारिल्ला	405	440
9. गावरानी	441	475
10. बूरी अमरीकन	463	491
11. कम्बोडिया 'ए'	671	666

Shri Deo Rao Patil : The Cotton Policy of the Government is such that the farmer would always be in loss whether the crop is good or bad. I want to know whether the Support Price Policy is to benefit the farmers or the mill-owners? One of the purposes of the Support price is that at the time of harvest unless the farmers' cotton reaches market---as he is unable to hoard it. The prices go down and the government should come to the market. And the second aim is that the prices should not fall much below the maximum prices reached. The prices should go down much below the maximum price during the year. The third purpose is that the difference between the floor and the ceiling prices and the maximum price should not be more than Rs. 50.

In view of the above, every year the question of cotton prices is raised here and I do it. The Hon. Minister has just now said that they did not get cotton on support prices owing to

the cotton prices being very high in the market. But what actually happens is that at the time when farmers bring their cotton in the market for sale, the prices go down, and after its sale the prices go high in January, February and March. Then the farmers are not able to take the benefit of support prices. Therefore I request that during the last several years the prices have never touched the floor or the maximum. For the last 20-25 years the farmers could avail themselves of the benefit of the support price. So, I want to know from the Hon. Minister whether he is prepared to increase the support prices ?

The Minister of Foreign Trade (Shri B.R. Bhagat) : Our policy is that the farmer who grows cotton should get fair price for his produce. As that Hon. Member has said that the Support price has been below the market price and it has been happening for the last seven years, it is true. But this subject is considered by the Agriculture Commission every year. Last year the Commission recommend the farmer prices and the Govt. accepted that. In this connection I may also add the purpose of having Support prices is that the Govt. should have such machinery as may purchase the produce and save the farmer from loss. The Governments of Maharashtra and Gujarat have provided that when the prices fall down. The co-operative societies are provided with the resources with the help of which they can save the farmers from perforce selling of their produce at low prices. Therefore, the policy has been made to fetch fair prices to the farmers. The production of cotton cannot be increased without it.

A Hon. Member has asked whether Government propose to increase the support prices in future. It would depend upon the report of the Agriculture Price Commission.

Shri Deo Rao Patil : When Government's aim is to fetch fair prices to the farmers, for the last 25 years the prices have been going down at the time of harvest and then rising during January, February, March, in view of that we do not want higher prices but to maintain prices is it not necessary to increase the support prices.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the Hon. Minister that as he has agreed that at the time when the farmer brings his produce in the market, he get less price, whether in view of that, the Government are planning to purchase that produce so that the farmers may not suffer from loss ?

Secondly, quite a good number of our textile mills are closing down due to the shortage of cotton in our country. To avoid that how much cotton do we import from abroad to meet this shortage and save these mills from closure. What do Government propose to do in this regard ?

Shri B.R. Bhagat : The Hon. Member has asked about Government's policy regarding textile mills. Regarding less prices to the farmers. I have just now explained two three points. Support price means that when the market prices go down below the support prices, our machinery purchase the whole lot at the support prices.

Shri Hukam Chand Kachwai : It has never happened as yet.

Shri B.R. Bhagat : An experience of several years show that the market prices have always been above the support prices. So the question of purchasing at support prices never arises.

Secondly, through cooperatives or other organisation, we should improve the position of the farmers to that extent that they are not compelled to sell their produce at less prices and sell it only when they are able to get proper price.

Thirdly, we are still examining a policy under which the local produce as well as the imports of cotton is proposed to be traded through public Sector so as to facilitate direct purchase from the farmers and control the mill-rates, so that the mills also get it at fair price. This would save the mills from going to the markets for lower or higher prices and the farmers would also get reasonable prices without any loss.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि कपास शुष्क भूमि में उगाई जाती है ? यदि उन्हें इस बात का पता है तो क्या उन्हें यह विदित भी है कि मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल को नुकसान होता है और तीन चार वर्ष के उपरान्त ही कहीं अच्छी फसल मिल पाती है ? क्या उन्हें यह भी विदित है कि सरकार की नीतियों में अनिश्चितता होने के कारण मूल्यों में कमी हो जाती है । सूखा के बारे में इस बजट में झूठी सहानुभूति दिखाने के बजाय क्या सरकार कपास का समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी ? साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह समर्थन मूल्य किसानों द्वारा कपास बेचे जाने से पूर्व ही निर्धारित किया जाएगा ? क्या मंत्री महोदय यहां अभी यह घोषणा करेंगे कि वह इस वर्ष के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने जा रहे हैं तथा उसको कार्यान्वित भी करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर प्रति वर्ष मौसम से बहुत पहले समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है । यह निर्धारण प्रति वर्ष मौसम में या उसके पश्चात् नहीं किया जा सकता अपितु यह फसल से पहले ही किया जाता है । यह सच है कि केवल 16 प्रतिशत कपास की खेती की सिंचाई नहर से होती है तथा 42 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है तथा शेष भूमि पर थोड़ी वर्षा होती है । माननीय सदस्य का यह कहना सच है कि कपास अधिकतर सूखे क्षेत्रों में उगाई जाती है तथा इस कारण इस पर वर्षा की अनिश्चितता का प्रभाव पड़ता है । अतः असिंचित खेतों की तकनीकों में विकास करना पड़ेगा जिससे कपास की उपज में उन्नति की जा सके तथा उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को भी कम किया जा सके ।

श्री शिवजी राव शं० देशमुख : महोदय ! इस सदन में दो मांगों पर अधिक बल दिया जाता रहा है एक तो कपास के तथाकथित शिखर मूल्य को समर्थन मूल्य बना देना चाहिए तथा दूसरी मांग से कपास का विभिन्न कृत्तिम किस्मों में विभाजन किये जाने तथा उसके माध्यम से व्यापारियों द्वारा समस्त कपास को निम्नतम दर पर खरीदने और मिलों द्वारा ऊंची दर पर कपास खरीदने तथा इस प्रकार राज्य तथा काश्तकार दोनों को मूलतः सरकार की नीति से धोखा देने के बारे में हैं । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं तथा तथाकथित शिखर मूल्य को वस्तुतः तथा व्यवहारतः समर्थन मूल्य बनाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ।

श्री ब० रा० भगत : हम इस समस्या पर दो प्रकार से सफलता पा सकते हैं । सबसे पहले कपास की पूर्ति में प्रगति लानी होगी जिससे उसकी सप्लाई में अधिक उतार चढ़ाव न रहे तथा साथ ही उसके मूल्यों में भी अधिक अन्तर न आ सके और किसी प्रकार का हेर फेर न करना पड़े । दूसरे, इस समस्या का समाधान आयात व्यापार पर अधिकार करने से किया जा सकता है । सरकार नवम्बर से सम्पूर्ण आयात व्यापार पर अधिकार करने जा रही है जिससे कपास की सप्लाई पर सरकारी क्षेत्र की एजेंसी का प्रभुत्व हो जाए तथा साथ ही सरकार देश के बाजार की जांच सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करना चाहती है जिससे सरकारी क्षेत्र की एजेंसी नियंत्रण उस पर नियंत्रण रख सके ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये

अध्यक्ष महोदय : कल कुछ माननीय सदस्य मुझ से मेरे चैम्बर में मिले थे तथा उन्होंने अनुरोध किया था कि किसी भी प्रश्न पर दस मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । फिर भी हम पूरे घन्टे में 6 प्रश्न समाप्त नहीं कर पाए । अतः मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों ने मुझे जो सुझाव दिया था उस का स्वयं पालन करें ।

एल्युमिनियम से बनी नौवहन नौकाएं

*365. श्री न० कु० सांघी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं ने भारत की एक इंजीनियरिंग फर्म को एल्युमिनियम से बनी अनेक नौवहन नौकाओं का क्रयादेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन नौकाओं की संख्या कितनी है तथा ये कितने मूल्यों की हैं ; और

(ग) इस समय प्रयोग की जा रही नौकाओं की तुलना में एल्युमिनियम से बनी नौकाओं की विशेषता क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). एल्युमिनियम पोतों के लिए कोई आर्डर नहीं भेजा गया। संक्रियाओं के दौरान तैरती पुलियों का निर्माण करने के लिए उपयोगी 19 फुट की एल्युमिनियम नौकाओं की 53 संख्या के लिए दो फर्मों को आर्डर भेजे गए हैं।

(ग) प्रचलित किस्म के पोतों की तुलना में इन पोतों में यह लाभ कर विशेषताएं हैं:—

- (1) यौद्ध संक्रियाओं के दौरान प्रयोग के लिए यह हल्के रहते हैं।
- (2) उन्हें सुगमता से ढोया और भण्डारों में रखा जा सकता है।
- (3) उनकी गति और पैतरा-योग्यता अधिक है।
- (4) उनके भार के हिसाब से वह काफी मजबूत हैं।

श्री न० कु० सांघी : इन 53 नौकाओं का क्रयादेश “हिन्डलको” नामक फर्म को दिया गया था तथा सरकार ने इन पर 40 लाख रुपए खर्च किये हैं किन्तु प्रचलित पोतों पर सरकार को बहुत कम खर्च करना पड़ता। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने टेंडर मांगे थे तथा क्या ग्लास फाइबर और फैरो-सिमेंट जैसी वैकल्पिक वस्तुओं की भी खोज की गई थी क्योंकि इन पर आप को बहुत कम व्यय करना पड़ता तथा साथ ही ये क्रयादेश दी गई एल्युमिनियम की नौकाओं से कहीं लाभप्रद होती?

श्री म० रं० कृष्ण : इन नौकाओं के लिए तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की सलाह लेने तथा योगकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकता को जानने के पश्चात् ही क्रयादेश दिया गया था। हमने 11 फर्मों से टेंडर मांगे थे जिनमें सरकारी क्षेत्र की फर्मों भी सम्मिलित हैं। इन फर्मों ने न्यूनतम भाव रखे थे और इसी कारण हमने उन फर्मों को क्रयादेश दिया।

श्री न० कु० सांघी : क्या ग्लास-फाइबर तथा फैरो-सिमेंट जैसी वस्तुओं का भी तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया था जिनका सरकार को लाभ भी अधिक होता तथा ये वस्तुएं सस्ती भी रहती? इन वस्तुओं का उत्पादन प्रतिरक्षा उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में क्यों नहीं कराया जाता। इन कारखानों में इस कार्य के लिए क्षमता भी है तथा इस क्षेत्र में उन्होंने काफी उत्पादन किया है।

श्री म० रं० कृष्ण : जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की समिति ने इस बात पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया है तथा उनकी सिफारिशों के अनुसार ही क्रयादेश दिया गया था।

श्री न० कु० सांघी : मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री म० रं० कृष्ण : मूल्य निर्धारण भी किया गया है। यह प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा उपभोग कर्ताओं का कर्तव्य है कि वे उत्तम उपकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करें और इन्हीं प्रयत्नों के अनुकूल इन नौकाओं का क्रयादेश दिया गया था।

श्री रणजीत सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश में फाइबर-ग्लास नौकाओं के निर्माण में कुछ उन्नति हुई है तथा क्या कुछ निजी एजेंसियां इन का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही हैं और क्या विदेशों में फाइबर-ग्लास की उपयोगिता देखते हुए एल्यूमिनियम का बिल्कुल त्याग कर दिया है। क्या यह सच नहीं है कि फाइबर-ग्लास स्लान्टरों तथा बिल्टों के लिए अधिक मजबूत है तथा एल्यूमिनियम की तुलना में इस पदार्थ में बिल्कुल जंग नहीं लगता? यदि यह सच है तो सरकार फाइबर-ग्लास ही क्यों नहीं खरीदती?

श्री म० रं० कृष्ण : हमारे देश में फाइबर-ग्लास का विकास अभी प्रारम्भिक स्थिति में है तथा हमें ऐसे पदार्थ के विषय में सोचना पड़ेगा जिसका प्रयोग तुरन्त किया जा सके। वास्तव में सभी दृष्टिकोणों से इस विषय में विचार किया गया था तथा स्वयं प्रयोगकर्ताओं की भी इसी वस्तु की मांग थी। अतः यह उन्हीं की मांग के अनुसार किया गया है।

श्री फ० गो० सेन : प्रचलित नौकाओं पर होने वाले व्यय की तुलना में इस नौका पर कितना व्यय होगा?

श्री म० रं० कृष्ण : फर्म द्वारा दी गई तथा सरकार द्वारा स्वीकृत दर 76,000 रुपए प्रति नौका है।

जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ भारत के कूटनीतिक सम्बन्धों के बारे में पश्चिम जर्मनी के मंत्री का वक्तव्य।

***366. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री ह० ना० मुकर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम जर्मनी के विदेश मन्त्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि भारत ने पूर्वी जर्मनी के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये, तो पश्चिम जर्मन सरकार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार होगा; और

(ख) क्या दिल्ली में दिये गए ऐसे धमकी भरे वक्तव्य के विरुद्ध सरकार ने विरोध प्रकट किया है?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) 15 फरवरी, 1970 को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मन्त्री ने कहा था कि जर्मन जनवादी गणराज्य को मान्यता देने वाले देशों के प्रति जर्मन संघीय गणराज्य की नीति हर मामले में अलग-अलग इस आधार पर तय की जाएगी कि किस में उसका क्या हित है और उस समय क्या स्थिति रहती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पश्चिम जर्मनी के विदेश मंत्री द्वारा दिल्ली में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में यह कहा गया था कि मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि भारत सरकार जर्मन लोक-तन्त्रीय गणराज्य के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेगी। यह बात रिकार्ड में भी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वयं प्रधान मंत्री ने भी पश्चिम जर्मनी के एक संवाददाता दल को, जो श्री वाल्टर स्वील के साथ था, यह बताया था कि भारत ने जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को मान्यता देने के प्रश्न को पहले भी हमेशा ध्यान में रखा है तथा भारत सरकार शान्ति तथा सुरक्षा के लिए जो

भी कुछ करना आवश्यक समझेगी करेगी, मैं जानना चाहूंगा कि श्री वाल्टर स्वील द्वारा यह स्पष्ट वक्तव्य देने पर कि मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि भारत जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य की ओर से अपना रुख नहीं बदलेगा वैदेशिक कार्य मन्त्री की क्या प्रतिक्रिया है। क्या यह विचार उनके समक्ष रखे गए थे अथवा क्या उनको निजी रूप से कोई आश्वासन दिया गया था? यदि उनका वक्तव्य सही नहीं था या सरकार ने उनसे जो कुछ कहा था उन्होंने उसका सही प्रस्तुतीकरण नहीं किया था तो उनके इस वक्तव्य का प्रतिवाद क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है इस वक्तव्य का आज तक प्रतिवाद नहीं किया गया है?

श्री विनेश सिंह : दो स्थितियों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। हमारी स्थिति सर्व विदित है तथा हमने इसकी घोषणा सदन में भी की है। तथा बाहर भी की है। जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है तथा हम उनके साथ अपने सम्बन्धों को और भी सुदृढ़ करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि यह हमारे लिए आवश्यक है। ठीक इसी स्थिति का उल्लेख प्रधान मन्त्री ने भी किया है कि हम आवश्यकता के अनुसार जर्मन लोक-तन्त्रीय गणराज्य के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाते रहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस अनिश्चिततापूर्ण रवै के कारण ही यह प्रश्न खड़ा हुआ है। मैं इस बात का अवश्य उल्लेख करना चाहता हूँ कि सम्वाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वाल्टर स्वील ने स्वीकार किया था कि हैलस्टन का सिद्धान्त मृतप्राय है। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में वातावरण कुछ अनुकूल हुआ है। पश्चिम जर्मनी सरकार को वास्तविकता को समझने के लिए विवश होना पड़ा है तथा स्वयं उसने जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से सीधे बातें करनी आरम्भ कर दी हैं। इसका यह तात्पर्य हुआ कि उमने जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य की पृथक् सत्ता को मान्यता देना आरम्भ कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के समक्ष कौन सी कठिनाई है जो उसे हमारी गुट निर्वेक्ष नीति के अनुकूल दोनों जर्मन राज्यों को मान्यता देने से रोकती है। क्या इसका कारण यह है कि हम बोन या पश्चिम जर्मन सरकार पर बहुत आश्रित हो गए हैं जिसमें हिटलरवादी तथा भूतपूर्व नाजियों की संख्या बहुत है?

हम पश्चिम जर्मनी पर इतने निर्भर हो गए हैं और उससे इतने भयभीत हो गए हैं कि हम यह कहने का भी सहास नहीं करते कि बर्लिन में हमारा जो व्यापार प्रतिनिधि मण्डल है और जिसे हाल ही में वाणिज्य दूतावास का कार्य सौंपा गया है, वह वाणिज्य दूतावास का कार्यलय है। हमारी सरकार कहती है कि वह वाणिज्य दूतावास का कार्यलय नहीं है। बर्लिन में हमारे व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का कार्यभारी अधिकारी को वाणिज्यिक दूतावास का कार्य सौंपा गया है किन्तु जब पत्रकार सरकार से पूछते हैं कि “क्या इसका अर्थ है कि वाणिज्यिक दूतावास का कार्यालय खोला गया है?” तो सरकार कहती है कि “यह वाणिज्यिक दूतावास का कार्यालय नहीं है।” इस भय और आतंक का क्या कारण है? और यह कब तक ऐसा चलता रहेगा?

श्री विनेश सिंह : हमारी ओर से कोई भय अथवा आतंक नहीं है। हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है और मैंने इसे अभी दोहराया है। दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्धों के मामले में हम अपने राष्ट्रीय हितों से मार्गदर्शित होंगे न कि इससे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप का राष्ट्रीय क्या हित है? पूर्व जर्मनी को मान्यता देने में आप का राष्ट्रीय हित क्योंकर बाधक है?

श्री बलराज मधोक : वही जो ताईवान को मान्यता देने में है?

श्री दिनेश सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि हम यह करने जा रहे हैं या वह करने जा रहे हैं। मैंने केवल यह ही कहा है कि पूर्व जर्मनी के साथ हमारे सम्बन्ध, उसके साथ हमारे प्रगतिशील सम्बन्धों पर निर्भर होंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास आवश्यक व्यवस्था होगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : एक ओर तो पश्चिम जर्मनी के विदेश मंत्री श्री वाल्टर स्चील ने कहा कि हेल्स्टीन सिद्धान्त अब संगत नहीं है विशेषरूप से जब कि शक्तिशाली देशों का सम्बन्ध है। दूसरी ओर, 4 नवम्बर, 1969 के डाई वैल्ट के अनुसार विदेश मंत्री द्वारा पश्चिम जर्मनी के शिष्टमण्डलों के प्रमुखों को दी गई शासकीय हिदायतों में से एक यह थी कि राजदूत एक पक्षीय रूप से, पूर्वजर्मनी के मान्यता प्राप्त करने के प्रयत्नों को विरोध कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से इस हिदायत का सम्बन्ध हमारे जैसे देशों से था जहां पर जनता सरकार से पूर्व जर्मनी को मान्यता देने की मांग कर रही है। इन परिस्थितियों में क्या कारण है कि हमारी सरकार कहती है कि वह एक या दूसरा पग उठाने में समय लगायेगी? तो क्या पश्चिम जर्मनी के विदेश मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह समझूँ कि सरकार डरती है और वह व्यापार प्रतिनिधिमण्डल को वाणिज्य दूतावास का दर्जा देने को तैयार नहीं है जबकि ऐसा करना सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुरूप है?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं। इस सम्बन्ध में हम पश्चिम जर्मनी के कहने पर नहीं चलते हैं। उसकी अपनी नीति में जो परिवर्तन आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया पूर्व जर्मनी के साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध भी हैं और अपने विवादों के निपटारे के लिए वे पूर्व जर्मनी से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। पूर्व जर्मनी द्वारा हम पर दबाव डालने की कोई बात नहीं है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। और उचित समय पर हम समूचित कार्यवाही करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या अपने हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व जर्मनी के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरने नहीं चाहिए? यदि स्थिति तथा हमारे राष्ट्रीय हित इजाजत दें तो क्या हमें पूर्व जर्मनी के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार नहीं करना पड़ेगा?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां।

श्री बलराज मधोक : मैं माननीय मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूँ कि इस मामले में हम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेंगे। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 20 वर्षों में हमें पश्चिम जर्मनी से, अमरीका को छोड़ कर अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक सहायता मिली है और हमारे राष्ट्रीय हित यह मांग करते हैं कि हम पश्चिम जर्मनी से बना कर रखें? अतः क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि पूर्व जर्मनी के सम्बन्ध में पक्षपात की नीति नहीं अपनाई जायेगी? यदि आप दो जर्मनी की नीति का अनुसरण करते हैं तो आपको चीन की नीति भी स्वीकार करनी चाहिए। रूस तथा यहां पर अपने सभाजवादी मित्रों को खुश करने के लिए आपको पूर्व जर्मनी के पक्ष में भेदभाव नहीं करना चाहिए... (व्यवधान) यह तो उनकी परम्परा है।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक सहायता के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे कुछ भिन्न विचार हैं, मैं दीर्घकालीन ऋण को सहायता नहीं कहता। उनके अपने दृष्टिकोण से यह निर्यात संबर्द्धन है। जहां तक हमारे पश्चिम जर्मनी से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने का सम्बन्ध है, हमें उससे काफी ऋण सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किन्तु पूर्व जर्मनी को हमारा निर्यात भी पर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि वह लगभग 20 करोड़ रु० का रहा है जबकि पूर्व जर्मनी को भी हमारा निर्यात लगभग 20 करोड़ रुपए का रहा है। अतः आर्थिक दृष्टि से पूर्व जर्मनी के साथ भी हमारे सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री बलराज मधोक : दो जर्मनी और दो चीन के बारे में आप को क्या कहना है ?

श्री दिनेश सिंह : हम दो चीन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते ।

श्री जी० विश्वानाथन : क्या हमारी गुटनिर्पेक्ष नीति, पूर्व जर्मनी और इजराइल जैसे कुछ देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के विरुद्ध है ? भारत सरकार की क्या नीति है ? हम काफी समय से कह रहे हैं कि सम्बन्ध बढ़ रहे हैं । वे कब पूरे हो जायेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : गुट निर्पेक्षता का प्रश्न इसमें नहीं आता । जहां तक हमारे सम्बन्धों को बढ़ाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, वे बढ़ते रहे हैं । हमारा एक व्यापार कार्यालय है और यह वाणिज्य दूतावास का कार्य कर रहा है । प्रतिनिधिमण्डल के स्तर को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार रखेंगे ।

Shri Tulshidas Jadhav : How many Countries of the World have given recognition to G.D.R. and how many have not and what specific difficulties are in the way of extending recognition to G.D.R. ?

Shri Dinesh Singh : Off hand I can not tell this, but I think this information has perhaps been given to the House.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसार के बहुत से ऐसे देशों ने, जिनकी भारत से मित्रता है, पूर्व जर्मनी तथा पश्चिम जर्मनी दोनों को मान्यता दी है, तो क्या कारण है कि इजराइल और ताइवान की तरह पूर्व जर्मनी के साथ भेदभाव किया जाता है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने इजराइल के साथ भेदभाव नहीं किया । माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे सम्बन्ध इस बात पर निर्भर रहे हैं कि हमने किस स्तर को उचित स्तर समझा है । इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं । माननीय सदस्य हमारे सम्बन्धों की बढ़ोत्तरी के इतिहास से अवगत हैं, इस सम्बन्ध में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर इसमें नहीं आता ।

श्री दिनेश सिंह : मैं यह नहीं कह सकता कि अधिकतर देशों ने पूर्वी जर्मनी को मान्यता दे दी है ।

श्री हेम बरुआ : मैंने कहा है कि अधिकतर देशों ने पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों को मान्यता दे दी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे श्री बलराज मधोक के प्रश्न पर आश्चर्य होता है कि वे सबसे बड़ी बोली लगाने वाले के हाथ इस देश को बेचना चाहते हैं ?

श्री बलराज मधोक : मैं इसे रूस और चीन के हाथ नहीं बेचना चाहता ?

श्री स० मो० बनर्जी : हम रूस और चीन के विरुद्ध हैं ? मुझे रूस में कोई दिलचस्पी नहीं है । इस स्तर के नेता को ऐसा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें पूछना चाहिए क्या कोई किसी पिछलगू देश को मान्यता दी जाए या नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रतिक्रियावादी तत्वों के अतिरिक्त शासक दल और विरोधी दलों समेत संसद के दोनों सदनों के विभिन्न दलों के 300 सदस्यों ने पूर्वी जर्मनी को पूर्ण मान्यता देने की मांग की थी तथा प्रधान मन्त्री ने उन्हें इस का आश्वासन दे दिया है ।

पूर्वी जर्मनी को कब तक मान्यता दे दी जायेगी तथा अब तक मान्यता न देने का क्या कारण है, ? क्या ऐसा साम्राज्यवादी तत्वों के दबाव के कारण तो नहीं हुआ है ।

श्री दिनेश सिंह : हमें देशों के साथ अपने सम्बन्ध अपने राष्ट्रहित के अनुसार रखने होते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं आप से मार्गदर्शन चाहता हूँ । उत्तर विषय संगत होना चाहिए । मैं जानना चाहता हूँ कि "राष्ट्रहित" क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में बाद में बहस होगी और "राष्ट्रहित" क्या है उस समय इस पर हम चर्चा करेंगे ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : 350 संसद सदस्य पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं । आप 'राष्ट्रहित' की बात कहते हैं वह 'राष्ट्रहित' है क्या ?

Shri Dooen Sen : The time by which Government will tolerate the threat from West Germany.

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही संगत प्रश्न है ।

Shri Dinesh Singh : This question has come up several times that pressure is being put due to which the Government is not doing anything, I said a number of times that Government was not going to do anything under pressure. We will do that when we will consider it necessary and in Country's interest.

श्री ई० के० नायनार : अपने 7 फरवरी के अंक में साप्ताहिक "ब्लिट्ज" ने लिखा है:—

"पिछले सप्ताह नई दिल्ली में बोन ने अमरीका के माध्यम से पूर्वी जर्मनी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोकने के लिए दबाव डलवाया और वह उसमें कामयाब हुआ । पिछले महीने पश्चिमी जर्मनी के विदेश मन्त्री भारत आये और उन्होंने पूर्वी जर्मनी को मान्यता न देने के लिए भारत पर दबाव डाला ।"

क्या भारत पश्चिमी जर्मनी के दबाव के आगे झुक रहा है । यदि नहीं तो सरकार पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने में देरी क्यों कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : हम किसी के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वे अपनी अन्तरात्मा के सम्मुख झुक रहे हैं ।

लाख का निर्यात

*367. **श्री के० एम० अब्राहम :**

श्री सी० के० चक्रपाणि :

श्री गणेश घोष :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि भारत से लाख के निर्यात में पिछले पांच वर्षों से कमी हो रही है;
- (ख) यदि हां, तो इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;
- (ग) क्या सरकार लाख के निर्यात को राजकीय व्यापार के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) तथा (ख). पिछले पांच वर्षों से निर्यातों में उतार चढ़ाव हो रहा है जैसा कि नीचे आंकड़ों में दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा मी० टन में	मूल्य लाख रु० में
1964-65	17,331	417.00
1965-66	13,975	427.00
* 1966-67	15,854	546.55*
1967-68	15,390	515.05
1968-69	17,713	502.05

- (1) सरकार द्वारा प्रायोजित लाख निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, निर्यात बढ़ाने के लिए, बाजार की जानकारी के प्रसार, बाजार सर्वेक्षण करके, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में माल लेकर, विदेशों में प्रचार आदि करके, प्रतिनिधिमण्डलों को भेज कर बहुत से उपाय कर रही है।
- (2) इकाई प्राप्ति के संरक्षणार्थ सभी प्रकार की लाख के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं।
- (3) थाइलैण्ड, जोकि लाख का उत्पाद तथा निर्यात करने वाला एक मात्र देश है, के साथ एक साक्षी विपणन व्यवस्था के लिए सक्रिय प्रयत्न किये जा रहे हैं।
- (4) एक आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में लाख को लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसंधान तथा उत्पाद सम्बन्धी विकास किये जा रहे हैं।
- (5) भारतीय लाख की निर्यात सम्भाव्यता के लिए हाल ही में एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण की उपलब्धियों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ). सरकार की नीति यह है कि हमारे निर्यातों में सरकारी क्षेत्र के भाग को बढ़ाया जाए। जब कभी किसी मद को सरकारी अभिकरण के अन्तर्गत लाया जाता है, तब एक उपयुक्त अधिसूचना जारी की जाती है।

श्री के० एम० अब्राहम : क्या विश्व बाजार में हमारी लाख की प्रतियोगिता संश्लिष्ट लाख से है।

श्री ब० रा० भगत : संश्लिष्ट लाख, जिसे वे संश्लिष्ट बैरोजा कहते हैं प्रतियोगिता में है।

श्री के० एम० अब्राहम : किन मुख्य मुख्य देशों को हम लाख का निर्यात करते हैं और निर्यात के कम होने के क्या कारण है?

श्री राम सेवक : जिन देशों को लाख का निर्यात किया जाता है वे हैं अमरीका ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी रूस, पश्चिमी यूरोपीय देश आस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, अर्जेन्टाइना, और जापान।

श्री के० एम० अब्राहम : इन देशों को लाख के निर्यात में कमी क्यों हुई?

श्री ब० रा० भगत : इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है। यहां पांच साल के आंकड़े दिए गए हैं। और इनसे कमी लक्षित नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है और कुछ में घटा है। असली प्रतियोगिता थाइलैण्ड के साथ है। मेरे सहयोगी ने लाख के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास प्रक्रिया आदि समेत क्या कदम उठाए गए हैं इसका हवाला पहले ही दे दिया है।

श्री गणेश घोष : क्या यह सच है कि सरकार ने लाख सम्बन्धी उद्योगों का इतना विकास नहीं किया है, जिससे कि लाख के कच्चे माल के एक बड़े भाग का उपयोग हो सके और यदि हां, तो क्या सरकार इस उपेक्षित उद्योग के विकास के लिए जिससे कि पर्याप्त मात्रा में लाख उत्पादों का निर्यात किया जा सके, कोई शीघ्रकारी कदम उठाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : विकास के लिए ही नहीं वरन् लाख की प्रक्रिया सुधारने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

Shri Ramavatar Shastri : Shelloc is also produced in Bihar. I would like to know whether the attention of the Government had been drawn to the news published in newspapers of Bihar that Shelloc is being sold in blackmarket and people are hoarding it ? If so, what steps were taken in this matter ?

Mr. Speaker : This question is regarding export.

Shri B.R. Bhagat : Attention of the Government was not drawn to this fact.

Shri Beni Shankar Sharma : As had been stated by Shri Shastri the Shelloc industry in Bihar is very old and conventional industry. In hill districts of Ranchi and Palamau where Palas is found in plenty, the Shelloc worms are brought up there and Shelloc is produced. But due to fall in demand of Shelloc in foreign and local market there has been a big shortfall in the production of Shelloc. Therefore, I want to know from the Hon. Minister that whether any steps are being taken to increase the internal consumption of Shelloc.

Mr. Speaker : The question is regarding export.

नमक का निर्यात

***369. श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो सदस्यों वाले नमक विक्रय दल को जिसने, हाल ही में सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों का दौरा किया था, नमक निर्यात करने के काफी बड़े क्रयदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रयदेश का व्यौरा क्या है और यह क्रयदेश किन-किन देशों से प्राप्त हुए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, नमक के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) जी हां। विक्रय दल के दौरे के परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम ने दक्षिण कोरिया तथा ताईवान से 4.30 लाख टन नमक के क्रय-आदेश प्राप्त किये हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में नमक के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा रुपयों में इस प्रकार है :

1966-67	1967-68	1968-69
90.00 लाख रुपया	128.00 लाख रुपए	130 लाख रुपए

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या उन्हें पता है कि हमारे नमक में 96 से 97 प्रतिशत अंश ही सोडियम क्लोराइड का होता है और यदि हां तो सरकार द्वारा नमक को धुलवाकर उस में सोडियम क्लोराइड का अंश बढ़ाकर उसे निर्यात न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत): अपने माननीय मित्र की तरह मैं तकनीकी व्यक्ति नहीं हूँ और इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है उसे मैं नहीं समझ सकता। लेकिन तथ्य यह हैं कि हम नमक का निर्यात जापान और दूसरे अनेक देशों को कर रहे हैं और उन्होंने हमारे नमक को तुलनात्मक रूप में माल और किस्म में अच्छा पाया है।

श्री रा० कृ० बिड़ला: मेरा दूसरा प्रश्न यह है। जो पार्टों हमारे देश में नमक खरीदती है, वही नमक की कीमत का निर्धारण करती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मानक मूल्य निर्धारित किया गया है.....

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री रा० कृ० बिड़ला: मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: जब तक उनके प्रश्न की भूमिका पूरी होगी प्रश्न काल पूरा हो जाएगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला: मैंने केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछा है। मुझे दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। इस समय नमक की कीमत का अन्तिम रूप से निर्धारण उस देश द्वारा किया जाता है जो उसका आयात करते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रयोगशालाओं में सोडियम क्लोराइड के अंश का परीक्षण करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि नमक का निर्यात करने से पहले हमारी प्रयोगशालाओं में ही नमक का परीक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा उन देशों से अनुरोध न करने के क्या कारण हैं?

श्री ब० रा० भगत: मैं प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ, जो देश हमारे नमक का आयात करते हैं, उन्हें वह स्वीकार्य है.....

श्री रा० कृ० बिड़ला: लेकिन कम कीमत पर।

श्री ब० रा० भगत: कीमत, माल और किस्म में, हमारा नमक उन देशों को स्वीकार्य है और ऐसा कोई सवाल उन्होंने नहीं उठाया।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question

पोंग बांध क्षेत्र में हटाये गये व्यक्तियों का पुर्नवास

अ०सू०प्र० 4. श्री हेम राज:

श्री विक्रम चन्द महाजन:

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोंग बांध के निर्माण से, जिसका निर्माण निर्धारित कार्यक्रम से भी तेज गति से चल रहा है, लगभग 20,000 परिवार विस्थापित हो जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा दिये गए वचन के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जून, 1973 में पूरा होने के लिए अनुसूचित पोंग बांध के पूरा होने पर लगभग 20,700 परिवार विस्थापित हो जायेंगे।

(ख) और (ग). विस्थापित परिवार राजस्थान नहर परियोजना द्वारा सेवित क्षेत्रों में बसाये जायेंगे जहां राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित पोंग बांध और अन्य परियोजनाओं से विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाने के लिए 3.25 एकड़ भूमि को पृथक रखना मान लिया गया है। इसमें से लगभग 2 लाख एकड़ भूमि राजस्थान नहर परियोजना के चरण एक में उपलब्ध है। विस्थापितों को पुनर्वास अनुदानों के अतिरिक्त, उनके लिए, उनके परिवारों और भवेषियों के लिए परिवहन खर्च भी दिया जाएगा। जिन नए स्थानों पर उन को बसाया जाएगा, वहां पर उन के लिए पेयजल, डिगियों और अनुदान पर आधारित आश्रम स्थानों का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 2500 मकानों और अपेक्षित संख्या में डिगियों के मार्च/अप्रैल, 1970 तक पूरा हो जाने की संभावना है। जो विस्थापित राजस्थान नहर क्षेत्र में बसेंगे उनको अस्थायी ट्रांजिट कैम्पों और स्कूल, चिकित्सा, ऋणों, अच्छे बीजों और उर्वरकों से सम्बन्धित अन्य सुविधाएं देना भी मान लिया गया है।

श्री हेमराज : महोदय ! जैसा कि आपको ज्ञान होगा, यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक अनाज उपजाने वाला क्षेत्र था और इस क्षेत्र ने 1962 और 1965 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में सर्वाधिक शहीद दिए। वे व्यक्ति अब विस्थापित हो रहे हैं और इस सरकार ने, उनका ठीक समय पर पुनर्वास करने के बजाय, उनके मामले की उपेक्षा की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये व्यक्ति 1970 में विस्थापित होने वाले हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि जलाशय बांध के बन जाने पर विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी होगी ? इस समय लगभग 1000 परिवार उस क्षेत्र से विस्थापित हुए हैं, लेकिन उनमें से 250 परिवारों का ही पुनर्वास किया गया है और राजस्थान सरकार ने इन परिवारों के लिये अपेक्षित संख्या में मकानों का निर्माण नहीं किया। यदि समय-सीमा का अनुपालन किया जाता है और सभी परिवारों को विस्थापित किया जाता है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक सभी पुनर्वास सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं हो जातीं, इन परिवारों को उस स्थान से विस्थापित नहीं किया जायेगा और तब तक क्या पोंग बांध पर निर्माण कार्य रोक दिया जायेगा ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है ? अन्यथा मैं यह चेतावनी देता हूं कि सत्याग्रह किया जायेगा और उस बांध पर कार्य रोक दिया जायेगा।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यदि निर्माण के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जाता रहा, तो जैसा कि मैं समझता हूं, जून 1971 तक लगभग 12,000 परिवार विस्थापित हो जायेंगे। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि जब तक इन विस्थापितों का समुचित रूप से पुनर्वास नहीं किया जाता और उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता, हम व्यास नदी में पानी का जमाव न होने देंगे और न नदी पर बांध का कोई निर्माण ही करेंगे।

श्री हेमराज : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने इन विस्थापितों को 3.25 लाख एकड़ भूमि देने का आश्वासन दिया था और उसके बाद, सचिवों की एक समिति ने यह कहा कि 3.25 लाख एकड़ भूमि नहीं दी जा सकती और इसलिए, वे इस स्थिति से मुकर गए हैं और उनका कहना है कि सिर्फ 1.90 लाख एकड़ भूमि ही दी जायेगी। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मंत्री-स्तर पर यह निर्णय किया गया था कि यह सभी भूमि विस्थापितों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जायेगी, जबकि इसके विपरीत भूमि राजस्थान सरकार द्वारा आबंटित की जा रही है और मन्त्रि-स्तर पर जो समझौता किया गया था उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने विस्थापितों को पहले ही पट्टे भेज दिये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि वे सभी पट्टे रद्द किये जायेंगे और आबंटन कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप दिया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : यह तय हुआ है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा तथा राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र से हटाये गए व्यक्तियों को बसाने के लिए राजस्थान सरकार 3.25 लाख एकड़ भूमि का आबंटन करेगी। यह भी स्वीकार किया गया है कि 3.25 लाख एकड़ भूमि प्रत्येक सम्बन्धित राज्य-सरकार द्वारा हटाये गए विभिन्न व्यक्तियों में बांट दी जायेगी। राजस्थान सरकार प्रायः इसे स्वीकार कर लेगी। यह भी तय हुआ और मेरा विचार है कि इसके पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री हेमराज : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। भूमि का आबंटन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना था जबकि यह आबंटन राजस्थान सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार से बिना परामर्श लिये हो रहा है।

डा० कु० ल० राव : मैं कह चुका हूँ कि यह तय हुआ है कि पोंग बांध क्षेत्र से हटाये गए व्यक्तियों को राजस्थान सरकार विधिवत भूमि प्रदान करेगी किन्तु उस भूमि का आबंटन करने तथा उसके विस्तार के निर्णय करने का प्राधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार को ही है।

श्री विक्रम चन्द महाजन : बांध अथवा बांध बनाने के लिए स्थान का चयन करते समय प्रयत्न किया जाए कि हटाए गए व्यक्तियों को कम से कम कठिनाई एवं कष्ट हो, साथ ही कम से कम भूमि में पानी भरे। मैंने हाल में एक इस आशय का लेख पढ़ा कि जर्मनी में 800 फुट ऊंचा बांध बनाने के स्थान पर 9 छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं ताकि कम से कम कृषकों को हटाया जाए और कम से कम भूमि में पानी भरे। हमारे देश में बिल्कुल विपरीत स्थिति है। पोंग बांध की ऊंचाई लगभग 1500 फुट होगी तथा दो लाख एकड़ सींची जाने वाली कृषि-भूमि में पानी भर जाएगा और एक लाख लोग विस्थापित किए जायेंगे। यदि मैं कहूँ कि वर्तमान बांध कृषकों के लिए यह दुखों का कारण है तो अनुचित न होगा। इस बात की भी आशंका है कि उन्हें बगैर मुआवजा दिए हटा दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें हटाए जाने से पहले मुआवजा दिया जाएगा और क्या उन्हें अपील करने और उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण हुआ है जिसके अनुसार प्रारम्भिक चरण में छोटा बांध बनाकर ऊंचाई कम की जाए और लगभग लाखों एकड़ सींची जाने वाली भूमि को बचाया जा सके? यदि हाँ, तो सर्वेक्षण का अभ्यावेदन क्या है? यदि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं?

डा० कु० ल० राव : राष्ट्र-हित को ध्यान में रख कर व्यास नदी के पानी का उपयोग करने के बारे में सावधानी पूर्वक छानबीन की गई है। अगर बांध निश्चित ऊंचाई से कम बनाया जाता है तो उस पानी को संभालना कठिन हो जाएगा और जो पानी पाकिस्तान से हमें काफी वाद-विवाद से प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान को चला जाएगा। इस सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है और राष्ट्रहित को ध्यान में रख कर यह अत्यावश्यक होगा कि भारतीय भूमि की सिंचाई के लिए बांध का निर्माण उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार उसका डिजाइन बनाया गया है।

जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मुआवजा दिया जाएगा और बांध बनाने से पूर्व इस प्रश्न का भली भांति समाधान कर लिया जाएगा।

श्री प्रताप सिंह : क्या यह सच है कि पोंग बांध से हटाए जाने वाले व्यक्तियों ने अपनी कठिनाइयों एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में राज्य सभा में एक याचिका भेजी है? यदि हाँ, तो क्या उस याचिका पर दूसरे सदन में कोई निर्णय किया गया है और सरकार ने समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है।

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य की बात पूरी तरह नहीं समझा। दो समितियाँ हैं। पहली मुख्य मन्त्री-समिति तथा दूसरी सचिव समिति। प्रत्येक समिति अभ्यावेदन पर ध्यान देगी और न्याय किया जाएगा।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Hon. Speaker, The Minister has stated that the people affected by the construction of Pong Dam would be rehabilitated. I want to bring to his notice the factual position that 40 thousands families ousted as a result of the construction of Bhakra Dam are still homeless even after 15 years. Central Govt. say that it is the responsibility of Himachal Pradesh Govt. and Himachal Pradesh Government says that it is the responsibility of Central Government. I want to know from Hon. Minister whether oustees of Pong Dam would be treated in the same manner as the oustees of Bhakra Dam were treated ? The assurance regarding their rehabilitation would be fulfilled or not ?

A meeting was held in Surat Garh on 14 Dec. 1968 under the Chairmanship of Dr. K.L. Rao in which nominees of Chief Ministers of Himachal Pradesh and Rajasthan also participated. I want to know what decisions were taken in that meeting and whether the decision has been implemented or not and whether changes has been made in the decisions that are being taken at present; and if so, what are those changes ?

What will be the rate of compensation to be paid to the people affected by the construction of Pong Dam. May I know whether the rates of compensation would be same as the rates of compensation of satluja-Beas link ?

Will the Hon. Minister give a clear assurance that affected people will get all the facilities of water, electricity etc. in the Houses being built for them as they are getting in the present houses ? Will the Govt. take the responsibility or not ?

I want clear replies from the Hon. Minister to all these questions and should not try to evade.

डा० कु०ल० राव : जहां तक हटाए गए व्यक्तियों का राजस्थान में बसाने का प्रश्न है, वह भाखड़ा के मामले से भिन्न है। हिमाचल प्रदेश से हटाए गए लोग राजस्थान में बसाये जायेंगे। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार ऐसे लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगी। वस्तुतः उसने ऐसा किया भी है। उसने कच्चे घर, पीने योग्य पानी की डिगियां बनाने में काफी मात्रा में रियायतें एवं सुख-सुविधाएं प्रदान की हैं। मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश से हटाए गए जो व्यक्ति राजस्थान में चले गए हैं उनका भली भांति ध्यान रखा जाएगा।

हटाए गए लोगों को प्रदान की जाने वाली सुख-सुविधाओं के प्रति हम पूर्णतया जागरूक हैं।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, I have also asked the rate being paid to them of their land. May I know whether the Government is going to purchase their land at the rate of Satluj-Beas link ?

डा० कु०ल० राव : इसमें कोई विशेष बात नहीं है। उनकी भूमि की कीमत भूमि अर्जन नियमों के अनुसार ही दी जाएगी।

श्री बीरभद्र सिंह : क्या यह सत्य है कि इस वर्ष 10,000 परिवारों को दूसरे स्थानों पर ले जाया जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन परिवारों की बुनियादी सुविधाएं जैसे, आवास जलापूर्ति तथा शिक्षा के लिए राजस्थान में जहां इन परिवारों का पुनर्वास होना है अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ?

डा० कर्णो सिंह : मुझे अपने हिमाचल प्रदेश के मित्रों से पूरी सहानुभूति है। हमारे राजस्थान निवासियों का विचार है कि यदि हिमाचल प्रदेश के हमारे भाई अपनी भूमि से वंचित होने जा रहे हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और उनका राजस्थान में पुनर्वासन कराना चाहिए। हम 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। फिर भी हरियाणा, पंजाब तथा मैसूर और महाराष्ट्र सीमा विवाद को देख कर हमारे मस्तिष्क में थोड़ी सी आशंका है। इस प्रकार के विवादों से हम यह विचारने लगते हैं कि जैसे यह एक देश ही नहीं है मेरा विचार है कि विभिन्न भाषा-क्षेत्रों तथा

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आने वाले व्यक्तियों का प्रव्रजन, राजस्थान जैसे शान्तिपूर्ण राज्य में भी खतरा पैदा कर सकता है।

Shri Prem Chand Verma : Sir, I rise on a point of order. The Hon. Member says that we were not peaceful and he was peaceful.

Dr. Karni Singh : I am supporting the Hon. Member.

लगभग चालीस वर्ष पूर्व गंगनहर उत्तरी बीकानेर में लाई गई थी और 30—40 वर्ष पश्चात् इस क्षेत्र के बहुभाषी लोगों के विषय में विवाद उत्पन्न हो गया। अतः मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूँ वह यह है कि यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा प्रव्रजन होता है तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो वहाँ निवासार्थ आये हैं कोई भाषा अथवा सीमा विवाद नहीं खड़ा किया जायेगा, इस विषय में आश्वास्त कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान सरकार इस विषय में पूर्णतया जागरूक है और वहाँ कोई अल्प-वर्ग समस्या नहीं है। ऐसा आश्वासन देने के लिए भी वह कदम उठाएगी।

Shri Shiv Narain : I like to ask from this minority Government whether the Government within a period of 6 months will rehabilitate & compensate to the oustees of Pong-Dam. Both of the Governments are slow. Would the Government ensure upto what time these oustees will be rehabilitated ?

Mr. Speaker : The reply has already been given to this question.

डा० कु० ल० राव : सरकारी नियम यह है कि जब तक लोगों को स्थान से हटाया नहीं जाता उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। अतः यह मुआवजा देने की साधारण सी प्रक्रिया है।

श्री शिव नारायण : कितना मुआवजा ?

Shri Ram Gopal Shalwale : Hon. Member, Shri Vikaram Mahajan had asked an adequate question which has not been properly replied. I want to ask, how much money the Government has spent on Pong Dam and how much land will be irrigated its water ?

Mr. Speaker : This question relates to the resettlement of families.

Shri Ram Gopal Shalwale : I want to know from that as to what amount has been spent and what is the profit out of that. Vikram Chand Mahajan is of the view that this is a wastage.

Shri Hukam Chand Kachwai : We should know the profit from such a huge dam. Government is spending so much... (interruption)

Shri Ram Gopal Shalwale : Why the Government hesitate to state before the house the profit achieved out of it.

Mr. Speaker : You cannot ask any question you like. The question should be related to the original one. This question pertains to the settlement of displaced families. This is a digression from the subject under discussion, so cannot allow it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Families are being ousted because of the Dams construction, then let us know as to how much profit will be achieved out of it.

Shri Ram Gopal Shalwale : What the Government plans that is not in a proper way.

Mr. Speaker : Why do you argue. Now next item is calling attention.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नारियल जटा उत्पादों के निर्यात हेतु राज-सहायता

*362. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री अ० कु० गोपालन : श्री क० अनिरुद्धन

क्या विदेशी व्यापार मंत्री नारियल जटा उत्पादों के निर्यात हेतु राजसहायता के बारे में 10 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस उद्योग को राजसहायता देने के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ताकि यह उद्योग विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता कर सके;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) से (ग). यह सारा प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है और निर्णय की शीघ्र ही घोषणा कर दी जायेगी।

सोमाली भारतीयों को उनके काम तथा व्यापार से वंचित करने का प्रयास

368. श्री जी० आई० कृष्णन : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम क्रांतिकारी परिषद् (सोमाली) ने एक विधेयक पुनःस्थापित किया है जिसके अनुसार भारतीयों तथा अन्य गैर-सोमाली राष्ट्रजनों को अपने काम तथा व्यापार से वंचित होना पड़ेगा।

(ख) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). सोमाली सर्वोच्च क्रांतिकारी परिषद् ने उस देश (सोमाली) के आप्रवास नियम में संशोधन के लिए एक आज्ञाप्ति जारी की है जिसके अन्तर्गत सोमाली में कोई भी विदेशी किसी भी ऐसे पद पर नहीं रखा जा सकता, जिसके लिए सुयोग्य सोमाली नागरिक उपलब्ध है। यह संशोधन उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो स्वयं नियोजित हैं। जहां तक सरकार को जानकारी है, केवल एक भारतीय राष्ट्रिक पर इस आज्ञाप्ति का प्रभाव पड़ा है और उसने सोमाली छोड़ दिया है।

(ग) सरकार इसे सोमाली का आन्तरिक मामला समझती है।

मार्च, 1970 तक कार्यक्रम के अनुसार सिंचाई आयोग के कार्य का पूरा होना

*370. श्री सामिनाथन : श्री जैंगलराया नायडू :

श्री नि० रं० लास्कर : श्री बण्डपाणि :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई आयोग का कार्य, जो कि पहले मार्च, 1971 तक पूरा होना निश्चित हुआ था, बड़ी धीमी गति से किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या इस आयोग ने अपनी कार्याविधि में वृद्धि की मांग की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें इस आयोग से सहयोग नहीं कर रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राज्यों को अगस्त मास में एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी गई थी परन्तु अभी तक किसी भी राज्य ने इस प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) से (घ). राज्य सरकारों से प्रश्नावली के उत्तरों की प्राप्ति में देरी हो जाने के परिणामस्वरूप प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी उम्मीद थी। किन्तु, अभी तक आयोग ने और समय बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और केरल की सरकारों से आंशिक रूप से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र की सरकारों से प्रारम्भिक ज्ञापन भी प्राप्त हो चुके हैं।

Exchange of Fire in Rajori Sector on Indo-Pakistan Border

*371. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian and Pakistan armies exchanged fire in Rajori Sector of Indo-Pak border in February, 1970 as a result of which soldiers on both sides were killed and injured ;

(b) if so, the number of army personnel killed on Indian and Pakistani sides, separately ; and

(c) the steps being taken by Government to check such inciting activities in future ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c). On 11th February, 1970, a BSF patrol while patrolling in this sector was fired upon by Pakistani troops from their side of the Cease Fire Line and as a result a Head Constable was killed. Our security forces returned the fire. Later an army O.R. was injured in the exchange of fire. Casualties, if any, on the Pakistan side are not known. A Cease Fire violation complaint was lodged with the UN Military Observers. Our security forces continue to be vigilant on the border and appropriate action has been taken wherever necessary to reinforce our security measures.

बीड़ियों तथा भारत में निर्मित सिगारों का निर्यात

*372. श्रीमती इला पालचौधरी :

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या बंदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारत में बनी बीड़ियों के निर्यात में कमी हुई है;
- (ख) यदि हां, तो कितनी कमी (मूल्य के रूप में) हुई है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) स्थिति को सुधारने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या;
- (घ) क्या यह भी सच है कि भारत में बने सिगारों का निर्यात पूर्णतया रुक गया है; यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) सिगारों के निर्यात-व्यापार को पुनः आरम्भ करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या और यदि नहीं, तो कोई कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं?

बंदेशिक व्यापार मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी हां।

(ख) भारत से बीड़ियों के निर्यात वर्ष 1966-67 के 21.5 लाख रु० से कुछ कम हो कर वर्ष 1968-69 में 18.8 लाख रु० के हुए। इस कमी के निम्नलिखित कारण हैं :—

- (1) भारत से बीड़ियों के आयात पर श्रीलंका तथा ब्रिटेन द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध।
- (2) प्रतियोगी मूल्यों पर सस्ते सिगरेटों की प्राप्यता।
- (3) नए बाजारों में उपभोक्ताओं का समर्थन प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां; और
- (4) विदेशी बाजारों में भारी आयात शुल्क।

(ग) बीड़ियों के पंजीयित निर्यातकों को अनुमत्त किस्मों की संवेष्टन सामग्री का आयात करने के लिए निर्यातों के पोत-पर्यन्त मूल्य तक आयात लाइसेंस दिये जाते हैं। सरकार द्वारा गठित तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद ने तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों, जिसमें बीड़ियां शामिल हैं, संवर्धन हेतु अनेक उपाय किये हैं। सुरुचि सम्पन्न बाजारों में नवीन तथा वैकल्पिक धूम्रपान की मद के रूप में बीड़ियों के प्रचलन हेतु नमूने भेजना, आकर्षक संवेष्टन लोकप्रिय बनाना, प्रचार फोल्डरों का वितरण, बाजार सर्वेक्षण करना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना आदि विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) जी हां, निम्नलिखित कारणों से वर्ष 1966 से भारतीय सिगारों के कोई उल्लेखनीय निर्यात नहीं हुए हैं;

- (1) अधिकांश देशों में स्थानीय उत्पादन के फलस्वरूप सीमित विदेशी मांग।
- (2) अपर्याप्त घरेलू मांग के कारण मशीन निर्मित सिगारों के, जो विश्व में अधिक पसन्द किये जाते हैं, उत्पादन में भारत की अक्षमता।

(ङ) पंजीयित निर्यातकों को कच्चे माल तथा संवेष्टन सामग्री के आयात लाइसेंस दिये जाते हैं। निर्यातित सिगारों पर उत्पादन शुल्क की वापसी कर दी जाती है। गुड क्वालिटी सिगार रेपर तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने हेतु एक योजना विचाराधीन है।

ताईवान को सवारी डिब्बों का निर्यात

*373. श्री मुहम्मद इस्माइल:

श्री नम्बियार:

श्री उमानाथ:

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास द्वारा ताईवान को कुछ सवारी डिब्बों का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने सवारी डिब्बों का निर्यात किया जा रहा है और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है;

(ग) क्या भारत में सवारी डिब्बों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो ताईवान को सवारी डिब्बे निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). सरकार साधारणतः प्रत्येक भारतीय निर्यातक के वाणिज्यिक सौदों के सम्बन्ध में संधारण विस्तृत जानकारी नहीं रखती परन्तु उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन्टेग्रल कोच फैक्टरी ने ऐसे कोई सवारी डिब्बों का ताईवान को निर्यात नहीं किया है। किन्तु उन्होंने उस देश को लगभग 21 लाख रुपए मूल्य के 100 बोगी ट्रकों का संभरण किया था।

(ग) तथा (घ). निर्यात वचन बद्धताएं करते समय देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय को बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता और आवश्यक घरेलू मांग के बीच संतुलन रखने का सदैव प्रयत्न किया जाता है। बोगियों की पूर्ति से सम्बन्धित वर्तमान मामले में इन्टेग्रल कोच फैक्टरी यथावश्यक अधिक आदमी लगा कर, अपने सामान्य उत्पादन में कोई कमी किये बिना इस निर्यात क्रयादेश को पूरा करने में सफल हुई है ?

भारत और श्रीलंका के बीच चाय के निर्यात का कोटा

*374. श्री मुहम्मद इमाम:

श्री रा० रा० सिंह देव:

श्री धी० ना० देव:

श्री रा० वें० नायक:

श्री महेन्द्र मास्ती:

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच वर्ष 1970 के लिए चाय की निर्यात का कोटा निर्धारित हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार कोटा निश्चित करने से हमारे देश को क्या लाभ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते।

समापन समारोह (बीटिंग रिट्रीट) कार्यक्रम, 1970 में शामिल किये गए गीत

375. श्री समर गुहा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970 के समापन समारोह (बीटिंग रिट्रीट) के संगीत कार्यक्रम की अन्तिम संगीत धुन में "नेहरू अमर रहें" जैसा एक गीत शामिल किया गया था ;

(ख) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात उपरोक्त कार्यक्रम में इस गीत को प्रतिवर्ष अन्तिम संगीत धुन का स्थान दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और यदि नहीं, तो हमारे देश के अन्य महान पुरुषों के सम्मान में रचित अन्य किन गीतों को इस समापन कार्यक्रम में शामिल किया गया था ;

(घ) क्या राष्ट्र पिता महात्मा गांधी और भारत के महानतम क्रान्तिकारी तथा आजाद हिन्द फौज के सेनाध्यक्ष नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के प्रति समर्पित ऐसे ही गीतों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस गीत का पाठ क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ङ). बीटिंग रिट्रीट 1970 में 21 धुनें बजाई गई थीं, इनमें से अपने देश के एक ने भी किसी महान विभूति के जीवन या कृत्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, यद्यपि एक धुन को कर्ता द्वारा नाम दिया गया "नेहरू अमर रहें", क्योंकि उसने वह धुन भूतपूर्व पंडित जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में अर्पित की थी। यह धुन जिसके साथ कोई शब्द या कविता संलग्न नहीं, और केवल यांत्रिक संगीतमात्र है। पहले किसी बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं बजाई गई थी। पिछले वर्षों की तरह महात्मा गांधी का प्रिय भजन 'मेरे साथ रहो' की धुन इस वर्ष की बीटिंग रिट्रीट समारोह की अन्तिम धुनों में शामिल की गई थी।

परियोजना रहित क्षेत्रों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता

***376 श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री क० मि० मधुकर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों के, जिनमें सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण नहीं किया जा सका है विद्युतीकरण को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार शुष्क क्षेत्रों में बारानी खेती के तरीकों को प्रोत्साहन दे रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) 1966-67 से ग्राम विद्युतीकरण किस्में, खाद्यान उत्पादन में वृद्धि के लिए कूपों अथवा नलकूपों के समूहों को अर्जित करने के लिए लघु सिंचाई कार्यक्रम के साथ, सामंजस्य स्थापित करती रही है। ग्राम विद्युतीकरण कार्य में उन क्षेत्रों को दी जाने वाली प्राथमिकता, जहां पर पम्प सैटों के अर्जन के लिए करने के लिए गुंजाइश है, चौथी योजना के दौरान जारी रखी जा रही है।

(ख) और (ग). शुष्क क्षेत्रों में शुष्क खेती के तरीकों के विकास के लिए भारत सरकार खाद्य और कृषि मंत्रालय में शुष्क भूमि कृषि के समेकित विकास के लिए एक केंद्र द्वारा आयोजित स्कीम बना रही

है। चौथी योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए 16 पाइलट परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है ?

सोवियत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के विस्तार के बारे में सोवियत संघ की वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के अध्यक्ष से विचार-विमर्श

***377. श्री प्रम चन्द वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने भारत में सोवियत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के विस्तार के बारे में सोवियत संघ की वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के अध्यक्ष, श्री स्केचकोव से विचार-विमर्श किया था, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) कौनसी परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया तथा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गए; और

(ग) क्या किसी नयी परियोजना के बारे में भी विचार विमर्श किया गया. यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सोवित संघ की विदेशी आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के अध्यक्ष श्री स्केचकोव अपने हाल के दौरे में 10 फरवरी, 1970 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिले थे। इस बैठक में लोहा तथा इस्पात उर्वरक तथा पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और चौथी योजना में इन क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्यक्रमों में भारत सोवियत सहयोग के व्यापक पक्षों पर विचार किया गया था। किसी विशेष परियोजना पर ब्यौरेवार चर्चा नहीं की गई थी।

अन्य देशों के माध्यम से इटली में भारतीय माल का आयात

***378. श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री नंजा गौडर :

क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों से इटली में आयात की गई अनेक वस्तुएं भारत की बनी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य देशों के माध्यम से इटली भेजे जाने वाले भारतीय माल के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). कभी कभी सामान्य प्रकार की सूचनायें मिलती है कि कुछ भारतीय माल अन्य देशों से इटली को जा रहा है। जब भी ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आते हैं तो समुचित उपचारात्मक कार्यवाही करने की दृष्टि से यथा आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है। विशिष्ट मामलों के ब्यौरे ज्ञात न होने के कारण माल के ऐसे दिशा-परिवर्तन के कुल परिमाण का ठीक आकलन करना सम्भव नहीं हो सका है।

पाकिस्तान अधिकृत काशमीर में नियमित सैनिक प्रशिक्षण

***379. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काशमीर घाटी में घुसपैठ के उद्देश्य से पाकिस्तान अधिकृत काशमीर में नियमित सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान ने मुजाहिदों नाम के और अन्य पैरामिलिट्री सेनाओं को पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में गुरिल्ला युद्ध, तोड़फोड़ और अन्य विध्वंसक क्रियाओं में, भारी संख्या में अनियमित सेनाओं को सशस्त्र और प्रशिक्षित किया है। अपनी योजनाएं तैयार करते हुए इस सम्बन्ध में संवर्धनों का ध्यान रखा गया है। सीमा/जम्मू काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर हमारी सुरक्षा सेनाओं की सतर्कता जारी है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के ट्रांसफार्मरों की चोरी

***380. श्री वि० नरसिम्हा राव:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलक नगर के समीप के एक खेत से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कोई विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उस ट्रांसफार्मर की कीमत कितनी है ;

(ग) उसे अरक्षित छोड़ने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अब तक की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) तिलक नगर के पास खेत से 16 जनवरी, 1970 को एक 100 के०वी० ए० का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था।

(ख) ट्रांसफार्मर की लागत 7000 रुपए है।

(ग) दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ट्रांसफार्मर की निगरानी के लिए चौकीदार रखने की लागत इतनी अधिक है कि यह प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। ट्रांसफार्मरों की चोरी होने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इनको सहायक खम्बों के ऊपर लगी संरचनाओं के साथ डाल दिया जाता है।

(घ) पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रुमानिया तथा पश्चिम जर्मनी के मध्य परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की सन्धि

***381. श्री मधु लिमये:** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि रुमानिया तथा पश्चिम जर्मनी के बीच परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की सन्धि पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) क्या ऐसी सम्भावना है कि बड़ी शक्तियां भारत पर इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने तथा इस प्रकार हमारे जन्म सिद्ध अधिकार को बेच देने के लिए और अधिक दबाव डालेंगी।

(ग) सरकार इस दबाव का सामना किस प्रकार करने का विचार कर रही है ;

(घ) प्रतिरक्षा के उद्देश्य से परमाणु अस्त्रों के निर्माण में आने वाली लागत के बारे में अध्ययन न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री विनेश सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग). परमाणु अस्त्रों के विस्तार-प्रसार को रोकने से सम्बद्ध संधि के बारे में भारत की स्थिति सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और द्विपक्षीय बातचीत में पूरी तरह समझाई जा

चुकी है, जिससे बड़े राष्ट्र भी शामिल हैं, और वे इसे पूरी तरह समझते हैं। भारत पर न तो कोई दबाव डाला जा रहा है और न डाला ही जा सकता है।

(घ) परमाणु शक्ति का प्रयोग सिर्फ शान्तिपूर्ण उद्देश्यों में ही करने की अपनी नीति को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में पूर्वी अफ्रीका के भारतीय परिवारों का प्रवेश

*382. श्री प० गोपालन:

श्री के० रमानी:

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक कार्य सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने ब्रिटेन में पूर्वी अफ्रीका के भारतीय परिवारों का कोटा बढ़ाने के बारे में ब्रिटिश दल के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का सारांश क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख). 4 जनवरी 1970 में लन्दन में भारत और ब्रिटेन के बीच अधिकारी स्तर की जो बातचीत हुई थी उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने दूसरी बातों के अलावा इस प्रश्न को भी उठाया था। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया था कि जो लोग नौकरियों अथवा व्यापार से अलग कर दिये गए हैं उन्हें बड़ी मात्रा में प्रवेश देने के लिए 'कोटा' फौरन बढ़ाना चाहिए। ब्रिटेन की सरकार ने इन सुझावों पर विचार करना स्वीकार कर लिया है।

पश्चिम जर्मनी के विदेश मन्त्री के साथ वार्ता

*383. श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री सीताराम केसरी :

श्री बलराज मधोक :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के विदेश मन्त्री, जो फरवरी 1970 में भारत आये थे, के साथ कोई वार्ता हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया था?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हां।

(ख) इस अवसर पर जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, इसमें बातचीत के मुख्य मुख्य विषय बताये गए हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2801/70]

फरक्का परियोजना

*384. श्री बाबू राव पटेल: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फरक्का परियोजना के महा-प्रबन्धक ने पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री को सूचित किया है कि कुछ व्यक्ति समस्त परियोजना को नष्ट करने के प्रयत्न कर रहे हैं?

(ख) चुराये गए पंपों की संख्या कितनी है, इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई है, और चुराये गए सामान के स्थान पर नया सामान लगाने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि आरक्षी अनुभाग द्वारा नियुक्त किये गए सुरक्षा कर्मचारी तोड़-फोड़ करने वालों को पूरी स्वतन्त्रता देते हैं चाहे वे जो मर्जी करें; और

(घ) फरक़ा परियोजना की और तोड़फोड़ को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री कु०ल० राव) : (क) परियोजना के कर्मकों द्वारा की गई तोड़फोड़ की कोई मूचना नहीं मिली है बहरहाल, परियोजना स्थल से मशीनरी के कुछ कीमती पुर्जों के एकदम गायब हो जाने के सम्बन्ध में, जिस से कीमती उपकरण ठप हो गया, पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री और पुलिस अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया था।

(ख) अभी तक समय-समय पर 10 इंधन पम्पों की चोरी हुई है। हाल ही में 6 इंधन पम्प गुम हुए हैं जिनकी लागत लगभग 45,000 रुपए है।

इन छः इंधन पम्पों के प्रति-स्थापन के लिए विदेशी मुद्रा तुरन्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन इंधन पम्पों का आयात उाकरण के साथ ही किया गया था न कि पृथक पृथक। बहरहाल, विदेशी मुद्रा का तत्व उपर बताई लागत का लगभग 80 से 90 प्रतिशत होगा।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) सम्पत्ति की रखवाली करने के प्रबन्ध पहले ही मौजूद हैं और छानबीन के लिए पुलिस को चोरी की रिपोर्ट कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस के निरीक्षक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से भी अनुरोध किया गया था कि वे इस मामले की छानबीन करें। हाल ही में खराब होती जा रही कानून-व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति मुख्य मन्त्री, सिंचाई व जलमार्ग मन्त्री, पश्चिम बंगाल के नोटिस में ला दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति

***385. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, श्री एल० के० झा, को वार्षिकगटन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो श्री एल० के० झा के उत्तराधिकारी के रूप में रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया जा रहा है ;

(ग) क्या राजदूतों की नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे सिद्धान्त क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ). एक बड़ी संख्या में राजदूतों का चयन वैदेशिक सेवा की श्रेणी एक और श्रेणी पांच से किया जाता है। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति विभिन्न कारणों को ध्यान में रख कर की जाती है जैसे कि पद का स्तर, सम्बन्धित अधिकारी की श्रेणी, पद की मुख्य आवश्यकता तथा पद के लिए अधिकारी की

योग्यता। कुछ नियुक्तियों के लिए सरकार, अन्य सेवाओं या सार्वजनिक जीवन के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर भी विचार करती है। ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय करने में सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों की पृष्ठभूमि और अनुभव और पद के लिए उनकी उभयुक्तता पर भी विचार करती है।

बर्मा में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता तथा उनकी आस्तियां का हस्तान्तरण

***386. श्री ए० श्रीधरन :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने बर्मा में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता का अधिकार देने के बारे में कोई आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां तक पूरा किया गया है; और

(ग) शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई आस्तियों के हस्तान्तरण के बारे में बर्मा सरकार के साथ बातचीत करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) बर्मा सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की है कि वह उन गैर राष्ट्रिकों को, जिनमें वहां के भारतमूलक व्यक्ति भी शामिल हैं, नागरिकता प्रदान करेगी, जो इसके योग्य होंगे।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि नागरिकता प्राप्ति के लिए गैर-राष्ट्रिकों द्वारा दिये गए आवेदन-पत्रों की छानबीन करने के लिए बर्मा सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की है।

(ग) बर्मा से भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की आस्तियों की क्षति-पूर्ति का प्रश्न, दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं।

बर्मा में रहने वाले नागाओं को स्वदेश (होम लैंड) चुनने की छूट

***387. श्री मयावन :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि बर्मा में रहने वाले नागाओं का अपना इच्छा का देश चुनने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) क्या यह मामला बर्मा सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). नागालैण्ड की सरकार ने समय पर भारत सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं जिन पर गौर किया जा रहा है।

भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के मामले में मूल विवाद

***388. श्री योगेन्द्र शर्मा :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खां ने एक वक्तव्य में कहा है कि भारत के साथ सम्बन्ध केवल तभी सुधर सकते हैं जबकि दोनों देशों के बीच मूल विवाद हल हो जाए; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा बताए गए मूल विवादों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). बताया जाता है कि 31 दिसम्बर 1969 को ढाका में समाचार संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहया खान ने इस आशय का बयान दिया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच सामान्य और स्थायी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तब तक स्थापित नहीं हो सकते जब तक कि, उन्हीं के शब्दों में, दोनों देशों के बीच के 'बुनियादी विवाद' न निपट जाएं। इस खबर के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ने इस बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि ये 'बुनियादी विवाद' क्या है ?

इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर, नई दिल्ली

***389. श्री चिन्तामणि पाणिगृही :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के 'सी' बिजलीघर के बार-बार बन्द होने के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव०): (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी, 1970 को प्रस्तुत की।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--2802/70]

फोटो-कागज की कमी

***390. श्री राम सिंह अग्रवाल:** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फोटो-कागज बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आयात पर प्रतिबन्धों के कारण फोटो-कागज की बहुत कमी हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फोटो कागज की इस कमी के कारण यह कागज चोर बाजार में चौगुने मूल्य पर बिका था; और

(ग) यदि हां, तो फोटोसामग्री पर आयात प्रतिबन्धों में छूट देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो कागज की कमी के बारे में प्रश्नावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु यह कमी इस कागज के बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के आयात पर किसी प्रतिबन्ध के कारण नहीं है।

(ख) यद्यपि सरकार को कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि फोटो कागज आद्य मूल्य के चौगुने मूल्य पर बेचा जा रहा है, फिर भी ऐसा पता चला है कि कुछ आकार के कागज के सम्बन्ध में कुछ विक्रेताओं ने अपने मूल्य बढ़ा लिए हैं।

(ग) फोटो कागज उत्पादन करने वाले एककों को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कच्चे माल के आयात करने की अनुमति देने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। फिजहाल 13.5 लाख रुपए मूल्य के फोटो ग्राफिक कागज का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम से माध्यम के करने की व्यवस्था की जा रही है।

पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन

2401. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वंदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में (1961-62 से 1965-66 तक), तथा वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक की अवधि में एकाधिकार जांच आयोग प्रतिवेदन, 1965 की सूची में बताये गए 75 बड़े व्यापार गृहों में से प्रत्येक को तथा सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा दी गई ?

वंदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): जारी किये गए आयात लाइसेंसों के ब्यौरे 'औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

अमरीका द्वारा भारत को राडारों की सप्लाई

2402. श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा सैनिक सहायता के रूप में भारत को राडारों की सप्लाई 1962 में चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद बन्द कर दी गई थी;

(ख) राडार एककों के लिए संचार सम्पर्कों की व्यवस्था करने के लिए 60 करोड़ रुपए की परियोजना के सम्बन्ध में आणविक शक्ति विभाग भारत इलैक्ट्रॉनिक्स और प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन द्वारा क्रमशः रखे गए तीन प्रस्तावों का मुख्य व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह समूची परियोजना पिछले सात वर्षों से लटकी पड़ी है और यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र कार्यरूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) कुछ राडार चीन द्वारा आक्रमण के पश्चात सहायता के तौर पर यू०एस०ए० द्वारा सप्लाई किये गए थे, परन्तु उसके पश्चात सहायता सितम्बर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के पश्चात् बन्द कर दी गई थी।

(ख) राडार यूनिटों के लिए, संचार सम्पर्क प्राप्य करने के लिए केवल दो टेंडर प्राप्त हुए हैं, अर्थात् सर्वश्री भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि० और अणुशक्ति विभाग से। इसकी अधिक सूचना देना लोक-हित में न होगा।

(ग) इस तन्त्र पर पहले 1964 में विचार किया गया था। अप्रैल 1967 में यू०एस०ए० द्वारा सैनिक ऋण ऋण पुनः शुरू हो जाने के साथ इसका पुनरुद्धार किया गया था। तब से समग्रतः अन्त-रिक्ष रक्षा तन्त्र के अंश के तौर पर इस प्रस्ताव का अनुसरण किया गया है। प्राप्त हुए दोनों विस्तृत प्रस्ताव एक कमेटी द्वारा आंकन अधीन हैं। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो शीघ्र ही प्रत्याशित है, प्रायोजना को आगे बढ़ाया जायेगा।

सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिये भारतीय शिष्टमंडल का श्री लंका का दौरा

2403. श्री बाबू राव पटेल :

श्री रवि राय :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका में निर्माणाधीन सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर विचार विमर्श के लिए श्रीलंका की सरकार ने 13 जनवरी, 1970 को सात दिन की यात्रा के लिए भारत से किन-किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने भारत तथा श्रीलंका के बीच सिंचाई तथा विद्युत विकास में तकनीकी सहयोग की संभाव्यताओं पर विचार किया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) श्री लंका सरकार के निमंत्रण पर सिंचाई व बिजली मंत्री के 13 जनवरी, 1970 से सात दिन के दौरे पर उनके साथ जल तथा विद्युत विकास सलाहकारी संस्था (भारत) लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एन० जी० के० मूर्ति तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय, खेती सलाहकारी कक्ष के निदेशक डा० एच० पी० श्री वास्तव भी थे।

(ख) तथा (ग). श्री लंका में सिंचाई व बिजली परियोजनाओं के लिए अभिकल्प एवं विष्णुटियां तैयार करने में जो भारतीय सहायता इस समय दी जा रही है उसकी संभाव्यताओं पर विचार-विमर्श किया गया। श्रीलंका के प्रधान मंत्री तथा उनके बिजली मंत्री को यह सुझाव दिया गया था कि दोनों देशों के आपसी हित के लिए श्रीलंका तथा भारत की बिजली ग्रिड प्रणालियों को आपस में जोड़ दिया जाए। दोनों ने साधारणतः इस विचार का स्वागत किया है।

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेश के दौरे

2404. श्री बाबूराव पटेल: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में राज्य व्यापार निगम के 10 सर्वोच्च अधिकारियों ने कितनी विदेश यात्राएं कीं, वे किन-किन देशों में गए, किस उद्देश्य से वहां गए थे और सरकार का उन पर विमान भाड़ा तथा विदेशी मुद्रा सहित कितना खर्च आया; और

(ख) निर्यात व्यापार के रूप में इन दौरों से क्या ठोस फायदे हुए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) तथा (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या LT-2803/70]

संयुक्त राष्ट्र में मोरिशस के राजदूत को पालम हवाई अड्डे पर हुई असुविधा

2405. श्री म० ला० सौधी: क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने उन परिस्थितियों के बारे में कोई जांच की है जिनमें लन्दन जा रहे संयुक्त राष्ट्र में मोरिशस के राजदूत को 24 जनवरी, 1970 को पालम हवाई अड्डे पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कक्ष में पीछे छोड़ विमान उड़ गया था;

(ख) क्या दो सरकारों के बीच निकट तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए मोरिशस सरकार को कोई स्पष्टीकरण भेजा गया है; और

(ग) ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) सिविल विमानन और पर्यटन मंत्रालय ने इस अप्रिय घटना की जांच की थी।

(ख) जो हां, भारत में मोरिशस के उच्चायुक्त से क्षमायाचना करते हुए परिस्थितियां समझा दी गई हैं। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि यह मामला समाप्त समझा जाए।

(ग) यह मामला सिविल विमानन और पर्यटन मंत्रालय के ध्यान में है।

भारत श्रीलंका बैठकों में लिये गये निर्णयों की धीमी गति से क्रियान्विति

2406. श्री म०ला० सौधी: क्या वंदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान श्री लंका के राज्य मन्त्री द्वारा दिये गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली तथा कोलम्बो में वार्ता के दौरों में तंत्रो स्तर पर लिये गए अनेक निर्णयों को क्रियान्वित करने में नई दिल्ली की ओर से धीमी प्रगति रही है; और

(ख) क्या श्रीलंका के साथ भारत के निकट सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए श्री लंका सरकार को इस बीच कोई आश्वासन दिया गया है।

वंदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख). सरकार ने एक दैनिक समाचारपत्र में एक प्रेस समाचार देखा है। यह आशय ठीक नहीं है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग के क्षेत्रों में अगली कार्यवाही केवल भारत सरकार को करनी है। आर्थिक सहयोग पर भारत श्रीलंका संयुक्त समिति की पहली बैठक में किये गए निर्णयों के अनुसरण में, ऐसे क्षेत्रों की, जहां आपसी व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए काफी सम्भाव्यता है, इस समिति द्वारा गठित संयुक्त अध्ययन दलों द्वारा जांच की जा चुकी है। समिति के निर्णय के अनुसार उनकी सिफारिशें इसकी आगामी बैठक में इसके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। भारत सरकार ने पहले ही राजनयिक माध्यम से श्री लंका सरकार से अनुरोध किया है कि भारत श्रीलंका संयुक्त समिति की आगामी बैठक के लिए उन्हें जो तारीखें सुविधाजनक होंगी उनके विषय में वह संकेत दें। उनसे उत्तर की प्रतीक्षा है।

मोहन मीकिन ब्रिबेरीज लिमिटेड से खरीदी गई रम

2407. श्री चन्द्रशेखर सिंह: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैंटीन-स्टोर्स-डिपार्टमेंट ने पिछले वर्ष मोहन मीकिन ब्रिबेरीज लिमिटेड से कितनी मात्रा में रम खरीदी, यह खरीद कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की रम की कुल खरीद का कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या यह सच है कि मेजर मोहन मीकिन्स ने शराब के मुफ्त नपूने तथा अन्य वस्तुएं वितरित करके सेना मुख्यालय में अपने उत्पादों का प्रचार करके तथा वहां उच्च अधिकारियों पर प्रभाव डाल कर, उच्च अधिकारियों के माध्यम से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की ओर से क्रयदेश प्राप्त करने के तथा अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए एक सेवा निवृत्त ब्रिगेडियर को नियुक्त कर रखा है;

(ग) ऐसे सेवा निवृत्त अधिकारी किस अधिकार से किसी व्यापारी कम्पनी के प्रचार हेतु सरकारी काम का बहाना करके सेना मुख्यालय में प्रवेश करते हैं तथा वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं और इस प्रकार सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं; और

(घ) ऐसी प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से नए आदेश जारी किये जा रहे हैं?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 1968-69 के दौरान फर्म से रम की 67400 दर्जन बोतलें खरीदी गई थीं। यह राशि उस वर्ष के दौरान रम के कुछ क्रयों के लगभग 7.7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(ख) यह ठीक है सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर ने फर्म की नौकरी 2 अप्रैल, 1969 को शुरू

की थी। उक्त अधिकारी द्वारा अपने प्रभाव के अनुचित उपयोग किये जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली।

(ग) सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों को सैनिक मुख्यालय में प्रवेश के बारे में सामान्य नागरिक समझा जाता है और उन पर भी सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं लाहू होती हैं।

(घ) पूर्वोक्त (ख) और (ग) के कारण प्रश्न नहीं उठता।

कैन्टीन स्टोर्स विभाग कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र

2408. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित संस्थाओं में कैन्टीन स्टोर्स विभाग मदनिर्मित कर्मचारी संघ ने कैन्टीन स्टोर्स विभाग के प्रबंधकों को कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसमें से कौन सी मांगें मान ली गई हैं और कौन सी मांगें प्रबंधकों को स्वीकार नहीं हैं; और

(घ) कर्मचारियों की सभी मांगों को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ड) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) के कार्मिक संघ ने निम्न प्रार्थनाएं दी हैं :-

(1) सरकार द्वारा आरम्भ किए गए वास्तु भवनों का किराया उसी तरह वसूल किया जाए जैसे कि कर्मचारियों से।

(2) सी० एस० डी० (आई०) कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी बम्बई के कार्यों की जांच कराई जाए, क्योंकि संघ को ऐसा लगा कि सोसाइटी की निधियों का दुरुपयोग हो रहा था।

(3) सैनिक हस्पतालों में कार्यकारिणी और उसके कुटुम्बों को चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाईयों को दूर किया जाना चाहिए।

(4) "अस्थायी कर्मचारियों" को स्थायी नियुक्तियां प्रदान की जाएं।

(5) दीमपुर, सिलीगुरी, और पानीटोला में कर्मचारियों को फरवरी से राशन भत्ता दिया जाए।

(6) सहकारी क्रेडिट सोसाइटी बम्बई ने भारत भर के संस्थाओं के कर्मचारियों को अल्पाधिक ऋण प्राप्त होने चाहिए, और यह बम्बई के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए।

2. उपरोक्त मदों के संबंध में अध्ययन स्थिति इस प्रकार है :-

(1) मामला आक्रियता पूर्वक विचाराधीन है।

(2) संघ के प्रतिनिधियों को सलाह दी गई है कि यह महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकरण से बात चलाएं।

(3) सी० एस० डी० (आई०) कर्मचारी और उसके कुटुम्ब पहले से ही सैनिक हस्पतालों में चिकित्सा उपचार के अधिकारी हैं। चिकित्सा उपचार के लिए इन्कार के विशिष्ट

मामलों को सी० एस० डी० (आई०) प्रबंध के ध्यान में लाने की संव को सलाह दी गई है।

(4) संघ के प्रतिनिधियों को बता दिया गया है कि, जभी प्रत्येक यूनिट के नियमित कर्मचारिपण के ढांचे की रूप रेखा तैयार हो गई, एक नियमित आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी।

(5) संघ पर यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि स्टेटिक यूनिटों में रक्षा असैनिकों को प्राप्य तौर पर सी० एस० डी० (आई०) कर्मचारी राशन भत्ते के अधिकारी नहीं हैं, परन्तु अतिरिक्त भत्ते के तौर पर उन्हें 1 नवम्बर 1966 और उसके बाद से यह दिया जा रहा है।

(6) संव को बताया गया है कि मामला सी० एस० डी० (आई०) कर्मचारी सहायक क्रेडिट सोसाईटी के मत्ताधिकार में है। महाराष्ट्र सहकारी सोसाईटीज अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त उपाय करने के लिए सदस्य स्वतन्त्र हैं।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी संघ बनाना

2409. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित संस्थानों में कैन्टीन स्टोर्स विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक पृथक कर्मचारी संघ बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे कैन्टीन स्टोर्स विभाग के प्रबन्धकों ने मान्यता प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) दिल्ली में मुख्यालय सहित सी० एस० डी० (आई०) के कार्मिक संघ के नाम से एक अलग संघ बनाया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शल्य क्रिया उपकरणों का आयात

2410. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात को हाल में अनुदेश जारी किए गए हैं कि वह विदेशों से लौट रहे सभी भारतीय डाक्टरों को अपने औजारों के रूप में आवश्यक शल्यक्रिया उपकरणों का आयात करने के लिए आयात परमिट जारी करें।

(ख) यदि हां, तो भारत वापस लौट रहे डाक्टर किन-किन औजारों को भारत ला सकते हैं और विदेशी मुद्रा अर्थात् पौंड, स्टर्लिंग में वे कितनी लागत तक के हो सकते हैं ;

(ग) सर्जिकल औजारों के इस आयात पर कितना प्रतिशत सीमा शुल्क लिया जाता है; और

(घ) आयात परमिट के जारी किये जाने की तिथि से कितने समय के अन्दर किसी डाक्टर को अपने पूरे औजारों का आयात कर लेना होगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) से (घ). आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को हाल में कोई अनुदेश नहीं दिया गया है कि वह विदेशों से लौट रहे भारतीय डाक्टरों को आवश्यक शल्य क्रिया औजारों का आयात करने के लिए कस्टम निकासी परमिट दें। ऐसे मामलों में कस्टम निकासी परमिट जारी नहीं किए जाते लेकिन यदि कोई डाक्टर कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए विदेश में रहा हो तो उसे पर्यटक इतर सामान नियमों के अन्तर्गत मिलने वाले सामान्य सामान

एलाऊंस के अतिरिक्त, आयात परमिट के बिना ही 8000 रु० तक के व्यवसायिक साधित्र तथा औजारों की निकासी की, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दी जाती है। पर्यटक इतर-सामान नियमों के अन्तर्गत आयात होने वाले शल्य क्रिया औजारों पर शत-प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है।

भारत में बर्मा के राजदूत तथा मणिपुर के उप-राज्यपाल के बीच बातचीत

2411. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री य० आ० प्रसाद :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में बर्मा के राजदूत ने भारत तथा बर्मा के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार नागा, कुकी तथा मिजो विद्रोहियों के आन्दोलन के बारे में मणिपुर के उप-राज्यपाल से बात-चीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी नहीं। बर्मा के राजदूत इम्फाल में मणिपुर के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर से शिष्टाचार के नाते उस समय मिलने गए थे जब कि वे सम्मिलित सीमा आयोग के बर्मी नेता की आगवानी के लिए ताम्रू जा रहे थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी एशिया की स्थिति

2412. श्री राम चंद्र वीरप्पा :

श्री य० आ० प्रसाद:

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी एशिया में स्थिति इतनी गम्भीर कभी नहीं थी जितनी जून, 1967 में 60 दिन के युद्ध के पश्चात हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). जी हां : सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति की गम्भीरता से अवगत है और वह इस बात के लिए चिन्तित है कि हाल के महीनों में इसकी स्थिति और भी बिगड़ गई है। हमें इस बात का दुःख है कि नवम्बर 22, 1967 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसमें इस विवाद के शांतिपूर्ण समझौते के लिए आवश्यक ढांचे की व्यवस्था की गई है।

स्वीकृति के लिये विचाराधीन पड़ी महाराष्ट्र की परियोजनायें

2413. श्री जार्ज फरनेन्डीज: क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हुई महाराष्ट्र की परियोजनाओं के बारे में सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोई टिप्पण/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र सरकार कुछ सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कह रही है।

(ख) ये परियोजनायें निम्नलिखित हैं:—

तापी बेसिन

अपर तापी परियोजना और हरणबारी मध्यम सिंचाई स्कीम।

तिल्लारी बेसिन

तिल्लारी परियोजना।

गोदावरी बेसिन

अपर वर्धा, अपर पेनगंगा, पेंच सिंचाई, लोअर पेन गंगा, लेंडी और अपर प्रवरा परियोजनाएं और 16 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं।

कृष्णा बेसिन

दूधगंगा परियोजना और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं।

अम्बा बेसिन

अम्बा घाटी मध्यम सिंचाई स्कीम।

(ग) और (घ) : महाराष्ट्र में बहुत सी स्कीमें स्वीकृत हो चुकी थीं और इन स्कीमों की स्पिल-ओवर लागत 210 करोड़ रुपये है और इस लिए राज्य की चौथी योजना के मसौदे में परिकल्पित 123.93 करोड़ रुपये के सिंचाई कार्यक्रम में अपर तापी परियोजना को शामिल करने के लिए कठिनाई महसूस हुई थी। इस स्कीम को स्वीकृति देने के प्रश्न पर योजना आयोग, राज्य की योजना के आवद्धित आकार की रोशनी में, विचार कर रहा है।

यह विचार है कि जब तक नदियों के जल विवादों पर न्यायाधिकरण विचार कर रहे हैं तब तक कृष्णा और गोदावरी बेसिनों में परियोजनाओं को स्वीकृति देना उचित नहीं होगा।

तिल्लारी, अम्बा घाटी और हरणबारी स्कीमों पर की गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

Scheme under Consideration for Cheap Rural Electrification

*2414. Shri G.C. Dixit. Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme of rural electrification, on an economy basis is under the consideration of Government ;

(b) if so, whether the villages of Madhya Pradesh have also been included in said scheme ; and

(c) if so, the number of villages and the names thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) to (c) : No Scheme of rural electrification on an economy basis is under the consideration of Government. However, in the context of financing by the Rural Electrification Corporation, of rural electrification schemes, the Madhya Pradesh Electricity Board has submitted 14 schemes for the consideration of the Corporation. These Schemes also envisage the electrification of villages in the districts of Seoni, Chhindwara, Bilaspur and Raipur.

Irrigation and Power Project run with the assistance of World Bank and United Nations Organisations

*2415. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the names of the irrigation and power projects being run with the assistance of the World Bank and the United Nations Organisations and the progress made so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The requisite information is given in the attached Statement. (Placed in Library. Sec No. L.T.—2804/70)

एल्यूमिनियम का निर्यात

2416. श्री गार्डिलगन गौड : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में एल्यूमिनियम का विदेशों को निर्यात करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और एल्यूमिनियम का निर्यात किन देशों को किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). एल्यूमिनियम धातु के सम्बन्ध में वर्तमान निर्यात नीति यह है कि एल्यूमिनियम के मूल उत्पादकों को 31-3-1970 तक ई० सी० ग्रेड, कर्माशयल ग्रेड या प्रोपर्जी रोड्स के निर्यात की अनुमति है। 1968-69 में 6.78 करोड़ रु० मूल्य की एल्यूमिनियम धातु का निर्यात हुआ और अप्रैल 1969 से जनवरी 1970 की अवधि में ये निर्यात 3.40 करोड़ रुपये मूल्य के थे। धातु की प्राप्यता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष के लिए नीति पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रियों की कृषि से आय

2417. श्री न० कु० सांघी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और राज्यों में मंत्रियों की कृषि उत्पाद से प्रति वर्ष एक लाख रुपए और इससे अधिक की आय हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रियों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). संविधान के अन्तर्गत कृषि आय पर टैक्स राज्य को मिलने वाले राजस्व का साधन है। इस दृष्टि से भारत सरकार के पास केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के मंत्रियों की कृषि से होने वाली आय के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पूना नगर निगम के परिवहन प्रबन्धक द्वारा विदेशी मुद्रा कथित दुरुपयोग

2418. श्री बाबूराव पटेल : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तीन वर्ष पूर्व प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, पूना नगर निगम के परिवहन प्रबन्धक श्री बी०डी० देसाई ने 50,000 रुपए के मूल्य की विदेशी मुद्रा का किस प्रकार कथित दुरुपयोग किया, उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) इस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पूना नगर निगम के परिवहन प्रबन्धक श्री बी०डी० देसाई ने नगर पालिका परिवहन उपक्रम के लिए मोटर गाड़ियों के पुर्जों के आयात हेतु 3,11,400 रु० के मूल्य के आठ लाइसेंस लिए थे। पूना परिवहन उपक्रम के लिए मोटर गाड़ियों के पुर्जों का आयात करने तथा उनकी पूर्ति करने हेतु उन्होंने कुछ गैर-सरकारी फर्मों के नाम प्राधिकार पर पत्र भी प्राप्त किये थे। बाद में पूरे मूल्य के मोटर-गाड़ियों के पुर्जों उपक्रम को सप्लाई नहीं किये गए।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त मुख्य प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई, की अदालत में आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अधीन

10-7-67 को एक शिकायत दर्ज कर दी गई है। मामले अदालत के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shares held by Central Ministers in Indian and Foreign Companies

2419. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the names of the Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers, who are holding shares and partnership in the Indian and foreign companies ;

(b) the value of shares in each case ;

(c) whether it is a fact that some companies or commercial organisations belonging to some of the Ministers are functioning in India as well as foreign countries ; and

(d) If so, the names of the said Ministers and the capital invested in each company ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). The hon'ble Member will kindly appreciate that, as the House has been informed in the past, under the existing Code of Conduct for Ministers, the information sought by him is furnished to the Prime Minister by the members of the Council of Ministers in confidence. It would therefore not be appropriate to divulge the same.

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

2420. श्री वि० ना० शास्त्री :

श्रीमती शारदा मुकुर्जी :

क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जापान के इस्पात उद्योग के विकास तथा भारत द्वारा इसके कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति का निरन्तर पुनर्विलोकन करने के लिए जापान के साथ एक संयुक्त समिति का गठन करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या वायदे किये हैं;

(ग) 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में जापान को कितना लौह-अयस्क निर्यात किया गया; और

(घ) यह निर्यात इससे पहले के वर्ष के निर्यात की तुलना में कम है या अधिक ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख) : जापानी इस्पात उद्योग तथा कच्चे माल के भारतीय पूर्तिकर्ताओं के बीच सहयोग का क्षेत्र बढ़ाने के लिए जापान के साथ एक संयुक्त समिति गठित करने के सुझाव दिये गए हैं। सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है।

(ग) तथा (घ) . 1968-69 के दौरान भारत ने जापान को 129.4 लाख मे० टन लौह अयस्क का निर्यात किया जब कि 1967-68 में 109.7 लाख मे० टन माल का निर्यात किया गया था।

नेपाल में भारत के स्वरूप का विकृत होना

2421. डा० कर्णो सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स के डाक संस्करण के सम्पादक के नाम पत्र स्तम्भ में नेपाल में भारत के स्वरूप का विकृत होना (The tarnished image of India in Nepal) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कथन में कहां तक सच्चाई है; और

(ग) इस विकृत स्वरूप को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) पत्र की बातों को बड़ा-चढ़ा कर कहा गया है। फिर भी, भारत और नेपाल जैसे दो गहरे और मित्रवत् पड़ोसी देशों के बीच कुछ समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

(ग) आपसी बातचीत के द्वारा इन समस्याओं को हल करने के विचार से, दोनों तरफ से इन समस्याओं पर समुचित दृष्टिकोण रखने के लिए बराबर ही उपयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

Imbalance in Installation of Tube-wells in States

***2422. Shri Bansh Narain Singh :**

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there were 1,25,000 electric tubewells viz., 15 per cent of the total tube-wells in the country in Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh as against a total of about 26,00,000 tube-wells in all other States till 1968 ;

(b) if so, the number of electric tube-wells in these States at present ;

(c) whether it is also a fact that there were 2,56,594 electric tube-wells in Madras, 57,225 in Andhra Pradesh, 44,901 in Maharashtra, 17,591 in Uttar Pradesh, 17,155 in Gujarat, 15,220 in Haryana, 10,660 in Bihar, 7,309 in Madhya Pradesh, 9,062 in Rajasthan and only 437 in West Bengal till the end of the Third Five Year Plan ; and

(d) if so, whether Government propose to remove this imbalance and if so, how and, if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) Out of a total of 8,42,450 tube-wells/pumpsets energised in all the States till 1968, the number of tube-wells/pumpsets energised in Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh was 1,24,422 representing 15% of the number energised in the other States.

(b) The number of pumpsets/tube-wells energised in the States of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh up to December, 1969, is 1,99,521.

(c) The number of pumpsets/tubewells energised till the end of the Third Five Year Plan is as follows :—

Andhra Pradesh	..	..	57,225
Tamil Nadu	..	..	2,56,594
Maharashtra	..	..	44,978
Uttar Pradesh	..	..	17,591
Gujarat	..	..	17,155
Haryana	..	..	15,220
Bihar	..	..	10,660
Madhya Pradesh	..	..	7,341
Rajasthan	..	..	6,962
West Bengal	..	..	437

(d) Government have set up the Rural Electrification Corporation in the Central Sector for financing rural electrification schemes in addition to funds provided in the State Plans for rural electrification. The Corporation has been directed to waive the condition of economic viability for a period not exceeding five years in respect of rural electrification schemes in economically backward areas with future agricultural potential.

मृत सैनिकों के आश्रितों को पेन्शन का दिया जाना

2423. श्री भोगेन्द्र झा: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवाकाल में मरने वाले सैनिकों के आश्रितों को तथा सेवा निवृत्ति के बाद मरने वाले सैनिक के आश्रितों को पेंशन देने सम्बन्धी नियम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट सोल्सर्ज एण्ड एयरमेन्स बोर्ड, लहीरिया सराय, दरभंगा के सचिव ने जयनगर निवासी स्वर्गीय श्री अब्दुल हफीज की विधवा श्रीमती बलन्ता तथा अन्य की पेंशन सम्बन्धी मांग को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) सेवा में मरने वाले किसी सैनिक के अधिकारी आश्रित या आश्रितों को कुटुम्ब पेन्शन देय है। पेन्शनी अवार्ड का गुणरूप और राशि मृत सैनिक की सेवावधि से सम्बन्धित है, और उस द्वारा अन्तिम प्राप्त किये गए वेतन से। यह इस कारण भी विभिन्न होती है कि उसकी मृत्यु सेवा कारण थी या उस द्वारा प्रभावित थी या नहीं। अवार्ड उच्चतम होता है यदि मृत्यु युद्ध/संक्रियाओं में हुई हो। कुटुम्ब पेन्शन उस सैनिक अधिकारी आश्रित या आश्रितों को भी देय है जो सेवा से विमुक्ति के बाद मरे। पेन्शनी अवार्ड इस कारण भी विभिन्न होता है कि आया सैनिक किसी नियोग्य पेन्शन सहित या उसके बिना सेवा से विमुक्त होता है; आया उसकी मृत्यु किसी पहली सैनिक सेवा के कारण थी, या उससे प्रभावित थी; और आया वह 1-1-1964 को सेवा में था, कि जब नियमों का अधिक उदारीकरण किया गया था।

(ख) तथा (ग). भूतपूर्व अब्दुल हफीज नियोग्यता पेन्शन प्राप्त कर रहा था, और वह 60 वर्ष की आयु के बाद निधन प्राप्त हुआ। पेन्शन के लिए उसकी विधवा की प्रार्थना जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड द्वारा अफसर इन्चार्ज रिकार्ड बिहार रेजिमेंट को भेजी गई थी, जिसने बताया कि कोई पेन्शन देय न थी। क्योंकि भूतपूर्व अब्दुल हफीज 60 वर्ष की आयु के बाद निधन प्राप्त हुआ। ऐसा जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड द्वारा विधवा को बता दिया गया था। इस किस्म का और कोई मामला नहीं है।

बरेली में सेना-अधिकारी की हत्या

2424. श्री राम सिंह आयरवाल: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बरेली छावनी में एक सेना-अधिकारी तथा उसकी पत्नी ने अपने घर में एक अन्य सेना-अधिकारी की हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हत्या में कोई विदेशी हाथ था; और

(ग) इस घटना का ब्यौरा क्या है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). इशारा शायद 25 दिसम्बर, 1969 की बरेली की घटना की ओर है जिस में एक अफसर, एक वायु सेना अफसर द्वारा उत्तरोक्त के घर पर लगाये तथाकथित धावों के परिणामस्वरूप निधन को प्राप्त हो गया था। मामले की असैनिक पुलिस जांच कर रही है।

सेवा मुक्त एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बसाने के बारे में याचिका समिति की सिफारिशें

2425. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा मुक्त एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बसाने के बारे में संसदीय याचिका समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने सेवा मुक्त एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बसाया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—2805/70]

(ख) 31 जनवरी 1970 तक, 7945 आपातकालीन कमीशन अफसर मुक्ति के लिए प्राप्य हो गए थे। उनमें से 3,692 आपातकालीन अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जा चुका है अथवा उन्हें स्थायी कमीशन दिये जाने के योग्य घोषित किया जा चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार 2,242 सेवा मुक्त आपातकालीन अफसरों को या तो केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में बसाया जा चुका है अथवा उन्हें अपने सिविल स्थानों पर प्रत्यावर्तित किया गया है या वे व्यवसाय-उद्योग-कृषि आदि में आत्म निर्भर हो गए हैं। अनुशासनीय आधार पर सेवा मुक्त आपातकालीन अफसरों अथवा जो स्थायी कमीशन प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे अथवा जो सरकारी सहायता से सिविल नौकरी प्राप्त करने में रुचि नहीं रखते थे, उन्हें छोड़ कर, 1566 आपातकालीन अफसरों को लगाना बाकी है। ऐसा संभव है कि उनमें से कुछ अपने प्रयत्नों से बस चुके हों।

Irrigation from River Tapti in East Nimad, Madhya Pradesh

2426. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that food production can be considerably increased if irrigation facilities are provided under the Scheme of irrigation from river Tapti near the village Nawthan of Tehsil Burhanpur in District East Nimad in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government propose to provide water to the farmers from the said river in view of the utility of Tapti river and "grow more food" campaign ;

(c) whether it is a fact that local authorities and the State Government have recommended the said proposal ; and

(d) if so, the date by which Government propose to utilise the water of the said river with a view to increase the food production and the details of the said scheme, and also the date by which the said scheme is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad):

(a) to (d). The Government of Madhya Pradesh have reported that the Scheme is at present under investigation.

कपास के वितरण के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

2427. डा० सुशीला नैयर :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का समान वितरण करने के लिए कृषि मूल्य आयोग ने सरकारी क्षेत्र की एक एजेंसी के लिए कोई सिफारिशें पेश की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सिफारिश को किस सीमा तक कार्यान्वित किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) जी हां !

(ख) कपास के आयात को संभालने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक अभिकरण की स्थापना हेतु एक योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा मामले की ध्यानपूर्वक तथा विस्तृत रूप से जांच की जा चुकी है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

प्रमुख नगरों के लिये 'बाढ़ रोको' अभियान परियोजना

2428. श्री वि० नरसिम्हा राव: क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ प्रमुख नगरों में 'बाढ़ रोको' अभियान की किसी योजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन नगरों के नाम क्या हैं जहां यह योजना आरम्भ की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग). जी नहीं बाढ़ नियंत्रण कार्यों को तैयार, कार्यान्वित तथा उनका रख-रखाव सम्बन्धी कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाना होता है। बहरहाल, लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए तथा अन्य सहायता कार्यों को हाथ में लेने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने समय पर बाढ़ चेतावनियां देने के लिए बहुत से बाढ़ पूर्व सूचना केन्द्र स्थापित किये हैं। ये केन्द्र यमुना की बाढ़ पूर्व सूचना के लिए दिल्ली में, ताप्ती और नर्मदा की बाढ़-पूर्व सूचना के लिए सूरत में, गंगा प्रणाली की बाढ़ पूर्व सूचना के लिए लखनऊ और पटना में, तीस्ता के लिए जलपाईगुड़ी में, ब्रह्मपुत्र तथा वारक के लिए गोहाटी में तथा उड़ीसा की नदियों के लिए भुवनेश्वर में स्थित हैं।

दिल्ली को निर्जल पत्तन घोषित करना

2429. डा० सुशीला नैयर :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री वं० कृ० दासचौधरी :

श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री मोहन स्वरूप :

श्री पी० विश्वम्भरन :

श्री लखन लाल कपूर :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री दण्डपाणि :

श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली को निर्जल पत्तन घोषित करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). दिल्ली में शुष्क पत्तन स्थापित करने सम्बन्धी प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक अन्तरा मंत्रालय कार्यकारी दल की स्थापना की है। कार्यकारी दल से प्रतिवेदन शीघ्र देने के लिए कहा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही सरकार इस विषय पर निर्णय देगी।

नई दिल्ली से गुम हुए रूसी प्रेस अधिकारी को शरण देना

2430. श्री न० कु० सांघी : श्री जनेश्वर मिश्र :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि रूसी सूचना केन्द्र के प्रेस अधिकारी को जो गुम हो गया था यहां किसी विदेशी दूतावास में शरण दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो मान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा का उल्लंघन करके उसे शरण देने वाले दूतावास के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) खोए हुए रूसी अधिकारियों की खोज के प्रयास अभी भी जारी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काहिरा में आयोजित संसद सदस्यों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

2431. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री शारदा नन्द :
श्री वंश नारायण सिंह : श्री सूरज भान :
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य में आयोजित संसद सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल में कुछ गैर-संसद सदस्य भी शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल की सदस्य सूची क्या है;

(ग) ऐसे प्रतिनिधिमण्डलों के गठन के लिए चयन सम्बन्धी भाप दण्ड क्या है तथा यह चयन किसने किया; और

(घ) उस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त अरब गणराज्य की नेशनल एसेम्बली के अध्यक्ष ने काहिरा में संसदविज्ञों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित संसद सदस्यों को निमंत्रण दिया था :

श्री जी०जी० स्वेल, उपाध्यक्ष
 श्री पी० पार्थसारथी
 श्री नरुल हसन
 श्री कृष्णन मनोहरन
 श्री कामेश्वर सिंह
 श्री जेड० ए० अहमद
 श्री सीता राम केसरी

प्रेक्षक की हैसियत से दो पत्रकारों, सर्वश्री ओ०पी० सांगल और आनन्द जैन को भी आमन्त्रित किया गया था। भारत में संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत ने ये निमन्त्रण दिये थे। इन आमन्त्रित व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत हैसियत से इस सम्मेलन में भाग लिया, न कि भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के रूप में।

(घ) समझा जाता है कि इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जून 1967 के संघर्ष और इस संघर्ष के परिणामों तथा अरब क्षेत्रों पर इसराईल का अधिकार बने रहने पर, बहुत से राज्यों की अर्थ व्यवस्था पर स्वेज नहर के बन्द होने का प्रभाव पड़ने पर तथा फिलस्तीन समस्या तथा कोई ऐसा न्यायोचित समाधान खोजने की आवश्यकता पर, जो फिलस्तीनी लोगों के लिए स्वीकार्य हो, विचार विमर्श हुआ।

Resource for Plans

2432. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Prime Minister be pleased to state :

- (a) whether Government propose to take any decision in regard to the implementation of Five Year Plans with indigenous resources instead of getting loans from foreign countries ;
- (b) if so, how ; and
- (c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) An important objective of the Draft Fourth Five Year Plan is to reduce dependence on foreign aid and place greater reliance on indigenous resources. Foreign aid, net of loan repayments as well as interest payments, is to be reduced to about half by the end of the Fourth Plan compared to the level existing before the commencement of the Plan.

(b) It is proposed to reduce reliance on foreign aid through planned increases in production of foodgrains, raw materials and other goods and sustained increase in exports. This will also strengthen the domestic resource base for the Plan.

(c) Does not arise.

Notifications issued by the President of India under article 77(3) of the Constitution of India

2433. Shri Molahu Prashad : Will the Prime Minister be pleased to state :

- (a) whether one copy, in Hindi, of the Notifications issued by the President under Article 77(3) of the Constitution from the commencement of the First Session of Fourth Lok Sabha to date would be laid on the Table in pursuance of the decision of the Central Government ;
- (b) if so, by when ; and
- (c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. A copy, in Hindi, of the Notifications issued by the President under Article 77(3) of the Constitution from the commencement of the First Session of Fourth Lok Sabha is attached. [Placed in Library. Sec. No. L.T.—2806/70]

(b) and (c). Do not arise.

राजस्थान नहर परियोजना की शीघ्र क्रियान्विति हेतु धन

2434. श्री हिममत्तसिंहका : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जल की कम सुविधाओं और बार बार अकाल पड़ने की बात को ध्यान में रखते हुए और 15 दिसम्बर, 1969 को उनके मंत्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक में की गई सर्वसम्मति मांग की दृष्टि से क्या सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि देने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किए गए हैं और क्या सरकार इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी; और

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अभीष्टतम धन की व्यवस्था करने के प्रयत्न कर रही है। इस परियोजना की क्रियान्वित में तेजी लाने के लिए राजस्थान सरकार को 1969-70 के दौरान 4.8 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय के अतिरिक्त 3.2 करोड़ रुपए की योजनेतर ऋण सहायता दी गई है। योजना के प्रारूप में राजस्थान नहर के लिए चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए व्यवस्थित 27 करोड़ रुपए के मूल परिव्यय को बढ़ाने का प्रस्ताव है और संभावना है कि संशोधित परिव्यय 40 करोड़ रुपए का होगा।

(ग) वर्तमान लक्षणों के अनुसार, राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण के 1973-74 तक काफी हद तक पूरा हो जाने की संभावना है और चरण दो के, बाद की योजनाओं में, पूरा होने की संभावना है।

Scheme for Reducing Disparity among Villages, Towns and Cities

2435. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme for reducing the increasing economic disparity among villages, towns and cities ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Hon'ble Member has presumably in view of the disparities among villages, towns and cities in different regions and areas. The approach of the Government in regard to regional disparities and backward areas is as under :

- (i) In broad terms, reduction in disparities is sought through more rapid growth of the economy, development of infrastructure, greater diffusion of enterprise and of the ownership of the means of production, increasing productivity of the weaker units and widening opportunities of productive work and employment to the common man.
- (ii) More specifically, the possibility of progress in the desired direction during the Fourth Plan period depends on the success of a number of programmes proposed, e.g., the special area development programme (including dry farming), schemes for small farmers, programmes of animal husbandry to support the economy of small farmers and landless labourers, rural electrification in conjunction with the exploitation of ground-water resources, large-scale integrated programme of rural works, provision of road links with market towns, hilly areas and other economically backward areas, setting up agro-service centres by small entrepreneurs such as engineers and technicians long-term programmes of rehabilitation and development on a viable basis of individual rural industries and continuous technological progress of small-scale industries.

- (iii) Furthermore, two Working Groups, one on the identification of backward areas and the other on financial and physical incentives for starting industries in backward areas, were set up by the Planning Commission. The reports of these Groups were considered by the National Development Council. The following decisions were taken :—
- (A) concessions offered by financial and credit institutions for financing industries in backward areas should be available to selected backward areas in all States and Union Territories ; and
- (B) the Central Government may give an out-right grant or subsidy amounting to 1/10ths of the fixed capital investment of new units having a total fixed capital investment of not more than Rs. 50 lakhs each in the two selected districts in each of the 9 States identified as industrially backward and one district each of the other States and Union Territories. The State Governments have been approached to furnish the list of backward districts of their respective States which may qualify for concessions to be offered by financial institutions.
- (iv) The main responsibility for the correction of regional disparities rests with the States. In some States experimentation in district or regional planning is already under way. With successive annual plans, district planning in the States would gain increasing acceptance and become detailed and coordinated programmes in various directions as indicated above would be evolved for all local areas.
- (v) Finally, the policy of the Government is to locate large central projects in backward States and areas wherever such deliberate placement is possible.

जापान को लोह अयस्क की सप्लाई

2436. श्री जे० क० चौधरी : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भविष्य में जापान को लोह अयस्क भेजने के और अधिक क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, और इस बारे में किन्हीं करारों पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में उपलब्ध लोह अयस्क के बारे में अभी हाल का अनुमान क्या है, तथा कुल मात्रा में से कितनी मात्रा को स्थानीय प्रयोग में अथवा निर्यात के लिए प्रयोग में लाया गया है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी हां, हाल में भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1970-75 में जापान को लगभग 42.67 करोड़ रुपए मूल्य के 69.5 लाख टन विभिन्न ग्रेड के लोह अयस्क की पूर्ति के लिए पुख्ता संविदाएं की हैं।

(ग) भारत में लोह अयस्क के आरक्षित भंडार (निर्दिष्ट तथा अनुमानित) लगभग 30 बिलियन मे० टन है। 1968 में कुल उत्पादन लगभग 2.8 करोड़ टन था जिसमें से लगभग 1.6 करोड़ टन का निर्यात किया गया और बाकी आन्तरिक खपत के लिए था।

कृषि के लिए विद्युत की दरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव

2437. श्री अदिचन : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विद्युत उपक्रमों को ऋण देने के सम्बन्ध में यह शिष्ट शर्त लगाने के परिणामस्वरूप कि उक्त निगम से धन प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को आत्म निर्भर होना चाहिए, बहुत सी राज्य सरकारों का विचार कृषि के लिए विद्युत की दरों में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन दरों में वृद्धि करने सम्बन्धी राज्य सरकारों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस वृद्धि से कृषि के उत्पादन तथा प्रगति में कहां तक गतिरोध पैदा होने की सम्भावना है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कृषि की प्रगति में बाधा न पड़ने देने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं के लिए पी०एल० 480 की धनराशि को इस्तेमाल करने के लिए ऐसी सख्त शर्तें क्यों लगाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ). सामान्यतः ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों से आरम्भ में वित्तीय लाभ कम आता है जो कि भारों के विकास के साथ-साथ बढ़ता जाता है। अतः जिन ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम-विद्युतीकरण निगम ने धन की व्यवस्था करनी है, उन्होंने उन स्कीमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित लाभ-दरों का निर्णय किया है :—

- (1) पिछड़े क्षेत्रों के लिए— $\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ परियोजना के पूरा होने पर, 2 प्रतिशत लाभ उसके पश्चात् 5 वर्षों के भीतर और $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ उसके पश्चात् 10 वर्षों के भीतर।
- (2) अन्य क्षेत्रों के लिए—2 प्रतिशत लाभ परियोजना के पूरा होने पर और $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ उसके पश्चात् 5 वर्षों के भीतर।

वे स्कीमों जिनके लिए धन की व्यवस्था इस समय निगम कर रहा है, सप्लाई की वर्तमान लागत पर आधारित हैं और उनमें कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की सप्लाई के लिए टैरिफ दरों की वृद्धि परिकल्पित नहीं है। निगम, जिसके लिये चौथी योजना के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें भारत सरकार से मिली 45 करोड़ रुपए की राशि और अमरीकी उद्योग निधि से मिली 105 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, नियत की गई है, परियोजनावार आधार पर ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेगा। अन्य ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर धन पहले की तरह राज्य की योजनाओं में व्यवस्थित परिव्ययों में से लगता रहेगा। अतः ग्राम विद्युतीकरण पर धन लगाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण द्वारा अपनाए गए मानदण्डों को ही एकमात्र कारण मान कर कृषि उद्देश्यों के लिए टैरिफ दरों को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

उद्जन बम

2438. श्री पाशाभाई पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ब्रिटिश सेना विशेषज्ञ जनरल फरनेन्ड गानिस की इस चतावनी की जानकारी है कि उद्जन बम के सस्ता होने की सम्भावना है तथा अनेक देश इसका निर्माण कर सकेंगे ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार सरकार की जानकारी में आया है जिसमें बताया गया है कि जनरल फरनेन्ड गानिस ने यह कहा है कि फिजन ट्रिगर के स्थान पर बहुत शक्तिशाली लेजर बीम का उपयोग कर सस्ता उद्जन बम बनाना सम्भव है।

Setting up of a Factory at Lucknow for the manufacture of Aircraft Components

2439. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the news item published in the daily "*Hindustan*" dated the 1st January, 1970, a decision has been taken to set up a factory with an investment of seven crores of rupees at Lucknow for manufacturing aircraft components ; and

(b) if so, the progress made so far in the construction of the said factory, the investment likely to be made therein and the time and labour involved ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra) : (a) and (b). Government has sanctioned the setting up of a factory at Lucknow by the Hindustan Aeronautics Ltd. for the manufacture of various kinds of aircraft accessories such as flight and general instruments wheels and brakes, hydraulic equipment, air-conditioning equipment, ejection seats etc. The Plans for the factory are under preparation and it will take some time before the construction is taken up. In the meantime, a building hired from the U.P. Government will be used for initial operation. The estimated capital cost of the project is Rs. 4.5 crores and production is expected to commence in about two years. The factory will employ about 2,000 persons.

हिन्द महासागर में प्रतिरक्षा कार्यों के लिए श्रीलंका से बात-चीत

2440. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में प्रस्तावित सैनिक कार्यवाहियों के लिए भारत तथा श्री लंका के प्रतिनिधियों ने 'स्टेजिंग पोस्ट' तथा दूरसंचार सुविधाओं की स्थापना के प्रश्न पर विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में राज्य व्यापार निगम के क्षेत्रीय कार्यालय

2441. श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री सीता राम केसरी :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार विदेशों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वे प्रस्तावित मुख्यालय न्यूनतम खर्च में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से उसी प्रकार की अन्य भारतीय व्यापार एजेंसियों के समन्वय से कार्य करेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ग). जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

विवरण

क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय	प्रस्तावित कार्यालय	कार्य क्षेत्र
दक्षिण-पूर्व एशिया	वैकाक	वैकाक कोलम्बो	सिंगापुर हांगकांग	थाईलैंड, कम्बोडिया, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, फिलीपीन, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया ।

क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय	प्रस्तावित कार्यालय	कार्यक्षेत्र
आस्ट्रेलिया	सिडनी	—	सिडनी	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिजी तथा तासमानिया, न्यूगिनाना तथा सोलोमन द्वीप समूह ।
पश्चिम एशिया	—	बेह्त तेहरान	—	लेबनान, ईरान, जोर्डन, अफगानिस्तान, कतार, अमन, कुवैत, इराक, सउदी अरब, खाड़ी पतन, दमाम, यमन, टर्की, यूनान, साइप्रस, सीरिया ।
उत्तर अफ्रीका	काहिरा	—	काहिरा	मोरावको, ट्यूनीशिया अल्जीरिया, लीबिया, सूडान ।
पूर्व अफ्रीका	नैरोबी	नैरोबी	—	कैन्या, युगांडा, टांजानिया, कांगो ।
पश्चिम अफ्रीका	लागोस	लागोस	—	घाना, लाइबेरिया, सियरा, लिब्रिया, कैमरून, नाइजर, चाड, टोग, दहोमे, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, गिनी, उपरी वोल्टा, मौरिटानिया, माली, अंगोला ।
पश्चिम यूरोप	राट्टरडम	राट्टरडम	पैरिस लन्दन	नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, पश्चिम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड, नार्वे, स्वीडन, डैनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आस्ट्रिया, यूनान, इटली माल्टा, पुर्तगाल, स्पेन ।
पूर्व यूरोप	मास्को	मास्को, प्राग, बुडापेस्ट, पू० बर्लिन	बार्सा वेलग्रेड	सोवियत संघ, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, रूमानिया, बल्गारिया, यूगो-स्लाविया ।
अमरीका	न्यूयार्क	मांट्रियल	न्यूयार्क	सं० रा० अमरीका, कनाडा, अर्जेन्टीना ।

Cloth Mills set up in Foreign Countries by Birla Group of Industries

2442. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shrimati Suseela Gopalan :

Shri Jyotirmoy Basu :

Shri Viswanatha Menon :

Shri K. Ramani :

Shrimati Sharda Mukerjee :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the number of cloth mills companies factories etc. set up in foreign countries at present by the Birla Group of Industries ;

(b) the names of various places including Peking in foreign countries where they are likely to set up new cloth Mills during the next financial year ; and

(c) the total capital invested in cloth mills and other business in foreign countries by the Birla group of Industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) So far only one Textile mill has been set up as Joint venture abroad by the Birla Group of Industries.

(b) Government of India have already permitted the setting up of textile mills by Birla Group of Industries in Ceylon, Malaysia and Nigeria and some of those are likely to be set up next year.

(c) The total capital invested in the cloth and other industries set up by the Birla Group abroad that have gone into production is Rs. 4.43 million.

Production of caffeine from Tea Waste

2443. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the progress made so far in producing caffeine from tea waste ; and

(b) whether it is a fact that in case caffeine is produced from tea-waste, India will become not only self-reliant but will also be able to export this commodity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) At present there are ten units in the country producing caffeine from tea waste. The production of caffeine in 1966 was 29 tonnes. The production of caffeine by the three units borne on the books of the Directorate General of Technical Development was 11.59 tonnes in 1968 and 13.83 tonnes in 1969.

(b) As and when indigenous production increases the local industry will be in a position to offer caffeine for export. But this will depend on the local cost of production as compared to the world market price.

लोह अयस्क का एक-समान आयात मूल्य

2444. श्री सीताराम केसरी : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत समेत लोहे का उत्पादन करने वाले कुछ देशों ने लोहे का एक समान आयात मूल्य निश्चित करने की सम्भावनाओं के बारे में जेनेवा में एक बैठक पर विचार किया ;

(ख) : यदि हां, तो उस बैठक में भाग लेने वाले उन देशों के क्या नाम हैं ; और

(ग) उस बैठक में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ?

विदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). लोह अयस्क निर्यात करने वाले निम्नलिखित विकासशील देशों ने पारस्परिक हितों के विषय में बातचीत करने के लिये जनवरी, 1970 में जेनेवा में बैठक की :

ब्राजील, चिली, ग्रीन, भारत, लाइबेरिया, मोरिटानिया, पेरू तथा बनेजुएला।

(ग) बैठक में लौह अयस्क निर्यात करने वाले विकासशील देशों के हितों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर, जैसे कि मूल्यों में गिरावट, उद्योगों में किये जाने वाले निवेश की लागत तथा जहाजी परिवहन लागत आदि पर बात-चीत की गई। अध्ययन दल ने विभिन्न समस्याओं पर और आगे अध्ययन जारी रखने का और लौह अयस्क से सम्बन्धित सामान्य समस्याओं पर सहयोगात्मक कार्यवाही को प्रोत्साहन देने का विनिश्चय किया।

बिड़ला फर्म द्वारा कीनिया में कागज के कारखाने की स्थापना

2445. श्री शिव चन्द्र झा : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला फर्म कीनिया में कागज का एक कारखाना स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने अनुमति दे दी है ;

(ग) यदि हां तो कब इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उस देश में पूंजी लगाने से बिड़ला फर्म को प्रति वर्ष अनुमानतः कितना लाभ होगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). फर्म द्वारा प्रस्तुत एक परिशोधित प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

(घ) चूंकि अभी तक एकक की स्थापना भी नहीं हुई है अतः उससे होने वाले लाभों का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता।

अमरीका को इंजीनियरी सामान का निर्यात

2446. श्री शिव चन्द्र झा : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका को इंजीनियरी का कौन सा सामान निर्यात किया जाता है ;

(ख) इस समय अमरीका को प्रतिवर्ष कुल कितना सामान निर्यात किया जाता है ; और

(ग) इससे प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के प्रथम सात मासों में भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को किये गए विभिन्न इंजीनियरी माल के निर्यात दिखाए गए हैं।

विवरण

सं० रा० अमरीका को किए गए इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात

मर्दे	(मूल्य लाख रुपए में)	
	किए गए निर्यात	
	1968-69	1969 (अप्रैल अक्तूबर)
पीतल के बर्तन	6.64	0.60
इ० पी० एन० एस० वेयर	9.55	6.83
बोल्ड्स, नट्स, रिबड्स तथा वाशर	0.12	—
इस्पात की चमकीली छड़ें तथा शफ्टिंग्स	0.20	5.56
तामचीनी की वस्तुएं	—	—
हाथ के औजार	49.34	17.63

	किए गए निर्यात	
	1968-69	1969(अप्रैल अक्तू०)
लोहे के सिलिण्डर	1.31	1.54
रेल की पटरियों का सामान	0.23	0.01
बेदाग इस्पात के बर्तन	3.99	0.69
एम०एस०पाइप तथा ट्यूबें	87.41	52.44
ट्रांसमिशन लाइन टावरस सहित गढ़े हुए इस्पाती ढांचे	28.37	41.89
निर्माण सम्बन्धी लोह का माल तथा ताले	0.80	0.56
छुरी चम्मच आदि	16.07	0.83
इलैक्ट्रोड्स तथा वैल्डिंग के उपकरण	4.41	1.29
सेनेटरी फिटिंग्स	0.45	0.45
पेच	16.80	10.71
जल सम्बन्धी फिटिंग	0.28	0.19
फ्लैश लाइट्स	1.45	3.28
ग्रामोफोन रिकार्ड	2.01	3.13
वाद्य यंत्र	5.45	1.83
लकड़ी का फर्निचर	0.27	0.10
डीजल इंजन	—	—
मशीनी पम्प	0.68	0.23
एयर कम्प्रेसरस	0.21	—
सीमेंट मिक्सर्ज	1.35	—
होईस्टिंग मशीनें लिफ्ट तथा क्रेन	9.44	—
मशीन के औजार	12.90	17.97
अंक संकलन यंत्र	1.24	0.04
सिलाई मशीनें	3.02	0.39
विद्युत मोटरें ट्रांसफार्मर स्विच गियर्ज	3.42	—
रेडियो तथा पुर्जे	2.47	—
मोटर-गाड़ियां तथा पुर्जे	6.56	6.67
बाइसिकलें तथा पुर्जे	19.16	19.80
सी०आई० उत्पाद तथा इस्पात की ढली वस्तुएं	44.89	23.81
अग्न्यस्त्र	—	4.71
बैटरी-ड्राई	0.02	2.84
बिजली के उपसाधन तथा सहायक सामान	5.52	—
बिजली मापक तथा नियन्त्रक उपकरण	2.33	3.92
ट्रालियां तथा ट्रेलर्ज	1.03	—
ट्रैक्टर तथा पुर्जे	2.08	0.09
अन्य	11.84	0.22
योग	363.32	237.64

एक मृत सैनिक अधिकारी के आश्रितों को परिवार पेंशन

2447. श्री रणजीत सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) एक जवान के परिवार की परिभाषा क्या है;
- (ख) क्या स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् इस परिभाषा में कोई परिवर्तन किया गया है;
- (ग) सेना में कप्तान के स्थायी पद पर कार्य कर रहे तथा 9 वर्ष तक सेवा कर चुकने वाले एक मृत अधिकारी जिसके एक पत्नी तथा एक बच्चा है के आश्रितों को सामान्यतः किस दर पर परिवार पेंशन मिलेगी; और

(घ) युद्ध स्थल में मारे जाने वाले इसी पद तथा इतनी ही सेवा वाले अधिकारी को जिसके परिवार में केवल एक आश्रित मां तथा एक अल्प वयस्क बहन है तथा जिनका सिवाय इस अधिकारी की कमाई के आय का अन्य कोई साधन नहीं था किस दर पर विशेष आश्रित पेंशन मिलती है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 'जवान के परिवार' में निम्नलिखित सदस्यों को गिना जाता है:—

पारिवारिक पेंशन देने के लिए जहां मृत्यु सेवा के कारण अथवा उसके द्वारा नहीं हुई—

- (1) पत्नी
- (2) अल्पवयस्क लड़के और सेवा निवृत्ति से पूर्व कानूनी रूप से गोद लिये गए बच्चों सहित ।
- (3) अविवाहित अल्पवयस्क लड़कियां
- (ख) विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए (अर्थात्) जहां मृत्यु सेवा के कारण अथवा उसके लिए हुई—
- (1) विधवा, कानूनी विवाहित
- (2) पिता +
- (3) माता +
- (4) लड़का वास्तविक और कानूनी (कानूनी रूप से गोद लिये गए सहित)
- (5) लड़की वास्तविक और कानूनी (कानूनी रूप से गोद ली गई सहित)

+ख्यात माता-पिता सहित (अर्थात् जो कानूनी रूप से विवाहित तो नहीं हैं लेकिन पति-पत्नी के समान रह रहे हैं।)

(ख) जी हां। परिवार की व्याख्या में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:—

- (1) ख्यात माता-पिता (अर्थात् जो कानूनी रूप से विवाहित तो नहीं हैं लेकिन पति-पत्नी के समान रह रहे हैं) को केवल विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए ।
- (ग) ऐसे अफसर को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की दरें उसकी मृत्यु की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:—

(1) अगर मृत्यु सेवा के कारण/द्वारा नहीं हुई

7 वर्ष के लिए 209 रु० प्रति माह, उसके पश्चात् 105 रु० प्रति माह की पेंशन

(2) अगर मृत्यु सेवा के द्वारा/कारण हुई

(क) विधवा को 170 रु० प्रति माह की विशेष पारिवारिक पेंशन

(ख) पेंशन में तदर्थ वृद्धि 20 रु० प्रति माह

(ग) सन्तान भत्ता, सामान्यतः

18 वर्ष की आयु तक स्वीकार्य 480 रु० वार्षिक

(घ) शिक्षा भत्ता

यह विधवा की धन सम्बन्धी और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्कूल कालेज में सन्तोषजनक प्रगति होने पर बच्चे के 5 वर्ष की आयु से अधिकतम 23 वर्ष की आयु तक।

वास्तविक खर्चा लेकिन 480

रुपया वार्षिक तक

(ङ) अगर मृत्यु युद्ध क्षेत्र जैसी परिस्थितियों में हुई

हो तो ग्रेच्युटी

4500 रु०.

(छ) अगर मृत्यु युद्ध/संक्रिया के कारण हुई थी

प्रथम 7 वर्षों के लिए

(क) 585 रु० प्रति माह की दर पर समकित पेंशन

(ख) 4500 रु० की ग्रेच्युटी

7 वर्ष पश्चात्

(क) विधवा के लिए पारिवारिक पेंशन

225 रु० प्रतिमाह

(ख) संतान भत्ता सामान्यतः 18 वर्ष की आयु तक

720 रु० वार्षिक

(ग) शिक्षा भत्ता। यह विधवा की धन सम्बन्धी और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है; स्कूल कालेज में सन्तोषजनक प्रगति होने पर 5 वर्ष से अधिकतम 23 वर्ष की आयु तक

(घ) आश्रित मां को 96 रु० प्रति माह की पेंशन तथा 20 रु० प्रति माह की तदर्थ वृद्धि मिलेगी जिस कुल 116 रु० प्रतिमाह की पेंशन होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें 2250 रु० ग्रेच्युटी भी मिलेगी। जब तक मां जीवित है तब तक बहिन किसी विशेष पेंशन की अधिकारी नहीं है।

प्राचीन पूर्णिमा मेले में भारतीयों को नेपाल जाने से रोका जाना

2448. श्री एन० शिवप्पा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में नई सड़क (काठमान्डू कोडारी) बनने के बाद गत पूर्णिमा कार्तिक के अवसर पर भारत के सब भागों से जाने वाले सैकड़ों भारतीयों को जो कि इस सड़क पर काठमान्डू से परे स्थित टाटोपाणि के प्राचीन पूर्णिमा मेले में भाग लने की इच्छा से जा रहे थे पहली बार बारहबीसी से परे नहीं जाने दिया गया और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

‘वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है कि काठमान्डू कोडारी सड़क पर बारहबीसे के आगे जाने से तीर्थयात्रियों को रोका गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल इंजीनियरिंग संबंधी जानकारी को निर्यात करने की क्षमता का सर्वेक्षण

2449. श्री एन० शिवप्पा : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी०एल० 480 निधि से सहायता प्राप्त निर्यात संवर्द्धन में अमरीकी तकनीकी सहायता के एक अंश के रूप में सिविल इंजीनियरिंग सम्बन्धी जानकारी को बाहर के देशों में निर्यात करने सम्बन्धी सम्भावनाओं के सम्बन्ध में क्या उनके मंत्रालय ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां तो इस व्यवस्था के कार्यकलाप को मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी हां।

(ख) सिविल इंजीनियरिंग कंसलटेंसी एण्ड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सम्बन्धी सर्वेक्षण मैसर्स कंसलटिंग इंजीनियर्स सर्विसेज इण्डिया (प्रा०) लि० नई दिल्ली को सौंप दिया गया है। एन०आई० डी०सी० जैसे अन्य परामर्शदाता संगठन भी इसके सहयोगी होंगे। शीघ्र ही सर्वेक्षण दल अफगानिस्तान, ओमान तथा कतार, श्रीलंका, इथोपिया, तेहरान, कुवैत, मलयेसिया, सिंगापुर, और थाइलैंड देशों का दौरा करेगी।

अध्ययन का लक्ष्य आगामी चार से पांच वर्षों में दर्शाये गए ठीक-ठीक निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और कंसलटेंसी सर्विसेज के और भी विकास हेतु विशिष्ट प्रस्ताव के शामिल किये जाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें देश से इन सेवाओं के निर्यात के लाभ का तर्कयुक्त मूल्यांकन करना और ऐसी सेवाओं की समीपवर्ती क्षेत्रों में सभाव्यता और मांग का अध्ययन करना शामिल है। इसके अक्टूबर, 1970 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

Prices of Cotton

2450. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether in January, 1970 Government have imposed ban on stocking of Cotton by the mills and on the loans being given by the banks ;

(b) whether Government are aware that imposing ban on the purchase and stocking of cotton at a time when farmers' cotton comes to market, adversely effects the price of cotton ; and

(c) the steps taken by Government for ensuring reasonable price of cotton to farmers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). A study of cotton price trend towards the end of December, 1969 revealed somewhat abnormal rise in prices of cotton, which was considered harmful to the export trade in cotton textiles and the smooth working of marginal and weaker units of the industry. In order to correct the price trend, some adjustments were made in the credit system in January, 1970 and limits upto which mills could hold stocks of cotton for their consumption were reduced by one month in the month of February, 1970. Prices of cotton are still ruling steady and have not been adversely affected.

(c) The system of fixing ceiling prices for cotton had been terminated w.e.f. 1.9.67 and since then, in order to ensure a minimum return to the grower, support prices are announced by the Government along with the assurance that Government would be prepared to purchase cotton offered for sale at these prices.

ग्राम्य विद्युतीकरण निगम के लिए पी० एल० 480 की निधियों का प्रयोग

2451. श्री के० एम० अब्राहम :

श्री ई० के० नायनार :

श्री पी० राममूर्ति :

श्री गणेश घोष :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा ग्राम्य विद्युतीकरण निगम को पी०एल० 480 की निधियों से चालू किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकार विद्युत बोर्डों ने ग्राम्य विद्युतीकरण निगम के निदेशों का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किए गए विरोध का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम के लिए कुल 150 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जिस में भारत सरकार के अंशदान के रूप में 45 करोड़ रुपये और अमरीकी उपयोग निधि से प्राप्त 105 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(ख) निगम ने राज्य बिजली बोर्डों को कोई निदेश जारी नहीं किये हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जिन सिद्धान्तों पर ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था करनी है और जिन शर्तों पर ऋण देने हैं, इस सम्बन्ध में निगम ने राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श कर के निर्णय ले लिए हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा के बारे में भारत नेपाल करार

2452. श्री जी० बाई० कृष्णन् :

श्री एन० शिवप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाली सीमा सुरक्षा चौकियों पर कितने भारतीय सैनिक तैनात हैं;

(ख) वहां से कितने भारतीय सैनिक वापस बुलाए गए हैं, और

(ग) दोनों देशों की सुरक्षा के सम्बन्ध में नेपाल सरकार से किये गए करार की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). अगस्त/सितम्बर 1969 को, भारत और नेपाल के बीच हुए करार के अनुसार, कुछ नेपालियों द्वारा आठ सीमा पड़ताल चौकियों पर से भारतीय वायरलेस कर्मचारी प्रतिस्थापित किये गए हैं।

(ग) पड़ताल चौकियों के बारे में जो करार हुआ है, उसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि भारतीय कर्मचारियों को धीरे-धीरे वापस बुला लिया जाए और उनके स्थान पर नेपाली कर्मचारी लाए जाएं।

भारत-रूस संयुक्त समिति

2453. श्री जी० बाई० कृष्णन् :

श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री चं० चु० देसाई :

श्री पीलु मोदी :

श्री घीना देव :

क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सोवियत सहायता प्राप्त सरकारी क्षेत्र को परियोजनाओं के उत्पादों के लिए सोवियत संघ तथा अन्य देशों में निर्यात मंडियां उपलब्ध करने के लिए एक भारत सोवियत संयुक्त समिति गठित की गई है;

(ख) क्या उक्त कार्यवाही से कोई सम्भावित लाभ होने की आशा है; और

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों को पहले ही से निर्धारित कर लिया गया है वहाँ दोनों देश अपनी संयुक्त कार्यवाहियों को करा सकते हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) से (ग). यद्यपि कोई भारत-सोवियत संयुक्त समिति स्थापित नहीं की गई है, तथापि दोनों सरकारें सिद्धान्तः सहमत हो गई हैं कि भारत में सोवियत सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं में निर्मित कुछ उत्पादों की दीर्घावधि व्यापार पर सोवियत संघ को पूर्ति की जाए। अब, उपकरण के प्रकार तथा अन्य सम्बन्धित व्यौरे निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ स्तर पर बातचीत होगी। इस पर भी सहमति हो गई है कि भारत में सोवियत सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं में निर्मित उत्पादों के अन्य देशों को निर्यात करने की सही सही सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विस्तीर्ण जांच की जानी चाहिए।

Amount of Import Bill

2454. Shri R.K. Birla : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the amount of import bills for food, defence items and import items for public sector units during the last three years, year-wise ; and

(b) steps to be taken to reduce the amount of import bill during the Fourth Plan period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) A statement showing import of food items excluding feeding stuff for animals during the last 3 years, is appended. The statistics pertaining to import of defence items and of items for public sector units are not maintained.

(b) A large number of schemes are being implemented so as to maximize agricultural production. In furtherance of Government's policy of import substitution, measures are being taken to increase industrial production and thereby reduce our dependence on imports.

Statement

S.No.	Description of item.	Value in lakhs of Rs.		
		(Post devaluation rate)		
		1966-67	1967-68	1968-69
I.	Meat and meat preparations	1	neg.	4
II.	Dairy products and eggs	1746	1423	1493
III.	Fish and fish preparations	neg.	1	2
IV.	Cereals and cereal preparations and dried leguminous vegetables and flour thereof (Grain, pulse and flour and preparations thereof).			
	1. Wheat (including spelt and meslin, unmilled).	42304	37847	25949
	2. Rice	8164	5476	5747
	3. Others	14615	8497	1966
	Total—IV	65083	51820	33662
V.	Fruit and vegetables.	999	1417	1502
VI.	Sugar, sugar preparations and honey.	50	55	135
VII.	Cocoa, spices etc.	56	220	111
VIII.	Miscellaneous food preparations.	16	400	207
Grand Total (I To VIII) :		67951	55336	37116

विद्रोही नागाओं द्वारा भारतीय सुरक्षा दल पर गोली-बारी

2455. श्री सामिनाथन :

श्री नि० र० लास्कर :

श्री चंगलराया नायडू :

श्री दण्डपाणी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जनवरी, 1970 को पारिफेमा के निकट विद्रोही नागाओं के एक दल ने भारतीय सुरक्षा दल के एक गश्ती दल पर गोलियां चलाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितने सुरक्षा सैनिक मारे गए;

(ग) क्या भारतीय सुरक्षा दल ने चीन में बनी कुछ राइफलें तथा गोलाबारूद पकड़ा था; और

(घ) क्या गत तीन अथवा चार महीनों में विद्रोही नागाओं की गतिविधियों में वृद्धि हुई है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) सुरक्षा सेनाओं का कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) सुरक्षा सेनाओं ने इस क्षेत्र में से कुछ राइफलें और गोला बारूद पकड़ा है कि जिसमें से एक 7.62 एम०एम० राइफल और 7.62 की 155 गोलिएं चीनी निर्माण की थीं।

(घ) जी नहीं।

श्रीलंका में भारतीय बागान श्रमिकों द्वारा अभ्यावेदन

2456. श्री सामिनाथन :

श्री चंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति को उनकी कोलम्बो यात्रा के दौरान श्रीलंका में दस लाख भारतीय बागान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो मृथक मृथक प्रतिनिधि मण्डलों ने उन्हें अभ्यावेदन किये थे ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं और उनकी क्या आश्वासन दिये गए थे; और

(ग) क्या श्री लंका के प्राधिकारियों से उन प्रश्नों पर बातचीत की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) राष्ट्रपति के हाल की श्रीलंका सद्भावना यात्रा के दौरान श्रीलंका के प्रमुख बागान श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रतिनिधि मण्डलों ने उनसे भेंट की थी।

(ख) 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अनुसार, श्रीलंका से भारत प्रत्यावर्तित होने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा सुविधाएं दिये जाने से सम्बद्ध कुछ मामले उठाए गए थे जिनका विशेष रूप से सम्बन्ध परिवहन सुविधाओं, सीमा शुल्क में छूट और पुनर्वास सहायता से था। इन मामलों पर आवश्यक कार्रवाई पहले ही की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईराकी प्रतिनिधि मण्डल

2457. श्री सामिनाथन :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री दण्डपाणि :

क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्च स्तरीय ईराकी प्रतिनिधि मण्डल आठ दिन की भारत यात्रा पर आया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधि मण्डल ने उनसे तथा रेलवे मंत्री से कई बार बातचीत की थी;

(ग) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका व्यौरा क्या है ?

(घ) क्या दोनों देशों के बीच कोई व्यापार समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बातचीत भारत और ईराक के बीच परिवहन और संचार के क्षेत्रों में सहयोग से सम्बन्धित थी और विशेषतः सीरियाई सीमा पर बगदाद से अबू कमाल तक रेलवे लाइन के निर्माण में सहायता से सम्बन्धित थी।

(घ) दिसम्बर, 1962 में ईराक के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गए थे और उसके फलस्वरूप प्रति वर्ष एक व्यापार व्यवस्था की जाती रही है। अक्टूबर, 1969 में की गई व्यवस्था में 1 सितम्बर, 1969 से 31 अगस्त, 1970 तक की अवधि शामिल है।

(ङ) ईराक का एक प्रतिनिधि मण्डल हाल ही में ईराक संचार मंत्री के नेतृत्व में भारत आया था और इसलिए बातचीत मुख्यतः परिवहन और संचार के मामलों से संबन्धित थी और व्यापार व्यवस्था का प्रश्न उसमें शामिल नहीं था। फिर भी ईराक के मंत्री और विदेशी व्यापार मंत्री के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ था जिसमें इस बात पर भारत सरकार की सहमति प्रकट की गई कि वह ईराक को भारतीय रेलवे विशेषज्ञों का एक दल भेजेगी, जो, ईराकी रेलवे के विशेषज्ञों की सहायता से प्रस्थापित रेलवे लाइन की लागत एवं व्यावहार्यता के विषय में प्रारम्भिक अध्ययन करेगा।

तमिलनाडु में कावेरी डेल्टे में जल निकास में रुकावट सम्बन्धी समस्या

2458. श्री सामिनाथन :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री दण्डपाणि :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में कावेरी डेल्टे में जल निकास में रुकावट सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिए उपचारात्मक उपायों की केन्द्रीय सरकार ने जांच की है; और

(ख) यदि हां तो उसका व्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में जल निकास रोध की समस्या के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा अनुसंधान कार्य नहीं किया है। वहरहाल, सिंचाई व बिजली मन्त्रालय के एक सलाहकार ने खाद्यान्न उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में जल निकास में सुधार लाने के लिए कुछ सिफारिशों की थीं जिनमें यह कार्य शामिल हैं; डेल्टा के बाहर के इलाके से आने वाले फालतू पानी में कमी करना, सिंचाई तालों का उचित रखरखाव भूसंरक्षण और कन्टूर बँडिंग उपायों आदि को अपनाना। ये सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दी गई।

तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा में जल निकास की समस्या को हल करने के लिए एक बृहत योजना तैयार की है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तकनीकी जांच कर रहा है।

Armed Training to 1500 Rebel Nagas in China

2459. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Bansh Narain Singh :

Shri Ramachandra Veerappa :

Shri Y.A. Prasad :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in the daily 'Hindustan' dated the 14th February, 1970 to the effect that an agreement has been concluded between the Chinese Embassy in London and the rebel Naga leader Z.A. Phizo, wherein China has agreed to give armed training to about 1500 rebel Nagas ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Government are aware of Mr. Phizo's contacts with Chinese and Pakistani missions in London. China and Pakistan have been going out of their way to provide training facilities and other assistance to Underground Nagas and others. Government are not, however, in a position to confirm or deny any specific Chinese design to provide armed training to another 1500 Underground Nagas as mentioned in the newspaper report. With the vigilance exercised by our Security Forces on our frontiers, it is unlikely that Nagas in any appreciable number can manage to leave the country without detection.

Republic Day Passes issued to Ministers and Members of Parliament for their Guests

2461. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of passes issued by the Ministry of Defence to each of the Central Ministers including the Prime Minister for their guests to witness the Republic Day Parade on 26th January, 1970 ; and

(b) the number of passes issued by Government this year to each of the Member of Parliament for their guests ?

The Minister of Defence, Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Invitation cards for the Republic Day Parade 1970 for about 5,300 seats were issued for relations, guests, etc. of the Prime Minister and the Union Ministers and for about 5,770 seats for relations, guests, etc. of Members of Parliament. In the case of the Prime Minister and Ministers, requests for issue of invitation cards were not only in respect of their relations and guests but also in respect of persons who approached them as members of Government and to a number of whom invitation cards might have been issued even otherwise had they approached the Ministry of Defence direct.

The compilation of the detailed information asked for will involve considerable time and labour which may not be commensurate with the results achieved.

**काश्मीर विवाद को छापामार युद्ध प्रणाली से निबटान के सम्बन्ध में एयर मार्शल
असगर खां का वक्तव्य**

2462. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के भूतपूर्व वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल असगर खां द्वारा हाल में दिये गए इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उनके अनुसार काश्मीर विवाद का एकमात्र हल स्वयं काश्मीरियों द्वारा उस प्रदेश में भारतीय सेना के शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए छापामार युद्ध है और वह काश्मीर के भारत अधिकृत क्षेत्र में छापामार लड़ाई के लिए अधिक-तम सहायता देने के लिए पाकिस्तान में जनमत तैयार करेंगे आदि;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय क्षेत्र के एक भाग में शांत वातावरण को भंग करने के लिए इस प्रकार की खुली धमकी की ओर पाकिस्तान का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं।

(ख) सरकार जम्मू तथा काश्मीर में गड़बड़ी करने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को रोकने तथा इस राज्य की सुरक्षा करने के लिए, जो कि भारत का ही एक अभिन्न अंग है, दृढ़ संकल्प है।

(ग) यह बयान पाकिस्तान की एक आम सभा में दिया गया था और चुनाव आन्दोलन के दौरान किसी अन्य देश के खिलाफ इस तरह के उत्तेजनात्मक बयानों की ओर ध्यान देना पाकिस्तान सरकार का काम है। हम इसकी ओर उनका ध्यान दिला रहे हैं।

जापान द्वारा अन्तरिक्ष उपग्रह का छोड़ा जाना

2463. श्री शिवचन्द्र झा :

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने एक अन्तरिक्ष उपग्रह छोड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसकी तुलना में भारत में अब तक अन्तरिक्ष विज्ञान का कितना विकास हुआ है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री : (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी हां।

(ख) मध्यम ऊंचाई पर चक्कर लगाने वाले एक छोटे वैज्ञानिक उपग्रह को 3 से 4 वर्ष में छोड़ने का भारत का अपना एक स्वतन्त्र कार्यक्रम है।

रूस को जूतों के निर्यात में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

2464. श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री नम्बियार :

श्री सत्यनारायण सिंह :

श्री भगवान दास :

क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बैंक आफ लाहौर को अधिस्थगत काल दिये जाने के कारण रूस को जूतों के निर्यात में कमी के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ख) विदेशी मुद्रा की इस हानि को रोकने तथा जूता उद्योग को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

बैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). नेशनल बैंक आफ लाहोर को अधिस्थगित काल दिये जाने के कारण सोवियत संघ को जूतों के निर्यातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

पूर्वी पाकिस्तान के मछली के बदले में भारत से कोयला भेजा जाना

2465. श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री सत्यनारायण सिंह :

श्री भगवान दास :

श्री वि० कु० मोडक :

क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के खान मंत्री श्री प्रभात राय ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वे भारतीय कोयले के बदले में पूर्व पाकिस्तान से मछली प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ पत्र-व्यवहार करें;

(ख) क्या सरकार ने इस विनिमय के लिए पाकिस्तान से पत्र व्यवहार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

बैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार को फिर से शुरू करने से सम्बन्धित प्रश्न को अनेक अवसरों पर उठाया, परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को भारत ने एक पक्षीय रूप से मई, 1966 से हटा लिया था परन्तु इस कार्यवाही का पाकिस्तान ने अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः दोनों देशों के बीच व्यापार का फिर से आरम्भ होना केवल पाकिस्तान सरकार के रुख पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।

रूस को इस्पात का निर्यात

2466. श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री चं० चु० देसाई :

श्री पीलु मोदी :

श्री धी० ना० देव :

क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में रूस को निर्यात किये गए इस्पात का व्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात के निर्यात के सम्बन्ध में रूस के साथ जो ठेका है उसका इस वर्ष के लिए नवीकरण कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस ठेके को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में क्या अड़चनें सामने आ रही हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1970 के "इकोनामिक्स टाइम्स" की एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) 1967-68 से रूस को निर्यातित इस्पात का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है :—

वर्ग	1967-68	मात्रा मी० टन में	
		1968-69	1969-70
		(अप्रैल दिसम्बर)	
(क) ढांचें (बरन चैनल, तथा कोण)	94,185	2,27,758	1,74,546

(ख) जी हां। 1970 में सोवियत संघ को 2,00,000 मी० टन ढांचों के निर्यात के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह समाचार 'इकोनामिक टाइम्स' में उस समय प्रकाशित हुआ था जबकि 1970 के लिए संविदा पर बातचीत चल रही थी, परन्तु इसे सम्बन्धित मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

ल्हासा में तिब्बतियों और चीनियों के बीच संघर्ष

2467. श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री चं० चु० देसाई :

श्री पीलु मोदी :

श्री धी० ना० देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ल्हासा और तिब्बत के अन्य भागों में तिब्बतियों तथा चीनी अधिकारियों के बीच गंभीर संघर्षों के बारे में 18 जनवरी, 1970 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुई रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि तिब्बतियों की सहायता करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). सरकार ने यह खबर देखी है लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना उसके पास नहीं है।

(ग) जैसा कि सभी जानते हैं सरकार यह कह चुकी है कि तिब्बती लोगों के अधिकार संरक्षण के किसी भी प्रस्ताव का वह संयुक्त राष्ट्र में अथवा अन्यत्र कहीं भी सहर्ष समर्थन करेगी।

वार्षिक तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजना

2468. श्री लीबो प्रभु: क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का मंत्रालय अथवा योजना आयोग वार्षिक योजनाओं तथा चौथी योजना के प्रारूप में शामिल की गई बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजनाओं पर नजर रखता है ;

(ख) किन परिस्थितियों में बिजूर योजना संख्या 35 को, जिस के लिए 131 करोड़ रुपए का उद्बन्ध किया गया था तथा जिस पर भवनों आदि के निर्माण पर 7 लाख रुपया खर्च किया जा चुका था, स्थगित किया गया ;

(ग) यदि आपत्ति लागत लाभ अनुपात के बारे में है तो इस योजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल क्यों किया गया था और क्या अन्य योजनाएँ ऐसी नहीं हैं जिन की प्रति एकड़ लागत लगभग इतनी ही है; और

(घ) विलम्ब के अन्य ऐसे कारण क्या हैं जिनसे योजना आयोग को बाध्य किया गया कि वह विलम्ब की अनुमति दें ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) सिंचाई एक राज्‍यगत विषय है। राज्‍य सरकारें, अपने संसाधनों को देखते हुए सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन और अनुसंधान करती हैं तथा उन्हें तैयार करके कार्यान्वित करती हैं।

(ख) से (घ). राज्‍य सरकार ने सूचित किया है कि चौथी योजना के दौरान राज्‍य में बृहत् तथा मध्यम सिंचाई सेक्टर के लिए सीमित आर्बंटन का तथा निर्माणाधीन स्कीमों को पूर्ण करने के लिए अक्षेपित विशाल धनराशि का विचार करते हुए उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि वे चतुर्थ योजनावधि में विज्‍जूर परियोजना को हाथ में लें।

Closure of Embassy Offices Outside Delhi

2469. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

- (a) the names of the foreign countries whose Embassies are located in Delhi only ;
- (b) the names of the foreign Embassy offices located in cities other than Delhi ;
- (c) the names of such cities and the justification for setting up the said Embassy offices there in addition to the main Embassy office in Delhi ; and
- (d) whether Government would order closure of all such offices, and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) List of foreign countries maintaining Embassies/High Commissions and Consular/Trade Representative Offices in Delhi is attached. [*Placed in Library/Sec. No. L.T.—2807/70*].

(b) List of foreign countries maintaining Consulates/Commissions/Trade Commissions/Honorary Consulates in places other than Delhi, is attached.

(c) The names of cities have been mentioned in (b) above. On the basis of international convention and reciprocity, Diplomatic Missions are allowed to maintain offices in places other than the capital when it is considered necessary for performance of their trade and consular functions.

(d) No, Sir. Government have only asked diplomatic Missions to close such offices/libraries/reading rooms, etc., which are located in places where they do not have a diplomatic, consular or trade mission.

Missing Diplomats from various Embassies in India

2470. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of such diplomats who have been found missing from the various Embassies in India during the last three years ;

(b) the names of the countries to which these diplomats belonged and their names ; and

(c) the number of foreign diplomats out of these missing, who have been traced afterwards and the countries in which they were traced ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). There have been no cases of disappearance of foreign diplomats stationed in Delhi during the last three years except that of the official reported missing by the USSR Embassy recently.

हांगकांग के व्यापारियों के शिष्टमण्डल का दौरा

2471. श्री बे०कृ० दास चौधरी: क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण पर हांगकांग के व्यापारियों के एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था तथा क्या उस शिष्टमण्डल के साथ कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात को प्राथमिकता देने की योजना

2472. श्री बे०कृ० दासचौधरी : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को प्राथमिकताएं देने के बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किस उत्पाद को किस कारण से उच्चतम प्राथमिकता दी गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). सरकार निर्यात किये जा सकने वाले सभी प्रकार के सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देती है। फिर भी अपेक्षाकृत अधिक विकास संभाव्यता वाले औद्योगिक उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

Per Capita Aid to Uttar Pradesh

2473. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Janeshwar Misra :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether her attention has been drawn to her statement published at pages 1 and 8 of the daily 'Hindustan', dated the 2nd February, 1969 that the Union Government are determined to eradicate poverty from Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether Government propose to give the same per capita aid in respect of Pumping sets, urea, education, Railways, Medical education, planning etc. to Uttar Pradesh as given to some other States ; and

(c) if so, since when ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The objective of the Union Government in cooperation with the State Governments, is to progressively eradicate poverty from the entire country, including Uttar Pradesh.

(b) and (c). Central assistance for the State Plans has been determined on the basis of the criteria laid down by the National Development Council and is being released in the shape of block loans and grants.

Foreign Exchange for Haj Pilgrims

2474. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4995 on the 18th December, 1968 and state the reasons for providing a huge sum of Rs. 2,36,25,000 to only 15,000 Haj pilgrims ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The allocation of Foreign Exchange of Rs. 2,36,25,000 for 15,000 pilgrims was made at the rate of Rs. 1,575 per adult pilgrim. This amount was fixed after taking into consideration the expenditure that a pilgrim is required to incur on his transport, food, accommodation and on religious ceremonies during the course of his stay in Saudi Arabia for performing the Haj.

धन की कमी के कारण लम्बित सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के प्रस्ताव

2475. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सभी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से नए संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार धन के अभाव के कारण लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विचार कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). चौथी योजना के मसौदे में, लगभग 20 वर्षों के भीतर, तलवर्ती जल के उपयोग के लिए सभी परियोजनाओं के निर्माण के महत्त्व का उल्लेख किया गया है।

चतुर्थ योजनावधि के दौरान संतत स्कीमों, जिन पर काफी प्रगति हो चुकी है, के लिए आवश्यक अधिकतम संभव आबंटनों को प्राथमिकता दी गई है।

नई बृहत तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों को हाथ में लेने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण किये गए बैंकों के साधनों का उपयोग करने से अम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

कोसी नहर परियोजना के लिए खरीदा गया सामान

2476. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी परियोजना विभाग ने कोसी क्षेत्रों की बाढ़ से रक्षा करने के लिए वर्ष 1968-69 में तथा चालू वर्ष में जस्ता चड़ा हुआ तार खरीदा था;

(ख) क्या इस तार के खरीदने में कोई गोलमाल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा-घटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर बिहार में अणुशक्ति केन्द्र

2477. श्री भोगन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के पूर्ण अभाव तथा 'पावर' के अन्य स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, अणुशक्ति संयंत्र (प्लांट) को उत्तर बिहार में स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) :

(क) तथा (ख). जी, नहीं, उत्तरी बिहार के कोयला क्षेत्रों के समीप स्थित होने के कारण कोयले से चलने वाले परम्परागत किस्म के बिजलीघर वहां ज्यादा सस्ते रहेंगे।

भारतीय सीमाओं पर चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं की गतिविधियां

2478. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें देश की सीमाओं पर पाकिस्तानी और चीनी सेनाओं की गतिविधियों की जानकारी है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) अप्रैल, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक की अवधि में इन देशों ने भारत की सीमाओं पर कितनी बार और किन स्थानों पर हमला किया और इन हमलों में भारत को कितनी हानि हुई; और

(ग) देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या कारगर कदम उठाए हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां। सीमा और युद्ध विराम रेखा के पार चीनी तथा पाकिस्तानी गतिविधियों के ढंग के सम्बन्ध में सदन को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है।

(ख) 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1970 की अवधि के दौरान चीनियों द्वारा उत्तर प्रदेश-तिब्बत सीमा पर लेपुलेख दर्रे के पास 10 जुलाई, 1969 को गोली चलाए जाने की एक घटना हुई थी, कि जिसके विस्तार सदन को 30 जुलाई, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1582 के उत्तर में दिये गए थे। उसी अवधि में पाकिस्तानियों द्वारा सीमा/युद्धविराम रेखा के पार से गोली चलाए जाने की 24 घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं के फलस्वरूप कोई हताहत नहीं हुआ था।

(ग) सीमा/युद्धविराम रेखा पर हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा सतर्कता जारी है। जहां आवश्यक हुआ अपने सुरक्षा उपायों की मदद के लिए उचित कार्यवाही भी की गई है।

भारत द्वारा नेपाल को हथियारों की सप्लाई

2479. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं के लिए भारत से हथियारों की सप्लाई के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) नेपाल की ओर से अब तक ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलपक्कम अणुशक्ति परियोजना की असंतोषजनक प्रगति

2480. श्री क०प्र० सिंह देव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलपक्कम अणुशक्ति परियोजना की प्रगति असंतोषजनक है और परियोजना को पूरा करने का कार्य निर्धारित समय से एक वर्ष पीछे चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी):

(क) तथा (ख). यद्यपि परियोजना की पूरी होने की पूर्व निर्धारित अवधि में एक वर्ष की देरी सम्भव है, तथापि, भारतीय उत्पादन क्षमता की गति को ध्यान में रखते हुए, प्रगति को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता। आत्म-निर्भरता के उद्देश्य से, परियोजना के लिए आवश्यक परम्परागत किस्म की सामग्री एवं नामिकीय उपकरणों, दोनों ही में देशी सामान का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वास्तव में, बहुत सी सामग्री तो ऐसी है जिसका निर्माण एवं उत्पादन देश में पहली बार किया जा रहा है। इस कारण, सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले बहुत से उद्योगों, संगठनों तथा अभिकरणों के सफलतापूर्वक तथा निश्चित समय में कार्य करने की क्षमता पर ही इस परियोजना की प्रगति भी स्वभावतः निर्भर करती है।

दारस्सलाम में गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन

2481. श्री क०प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 में दारस्सलाम में होने वाले गुट-निरपेक्ष देशों के प्रारम्भिक सम्मेलन में भाग नहीं लेने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में अन्य गुट-निरपेक्ष देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध उपकरण कारखाने को कलकत्ता से कानपुर ले जाया जाना

2482. श्री स०मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध उपकरण कारखाने को कलकत्ता से कानपुर स्थानान्तरित करने के बारे में अब तक निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी कर्मचारी इस स्थानान्तरण का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। तदापि, डी०जी०ओ०एफ० मुख्यालयों के कर्मचारी संघों ने स्थानान्तर के प्रति विरोध प्रकट किया है।

(घ) ओ०ई०एफ० मुख्यालयों को कानपुर में तबदील करने का निर्णय प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया है। इसलिए पहले लिये गए निर्णय में परिवर्तन करना प्रस्तावित नहीं, बल्कि उसे लागू करना।

अमरीकी प्रतिनिधियों के साथ राज्य व्यापार निगम की सावंधिक बैठकें

2483. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अमरीका के निर्माताओं तथा निर्यातकर्त्ताओं द्वारा भारत में छः सप्ताह में एक बार बैठक करने सम्बन्धी योजना का सूत्रपात किया है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन बैठकों पर होने वाले व्यय को कौन सहन करेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Programme incorporated in Fourth Plan for meeting Basic Needs of Masses

2484. Shri Jageshwar Yadav : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the phased programme undertaken by Government so far, for meeting the five basic needs i.e. food, clothes, housing, education and medical aid ; and

(b) the programmes especially incorporated in the Fourth Five Year Plan for meeting the said needs ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b). Through a succession of Five Year Plans beginning 1950-51 a process of development has been taking place which has been progressively raising the general standard of living of the people. The process is being continued in the Fourth Plan period. The Fourth Five Year Plan as revised by the Planning Commission will be considered by the National Development Council at its forthcoming meeting. The finalised document on the Fourth Five Year Plan will thereafter be laid on the Table of the House.

रूस द्वारा भारत को हथियारों की सप्लाई संबंधी जानकारी

2485. श्री मधु लिमये : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' की एक रिपोर्ट तथा कुलदीप नायर की पुस्तक "बीटवीन दि लाइन्स" के वक्तव्य तथा अन्य पत्रों में छरे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि रूसी लोग भारत में उचित सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण नाराज हैं जिसके परिणामस्वरूप रूस द्वारा भारत को सप्लाई किये जाने वाले हथियारों के समाचार का भेद अखबार वालों को खुल जाता है जबकि पाकिस्तान को दी जाने वाली ऐसी ही हथियारों की सप्लाई का समाचार उस देश में एक सुरक्षित रहस्य के रूप में रहता है; और

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप की सत्यता अथवा असत्यता की जांच कराई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख). सरकार का ध्यान कुलदीप नायर की पुस्तक "बीटवीन दि लाइन्स" में इस विवरण और भारत को यू०एस०एस० आर० द्वारा रक्षा सप्लाई के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है । यह सुझाव कि यू०एस०एस०आर० अधिकरणों ने सरकारी सुरक्षा प्रबन्धों के अभाव पर रोष प्रकट किया है, सच नहीं है । परन्तु उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्धों में दृढ़ता की आवश्यकता सरकार के लिए निरन्तर चिन्ता रही है ।

गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक

2486. श्री मधु लिमये :

श्री म० ला० सौधी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या गुट-निरपेक्ष देशों की निकट भविष्य में एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है;
- (ख) यह बैठक कहाँ होगी और इसकी कार्य सूची क्या है;
- (ग) क्या इस सम्मेलन में भाग लेने वालों के सम्बन्ध में चर्चा की गई है;
- (घ) क्या यह सच है कि भारतीय राजनीति की हार हुई है क्योंकि संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया पाकिस्तान को इस बैठक में आमन्त्रित करने के बारे में हाल में सहमत हो गए हैं जब कि वह "सीटो" तथा "सैन्टो" सैनिक गुटों का सदस्य है; और

(ङ) भाग लेने वालों के नामों के सम्बन्ध में भारत की स्थिति क्या है तथा किन सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रश्न का निर्णय किया जाना चाहिए ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). अप्रैल, 1970 में दारेस्सलाम में गुटमुक्त राष्ट्रों का प्रारम्भिक सम्मेलन होगा जिसमें भावी शिखर सम्मेलन के स्थान, समय, कार्य सूची और अन्य प्रश्नों के बारे में विचार-विमर्श किया जायेगा।

(ग) दारेस्सलाम की बैठक में सिर्फ वे ही देश भाग ले सकेंगे जिन्होंने 1964 में काहिरा सम्मेलन में भाग लिया था, या वे देश जो उसके बाद आजाद हुए हैं और गुटमुक्त देशों की बैठकों में सम्मिलित होने की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

(घ) जी नहीं। पाकिस्तान को बुलाने पर न तो संयुक्त अरब गणराज्य ही राजी हुआ है और न यूगोस्लाविया ही। यूगोस्लाविया ने हाल ही में गुटमुक्त देशों की बैठक में हिस्सा लेने की वर्तमान कसौटी की वैधता की पुष्टि की है जिसमें बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच हुई सैनिक संधियों के सदस्य नहीं आते।

(ङ) भारत सरकार का यह विश्वास है कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने की कसौटी वही होनी चाहिए जिसकी पुष्टि पहले के शिखर सम्मेलनों में की गई थी। इस कसौटी के अनुसार वे देश इसमें शामिल नहीं हो सकते जो महान् राष्ट्र संघर्षों के संदर्भ में सम्पन्न बहुपक्षीय सैनिक संधियों के सदस्य हैं।

मनीपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे का त्रुटिपूर्ण निर्माण

2487. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मनीपुर में तुलीहाल पर बन रहे हवाई अड्डे में त्रुटियाँ पाई गई हैं; और
- (ख) यदि हाँ, तो त्रुटियाँ किस प्रकार की हैं।

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख). जी नहीं। कुछ दराड़ों की मरम्मत की जा रही है जोकि उसमें तापमान में अन्तर के कारण आ गए थे।

गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा पुनर्गठन समिति की सिफारिशें

2488. श्री सीताराम केसरी: क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कपड़ा उत्पादन पर लगे आंशिक नियन्त्रण को हटाने के बारे में गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त की गई कपड़ा पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और
- (ख) यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी हाँ।

(ख) मिल निर्मित वस्त्रों के मूल्यों और उत्पादन पर आंशिक नियन्त्रण की योजना में कोई परिवर्तन न करने का विनिश्चय किया गया है।

अणुशक्ति के बारे में जनवरी, 1970 में बम्बई में हुई गोष्ठी

2489. श्री सीताराम केसरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 में अणुशक्ति के बारे में बम्बई में एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस गोष्ठी में दिए गए सुझावों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हां, ।

(ख) तथा (ग). ऐसे सुझावों को, जो भारतीय वातावरण के अनुकूल हैं, हम परमाणु बिजली सम्बन्धी अपना कार्यक्रम निर्धारित करते समय ध्यान में रखते हैं ।

ब्रिटेन में भारतीयों के विरुद्ध जातीय भेद-भाव

2490. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्रीमती सावित्री श्याम :

डा० सुशीला नैयर :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों में जातीय भेद-भाव के कारण भारतीयों द्वारा उठायी गई कठिनाइयों के बारे में भारतीय उच्चायुक्त के माध्यम से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जातीय भेदभाव के मामलों की सूचना जाति संबंध बोर्ड को दी जानी चाहिए, जिसकी स्थापना जाति सम्बन्ध अधिनियम 1968 के अन्तर्गत यू० के० द्वारा की गई थी । यू० के० स्थित भारतीय उच्चायोग की सामान्य सहायता भारतीय राष्ट्रियों के लिए हमेशा उपलब्ध है और वह सही कार्यविधियों के सम्बन्ध में और जातीय भेदभाव से उत्पन्न कठिनाइयों को सम्भव सीमा तक दूर करने में सलाह देता है ।

(ख) भारत सरकार के विचार सुविदित हैं कि वह जातीय भेदभाव के सभी रूपों का कट्टर विरोधी है ।

एच०एफ० 24 विमान में लगाने के लिए रूसी इंजन का विकास

2491. श्री विरेन्द्रकुमार शाह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में रूस के पुराने इंजन के विकास के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि उसे एच०एफ० 28 विमान में लगाया जा सके और उसकी क्षमता मैच -2 के समान की जा सके ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कार्यवाही एच०एफ० 24 का डिजाइन तैयार करने वाले हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स से भूतभूव प्रबन्धक, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स के मुख्य डिजाइनर तथा महा प्रबन्धक तथा तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (ए० आई० आर०) की सलाह के विरुद्ध की गई है ; और

(ग) क्या वह उन कारणों सहित जिनसे सरकार ने इन व्यक्तियों की सलाह नहीं मानी है, उक्त प्रस्ताव के बारे में इन व्यक्तियों द्वारा दी गई सलाह का पाठ सभा-मटल पर रखेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

तदपि यह कहा जा सकता है कि एच०एफ० 24 में लगाने के लिए एक रूसी इंजन के विकास के लिए 1962 में एक करारनामे पर हस्ताक्षर किये गए थे, परन्तु बाद में इस प्रायोजना को त्याग दिया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा यह विस्तृत निरीक्षण का विषय था, और (तीसरी लोक सभा की) उनकी (1966-67)की 70वीं रिपोर्ट और (1968-69)की 30वीं रिपोर्ट द्वारा आवर्त है।

Export of Cashewnuts

2492. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of Cashewnuts both in quantity and value has been very very low during the year 1969-70 to date in comparison with the last year ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken to promote the export of cashewnuts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) As per provisional estimates, exports of cashewnut during April 1969-January 1970 were to the extent of 49,893 tonnes valued at Rs. 46.87 crores as against 55,283 tonnes valued at Rs. 53.15 crores during the corresponding period in 1968-69.

(b) (i) Stockpiling of cashewnuts by USA in 1968 in anticipation of the strike by port workers in East Coast, which took place during December, 1968 to February, 1969, resulting in reduced off-take in 1969. (ii) Strike in August, 1969 by port workers in Cochin, the most important port for importing raw cashewnuts. (iii) Reduced imports of raw cashewnuts due to the change in credit terms stipulated by banks for import of raw nuts into India.

(c) In view of the recent agreement reached by the Trade regarding import of raw cashewnuts from East Africa, banks in India have reverted to the earlier terms of payment with due safeguards for quality.

Besides the export promotion measures currently undertaken, the following steps have been taken :—

(i) Import of stainless steel sheets will be allowed to manufacturers of cashew kernels for modernising their factories.

(ii) Import of kraft liners is allowed for registered exporters.

(iii) Schemes for substantial increase in cashew production in the Fourth Five Year Plan are under consideration.

Impact of rise in Price of Steel on Export of Engineering Goods

2493. Shri Raghuvir Singh Shastri :

Shri S. R. Damani :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the impact of price rise of steel on the target fixed for exporting engineering goods during 1969-70 ;

(b) the value of engineering goods exported so far ; and

(c) in case the export has been below the target fixed, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) There is no appreciable impact of the rise in prices of steel, on exports of engineering goods, as even after the rise in prices the domestic prices of steel are either at par with or lower than international prices.

(b) and (c). Exports of engineering goods during April 1969 to January 1970 amounted to about Rs. 81 crores as against Rs. 70.00 crores during the corresponding period of last year. It is estimated that during the full year, exports of engineering goods would be of the order of Rs. 105 crores as against the revised target of Rs. 100 crores.

Impact of Britain's Entry into E.C.M. on India's Trade

2494. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that four countries including Britain are likely to become the members of the European Common Market in the near future ; and
(b) if so, the manner in which it is likely to have an impact on the trade interests of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Applications for membership of the European Economic Community have been made by the U.K., Ireland, Norway and Denmark. The EEC have not yet opened negotiations with any of these countries on the conditions of entry.

- (b) Does not arise, since the conditions of entry are not known at the present stage.

Transfer of Officers working against posts carrying extra gains

2495. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

- (a) the category-wise number of officers who have been working on the posts carrying extra gains continuously for 3 years in the various department and attached offices under his Ministry ; and
(b) the reasons for which they have not been transferred to other places in accordance with the provisions contained in the Home Ministry's D.O. letter No. 11/3/57-O & M dated the 6th September, 1957 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) The number of officers who are drawing special pay in the Ministry and its attached offices for three years or more is as indicated below :

	<i>Post carrying special Pay</i>
Assistants & Noting Hands	3

- (b) These officers have been allowed to hold the post beyond three years in "public interest" and with a view to avoid dislocation of work.

निकोबार द्वीप समूह में एक निर्बाध व्यापार पतन की स्थापना

2496. **श्री एस०आर० दामानी:** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या हांगकांग स्थित भारतीय व्यापारी वर्ग ने हांगकांग के नमूने पर निकोबार द्वीप-समूह में एक निर्बाध व्यापार पतन बनाने के लिए सरकार को सुझाव दिया है; और
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

- (ख) सरकार का, निकोबार द्वीप समूह में एक निर्बाध व्यापार पतन बनाने का विचार नहीं है ।

इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए इस्पात की आवश्यकता

2497. **श्री एस०आर० दामानी:** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष में इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए इस्पात की आवश्यकता के बारे में इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय को पूर्व सूचना दे दी थी और यदि हां, तो यह सूचना कब दी गई थी ।

- (ख) ऐसे मामलों में आवश्यकता का समय पर पुनर्निर्माण न लगाने और उस मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य के लिए कोई तरीका निकाला गया है और इस्पात नष्ट करने वाले के साथ कोई समझौता हो गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। 1969-70 के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात हेतु लोहा तथा इस्पात की आवश्यकताओं की सूचना मई, 1969 में इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय को दी गई थी।

(ख) यह सत्य नहीं है कि उचित समय पर समन्वय नहीं किया गया। विश्व भर में इस्पात की एक अभूतपूर्व कमी रही है और स्वदेशी उत्पादन में भी गिरावट रही है ;

(ग) भावी उत्पादन पद्धति इस्पात मंत्रालय के विचाराधीन है।

चीनी हथियारों तथा हिदायत पुस्तिका सहित नागाओं की गिरफ्तारी

2498. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में प्रशिक्षण के बाद चीन से वापस आते समय चीनी हथियारों तथा हिदायत पुस्तिका सहित बहुत से विद्रोही नागा पकड़ गए हैं ;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या उन पर देशद्रोह के लिए मुकदमा चलाया जाएगा ?

प्रतिरक्षा, इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ शेख अब्दुल्ला की मुलाकात

2499. श्री मयावन :

श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान उच्चायुक्त ने 3 जनवरी, 1970 को नई दिल्ली में शेख अब्दुल्ला के साथ एक लम्बी मुलाकात की थी ; यदि हां, तो इस मुलाकात का मुख्य प्रयोजन क्या था ;

(ख) क्या पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने इस मुलाकात के लिए सरकार से अनुमति ली थी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो सरकार के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़का रहा है ऐसी मुलाकात वांछनीय है ; और

(घ) क्या इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी मुलाकात की अनुमति है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। पाकिस्तान हाई कमिशन द्वारा जारी की गई एक प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार, इस मुलाकात का उद्देश्य शेख अब्दुल्ला के स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ करना था।

(ख) से (घ). तक : विदेशी राजनयज्ञों के भारतीय नागरिकों से मिलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन उनसे यह प्रत्याशा की जाती है कि वे इस बारे में आवश्यक विचार-विवेक से काम लेंगे।

हंगरी के साथ व्यापार करार

2500. श्री मयावन : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और हंगरी ने 1970 के लिए एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत हंगरी से किन प्रमुख वस्तुओं का आयात करेगा ; और

(ग) भारत हंगरी को किन वस्तुओं का निर्यात करेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत सरकार तथा हंगरी की जनवादी गणराज्य सरकार के बीच 14 जनवरी, 1970 को 1970 के लिए व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) भारत, हंगरी से ये प्रमुख मर्दे आयात करता है: इस्पात तथा इस्पात उत्पाद, ट्रैक्टर, पहियों के टायर तथा रोलिंग स्टाक की धुरियां, पहियों के सम्पूर्ण सेट, एयर ब्रेक तथा रेल-डिब्बों के संयोजन के लिए सह-साधन, डम्पर तथा डम्पर संघटक, रासायनिक पदार्थ, औषधियां, तथा औषध और भेषजों के मध्यवर्ती पदार्थ, शिक्षण संस्थाओं और साथ ही अन्य उद्योगों के लिए प्रयोगशाला के और परीक्षण के उपकरण, दूर-संचार तथा सम्बद्ध उद्योगों के लिए उपकरण, मुद्रण मशीनें तथा अन्य उपकरण और सहयोग वाली परियोजनाओं के लिए मशीनें ।

(ग) भारत जिन मुख्य मर्दों का हंगरी को निर्यात करेगा, वे ये हैं:—रेल-डिब्बे, एस्बेस्टोस कंकरीट के उत्पाद, तार के रस्से, मोटर-गाड़ी के अनुषंगी साधन, इस्पात ट्यूब तथा फिटिंग, वस्त्र मिल मशीनें, मशीनी औजार, रसायन तथा औषधीय उत्पाद, जूते, अंगराग तथा श्रृंगार प्रसाधन, प्रबलित कंक्रीट की छड़ें आदि । ये वस्तुएं तेल रहित खली, पटसन से निर्मित वस्तुओं, कमाई हुई खालों तथा चमड़ा, सूती वस्त्र और लौहे अयस्क जैसी परम्परागत मर्दों के अतिरिक्त हैं ।

Indo-Pak War-seizure and Disposal of Properties

2501. Shri Janeshwar Misra :

Shri Himatsingka :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan is selling the Indian property impounded by her during the Indo-Pak conflict in 1965 ;

(b) if so, the steps being taken by Government to get the said property back ;

(c) whether Government consider the said step of Pakistan against international law and the spirit of Tashkent Agreement ;

(d) if so, whether Government propose to put pressure on Russia for the restoration of the said property to India ; and

(e) the value of the said property ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) We have been pressing the Government of Pakistan to discuss the question of the return of properties as envisaged in the Tashkent Declaration. We have also made it clear to the Government of Pakistan that we shall not recognize any title to these Indian properties which are being disposed of in contravention of international law and bilateral agreement.

(c) Yes, Sir.

(d) We are of the view that this question should be settled bilaterally. Friendly countries including the USSR have been kept informed of Pakistan's intransigent attitude.

(e) About Rs. 109 crores.

हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र रखना

2502. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

श्री हिम्मतसिंह का :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र रखने सम्बन्धी भारत सरकार के प्रयास सफल हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत के प्रयासों के बारे में विभिन्न परमाणु देशों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हिन्द महासागर क्षेत्र के बारे में भारत सरकार यह चाहती है कि यह क्षेत्र शांति और सहयोग का क्षेत्र हो, जिस में किसी भी राष्ट्र का हस्तक्षेप अथवा आधिपत्य न हो; और यही बात 1 मई 1969 को लोक सभा में विदेश मंत्री ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कही थी। सरकार ने हिन्द महासागर के क्षेत्र को नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त क्षेत्र रखने के महत्व पर भी बल दिया है।

(ख) कई सरकारों ने भारत सरकार के विचारों पर गौर किया है जिनमें उन देशों की सरकारें भी शामिल हैं जिनके पास नाभिकीय अस्त्र हैं।

देहातों में बिजली लगाने के कार्य की प्रगति के संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच विषमताएं

2503. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देहातों में बिजली लगाने के कार्य की प्रगति के बारे में सम्बन्धित राज्यों के बीच काफी विषमताएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आसाम और उड़ीसा जैसे राज्यों को, अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए सहायता देने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित किया गया है। निगम को यह आदेश दिये गए हैं कि ये आर्थिक रूप से उन पिछड़े इलाकों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के सम्बन्ध में पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त को खत्म कर दे जहां भविष्य में कृषि संभाव्यता हो सकती है।

विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के सिद्धान्त

2504. श्री म० ला० सोंधी : क्या वैदेशिक कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में नए सूचना अथवा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के मूल सिद्धान्त क्या हैं ;

(ख) क्या इन केन्द्रों के कार्यकरण की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) (ख) और (ग). विदेश मंत्रालय ने सांस्कृतिक केन्द्रों की कार्यप्रणाली की जांच की है और विदेशी मिशनों के सूचना एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के अवस्थापन के सम्बन्ध में, सरकार का निर्णय, 26-2-1970 को सदन में इस विषय पर रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में, बतला दिया गया है।

विदेशों में भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए प्रकाशन

2506. श्री न० रा० देवधरे: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार कुछ प्रकाशन जारी करती है ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रकाशनों के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन देशों में जारी किया जाता है; और

(ग) इन प्रकाशनों में से प्रत्येक का अनुमानित परिचालन कितना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : हम भारत में और विदेशों में भी बहुत-से प्रकाशन निकलाते हैं, इनके बारे में विस्तृत सूचना इक्वटी की जा रही है ।

नयाचार (प्रोटोकॉल) अधिकारियों की भर्ती

2507. श्री राम सिंह अग्रवाल: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नयाचार अधिकारियों के दो पदों के लिए चयन किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पदों के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा सहित विभिन्न भागों में काम कर रहे अपेक्षित अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र मांगे गए थे ।

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के आवेदन पत्र देने वाले पर्याप्त अनुभव प्राप्त अधिकारियों को इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो किस कसौटी के आधार पर चयन किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हाल ही में विदेशी व्यापार मंत्रालय में तदर्थ आधार पर नयाचार अधिकारी के एक पद (न कि दो पदों) के लिए चयन किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) : पद के लिए अपेक्षाओं, प्रश्नाधीन अधिकारियों के अनुभव और चरित्र पुस्तिकाओं पर विचार कर के, कुल 25 प्रत्याशियों में से 5 को प्रवरण समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । ये अधिकारी विदेशी व्यापार, गृह तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालयों से थे । हां, इन में से कोई भी केन्द्रीय सूचना सेवा से नहीं था ।

**Request for Financial Assistance for Reducing Electricity Rates by
Madhya Pradesh**

2508. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government for financial assistance so that the State Government may be able to reduce the rates of electricity to be used for irrigation purposes ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) No Sir.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में बिजली की कमी

2509. श्री गं० च० दीक्षित: क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में बिजली की कमी है जिसके कारण कृषि और औद्योगिक कार्यों में बाधा पड़ रही है और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान उद्योगों और स्थापित किये जा रहे उद्योगों को अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मध्य प्रदेश में बिजली की कमी दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) इस समय मध्य प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटेन की नौसेना का हटाया जाना

2510. श्रीमती शारदा मुकर्जी: क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ब्रिटेन के एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 1971 में दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटेन की नौसेना हटा लिए जाने के बाद भी आवश्यकता होने पर वह कहीं भी जाने के लिए उपलब्ध रहेगी;

(ख) क्या इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की सेना को हटाये जाने का कार्य वास्तव में पूरा नहीं होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस नयी व्यवस्था का इस क्षेत्र विशेषकर भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). इस आशय की खबरें सरकार ने अखबारों में देखी है लेकिन जहां तक उसे मालूम है, इस बारे में ब्रिटेन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) हिन्द महासागर की सुरक्षा के विषय में भारत सरकार के विचार सर्वविदित हैं। हमारा मत यही है कि हिन्द महासागर शांति और सहयोग का क्षेत्र होना चाहिए जिस पर न किसी राष्ट्र का आधिपत्य हो और न किसी का हस्तक्षेप।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गंधक का आयात

2511. श्रीमती शारदा मुकर्जी: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पांच मुख्य वस्तुओं को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने का निर्णय किया है और गंधक उन में से एक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गंधक को इस श्रेणी में शामिल किये जाने के क्या कारण है जब कि सरकारी उद्योगों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में गंधक के आयात सम्बन्धी घोटाले पर प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ग) क्या उक्त समिति द्वारा की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस वस्तु को राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण से हटाने और यदि बिलकुल आवश्यक समझा जाता है तो उसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सौंपने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) से (ग). सरकार की नीति देश के आयात और निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अभिकरणों का योगदान उत्तरोत्तर बढ़ाने की है। इस नीति के अनुसार, हाप्स, अमोनियम नाइट्रेट-तकनीकी ग्रेड, क्रेसिलिक एसिड, सल्फर तथा टिटैनियम डाइक्साइड का आयात दिसम्बर, 1969 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है। परन्तु गन्धक का आयात 1 जनवरी, 1970 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है।

चाय के कारखाने की स्थापना

2512. श्री हेम राज: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री 26 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधुनिक किस्म का चाय कारखाना स्थापित करने के बारे में व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और सरकार ने उस पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) तथा (ख). चाय बोर्ड ने कारखाने की व्यवहार्यता के विषय में एक रिपोर्ट तैयार कर के हिमाचल प्रदेश की सरकार को भेज दी है उस सरकार से उनके विचार तथा उनकी प्रस्थापना प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

Schools under Cantonment Boards

2513. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of Defence be pleased to state :

- (a) the total number of Cantonment Boards in the country ;
- (b) whether it is a fact that all the Cantonment Boards do not have their own Schools ;
- (c) if so, the names of those Cantonment Boards ; and whether Government have formulated any scheme to start High Schools or to upgrade the Middle Schools under the Cantonment Boards ;
- (d) if so, the details thereof ; and
- (e) whether Government propose to upgrade the Turtatoli Middle School functioning under the Danapur Cantonment Board to a High School and if so, since when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M.R. Krishna): (a) to (d). There are 62 Cantonment Boards. All except the following 14 are maintaining their own schools :—

Ajmer	Kasauli
Aurangabad	Landour
Almora	Morar
Badamibagh	Nasirabad
Cannanore	Secunderabad
Dagshai	Sabatthu
Jammu	Nainital

No scheme has been formulated by Government to upgrade the Middle Schools or start the High Schools under the Cantonment Boards. Any proposal received from a Cantonment Board and requiring Government approval is examined on merits.

(e) No such proposal of the Cantonment Board for upgrading the Turtatoli Middle School to High School has been received by Government.

**दानापुर छावनी के क्वार्टरों के निवासियों द्वारा अपने क्वार्टरों में परिवर्तन करने के लिए
मांगी गई अनुमति**

2514. श्री रामावतार शास्त्री: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छावनी अधिनियम, 1924 के अन्तर्गत छावनी बोर्डों के क्वार्टरों के निवासियों को अपने क्वार्टरों में परिवर्द्धन/परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दानापुर छावनी के अन्तर्गत क्वार्टरों के कुछ निवासियों ने अपने क्वार्टरों में परिवर्द्धन/परिवर्तन करने के लिए बोर्ड की अनुमति मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को इसके लिए अनुमति दी गई है और कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अब भी बोर्ड के विचाराधीन है; और

(घ) उस पर अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) छावनी सीमाओं में भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण छावनी आय के उपबन्धों द्वारा नियमित है।

(ख) तथा (ग). सूचना इक्ठ्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Survey of Pun Pun Irrigation Project of Bihar

2515. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first Samyukta Vidhyak Dal Government of Bihar had conducted a survey about Pun Pun river irrigation project ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that Government propose to include it in the Fourth Five Year Plan; and

(d) if so, whether Government propose to provide financial assistance therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad)

(a) to (d). The Project report and estimates for the Pun Pun Scheme have not yet been received from the Government of Bihar, who have further reported that it is not proposed to undertake the scheme during the Fourth Plan.

देश में नहरों द्वारा सिंची जाने वाली भूमि

2516. श्री महाराज सिंह भारती: क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे देश में कुल कितनी भूमि में नहरों द्वारा सिंचाई होती है तथा उक्त भूमि में से कितनी भूमि ऐसी है जिसमें गेहूं तथा धान की खेती के लिए नहरों का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में 1966-67 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 274.8 लाख हेक्टेयर था जिसमें से 102.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सरकारी नहरों से सिंचित था। कुल 133 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की और 61.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल की सिंचाई की गई। बृहत, मध्यम और लघु स्कीमों के अन्तर्गत इन फसलों की सिंचाई का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

धान के क्षेत्रों की सिंचाई करने वाली बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में, सिंचाई खरीफ ऋतु में होती है जबकि नदियों में काफी मात्रा में पानी उपलब्ध होता है और फसल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है संचय कार्यों से सिंचित क्षेत्रों को भी, पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है जैसा कि परियोजना रिपोर्टों में आयोजित होता है। व्ययवर्तन स्कीमों द्वारा

सिंचित गेहूं के क्षेत्रों में कुछ कमियां हैं। पम्प सैटों आदि जैसे लघु सिंचाई कार्यों द्वारा नहर के पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

Development of Tarapore Atomic Energy Station

2517. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether further development of the Tarapore Atomic Energy Station is possible in future ; and

(b) if not, the steps proposed to be taken by Government to reduce the production cost of the atomic energy ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The cost of production of power from the Tarapur Station is already competitive with other thermal sources of electricity in the region. Measures to reduce the production cost are constantly under review.

Letter written by M.P. to Minister of Defence regarding

Pay Scales of Meter Readers

2518. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether any Member of Parliament had written a letter on 27th January, 1970 to him and to the Prime Minister in connection with the pay scales of Meter Readers ; and

(b) if so, their main demands and the action being taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M.R. Krishna) : (a) A letter to the Prime Minister by the hon'ble Member, a copy of which was endorsed to the Defence Minister and the Engineer-in-Chief's Branch, was received on the 29th January 1970.

(b) Their main demands and the action taken by Government thereon are as under :—

Demand	Action taken by Government
I. The existing pay scale of Meter Readers in the MES, namely, Rs. 105-3-135-EB-4-155 should be replaced by the following two scales : (i) Meter Reader Grade—I Rs. 130-5-160-8-216. (ii) Meter Reader Grade II—Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180 (Pay scale of L.D.C.) The proportion of the number of posts in Grade I, Grade II should be 1 : 3.	A demand for revising the pay scale to bring it at par with that of LDC had been considered and not accepted. No new facts appear to have been brought forward to warrant revision of the pay scale.
II: Meter Readers in the Revenue Section of the MES where employed on barrack duties should be considered for promotion as Supervisor B/S Grade II in the same manner as persons in the Furniture Section and Stores Section of the MES who are now being considered for such promotions.	It is not feasible to place meter readers in the direct line of promotion to Supervisor B/S Grade II as their duties are different. Supervisors Grade II are drawn from the cadre of Storekeepers Grade I, a grade filled by promotion of Storekeepers Grade II after they pass a departmental examination. To make Meter Readers eligible for promotion, they have been placed in the line of promotion to Storekeeper, Grade II and are eligible in due course for appointment in Barrack and Stores Grade II.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में केन्द्रीय मंत्री का वक्तव्य

2519. श्री यशपाल सिंह :

श्री सु०कु० तापड़िया :

श्री बलराज मधोक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने नई दिल्ली में बिल्ड्स नेशनल फोरम द्वारा संगठित एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए 14 मुख्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अवैध घोषित किया जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ईमानदारी पर व्यंग किया था ;

(ख) यदि हां, तो वह उन विचारों से कहां तक सहमत है जिनके कई परिणाम निकल सकते हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) से (ग). यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

2520. श्री यशपाल सिंह: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रगति में बाधक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार टिप्पणी करना जनता को निष्पक्ष न्याय दिलाने में सहायक होगा; और

(ग) क्या वह इस टिप्पणी को वापिस लेने के लिए तैयार हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Russian Supply of Arms to Pakistan

2521. Shri Shiv Kumar Shastri :

Shri S.C. Samanta :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state

(a) whether it is a fact that Russia has supplied another big consignment of armaments to Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that the request and protest of India did not have any effect on them ; and

(c) if so, the quantity of armaments supplied and reaction of Government in view of the supply of armaments in spite of protests ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Attention is invited to the reply given by the Minister of Defence to Lok Sabha Starred Question No. 74 on 25.2.1970. Government have no information of further supplies of armaments by U.S.S.R. to Pakistan.

विद्रोही नागाओं का सैनिक प्रशिक्षण के लिय सीमा पार कर के पूर्वी पाकिस्तान जाना

2522. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आसाम के

कच्चार जिला से छोटी-छोटी टुकड़ियों में 75 विद्रोही नागाओं का एक गिरोह सैनिक प्रशिक्षण के लिए हाल ही में सीमा पार कर पूर्वी पाकिस्तान गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि विद्रोही नागाओं को प्रशिक्षण देने का अर्थ इस देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करना है और यह ताशकन्द समझौते के प्रतिकूल है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) सरकार इससे अवगत है कि कुछ छिपे नागाओं ने अपने कुछ व्यक्तियों को हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूर्व पाकिस्तान भेजने का हाल ही में प्रयास किया था। हमारी सुरक्षा सेना ने उनके इन प्रयासों को विफल कर दिया था किन्तु पिछले कुछ महीनों में, कुछ लोगों ने पूर्व पाकिस्तान जाने की व्यवस्था किसी प्रकार करली थी जैसा कि रक्षा मंत्री ने 25 फरवरी, 1970 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 556 के उत्तर में बताया था कि पूर्व पाकिस्तान स्थित उनके वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में सरकार जानती है जो चीनी अनुदेशकों के सहयोग से चलाए जा रहे हैं और वहां भारत से आए हुए छिपे नागाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख), से (घ). सरकार ने पाकिस्तान सरकार द्वारा छिपे नागाओं को दिए गए उनके इस प्रकार के सहयोग के विरुद्ध कई अवसरों पर प्रतिवाद किया है। पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया गया है कि उनकी ऐसी कार्रवाई हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है और ताशकन्द घोषणा की अवहेलना करती है। लेकिन, पाकिस्तान सरकार ने अपने इस प्रकार के लिए दिये गए सहयोगों को अस्वीकार किया है।

भारत सरकार पाकिस्तान सरकार पर इस बात के लिए सदा दबाव डालती रहेगी कि वे हमारे आन्तरिक मामलों के दखल न दें और अमैत्रीपूर्ण तथा विरोधी कार्रवाइयां न करें।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

2523. श्री देवकीनन्दन पटौदिया :

श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और ईरान के संयुक्त आयोग की एक बैठक 8 फरवरी, 1970 को हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में किये विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) संयुक्त भारत-ईरान आयोग की द्वितीय मंत्रालयी बैठक 14 और 15 फरवरी, 1970 को दिल्ली में हुई थी।

(ख) उपर्युक्त बैठक में जो निर्णय लिये गए थे, उनके अनुसार दोनों देशों के विशेषज्ञ, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक वाणिज्यिक विनिमय से सम्बद्ध विभिन्न प्रस्तावों की जांच करेंगे, जिनमें भारत द्वारा ईरानी अमोनिया, गंधक और फास्फोरिक एसिड का तथा ईरान द्वारा भारत में बनी चीजों जैसे रेल के डिब्बों और अन्य डिब्बों, मशीन एवं उपस्कर का क्रय-विक्रय करना, सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में सहयोग, मानकीकरण तथा औद्योगिक अनुसंधान आदि बातें भी शामिल हैं।

मलयेशिया के साथ व्यापार-वार्ता

2524. श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या वंदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुआलालम्पुर में भारत और मलेशिया के बीच व्यापार-वार्ता हुई थी;

(ख) क्या दोनों देशों ने संयुक्त उद्यमों सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला और इस वार्ता के फलस्वरूप भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वंदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का निदेश फरवरी, 1970 में भारत तथा मलयेशिया के बीच कुआलालम्पुर में हुए अधिकारी-स्तर के परामर्शों के द्वितीय दौर की ओर है। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की थी।

(ख) तथा (ग). संयुक्त उद्यमों के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई। तथापि दोनों पक्षों ने मलयेशिया में औद्योगिक संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए की गई कार्यवाही की प्रगति को सन्तोषजनक पाया। एक भारत-मलयेशिया संयुक्त उद्यम ने तो उत्पादन शुरू कर दिया है और कुछ अन्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

व्यापार के सम्बन्ध में, दोनों इस बात से सहमत थे कि इन दोनों देशों के बीच व्यापार करार को अन्तिम रूप देने के लिए यथाशीघ्र विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए भारत, के व्यापार पर इस बातचीत का कोई तत्कालीन प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

Trade with South-East Asian Countries

2526. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's Trade with South-East Asian Countries is not increasing because goods are not supplied in time ;

(b) whether Government have received some memoranda or complaints from the foreign countries in this regard ; and

(c) if so, the measures being taken by Government to improve the position ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) It is not quite clear which particular countries the Honourable Member has in mind. If the countries of the ECAFE region as a whole are taken, India's exports to these countries were to the value of Rs. 271.91 crores in 1967-68 which rose to the peak figure of Rs. 345.29 crores in 1968-69. During the current financial year also exports for the period April-November, 1969 were to the value of Rs. 235.39 crores as against Rs. 223.43 crores during the corresponding period of 1968. It will be seen therefore that India's exports to these countries are in fact increasing.

(b) & (c). Stray complaints, which may be in the nature of trade disputes, are occasionally received. Whenever such a complaint is received, it is immediately looked into in consultation with the concerned exporter and the Export Promotion Council etc., with a view to remedial measures being taken.

Construction of Office Building of Indian Embassies Abroad
and Residences for staff

2527. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a comprehensive scheme for construction of office building for the Indian Embassies and residences for Indian envoys abroad instead of paying rent therefor ?

(b) if so, whether the said scheme has been implemented in case of some countries ; and

(c) if so, the details thereof and amount thus saved by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :
(a) Guiding principles have been formulated for the purchase/construction of Chancery/Embassy buildings in countries abroad. These are the availability of funds and the proposal being economical to Government in the context of recurring rentals, essentiality, etc.

(b) Yes, Sir.

(c) Chancery buildings in 12 countries and Heads of Missions' residences in 26 countries, besides staff quarters for some officials in 11 countries are now owned by Government. Consequent on the acquisition of these buildings, there is considerable saving in Government expenditure on rentals which are constantly rising in all world capitals.

Prime Minister's Visit to South East Asia

2528. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister propose to visit some of the countries in South-East Asia after the Budget Session ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, whether any programme for the visit by the President and Vice-President of India to these countries is likely to be chalked out ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :
(a) to (c). Government are considering invitations for high level visits to the countries of South East Asia and will announce the details when they are finalised.

हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र बनाए रखने के लिए भारत तथा लंका में वार्ता

2529. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र रहित बनाये रखने के किसी प्रस्ताव पर भारत और श्रीलंका के बीच विचार विनिमय हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसे ऐसा क्षेत्र बनाये रखने के लिए जिन उपायों पर विचार किया गया, उनका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). श्रीलंका और भारत की सरकारों का विचार है कि हिन्द महासागर क्षेत्र को शान्ति का क्षेत्र बना रहना चाहिए । 1967 में, प्रधान मंत्री की श्रीलंका यात्रा के बाद जारी की गई एक विज्ञप्ति में इसका उल्लेख किया गया था और उसके बाद भी इस बात को दोहराया गया है ।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

2530. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटेन सलाहकार दल की फरवरी, 1970 में हुई बैठक में ब्रिटेन को कपड़े के निर्यात में हुई कमी पर चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रस्तावों पर विचार किया गया था और 1970 में निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुराने विमानों का विक्रय

2531. श्री अदिचन : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के पास बेकार तथा पुराने विमानों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन विमानों का नवीकरण/मरम्मत/विक्रय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और अपेक्षित पुर्जों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : जैसे आवश्यक हो फाल्तु पुर्जों के कुछ नाकारा विमान को तोड़ फोड़ दिया जाता है। कुछ नाकारा और पुराने विमान आई० ए० एफ० में प्रशिक्षण और अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। कुछ अन्य को परिचय प्रशिक्षण के लिए अन्य रक्षा संस्थानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे विमानों की जब आवश्यकता नहीं होती मुख्य निदेशक सप्लाइज तथा डिस्पोजल की मार्फत उनका निपटारा किया जाता है। आवश्यकताओं से फाल्तू नाकारा और पुराने विमानों का फाल्तू पुर्जों के आयात द्वारा नवीकरण और मरम्मत की जाती है।

राणाप्रताप सागर बांध बिजलीघर की क्षमता

2532. श्री बलराज मधोक : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राणाप्रताप सागर बांध बिजलीघर की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) इस बिजलीघर में बिजली का वस्तुतः कितना उत्पादन होता है; और

(ग) अधिष्ठापित क्षमता तथा बिजली के वास्तविक उत्पादन के बीच इस भारी अन्तर के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राणाप्रताप सागर बांध बिजलीघर की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 172 मैगावाट है। इस बिजली घर में 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 90 मैगावाट का बिजली उत्पादन अभिकल्पित है।

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान इस बिजलीघर से वास्तव में जितनी बिजली उत्पन्न हुई है वह नीचे दी गई है :—

अवधि					
मई,	1969	.	.	.	9.79 लाख यूनिट
जून,	1969	.	.	.	11.34 " "
जुलाई,	1969	.	.	.	20.58 " "
अगस्त,	1969	.	.	.	20.91 " "
सितम्बर,	1969	.	.	.	13.24 " "
अक्तूबर,	1969	.	.	.	17.63 " "
नवम्बर,	1969	.	.	.	16.17 " "
दिसम्बर,	1969	.	.	.	15.00 " "

(ग) बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अन्तर का वास्तविक कारण यह है कि बिजलीघर में बिजली के उत्पादन को, भार मांग, जलाशय में जल उपलब्धता और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के राज्यों की सिंचाई आवश्यकता, के अनुसार नियमित किया जाता है।

भेड़-बकरी की चर्बी, उर्वरकों तथा चमड़े का आयात

2534. श्री अब्दुल गनी दार: क्या वंदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि भेड़-बकरी की चर्बी, उर्वरकों तथा चमड़े का भारी मात्रा में आयात करने की अनुमति दी गई है जब कि ये वस्तुएं देश में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं और जिस कारण भारतीय व्यापारियों को भारी हानि उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वंदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक) : (क) तथा (ख). वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 (नवम्बर, 1969 तक) की अवधि में भेड़-बकरी की चर्बी, उर्वरकों तथा खालों और चमड़ियों के आयात दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। आयात की आज्ञा इसलिए दी गई है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है।

विवरण*

		प्रति यूनिट मात्रा (लाख रुपयों में मूल्य)							
क्रम संख्या	विवरण	मात्रा यूनिट	1967-68		1968-69		1969-70		
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	(नवम्बर, only तक)
1.	भेड़-बकरी आदि की चर्बी	टन	53358	771	14896	211	1327	18	
2.	उर्वरक :								
	(1) उर्वरक अपरिष्कृत हजार टन		613	969	847	1260	446	596	
				(981)					
	(2) उत्पादित उर्वरक तदैव		2578	14340	2774	13759	1097	5258	
				(13902)					
	जोड़-2		3191	15309	3621	15019	1543	5854	
				(14883)					
3.	खालें :								
	(1) कच्ची खालें	टन और संख्या	3887	129	4751	171	3422	123	
							+संख्या	230*	
	(2) कच्ची बालोंदार खालें	टन	11	1	17	3	38	1	
	जोड़-3		3898	130	4768	174	3460	124	
							+संख्या	230	

नोट : पुनरीक्षित जोड़ कोष्ठकों में दिया गया है।

*दो भिन्न यूनिटों में रिकार्ड की गई मात्रा के आंकड़े।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद

2535. श्री फ० गो० सेन : क्या बंदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक राज्य व्यापार निगम ने कितना पटसन खरीदा है ;

(ख) क्या यह सच है कि जब तक राज्य व्यापार निगम पटसन खरीदने के लिए बाजार में प्रविष्ट हुआ गैर सरकारी एजेंसियों ने अधिकांश पटसन खरीद लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो ऊंचे मूल्य का लाभ बिचौलियों और पटसन मिल मालिकों ने उठाया है ?

बंदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 4 मार्च, 1970 तक 93,832 क्विटल ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लौह-अयस्क का निर्यात

2536. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या बंदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में देश-वार कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया गया ; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

बंदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). वर्ष 1968-69 में विभिन्न देशों को निर्यात किये गए लौह अयस्क की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1968-69 में लौह अयस्क के देश-वार निर्यातों और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का व्यौरा

मात्रा : लाख मै०टन में

मूल्य : करोड़ रु० में

(अर्जित विदेशी मुद्रा)

देश	मात्रा	मूल्य
जापान	129.39	71.39
पूर्व यूरोप		
चैकोस्लोवाकिया	10.73	6.22
रूमानिया	7.41	4.61
पोलैंड	2.11	1.39
हंगरी	1.84	1.22
युगोस्लावाकिया	1.94	1.20
पूर्व जर्मनी	0.2	0.13
पश्चिम यूरोप		
बेल्जियम	3.32	1.49
पश्चिमी जर्मनी	1.64	1.81
अन्य	0.40	0.14
महा योग:	158.98	89.60

विभिन्न राजनयिक मिशनों से खरीदी गई कारों का विक्रय

2537. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राजनयिक मिशनों से कितनी कारें खरीदी गईं तथा बेची गईं;
- (ख) उनमें से कितनी कारें सरकारी कर्मचारियों तथा विभागों को स्टाफ कारों के रूप में उपयोग करने के लिए दी गईं, और

(ग) इन कारों को खरीदने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69, इन तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने कुल 1966 कारें खरीदीं और इन्हीं तीन वर्षों में निगम ने 2016 कारें बेचीं।

(ख) 219

(ग) 59.2 लाख रुपए।

ब्रिटेन की सहायता से पाकिस्तान द्वारा गिलगित पर कब्जा के बारे में ब्रिगेडियर घंसारा सिंह का बयान

2538. श्री मोहन स्वरूप :

श्री पी० विश्वम्भरण :

श्री लखन लाल कपूर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि गिलगित के भूतपूर्व गवर्नर ब्रिगेडियर घंसारा सिंह ने एक प्रेस बयान में कहा है कि ब्रिटेन सरकार ने गिलगित पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की सहायता की थी;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बयान की सत्यता का पता लगाया है; और
- (ग) उसका ब्यौरा क्या है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सरकार ने समाचार पत्रों की वह रिपोर्ट देखी है कि जिसमें उन परिस्थितियों का, जिनमें पाकिस्तान ने गिलगित पर अधिकार किया था, और इस सम्बन्ध में गिलगित स्काऊट्स के ब्रिटिश अफसरों के कृत्य का ब्रिगेडियर घंसारा सिंह का संस्करण दिया गया था।

(ख) तथा (ग). गिलगित पर पाकिस्तानी अधिकार सम्बन्धी घटनाओं के क्रम और विशेष-कर गिलगित स्काऊट्स के ब्रिटिश अफसरों के कृत्य का सरकार को ज्ञान है, परन्तु वह इस बात को तरजीह देगी कि ऐतिहासिक अनुभाग यथासमय इस घटना का विस्तृत विवरण अभिलेखन करे, जो इस विषय में सभी जानकारी को काम में लाएंगे।

केरल में बागान उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में केन्द्रीय सलाह

2539. श्री मोहन स्वरूप :

श्री पी० विश्वम्भरण :

श्री लखन लाल कपूर :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने केरल सरकार को सलाह दी है कि वह केरल में बागान उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कानूनी तौर पर सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी ऐसी सलाह मांगी थी :

(ग) यदि हां, तो किन उद्योगों के बारे में; और

(घ) यह सलाह किन राज्य सरकारों ने मांगी थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) केरल सरकार द्वारा, वागान उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के विषय में उसकी कानूनी सक्षमता के विषय में कोई राय नहीं मांगी गई है; और कोई राय दी भी नहीं गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सूती धागे की कीमत

2540. श्री न० रा० देवघरे : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 में हथकरघा बुनकरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न किस्मों के सूती धागे की कीमतें बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो हथकरघा बुनकरों के सहायतार्थ कीमतों को गिराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने, रूई के मूल्यों को समीचीन स्तर पर लाने के लिए रूई पर ऋण तथा भण्डार नियंत्रण सम्बन्धी समायोजन करने के अतिरिक्त, रूई तथा स्टेपल रेशे का उल्लेखनीय परिमाण में आयात करने की अनुमति दे दी है। आशा है कि इस से सूत के मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

2541. श्री न० रा० देवघरे : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार भारतीय चलचित्रों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) इन चलचित्रों का निर्यात किन देशों को किया गया था; और

(ग) चलचित्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-2808/70]

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने तथा विदेशों में भारतीय फिल्म सप्ताहों का आयोजन करने के अतिरिक्त मलेशिया तथा सिंगापुर में गहन निर्यात प्रयत्नों के लिए विख्यात उत्पादकों का एक संघ बनाया गया है। भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा एक उपशीर्षकांकन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। राज्य व्यापार निगम की विदेशी शाखाएं, अपने अपने क्षेत्रों में निर्यात के संवर्द्धन हेतु भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को स्थानीय सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इस उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छायाचित्रों तथा रंगीन चित्रों के आयात हेतु आयात प्रतिपूर्ति भी दी जाती है।

वर्तमान तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा दिल्ली में तथा इसके उपनगरों में खरीदी गई सम्पत्ति

2542. श्री नीतिराज सिंह चौधरी: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय मंत्री मंडल के वर्तमान तथा भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने दिल्ली, नई दिल्ली, गाजियाबाद अथवा इसके आस-पास अपने नाम में अपनी पत्नियों / पतियों के नाम में तथा अपने बच्चों अथवा माता-पिता के नाम में सम्पत्ति खरीदी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा खरीदी गई सम्पत्ति का ब्यौरा तथा वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) क्या इनको खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन थे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ये मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) से (घ). मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सैनिक स्कूल में विद्यार्थी का प्रतिवर्ष व्यय

2543. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष कितना धन व्यय करना पड़ता है ;

(ख) यह पब्लिक स्कूलों में होने वाले व्यय से कितना कम अथवा अधिक है;

(ग) क्या व्यय में थोड़ा अन्तर होने के कारण धनी माता-पिता अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजना श्रेयस्कर समझते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सैनिक स्कूलों को लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें किया जाने वाला खर्च घटाने का है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सैनिक स्कूल में प्रवेश पाने वाले लड़कों में से अधिकतम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति धारण करने वाले होते हैं बिना छात्रवृत्ति के लड़के 2000 रुपए वार्षिक शुल्क देते हैं। छात्रवृत्तिधारी और अछात्रवृत्तिधारी लड़कों को, जिनके माता पिता की मासिक आय 100 रुपए से अधिक होती है, पहले वर्ष वस्त्रों और जेब खर्च पर 400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और बाद के वर्षों में 250 रुपए वार्षिक। जिन लड़कों के माता पिता की मासिक आय 100 रुपए से कम है उन्हें वस्त्रों का और जेब खर्च अदा नहीं करना पड़ता।

(ब) अधिकतम राजकीय स्कूलों में फीस और खर्च सैनिक स्कूलों से अधिक हैं।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी तथा भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण देने हेतु स्कूलों से छात्र सैनिकों का चयन

2544. श्री नीतिराज सिंह चौधरी: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं को अधिकारियों के रूप में भर्ती करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के अभाव को बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार स्कूलों के छात्र सैनिक चुनने तथा उनको भारतीय प्रतिरक्षा अकादमी तथा भारतीय सैनिक अकादमी में भेजने से पहले प्रशिक्षण देने का विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो सैनिक अधिकारियों की कार्य कुशलता में कैसे सुधार लाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) एस०डी०ए० के लिए छात्रों का पूरा कोटा प्राप्त करना संभव हो गया है। तदपि, सीधे प्रविष्टि और तकनीकी स्नातकों के लिए अभिप्रेत रिक्त स्थानों के विरुद्ध आई०एम०ए० में प्रवेश के लिए कुछ कमी रही है। स्कूलों से छात्रों का चयन करने और उन्हें एस०डी०ए० और आई०एम०ए० में भेजने से पहले उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना विचार में नहीं है।

(ख) सैनिक स्कूलों और आर० आई० एम० सी० में शिक्षा सशस्त्र सेनाओं में वृत्तिक के लड़कों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अभिस्थापित की जाती है।

लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक के सैनिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

2545. श्री नीतिराज सिंह चौधरी: क्या प्रतिरक्षा मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक के सैनिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 48 वर्ष है;

(ख) क्या 1968 के अन्त तक ऐसे अधिकारियों के सेवा काल में सामान्य वृद्धि कर दी जाती थी ताकि वे 50 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकें;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1970 से सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा कर 50 वर्ष कर दिया गया है; और

(घ) 1969 में सेवानिवृत्त हुए सैनिक अधिकारियों के सेवा काल को न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 31-12-69 तक सेना में ले० कर्नल तक के पदों के अफसरों की सेवा से विमुक्ति की आयु नीचे दर्शाई गई है:—

(1) आर्मडकोर, आर्टिलरी रेजिमेंट, इंजीनियर कोर, सिग्नलकोर और इन्फैंट्री 48 वर्ष

(2) आर्मी सर्विसकोर, आर्मी आर्डिनेंसकोर, इलैक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल इंजीनियर कोर, इन्टेलिजेंस कोर और पायनीयर कोर 52 वर्ष

(3) जे०ए०जी० विभाग 52 वर्ष
विभाग के लिए पूर्णतः अर्हता प्राप्त अफसरों की दशा में 55 वर्ष

(4) ए०ई०सी० और फूड इन्सपेक्शन संगठन कोर 52 वर्ष
संगठन के लिए पूर्णतः अर्हता प्राप्त अफसरों की दशा में 55 वर्ष

(ख) तथा (ग). 1 जनवरी 1970 से चयन द्वारा नियुक्त ले० कर्नल पद के अफसरों की सेवा से विमुक्ति की आयु आर्मड कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट, इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर और इन्फैंट्री में बढ़ा कर 50 वर्ष कर दी गई है। उन अफसरों की हालत में कि जो मेजर हों या समयमान द्वारा उक्त कोरों/पक्षों में ले० कर्नल पद तक पहुंचे हों आयु में बढ़ावती मैरिट के अनुसार दी जाना जारी है।

(घ) सेवा से विमुक्ति की आयु में परिवर्तन करने वाले आदेशों को पिछली तिथियों से लागू नहीं किया जाता।

सैनिक स्कूलों तथा अन्य स्कूलों से भर्ती किए गए छात्र सैनिकों में अन्तर

2546. श्री नीतिराज सिंह चौधरी: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य स्कूलों की तुलना में सैनिक स्कूलों से भर्ती किये गए छात्र सैनिक अधिक अच्छे होते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सैनिक स्कूलों को कायम रखने का औचित्य क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जायेगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह). (क) से (ग). इस विषय पर कोई व्यापक निष्कर्ष संभव नहीं कि सैनिक स्कूलों से आए छात्र अन्य स्कूल से आए छात्रों की तुलना में अच्छे होते हैं।

कमीशन से पूर्व प्रशिक्षण के लिए एन०डी०ए० में प्रवेश के लिए पोषक संस्थानों के तौर पर उपयोगी होने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए कई राज्य सरकारें व्यग्र थीं। इस समय जम्मू तथा काश्मीर और नागालैण्ड को छोड़ कर प्रत्येक बृहत् राज्य में एक एक करके 15 सैनिक स्कूल हैं। 1970 में जम्मू तथा काश्मीर में एक सैनिक स्कूल खोलना प्रस्तावित है। शेष राज्यों के छात्रों को उनके पड़ोसी राज्यों के स्कूलों में प्रवेश की अनुमति है।

Import of Wine

2547. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the names of the countries from which various kinds of wine was imported during the last three years separately and the value thereof ;

(b) the state-wise data of its consumption in India ; and

(c) the policy of Government in regard to cut the import thereof and the steps being taken to implement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) A statement showing the names of the countries from which liquor (including wine, cider, beer, distilled alcoholic beverages) was imported during the last three years separately and the value thereof, is appended. [Placed in Library. See No. L.T. 2809/70].

(b) The information is not available.

(c) The policy for import of foreign liquor for commercial purposes is restrictive. The actual imports, however, include those for use by foreign Missions in India, tourist hotels, clubs, Governors and as gifts by individuals within specified value limits.

निर्बाध यात्रा के लिए भारतीयों को पारस्परिक आधार पर वीसा की सुविधाएं

2548. श्री बाल्मीकि चौधरी:

श्री अदिचन:

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्केन्डीनेविया के देशों की यात्रा के लिए भारतीयों को वीसा लेने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत द्वारा ऐसी ही व्यवस्था की गई अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या उन देशों के लोगों को भी वीसा के बिना भारत यात्रा की पारस्परिक आधार पर समान सुविधाएं दी जाती हैं और यदि हां, तो इस समय भारत में उन देशों के लोगों की संख्या कितनी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 3-12-1969 को लोक सभा के अतारंकित प्रश्न संख्या 2582 का जो उत्तर दिया गया था उसकी ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यूगोस्लाविया और अन्य कुछ देशों के साथ इसी प्रकार के प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में बातचीत अभी चल रही है।

(ग) जी हां, इन पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाकर कितने विदेशी भारत आए हैं, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस वर्ग के यात्रियों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास से एक भारतीय अधिकारी का गुम हो जाना

2549. श्री यशपाल सिंह:

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री:

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास के एक भारतीय अधिकारी का, जो काफी समय से लापता है अभी तक पता नहीं लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). ब्राजील स्थित हमारे मिशन से अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार, उस मिशन में निजी सहायक श्री बालक रामदीन 7 फरवरी, 1970 को पेरुवियन एयरलाइन्स उड़ान से बिना अनुमति लिए ही ब्राजील से मियामी चले गए थे ।

बाद में सूचना मिली कि वे मियामी से टोरोन्टो चले गए हैं । कनाडा स्थित हमारे मिशन द्वारा उन्हें भारत प्रत्यावर्तित करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

तमिलनाडु तथा मैसूर के बीच कावेरी जल विवाद

2550. श्री यशपाल सिंह: क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार कावेरी नदी जल के बारे में मैसूर के साथ अपने विवाद को हल करने का आग्रह कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) कावेरी प्रणाली पर अन्तर्राज्यीय विचार-विमर्श सरकारी स्तर पर 27 और 28 जनवरी, 1970 को हुआ था । केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने मैसूर और तमिलनाडू के मन्त्रियों के साथ और केरल के अधिकारियों के साथ 9 फरवरी, 1970 को विचार-विमर्श किया था । इस विचार-विमर्श की रोशनी में, बेसिन में नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दिये गए हैं ।

मिग कारखाना समूह

2551. श्री रणजीत सिंह :

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे मिग कारखाना समूह को पूरा करने के सम्बन्ध में पूर्व-घोषित तिथियां क्या हैं; और

(ख) मिग कारखाना समूह में इसकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन किस तारीख तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मिग समूह की स्थापना उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रावस्थित किया गया है। लोक सभा में 8 मार्च 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर में बताया गया था कि मिग विमानों का उत्पादन प्रावस्थाओं में आयोजित किया गया है और आशा थी कि पहली प्रावस्था 1966 में शुरू हो जायगी और पहली प्रावस्था के अन्दर विमान उत्पादन रेखा के लगभग 4 वर्षों में बाहर आने लगेंगे। यद्यपि 20 मार्च 1967 को कहा गया था कि पहली प्रावस्था 1966-67 में शुरू हो गई है, और अन्तिम प्रावस्था के अन्तर्गत विमान लगभग 3 वर्षों में अर्थात् 1969-70 में तैयार होने शुरू हो जायेंगे।

वर्तमान स्थिति यह है कि धातु द्रव्यों में विमानों का उत्पादन पहले से शुरू हो चुका है और वितरण कार्यक्रम के अनुसार 1970-71 में दिये जायेंगे।

(ख) उत्पादन कार्यक्रम वायुसेना की आवश्यकताएं जुटाने के लिए बनाया गया है। अधिक विस्तार देना लोकहित में न होगा, सिवाए इसके कि मिग उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है।

लैफ्टीनेंट जनरल एल०पी० सेन की "स्लेंडर वाज दी थ्रड" नामक पुस्तक

2552. श्री रणजीत सिंह: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लैफ्टीनेंट जनरल एल०पी०सेन की "स्लेंडर वाजदी थ्रड" नामक पुस्तक उनके मंत्रालय के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो कमान में जिन त्रुटियों का कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है क्या वे सही हैं;

(ग) क्या 1962 की पराजय ऐसी ही त्रुटियों के कारण हुई थी;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि ये त्रुटियां 1965 में भी विद्यमान थीं; और

(ङ) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि ऐसी त्रुटियां मुख्यतया सैनिक कमाण्डरों को चुनने की दोषपूर्ण पद्धति के कारण हुई हैं, और क्या सैनिक कमाण्डरों को चुनने के तरीके में गत 20 वर्षों में कोई परिवर्तन हुआ है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1947-48 की संक्रियाओं के लेखक के अपने वर्णन के विषय में सरकार की कोई टिप्पणी नहीं करना है। तदपि लेखक ने कहा है कि पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है अपने इतिहास में एक क्रान्तिक प्रावस्था का चित्रण करना कि जब तुलनात्मक तौर पर नितान्त वीर कुछ ही व्यक्तियों ने अडिग रहते अपना सर्व श्रेष्ठ कृत्य प्रस्तुत किया।

(ग) सदन को याद होगा नेफा में सैनिक संक्रियाओं के कृत्य पर हैण्डर्सन ब्रुक्स रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सरकार द्वारा उन्हें ठीक करने के लिए कार्यवाही रक्षा मन्त्री द्वारा 2 सितम्बर 1963 और 9 सितम्बर 1968 के वक्तव्यों में संक्षेपतः सदन के सामने रखे गए थे। उनके अतिरिक्त सरकार को और कुछ नहीं कहना।

(घ) जैसे कि सदन को ज्ञात है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अगस्त-सितम्बर 1965 की संक्रियाओं में अपना भव्य परिचय दिया था। तदपि सैनिक शिक्षाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न सैनिक संक्रियाओं का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है कि जिन में रक्षा सेनाओं को भाग लेने को कहा गया था।

(ङ) स्वतन्त्रता के फौरन ही बाद ले० कर्नल और उससे उच्च पद के अफसरों का चुनाव वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर किया जाता था। भारी संख्या में वरिष्ठ ब्रिटिश अफसरों के

चले जाने के कारण शायद कुछ एक ऐसे मामले हुए हों कि मानस्तरों पर जोर दिये बिना पदोन्नतियों की गई हों। तदर्थ 1959 के पश्चात् चाहे रिक्त स्थान की संख्या कितनी ही हों, किसी एक समय पर सभी कमीशन प्राप्त अफसरों का एक वर्ष विशेष में विचार करते हुए अफसरों का पदोन्नति के लिए निर्धारण किया जा रहा है, और उच्चतर पद के लिए योग्यता तथा उपयुक्तता का पूरा ध्यान रखा गया है।

18वीं पंजाब रेजीमेंट के राइफल कम्पनी कमांडरों के लिये लांगरियों की नियुक्ति

2553. श्री सूरज भान: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18वीं पंजाब रेजीमेंट ने, 1965 से 1967 तक की अवधि में, जब वह सीमा क्षेत्र में थी, अपनी सीमा चौकियों में लंगर चलाने के लिए चार राइफल कम्पनी कमांडरों के लिए चार अतिरिक्त लांगरी नियुक्त करने की अनुमति रिकार्ड आफिस से ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ये लांगरी वास्तव में ही नियुक्त किये गए थे, और उन्हें सम्बन्धित कम्पनी कमांडरों को दिया गया था;

(ग) क्या सम्बन्धित कमांडर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं अथवा नहीं; और

(घ) आफिसर कमांडिंग तथा उसके अधीन कम्पनी कमांडरों के नाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Foreign Ministers' Meet at Jeddah

2554. Shri Janeshwar Misra :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether India has been invited to the Conference of Foreign Ministers going to be held in Jeddah ;

(b) if so, whether Government have taken a decision to take part in the said conference ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):

(a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

Republic Day Tableau of Delhi Administration for 1970 Parade

2555. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration was asked this time also to bring out a tableau on the Republic Day Parade ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Delhi Administration offered to bring out a tableau of Swami Shraddhanand ;

(c) if so, whether it is also a fact that the permission to bring out the said tableau was not granted ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Construction of a Motorable Road by China in Tibet Plateau

2556. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has constructed a motorable road in the Tibet Plateau close to the farthest northern post "Bumla" in the Kameng District ; and

(b) if so, the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). A road linking area opposite Bumla in the Nefa Sector to the interior of Tibet has been in existence for some time.

Developments having a bearing on our security, including the improvement of communication facilities by the Chinese across our border, are taken note of and suitable measures taken.

Separate Pay Commission for Defence Services Personnel

2557. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Defence Services personnel have demanded for a separate Pay Commission for them ; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). A proposal to constitute a separate Pay Commission for Armed Forces personnel has been received from the Services Headquarters. It has already been decided, in principle, to appoint a new Pay Commission to review the pay structure and other conditions of service of all Central Government employees. Government hope to announce the coverage and the scope of enquiry of the proposed Pay Commission very shortly.

Talks with Mauritius Trade Delegation

2558. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Trade Delegation from Mauritius had visited India during the month of February, 1970;

(b) if so, the details of the talks held with the said delegation; and

(c) the outcome of the talks ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). Yes, Sir. A Trade Delegation from Mauritius, led by H. E. Mr. Gaetan Duval, Mauritian Minister for External Affairs, Immigration and Tourism, came to India in February, 1970 and held discussions with an Indian Delegation led by the Minister of Foreign Trade. Six members of the Delegation, representing trade and industry in Mauritius, had earlier paid visits to commercial and industrial centres in India, and held discussions with several exporters and Export Promotion Councils. The discussions between the two Delegations in Delhi resulted in the identification of several possibilities for trade between the two countries. A number of fields for possible joint ventures in Mauritius were also identified, and the Mauritian Delegation drew attention to the facilities afforded or proposed to be afforded by the Government of Mauritius to new industries. The immediate outcome of the discussions has been an increased awareness of the considerable possibilities for trade and industrial cooperation between India and Mauritius, and establishment of contacts for following up such possibilities.

Teaching of Hindi to People in Foreign Countries by Indian Embassies

2559. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of External Affairs be pleased to state the total number and the names of foreign countries where Indian Embassies hold free coaching classes for teaching Hindi to the people of those countries in order to propagate Hindi ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : Hindi teaching classes for the benefit of the local people are being conducted in Accra, Colombo and London under the supervision of Indian Missions there. In addition, the work of propagation of Hindi is also being done in Surinam, Guyana and Trinidad by three full-time Hindi Teachers sent by ICCR to these countries. The Indian Professors sent by ICCR to Yugoslavia, Iran, Australia, Rumania and West-Indies are also asked to look after Hindi teaching work in these countries.

पोंग बांध की ऊंचाई में कमी के कारण बचत

2560. श्री विक्रमचंद महाजन: क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) की कुल ऊंचाई कितनी है और कितनी ऊंचाई तक इस का काम हो चुका है; और

(ख) यदि इसकी ऊंचाई को 1290 फुट तक कम किया जाये तो सरकार को (1) नई रेलवे लाइन के निर्माण में कितनी बचत होगी। (2) कितने एकड़ भूमि जलमुक्त होने से बच जायेगी और सरकार को भूमि के अर्जन के लिए मुआवजा देने में कितनी बचत होगी। (3) इस प्रकार सरकार की कितने मूल्य की सम्पत्ति तथा वनों की रक्षा होगी। (4) कितने लोगों को वहां से हटाया नहीं जायेगा। (5) राजस्थान में कितने एकड़ कम भूमि की सिंचाई होगी?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) साधारण नदी तल स्तर (ई०एल० 1100) से पोंग बांध की कुल प्रस्तावित ऊंचाई लगभग 330 फुट है। बांध, दक्षिण तट पर, ई०एल० 1257 तक की ऊंचाई तक बना दिया गया है जबकि शेष सेक्शन में, नदी के तल पर, कार्य चल रहा है।

(ख) यदि बांध की ऊंचाई कम करके ई०एल० 1240 तक ला दी जाती है तो पोंग बांध का कुल संचय 66 लाख एकड़ फुट से कम हो कर 4.7 लाख एकड़ फुट रह जाएगा, अर्थात् इसमें लगभग 93 प्रतिशत की कमी हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई तथा बिजली के लाभों में बहुत कमी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, पोंग में प्रस्तावित ऊंचाई के बांध के न होने पर भारत, सिन्धु जल सन्धि, 1960 के अन्तर्गत मिले ब्यास नदी के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकेगा। अभी तक व्यय की गई 80 करोड़ रुपए की राशि का अधिकांश भाग निष्फल हो जायेगा क्योंकि अब तक का निर्माण कार्य अधिकतम जलाशय ऊंचाई ई०एल० 1430 के अभिकल्प पर आधारित था। अतः किसी प्रकार की बचत का प्रश्न ही नहीं उठता। बहरहाल, रेलवे लाइन को पुनः बिछाने की लागत लगभग 3.96 करोड़ रुपए होगी और अधिगृहीत किये जाने वाले क्षेत्र में 59000 एकड़ की कमी होगी (1968 के प्राक्कलन आंकड़ों पर आधारित लागत 15 करोड़ रुपए) और इससे विस्थापित परिवारों की संख्या में लगभग 18000 की कमी हो जायेगी। केवल राजस्थान में ही 18 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी।

चलचित्र उद्योग द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

2561. श्री जुगल मंडल: क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित फर्मों अथवा व्यक्तियों के बारे में वर्ष 1967-68 और 1968-69 में ऐसे कितने मामलों का पता सरकार को लगा है, जिनमें आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया गया हो; और

(ख) आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) कच्ची फिल्म के बंटन से पूर्व एक समिति द्वारा आवश्यकता की जांच और आकलन किया जाता है। कच्ची फिल्म का बंटन निर्यात संविदा के आधार पर अपेक्षित मांगा जाता है तो समिति संविदा की जांच करती है और निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए आवेदक को एक बांड भी भरना पड़ता है जिसकी गृष्टि बैंक गारण्टी द्वारा की गयी हो। स्टूडियो उपकरणों, बल्बों और शृंगार प्रसाधनों सम्बन्धी फिल्म उद्योग की आवश्यकताओं का आकलन फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके किया जाता है। आयातित सामग्री के दुरुपयोग पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा तदन्तर्गत जारी किये गए आदेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

आर्डनेंस ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट असैनिक कर्मचारियों का स्थाईकरण

2562. श्री सूरज भान: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 1956 के पत्र संख्या 29 (45) 55/40/डी (लैब० 2) तथा 20 अप्रैल, 1960 के पत्र संख्या 25(33)/58/4738/डी (लैब० 2) में अन्तर्विष्ट आदेश एफ०ओ०डी०/एफ०ए०डी०/ओ०टी०जी० पठानकोट/नम्बर वाल्वेज यूनिट ए०ओ०पी०, सब पर लागू होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एफ०ओ०डी०/एफ०ए०डी० के 1969 में नियुक्त किये असैनिक कर्मचारी भी स्थायी बनाये गए हैं और उन्हें समयोपरि भत्ता आदि भी दिया जाता है किन्तु ओ०टी०जी० पठानकोट तथा नम्बर/वाल्वेज यूनिट ए०ओ०सी० के असैनिक कर्मचारियों को उनकी 20 वर्ष की नियमित सेवा होने के बावजूद भी अभी तक स्थाई नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा यह विषमता कब दूर की जाएगी?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) नम्बर/वाल्वेज यूनिट ए०ओ०टी० और ओ०टी०जी० पठानकोट तथा कुछ एफ०ओ०डी०जी० और एफ०ए०जी०डी० रक्षा मन्त्रालय के दर संख्याओं 20(45) 40-डी (लैब० 2) दिनांक 6-1-1966 (बाद में सरकारी पद संख्या 25(33) 58/10338/डी (मिग-2) दिनांक 18-9-62 द्वारा प्रतिस्थापित) में दिये गए सरकारी आदेशों द्वारा आवृत हैं।

(ख) तथा (ग). कुछ एक एफ०ओ०डी०जी० और एल०ए०डी०जी० में कुछ स्थायी स्थानों में बदलना इस पर निर्भर है कि आया संस्था स्थायी है या अस्थायी, और आया स्थान स्थायी दिये जाने या जारी रहने वाला है। वाल्वेज यूनिट ए०ओ०टी० में अस्थायी या स्थायी स्थानों की घोषणा हस्तगत की गई है, इस बात का भी निरीक्षण किया जा रहा है कि आया आर्डनेंस ट्रांजिट ग्रुप पठानकोट को अस्थायी स्थानों को स्थायी स्थानों में बदलने के सम्बन्ध में एफ०ओ०डी०जी० के बराबर कर दिया जाए। ओ०टी०जी० पठानकोट और नम्बर/वाल्वेज यूनिट के कर्मचारियों को ओवरटाईम भत्ते की अदायगी के लिए अधिकारिता के प्रश्न का निरीक्षण किया जा रहा है।

आर्डनेंस ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट असैनिक कर्मचारियों की भूख हड़ताल

2563. श्री सूरज भान: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर्डनेंस ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट के लगभग 24 असैनिक कर्मचारियों ने 7 फरवरी, 1970 को पठानकोट में 24 घंटे की भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्णा): (क) से (ग). 7 फरवरी, 1970 को यूनिट भवनों के अन्दर कोई भूख हड़ताल नहीं हुई। तदपि की गई इन्क्वायरियों से पता चला है कि आर्डे ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट के 9 व्यक्ति उस तिथि को यूनिट क्षेत्र से बाहर पठानकोट में अन्य यूनिटों के कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ 24 घंटे के व्रत में शामिल हुए थे। और पता चला है कि प्रदर्शकों ने स्थायित्व और ओवरटाईम की मांग करते नारे लगाये थे तदपि प्रदर्शकों ने कोई स्मरणपत्र नहीं दिया।

आर्डेनस ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट कर्मचारियों को दिये गये 'कारण बताओ' नोटिस

2564. श्री सूरज भान: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर्डेनस ट्रांजिट ग्रुप, पठानकोट के कुछ असैनिक कर्मचारियों को किसी पंजीकृत मजदूर संघ के सदस्य होने के लिए कारण बताओ नोटिस दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी जिनके अन्तर्गत ये नोटिस दिये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के विरुद्ध उक्त नोटिस वापिस लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्णा) : (क) से (घ): आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

इस्लामी सचिवालय

2565. श्री बी० ना० शास्त्री: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबात शिखर सम्मेलन एक इस्लामी सचिवालय स्थापित कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस प्रश्न पर संयुक्त अरब गणराज्य के पर्यटन मंत्री के साथ कुछ बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) रबात के इस्लामी शिखर सम्मेलन ने इस बात का निश्चय किया था कि मार्च 1970 में जेद्दा में विदेश मंत्रियों की एक बैठक होगी, जो अन्य बातों के अलावा, एक स्थायी सचिवालय की स्थापना करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

(ख) इस प्रश्न पर संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सामान्य रूप से विचार विनिमय किया गया था।

(ग) भारत सरकार इस बात के विरुद्ध है कि राजनीति में धर्म को लाया जाए। इसके परिणाम-स्वरूप वह राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए धर्म पर आधारित संस्थात्मक प्रबन्धों के पक्ष में नहीं हैं।

बकाया निर्यात आदेश

2566. श्री एस० आर० दामानी : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निर्यात अभिकरणों और व्यक्तियों के पास पड़े उन पक्के निर्यात आदेशों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है, जिन्हें 31 मार्च, 1970 तक पूरा किया जाना है:

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या उनके पूरे हो जाने से गत वर्ष में हुए निर्यात की अपेक्षा 7 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी;

(ग) क्या मार्च, 1970 की समाप्ति से पहले इन आदेशों के पूरे होने के मार्ग में बाधाओं का सरकार ने पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). 1969-70 की शेष अवधि के दौरान निर्यातों में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किये गए त्वरित निर्यात कार्यक्रम के अन्तर्गत, निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा पृथक पृथक निर्यातकों के साथ बातचीत की गई और जिससे उनकी कुछ कठिनाइयों का पता लगा। मुख्य कठिनाइयां कुछ किस्म के उत्तम इस्पात तथा एल्युमिनियम जैसे दुर्लभ कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में रही हैं, औद्योगिक अशांति से उत्पादन तथा निर्यात परेषणों के संचालन में हानि पहुंच रही है और लदान हेतु स्थान की अपर्याप्तता भी है और जहाज भी कम जाते हैं। इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्यात प्रयोजनों के लिए इस्पात को रेलिलत, आबंटित करने तथा भेजने को और एल्युमिनियम के आबंटन, अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के संवर्द्धन, प्रशासनिक क्रियाविधियों में सुधार तथा लदान हेतु अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान करने हेतु पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

रूस द्वारा सैनिक सामान की सप्लाई

2567. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूस ने भारत को किस प्रकार का सैनिक सामान दिया है;

(ख) इस सामान को देश में बनाने के लिए अब तक क्या प्रयत्न किये गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) अपनी फोरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमने अपनी रक्षा सेनाओं के लिए यू०एस०एस०आर० से कुछ सैनिक सप्लाईएं प्राप्त की हैं। विस्तार देना लोकहित में न होगा।

(ख) तथा (ग). देशीय उत्पादन के विकास की आवश्यकता के प्रति हम सजग हैं, और यथासंभव अधिकाधिक देशीय उत्पादन के लिए हम आवश्यक पग उठा रहे हैं। अधिक विस्तार देना लोकहित में न होगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिरक्षा उत्पादन में योगदान

2568. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान क्या है; और

(ख) प्रति वर्ष एक करोड़ रुपए के मूल्य की सैन्य सामग्री सप्लाई करने वाली फर्मों की संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई (कांग्रेस सत्ताधारी) अधिवेशन के लिए प्रधान मंत्री के साथ जाने वाले जनसम्पर्क अधिकारी

2569. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सही है कि उनके दल के अधिवेशन के लिए उनके साथ बम्बई जाने वाले उनके दोनों जनसम्पर्क अधिकारी सरकारी कर्मचारी थे; और

(ख) क्या इन अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग उनके दल के पक्ष में समाचारपत्र संवाद-दाताओं को समझाने तथा उन्हें प्रभावित करने के लिए किया गया था?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) हालांकि प्रधान मंत्री कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में भाग लेने के लिए बम्बई गई थीं, तो भी उन के सरकारी काम-काज और उनकी जिम्मेदारियां रुक नहीं गई थीं। सामान्य सरकारी कामकाज देखने के अलावा, प्रधान मन्त्री को लोगों से मिलना था और प्रधान मंत्री की हैसियत से कई उत्सवों में शामिल भी होना था। इसके लिए, उनके सचिवालय के कुछ अधिकारियों को उनके साथ जाना जरूरी था, जिनमें निदेशक (सूचना) और प्रेस सूचना कार्यालय के उप-प्रधान सूचना अधिकारी शामिल थे।

(ख) जी नहीं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमंडल का जापान का दौरा

2570. श्री रवि राय: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में नवम्बर/दिसम्बर, 1969 में एक प्रतिनिधिमण्डल जापान गया था और उसने जापान के इस्पात कारखानों को एक दीर्घकालिक पेशकश की थी ताकि उड़ीसा में सोकिंडा क्षेत्र में दैतारी की खानों से निकाले जाने वाले लौह अयस्क को 15 वर्ष की अवधि के लिए निर्यात किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) तथा (ख). जी हां। नवम्बर/दिसम्बर, 1969 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल टोकियो गया था तथा उसने 15 वर्ष (वित्तीय 1970/84) की अवधि में लौह अयस्क जिसमें पारादीप पत्तन से निर्यात होने वाला दैतारी अयस्क भी शामिल है, की पूर्ति के लिए दीर्घकालिक पेशकश पर वार्ता की थी। इसकी घटिया किस्म तथा धमन भट्टी में कम उत्पादकता के कारण, प्रतिनिधिमण्डल काफी प्रयत्नों के बाद 3,00,000 टन दैतारी अयस्क की पूर्ति के लिए एक स्थानिक संविदा कर सका।

चिलका झील, उड़ीसा के निकट नौसेना केन्द्र

2571. श्री रवि राय: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा में चिलका झील के निकट एक नौसेना केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस वर्ष फरवरी के महीने में प्रधान मन्त्री का विचार इस केन्द्र का उद्घाटन करने का है; और

(ग) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां। इस क्षेत्र में एक लड़कों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जायेगा।

(ख) तथा (ग). आधार शिला रखने के लिए प्रबन्धों की, अभी अन्तिम रूपरेखा तैयार नहीं हुई।

Demands made by the Atomic Energy Employees Union in Rajasthan

2572. Shri Brij Raj Singh : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Atomic Energy Employees Union of Rajasthan held a meeting on the 27th January, 1970 and submitted their demands to her ;

(b) whether it is a fact that the Chairman of the Atomic Energy Commission has invited the persons concerned to discuss this matter; and

(c) if so, what are their demands and the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) No information is available regarding the meeting on 27th January, 1970. No demands have been received by the Prime Minister.

(b) and (c). The Rajasthan Anushakti Pariyojana Karmachari Sangh has submitted a charter of demands covering such issues as payment of wages to workers who had absented themselves from duty on 18.11.1969, withdrawal of disciplinary cases, Workmen's Contributory Provident Fund Scheme, transport, educational facilities, rates of supply of electricity and water and free accommodation for employees at the Project site. The demands were discussed on January 29 and 30, 1970 at a joint meeting of the representatives of the employers including the Chairman, Atomic Energy Commission and of the workers. Demands relating to pay for 18.11.1969, application of the workmen's Contributory Provident Fund Scheme, transport rates, electricity and water charges were discussed and finalised. It was also agreed that a Joint Council would be set up at the plant level to discuss periodically all grievances arising in future as also the demands which could not be discussed at this meeting.

मध्य प्रदेश के उकई में ताप बिजलीघर

2573. श्री मनुभाई पटेल: क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करने के लिए उकई में एक ताप बिजलीघर स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) इस परियोजना का व्यौरा क्या है; और

(ग) योजना की क्रियान्विति में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस स्कीम में उकई, पर, लगभग 68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 120-120 मेगावाट के चार उत्पादक यूनिटों सहित एक कोयला-आधारित तापी बिजलीघर का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है। इस स्कीम के पूरा होने में लगभग 4-5 वर्ष लगेंगे।

Import of Cotton

2574. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the President of the Textile Mills Federation has demanded in a letter written to Government in January, 1970 that Government should import 5 lakhs bales of cotton and yarn from abroad;

(b) whether he has also complained of 20 per cent increase in the price of cotton;

(c) whether the intention of the President of the Textile Mills Federation is to purchase the cotton from the farmers at cheap rates; and

(d) the action taken by Government to ensure fair price of cotton to farmers as they have to sell their cotton during the crop season ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). In his letter dated 8.1.70, the Chairman of the Indian Cotton Mills Federation requested Government to arrange for import of additional 2.5 lakh bales of cotton and Rs. 2 crores worth of staple fibre to improve the cotton supply situation. It was stated in the letter that prices of different varieties of cotton had increased, on an average to the extent of Rs. 250 to Rs. 300 per candy.

(c) Prima Facie, additional import of cotton/staple fibre was asked for in view of the imbalance in the cotton requirement and supply position and somewhat abnormal increase in the prices of cotton.

(d) The system of fixing ceiling prices for cotton had been terminated *w.e.f.* 1.9.67 and since then, in order to ensure a minimum return to the grower, support prices are announced by the Government along with the assurance that Government would be prepared to purchase cotton offered for sale at these prices.

Land allotted to Landless Army Personnel in Maharashtra

2575. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of landless army personnel in Maharashtra to whom land has been allotted during the period from January, 1969 to 31st January, 1970; and

(b) the number of applications still under consideration for the allotment of land in the aforesaid State at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M.R. Krishna) : (a) and (b). The information is not available and the time and effort involved in collecting it by correspondence with the State Government will not be commensurate with the results likely to be achieved.

निर्यात व्यापार

2576. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि व्यापार बोर्ड ने दिसम्बर, 1969 की अपनी बैठक में यह निर्णय किया है कि यदि 7 प्रतिशत के विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आगामी तीन महीनों में निर्यात के वर्तमान लक्ष्यों के अतिरिक्त 70 करोड़ रुपये के मूल्य के अतिरिक्त माल के निर्यात के लिए प्रयत्न करने होंगे; और

(ख) इस दिशा में क्या प्रयास किये गए हैं और उनका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने एक त्वरित निर्यात कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम में अधिक जोर इन बातों पर है। (1) निर्यात के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा अड़चनों को शीघ्रता से दूर करना; (2) मौजूद स्टॉक में से और प्रत्याशित उत्पादन में से निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना; (3) विशिष्ट रूप से निर्यातों के लिए, बेकार क्षमता के पूरे उपयोग को प्रोत्साहन देना और इसके लिए (एक) स्वदेशी या आयातित कच्चे माल और (दो) अन्य आवश्यक निवेशों की पर्याप्त पूर्ति करना; (4) श्रमप्रबन्ध सम्बन्धों को सुधारने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से प्रयत्न करना; (5) वस्तु विनिमय सौदे; (6) बन्दरगाहों पर तेजी से माल का परिवहन और (7) सरकारी क्षेत्र तथा निजी उद्योगों द्वारा विशेष विवर्णन प्रयत्न।

अंशतः त्वरित कार्यक्रम के परिणामस्वरूप और अंशतः अन्य उपादानों के कारण, निर्यातों के विकास की दर का गिरना दिसम्बर, 1969 में रुक गया। जो कार्यवाही की गई है उसका इंजीनियरी माल जैसे अपरम्परागत उत्पादों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। परम्परागत उत्पादों के विषय में, 1970-71 के बजट के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय राहों और त्वरित कार्यक्रम के प्रभाव के मिले जुले परिणाम से निकट भविष्य में अतिरिक्त निर्यात सृजन होने की आशा है।

राज्य व्यापार निगम के जरिये ऊनी हौजरी वस्तुओं का निर्यात

2577. श्री रा० कृ० बिड़ला: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी हौजरी वस्तुओं का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष निर्यात में कोई कमी आई है और यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ऊनी हौजरी वस्तुओं का सीधा निर्यात करने की अनुमति देने का विचार कर रही है जैसा कि ऊनी कपड़ों के मामले में किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी हां। ऊनी/मिश्रित हौजरी का निर्यात 1 अप्रैल, 1969 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जा चुका है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Electricity and Water from Mata-Tila Dam

2578. Shri Yashwant Singh Kushwah: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the details of the agreement concluded by the Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh for supplying electricity and water from Mata Tila Dam to Madhya Pradesh;

(b) the details of water and electricity supplied to Madhya Pradesh last year and during the current year under the said agreement; and

(c) the action taken by Central Government in view of the fact that Uttar Pradesh Government have not implemented the agreement properly ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The details of the arrangements agreed to by Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Uttar Pradesh in regard to supply of water to the present Madhya Pradesh areas from Matatila Project are as under :

(1) While the intensity of irrigation in the area commanded by the old reservoirs in U.P. will be raised to 45 % the intensity of irrigation in the new area to be brought under irrigation by the Matatila Project should be the same for all the three States (U.P., Madhya Bharat and Vindhya Pradesh) i.e. 33%. The new acreage to be irrigated from the Matatila reservoir would on this basis, be as below :

Madhya Bharat	..	69,000 Acres
Vindhya Pradesh	..	43,000 Acres

Now Madhya Pradesh :	1,12,000 Acres
U.P.	.. 2,64,000 Acres

- (2) The occupiers' rates would be the same as those applied in U.P. in all the territories.
- (3) The construction and administration of the canal in all the States would be the responsibility of U.P. The irrigation charges would be recovered by the States concerned and passed on to Uttar Pradesh.

The arrangements arrived at in 1963 in regard to power were that the Madhya Pradesh would get a share of one third of the Matatila power.

(b) Water supplied for irrigation in Madhya Pradesh is as under :

Year	Area irrigated (acres)	Water supplied (Approx.) (Mcft.)
1968-69	26,500	3700
1969-70 (upto 24.2.70) (Approx.)	30,000	2670

The electricity supplied by U.P. State Electricity Board to Madhya Pradesh Electricity Board from Matatila Power Station is as under :

Year	Electricity supplied
1968-69	15,47,770 units
1969-70 (upto Dec. 69)	21,45,640 units

(c) Irrigation in Madhya Pradesh from the Matatila waters is through Bhandar Canal system. The outstanding points regarding the completion of works on this canal such as desiltation of the canal, construction of additional minors and channels was discussed at a Joint meeting with the Secretaries and Chief Engineers of the two States in the Central Water and Power Commission on 21.10.1969 and decisions taken for early development of irrigation in Madhya Pradesh.

The differences between the States in regard to the rate for supply of power from Matatila to Madhya Pradesh were discussed by the officers of the two States in August and October, 1969 and an agreement was arrived at that the rate of 6.5 paise per unit would apply if Madhya Pradesh availed of secondary power also.

Water Supply from Chambal Hydel Project

2579. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

- (a) the cusecs of water earmarked for irrigation purposes for Bhind and Morena districts of Madhya Pradesh during the current agricultural year from the Chambal Hydel Project;
- (b) the cusecs of water actually released for the two districts separately; and
- (c) the reasons for not releasing the earmarked quantity of water ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c). In November, 1969, it was proposed to supply 2,000 cusecs to Madhya Pradesh from the Chambal Canal at Parvati aqueduct. However, owing to weeds and slips in the main canal in Rajasthan, and consequent reduction in the capacity of the main canal, the position was reviewed in February, 1970 and a supply of 1800 cusecs has been fixed.

The supplies released for the Bhind and Morena districts are as under :—

Period	Supplies for Bhind district	Supplies for Morena district plus the transmission losses in Right Main Canal and Left Main Canal
(i) 1.10.69 to 6.11.69	127	1267
(ii) 7.11.69 to 7.12.69	59	1386
(iii) 8.12.69 to 31.12.69	19	1351
(iv) 1.1.70 to 31.1.70	286	1694
(v) 1.2.70 to 18.2.70	139	1745

A Committee has since been appointed to go into the functioning of the right bank main canal and suggest remedial measures so that it can handle the supplies as planned.

Prizes received from Foreign Countries by Persons belonging to Madhya Pradesh

2580. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the names and addresses of those persons of Madhya Pradesh who have received prizes from foreign countries during the last three years; and

(b) the names of the prizes, the amount of the prizes and the names of countries which have given them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Efforts are being made to collect the information.

सिंचाई संसाधनों के लिए सर्वेक्षण

2581. श्री लोबो प्रभु : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने लक्ष्यों (एनीक्ट्स) और सिंचाई के संसाधनों के वास्तविक स्रोतों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या असमानता के कारणों का पता लगा लिया गया है तथा क्या अनुमान सिंचाई का पूर्ण उपयोग प्राप्त करने के लिए तैयार किये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सर्वेक्षण किया जायेगा और अनुमान तैयार किये जायेंगे;

(घ) क्या विशेषज्ञों ने गाद भरे हुए तालाबों की (एनीकट) को सुधारने के लिए सब से सस्ते उपाय का अध्ययन कर लिया है ; और

(ङ) क्या बुल्डोजरों तथा अन्य बेकार पड़े मिट्टी खोदने के उपकरणों को प्रयोग में लाने का परीक्षण करने के बारे में विचार किया गया है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : 1969-70 के अन्त तक बृहत् तथा मध्यम परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न सिंचाई शक्यता के उपयोग में लगभग 24 लाख एकड़ अथवा 11 प्रतिशत की कमी रहने की संभावना है ।

किसानों द्वारा क्षेत्रीय नालियों के निर्माण, लैंड शेपिंग आदि के लिए, स्वतन्त्रता से पूर्व, सिंचाई परियोजनाओं से पूर्ण उपयोग के लिए, विकास अवधि लगभग 10 वर्ष की होती थी । इसको अब काफी कम कर दिया गया है । राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे किसानों को ऋण सुविधाएं उन्नत किस्म के बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, बाजार केन्द्रों को संचार की सुविधाएं देने के लिए और खेती के वैज्ञानिक तरीकों (फसल आयोजन) और पानी के प्रयोग पर मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को हाथ में लें । सिंचाई विभागों को भी कहा गया है कि जहां किसान लोग देरी करें वहां वे क्षेत्रीय नालियां खोदें तथा 2 क्यूसेक तक के जलमार्गों की खुदाई करें । कुछ राज्यों में अनिवार्य सिंचाई उपकर लगाया जा रहा है । कुछ ने ऊर्जन दरें निश्चित की हैं । किसानों को पानी के उपलब्ध होते ही उसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) . खाद्य और कृषि मंत्रालय ने जिनके अधीन लघु सिंचाई कार्यक्रम चलते हैं, सूचित किया है कि तालों में से गाद निकालना बहुत मंहगा पड़ता है और एक नए ताल की लागत उस लागत से कम होगी जो पुराने ताल में से गाद निकालने पर आयेगी । तालों में से गाद निकालने और

उनको सुधार करने की स्कीम केवल उन तालों के सम्बन्ध में सफल हो सकती है जो कि या तो शहरों अथवा नगरों के निकट स्थित हों या जिनका जलमग्न क्षेत्र बहुत अधिक हों। ऐसा बताया गया है कि पास के ताल-तल से अपेक्षित मिट्टी लेकर ताल के बंध और सके पाश्वों को ऊंचा करने का वैकल्पिक तरीका मितव्ययी है और साधारणतया अपनाया जाता है।

तमिलनाडु सरकार तालों में से गाद निकालने और उनका सुधार करने की अपनी स्कीमों पर बुलडोजर और स्केपर लगाते हैं। तालों समेत संचय कार्यों के निर्माण के लिए अन्य राज्यों में कुछ हद तक मृदवाही उपस्कर का भी प्रयोग किया जाता है।

गार्डन रीच बर्कशाप द्वारा निर्मित तलकर्षक (ड्रेजर)

2582. श्री लोबा प्रभु: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच बर्कशाप ने पारदीप बन्दरगाह के लिए तलकर्षक (ड्रेजर) बनाने में कितना समय लिया है;

(ख) क्या मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के लिए निर्माणाधीन तलकर्षक (ड्रेजर) देने के लिए अप्रैल, 1971 नियत करते समय यह समय ध्यान में रखा गया था;

(ग) क्रयदेश दिये जाने के समय से लेकर अब तक निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और जो कार्य शेष है उसको कब पूरा करने का कार्यक्रम है; और

(घ) निर्माण कार्य की अनुमानित लागत क्या है और यह आयातित ड्रेजर की सीमाशुल्क रहित लागत की तुलना में कितनी कम या अधिक है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, 34 मास।

(ख) जी हां। परन्तु चूंकि यह नया आर्डर था, 18 मास के परिवहन समेत निर्माण अवधि के आधार पर वितरण तिथि अप्रैल, 1971 नियत की गई थी।

(ग) निर्माण रेखाचित्र तैयार किये जा रहे हैं, और जब भी यह रेखाचित्र अनुमोदित किए गए, निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा। आवश्यक आयात साजसामान के लिए आर्डर पहले ही दिया जा चुका है। निर्माण रेखाचित्रों की अनुमोदन तिथि से लगभग 10 मास के अन्दर ड्रेजर सम्पूर्ण हो जायेगा।

(घ) निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 110 लाख रुपए के विदेशी मुद्रांश सहित 304.93 लाख रुपए है। यदि ऐसा ही ड्रेजर शिचमी जर्मनी से आयात किया जाए, मुद्रा के वर्तमान आदान प्रदान दरों पर उसकी प्रत्याशित लागत, लगभग 80 लाख रुपए, आयात कर को छोड़ कर, 293 लाख रुपए होगी।

चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

2583. श्री विश्वनाथ पाण्डेय: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1969 से 10 फरवरी, 1970 तक चीन द्वारा भारतीय वायु सीमा का कुल कितनी बार उल्लंघन किया गया; और

(ख) इन उल्लंघनों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) दो ।

(ख) सरकार आवश्यक सुरक्षा एहतियातें और उपाय कर रही है ।

Maulana Bhashani's statement regarding inclusion of Assam in Pakistan

2584. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by Maulana Bhashani of East Pakistan that he would not rest till Assam is included in East Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have expressed their serious concern to Government of Pakistan regarding such statements.

Rehabilitation of Ex-Servicemen in J & K, Rajasthan and Kutch

2585. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nos. 456 on the 23rd July, 1969 and 1423 on the 26th November, 1969 and state :

(a) whether Government have since collected the information regarding rehabilitation of ex-servicemen in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Kutch;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M.R. Krfshna) : 412 families of ex-military personnel in Jammu and Kashmir and 6 ex-servicemen in Kutch in Gujarat have been settled on the border. In Rajasthan, 413 servicemen and ex-servicemen have been settled on the border. Separate figures in respect of ex-servicemen have not been furnished by the Rajasthan Government.

2. In Gujarat, there is no specific scheme for rehabilitation of ex-servicemen. However, ex-servicemen have been given first priority for allotment of Government land for cultivation. In Kutch District the limit of economic holdings has been raised to 39 acres. This first priority can be availed of by members of armed forces and ex-servicemen who are domiciled in the State. They are eligible for allotment of 4 to 16 acres of Government land for cultivation, without auction, and at the concessional occupancy price. 1451 ex-servicemen have already been granted Government land in the State for cultivation.

3. In Jammu and Kashmir, a scheme has been framed by the State Government for allotment of land for agriculture on the border to ex-servicemen.

4. There is no separate scheme for allotment of land to ex-servicemen on the border in Rajasthan. Allotment is made under general rules known as "the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1957. In the 26 Districts of Rajasthan, 3,003 ex-servicemen have been rehabilitated by allotting agricultural land to them. Provision also exists for sanctioning grants or loans to ex-servicemen individually or to their co-operative societies and association for schemes and projects of resettlement.

Mizo Rebels getting Financial Assistance from China

2586. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report that Mizo rebels are getting financial assistance from China; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Government are aware that Mizo hostiles now in East Pakistan have been obtaining financial assistance from China. All possible measures have been taken to prevent the re-entry of such hostiles.

भारत-चीन विवाद को हल करने के लिए नेपाल की मध्यास्थता के बारे में अमरीका का प्रस्ताव

2587. श्री देवेन सेन: क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका के उपराष्ट्रपति मिस्टर अगन्यू के इस कथित सुझाव की ओर दिलाया गया है कि नेपाल दो महान पड़ोसियों अर्थात् भारत और चीन की समस्याओं को सुलझाने में अब योगदान दे सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चीन के साथ बातचीत आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है और क्या वह उसके साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि वह चीन के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य करने को तैयार है लेकिन अभी तक चीन की ओर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है।

चैकोस्लोवाकिया और अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत

2588. श्री य० अ० प्रसाद :

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्राग और अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) वरिगटन में 16-17 अक्टूबर, 1969 को भारत और संयुक्त राज्य के बीच द्विपक्षीय बातचीत का दूसरा दौर चला। चैकोस्लोवाकिया के साथ सरकारी स्तर की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है।

(ख) बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सामान्य हित के विषयों पर विचार-विनिमय हुआ था।

तीसरा एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय मेला

2589. श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तीसरा एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय मेला वर्ष 1973 में भारत में होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) तथा (ख). 1972 में होने वाले तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को भारत में आयोजित करने हेतु भारत ने जो पेशकश की है वह इकाफे द्वारा उसके अप्रैल, 1970 में होने वाले आगामी सत्र में स्वीकार हो जाने की आशा है।

अखबारी कागज का आयात

2591. श्री निहाल सिंह: क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में अखबारी कागज का कितना आयात किया गया; और

(ख) कितने समाचारपत्रों को उक्त अखबारी कागज दिया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अक्टूबर, 1969 तक 91,690 मे० टन।

(ख) फरवरी, 1970 के मध्य तक 1331 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों को अखबारी कागज का आबंटन किया गया है।

गुमती पनबिजली परियोजना, त्रिपुरा

2592. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री ने इस वर्ष फरवरी में अपने त्रिपुरा के दौरे के दौरान डुमवार में गुमती पनबिजली परियोजना के कार्य की प्रगति देखने के लिए वहां का निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा करने के बारे में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवीनतम अनुमान के अनुसार यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गृह मन्त्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री त्रिपुरा का दौरा नहीं कर सके थे परन्तु फरवरी में केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री ने गुमती परियोजना का दौरा किया था।

(ख) सिविल कार्यों पर कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। निर्माण बिजली स्थल पर सप्लाई करने के लिए 100 किलोवाट के तीन डीजल सैटों को प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर मंगाने के लिए आदेश दे दिये हैं। अन्तः स्थापित पुर्जे और ड्राफ्ट ट्यूब लाइनें स्थल पर प्राप्त हो रही हैं। प्रथम उत्पादन यूनिट का मार्च, 1971 तक तथा दूसरी यूनिट का मई, 1971 तक प्राप्त होना अनुसूचित है।

(ग) 5 मैगावाट की प्रथम उत्पादन यूनिट के दिसम्बर, 1971 में और दूसरी के जून, 1972 में चालू होने की सम्भावना है।

कार्डाइट कारखाना, अरुवानकाडू के उन कर्मचारियों को पुनः नौकरी में रखा जाना जिन्होंने सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लिया था

2593. श्री नंजा गौडर: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के परिणाम-स्वरूप कार्डाइट कारखाना, अरुवानकाडू, नीलगिरि के कितने कर्मचारियों को मुअ्तिल किया गया/नौकरी से निकाल दिया गया था;

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 तक कितने कर्मचारियों को पुनः नौकरी में रखा गया; और

(ग) अन्य कर्मचारियों को नौकरी में न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 144 कर्मचारी।

(ख) तथा (ग). 31 दिसम्बर, 1969 तक 74 कर्मचारी बहाल किये गए थे उसके पश्चात् 64 और कर्मचारी बहाल किये गए हैं। एक और कर्मचारी अभी सेवा पर नहीं लौटा कि जिसकी बहाली के आदेश जारी हो चुके हैं। यद्यपि 5 और कर्मचारियों की बहाली के आदेश तैयार हैं, उनके ठीक ठीक पते न होने के कारण आदेश जारी नहीं किये गए। इसलिए देखा जाएगा कि हड़ताल के सम्बन्ध में सभी अस्थायी और स्थायी निलम्बित/डिस्चार्ज किये गए कर्मचारियों को वापस लेने का निर्णय किया गया है।

चाय पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि का विरोध

2594. श्री नंजा गौडर : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारत की युनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त किये जाने से होने वाली हानि को पूरा करने के लिए इस पर उत्पादन शुल्क को 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 3 रुपए प्रति किलोग्राम करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नार्थ होल्ट हवाई अड्डे पर भारतीय वायु सेना के कान्सटेलेशन विमान का दुर्घटनाग्रस्त होने से बचना

2595. डा० कर्णो सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1970 को 'टाइम्स आफ इंडिया' में पृष्ठ 11 पर प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 9 जनवरी, 1970 को नार्थ होल्ट हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना का एक कान्सटेलेशन विमान उतरते समय जब 500 फुट की ऊंचाई पर था एक ग्रीक ओलिम्पिक एयरवेज के एक जेट विमान से टकराने से बाल बाल बचा जब उसने अपना मार्ग बदला;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान में कोई त्रुटि थी अथवा वह किसी अन्य की गलती थी; और

(ग) भविष्य में विमान उतरते समय ऐसी दुर्घटना न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). विमान में कोई खराबी न थी। किसी पर दोष आरोपण करने और प्रतिकार उपाय, यदि कोई हो, बोर्ड आफ ट्रेड (यू० के०) द्वारा आदिष्ट जांच की कार्यवाही की प्राप्ति और विस्तृत अध्ययन पर ही निर्धारित किये जा सकते हैं।

कलकत्ता में उत्तर वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल का सरकारी तौर पर स्वागत

2596. श्री हेम बरुआ : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व उत्तर वियतनाम के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी भारत के कुछ भागों की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका कलकत्ता में सरकारी तौर पर स्वागत किया गया था और क्या केन्द्रीय सरकार को उसकी सूचना दी गई थी और यदि हां, तो इस स्वागत समारोह का व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) दो गैर-सरकारी संगठनों के आमंत्रण पर, दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के तत्वावधान में छह व्यक्तियों के एक दल ने 13 दिसम्बर, 1969 से 9 जनवरी, 1970 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी थी कि उन्होंने यात्री दल के सम्मान में सरकारी स्वागत समारोह आयोजन किया था।

कपड़ा मिलों को रूई की सप्लाई में कमी

2597. श्री के० रमानी : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो कपड़ा मिलें घटिया किस्म के धागे का उत्पादन करती हैं उन्हें रूई की बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के लिए रूई की काफी मात्रा में सप्लाई बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) मोटे तौर पर रूई वर्ष 1969-70 में रूई की आवश्यकता रूई की प्राप्यता से अधिक है और यही बात सूत के अपेक्षाकृत कम अकाउंट के उत्पादन हेतु रूई की आवश्यकता के सम्बन्ध में ठीक है।

(ख) रूई और इसके विकल्प (स्टेपल रेशे) की पूर्ति में वृद्धि करने और रूई की उपलब्ध पूर्ति के विपणन और वितरण का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की कार्यवाही की गयी है :—

- (1) पी० एल० 480 रूई की 1.25 लाख गांठों के आयात की व्यवस्था की गयी है।
- (2) विश्वव्यापी स्रोतों से रूई की 50,000 गांठों के अतिरिक्त आयात की व्यवस्था की गई है।
- (3) स्टेपल रेशे की 1.5 लाख गांठों के आयात के लिए व्यवस्था की गई है।
- (4) मिलों द्वारा रूई का भण्डार रखने की सीमा को एक मास कम कर दिया गया है।
- (5) रूई के सम्बन्ध में ऋण सीमा का सम्यक रूप से समायोजन कर दिया गया है।

रेशे तथा रेयन के धागे का आयात

2598. श्री के० रमानी : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेशे तथा रेयन के धागे की कमी के बावजूद देश में इनके उत्पादन को बढ़ाने के बजाय अन्य देशों से इनका आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की ऐसी फजूल खर्ची के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). स्पष्टतः माननीय सदस्य का संकेत स्टेपल रेशे की ओर है क्योंकि रेयन धागे के आयात की तो बिल्कुल अनुमति नहीं है। स्टेपल रेशे का स्वदेशी उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए कुछ समय पहले यह निश्चय किया गया था कि विशिष्ट रूप से स्टेपल रेशे के वस्त्रों के लिए प्राप्त निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए मूल्य के स्टेपल रेशे के आयात की अनुमति दी जाए? इसके अतिरिक्त रूई की पूर्ति स्थिति को सुकर बनाने के लिए स्टेपल रेशे की 1.5 लाख गांठों के आयात की हाल ही में अनुमति दी गई है। इनसे विदेशी मुद्रा की फंजूलखर्ची नहीं होती क्योंकि इसके आयात की अनुमति, पहले तो स्टेपल रेशे के वस्त्रों के निर्यात के उद्देश्य से और दूसरे रूई की अपर्याप्त पूर्ति और उसके ऊंचे मूल्यों के कारण उत्पन्न स्थिति को ठीक करने के लिए दी गई है। देश में स्टेपल रेशे के उत्पादन को बढ़ाने के विषय में स्थिति यह है कि इस मद को अब उन मदों की सूची से निकाल दिया है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों को विगत में अस्वीकार कर दिया जाता था और यथा-आवश्यक परिमाण तक अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिये जायेंगे।

सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों के विदेश तबादले तथा वापसी पर एयर इंडिया के विमानों से यात्रा करने के लिए हिदायतें

2599. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं के सभी व्यक्तियों के लिए हाल में यह हिदायतें जारी की हैं कि भारत से बाहर अथवा बाहर से भारत में तबादले के समय उन्हें अनिवार्य रूप से एयर इंडिया विमानों से यात्रा करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेश देने में क्या औचित्य है और सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों तथा उनके परिवारों की विदेश यात्रा के स्वीकृत तरीके में इससे क्या सहायता मिलेगी;

(ग) क्या इसी प्रकार की हिदायतें सशस्त्र सेनाओं के भारत से ब्रिटेन जाने वाले उन अधिकारियों पर भी लागू होती है जो समय समय पर इंडिया सप्लाय मिशन, लन्दन के द्वारा खरीदे गए स्टोर तथा बुर्जों आदि को लाने के लिए भारतीय वायु सेना के सुपर कांसटेलेशन विमान द्वारा भेजे जाते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त भाग (ग) में दिये गए सुझाव पर कब अमल किया जायेगा?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) असैनिक और जारी किये गए आदेशों की समानता पर ले० कर्नल/कमाण्डर/विंगकमाण्डर और उससे ऊपर के सभी अफसर और उनके कुटुम्ब, तबदीली पर या विदेश में नियुक्ति पर या इससे उलट उन ग्रंचलों में विमान द्वारा यात्रा करनी होती है कि जिसमें एयर इंडिया के विमान चलते हों।

(ख) इस से राज्य को बचत होती है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बचती है और अपनी राष्ट्रीय वैमानिक सेवा को अतिरिक्त आय होती है।

(ग) पाठ्यक्रमों या प्रतिनियुक्ति पर यू०के० जाने वाले सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्गों को स्थानों की प्राप्यता के अनुसार आई० ए० एफ० के सुपर कांसटेलेशन विमानों में यात्रा करने की अनुमति है। कुटुम्बों के लिए आई० ए० एफ० कैरियर विमानों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

(घ) तथा (ङ). उपरोक्त (ग) के समक्ष प्रश्न नहीं उठते।

रूस द्वारा सरकारी क्षेत्र के कारखानों से माल की खरीद

2600. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों को लाभ-प्रद बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार सरकारी क्षेत्र के कारखानों से निर्मित भारतीय माल की खरीद के लिये रूस से बातचीत करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में रूस की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारत, सोवियत संघ को 1967-68 से ही भिलाई इस्पात संयंत्र में बने ढांचों का निर्यात कर रहा है। भारत तथा सोवियत संघ के बीच 1971-75 के दौरान विनिमय की जाने वाली मदों की एक को अन्तिम रूप देने की बातचीत के पहले दौर में सोवियत संघ इस बात से सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है कि वह सोवियत सहायता से भारत में बने औद्योगिक उद्यमों में निर्मित मशीनें तथा उपकरण लेगा। अभी हाल में एक सोवियत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल से हुई बातचीत में उपकरणों तथा मशीनों की कुछ मदों को निर्धारित किया गया जिनकी दीर्घावधि आधार पर सोवियत संघ को पूर्ति करने के लिए उनका सोवियत सहायता से बनी परियोजनाओं में उत्पादन करने की सम्भाव्यता पर अब विशेषज्ञ स्तर पर विचार किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में पानी के दूषित होने और उसके परिणामस्वरूप पीलिया के संक्रामक रोग के फैलने के खतरे का समाचार

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : I draw the attention of the Minister of Health and Family Planning, Works, Housing and Urban Development to the following matter of urgent public importance :

“Reported pollution of water in Delhi and resultant threat of Jaundice epidemic.”

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : दिल्ली नगर निगम इस समय विभिन्न स्रोतों से कुल मिला कर 275 क्यूसेक्स पानी प्रतिदिन दे रहा है। इसमें से लगभग 60 लाख गैलन पानी प्रतिदिन ओखला से जरा ऊपर से लिया जाता है और होली फेमिली अस्पताल के पीछे स्थित एक शोधन संयंत्र में इसे साफ किया जाता है।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निस्सारण उपक्रम हैडवर्क्स के निकट उपलब्ध पानी की किस्म की जांच करता रहता है। एक एक घण्टे के पश्चात् पानी के नमूने लेकर देखा जाता है कि वह पीने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। 25 फरवरी, 1970 से यह देखने में आया कि ओखला के पानी में क्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी। 5 मार्च को यह मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। दिल्ली नगर निगम की प्रार्थना पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने 5 तारीख की शाम को हिन्दनकट में पानी निकालना

आरम्भ किया क्योंकि क्लोराइड की मात्रा अनुज्ञेय सीमा से अधिक बढ़ गई थी, 6 मार्च 1970 की दोपहर को पीने के पानी की सप्लाई बन्द कर दी गई। 7 तारीख को पानी की किस्म में सुधार हुआ और 8 तारीख को सुबह आठ बजे से फिर से पीने का पानी देना आरम्भ किया गया। कारखानों से जो मैल पानी में जाकर मिलती है उसके प्रभाव को दूर करने के लिये बड़ी मात्रा में आक्सीजन मिलाने की आवश्यकता होती है। आक्सीजन की कमी के कारण ही उस पानी में मछलियां देखी गई थीं।

दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि पीने योग्य पानी देने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अब कोई खतरा नहीं है। प्राप्त जानकारी से प्रतीत होता है कि पीलिया के भय का अब कोई कारण नहीं है। इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम ने एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

Shri Onkar Lal Bohra : Sir, the problem of water pollution is endemic to Delhi. In 1956 also thousands of people suffered from jaundice caused by water-pollution. I want to know what action has been taken against the officers responsible for filtered water supply for this grave negligence. People were not cautioned against the polluted water supply sufficiently in advance. Condign punishments should be given to the persons playing with public health. I am not in favour of appointing enquiry Committees, because their reports always remain a dead-letter and no follow-up action is taken on them.

May I know whether the officers responsible for this unfortunate situation will be dismissed; whether the Chairman of this Committee will resign? I want to know what action Government propose to take in the matter?

श्री० ब० सू० मूर्ति: हमारी सूचना तो यह है कि दिल्ली नगर निगम, जिस के अधीन यह उपक्रम है, तथा दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में पहले ही आवश्यक कदम उठा लिये हैं। जहां तक सम्बन्धित अधिकारियों को नौकरी से निकालने की बात है उन्हें कारण का पता लगाये बिना नौकरी से निकालना तो ठीक नहीं होगा। हां, हम दिल्ली प्रशासन के इस सुझाव से सहमत हैं कि उच्च अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की जाए।

Shri Onkar Lal Bohra : But what action Government propose to take against these officers? Are they being dismissed/suspended or not?

श्री० ब० सू० मूर्ति: इस बात की ओर तो दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन अवश्य ध्यान देंगे।

Shri Yashwant Singh Kushwah : (Bhind) : Is it a fact that in 1965, Dr. Roshan Lal, the then Chairman of the water supply undertaking, had submitted a scheme to improve the water supply situation to the Ministry of Health for its approval, but the Ministry has not so far taken any action on it? Besides, the Naskar Committee in its report submitted on 14.4.66 had stated that the supply of water from Okhla to Humayun Tomb was polluted. Is it a fact that, Mr. Tailor of London Water Board had also made a similar recommendation. But it is regretted that in spite of all this, nothing was done to avert this unfortunate situation. It is not the first time that this situation has suddenly developed. This is a repetition of what had happened in 1955 when a number of persons had died of Jaundice which had spread as a result of supply of polluted water from the Wazirabad Water Works. A judicial enquiry should, therefore, be instituted to look into the whole matter and since the Minister in-charge of Health has failed to discharge his duties in a responsible manner, he should immediately tender his resignation.

श्री० ब० सू० मूर्ति: नास्कर समिति ने 1965 में जल के इस स्त्रोत को बन्द करने तथा जब तक बैक्टीरियक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अधिक क्लोरीन का प्रयोग करके विद्यमान जल शोधन व्यवस्था का लाभ उठाने की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, बजौराबाद

में 40 एम० जी० डी० जल को साफ करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे 10 एम० जी० डी० जल ओखला जल व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को दिया जायेगा जोकि वर्तमान मात्रा से 4 एम० जी० डी० अधिक होगी। एक जलाशय तथा उपरिटैंक की व्यवस्था हो चुकी है। यह सारी योजना 12 अथवा 18 महीनों में पूरी हो जायेगी।

Shri Yashwant Singh Kushwah : What about the institution of a judicial inquiry, the scheme submitted by the Corporation and supply of polluted water for 12 days ?

श्री० ब० सू० मूर्ति : दूषित जल का वितरण नहीं किया गया था।

Shri Ranjeet Singh (Khalilabad) : He is telling a lie.

अध्यक्ष महोदय: यह संसदीय भाषा नहीं है।

श्री० ब० सू० मूर्ति: जैसे ही अधिकारियों को पता लगा कि वहां से जल का वितरण नहीं किया जा सकता है, उन्होंने इसका यहां से वितरण बन्द करके वजीराबाद से जल का वितरण करना आरम्भ कर दिया था।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : The reply given by the hon. Minister cannot be justified as this is not the first time when polluted water has been supplied to the people of Delhi. Exactly this very thing had happened in 1955 also. Nothing has so far been done to check the flow of Industrial waste from the Okhla Estate in the river water because the ruling party in Delhi had accepted donations from these industrialists.

A powerfull commission should be appointed to go into the whole matter so that this is not repeated in future.

श्री० ब० सू० मूर्ति: यह ठीक है कि दिल्ली में पीने का पानी ठीक नहीं है। सभा जो भी कार्य-वाही करना चाहे हम उसे करने के लिये तैयार हैं। जिस प्रकार की भी समिति नियुक्त करने के लिये सभा कहे हम उसे नियुक्त करने के लिये तैयार हैं। यह ठीक है कि कुछ कारखानों का गंदा पानी यमुना नदी में बह कर जाता है। डी० सी० एम० कैमिकल्स, हिन्दुस्तान इन्सैक्ट्रीसाइड्स तथा स्वतंत्र भारत मिल्स को अपने यहां कचरे के शोधन की व्यवस्था करने के लिये कह दिया गया है। आशा है वे जल्द ही ऐसी व्यवस्था कर लेंगे।

Shri Sitaram Kesari : There should be a judicial inquiry .

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The criminal negligence on the part of the officers, concerned, who failed to inform the Mayor, the Chief Executive Councillor and the Government about the water pollution is indefensible.

The step of the Delhi Administration to appoint a Committee under the Chairmanship of Dr. Rao to enquire into the whole matter is commendable, because this is being done rising above the party considerations and because we do not want to shield anyone responsible for this unfortunate situation.

In spite of the fact that the Naskar Committee as well as Mr. Tailor, an expert of U.K., had strongly recommended that the use of this water source should be discontinued, the Government has not so far released necessary funds to augment the water supply in Delhi. Against the requirement of 180 million gallons, only 153 million gallons of water is being supplied at present and thus there is a shortage of 27 million gallons of water. Against the demand for Rs. 56 crores, only Rs. 25 crores have so far been provided to Delhi Administration. Moreover, nothing has been done to check the flow of industrial wastes into Jamuna Water. The D.D.T. Factory of the Central Government and other industries in Ghaziabad and Mohan Nagar are still discharging their wastes in the river water. I strongly repudiate the allegation that we have accepted any donations from these industrialists. We are prepared for any type of inquiry into this aspect also. Some legislative measures should be taken to prevent these industrialists from indulging in such anti-social activities.

Besides these should be a formal agreement with the Government of Uttar Pradesh about the supply of water.

More funds should be made available to the Delhi Administration to enable it to supply filtered water to 5 lakh slum dwellers who are at present using hand pump water.

Though there is no possibility of any outbreak of jaundice, yet the requisite medicines should be made available in Delhi as a precautionary measure.

श्री० ब० सू० मूर्ति: श्री कंवर लाल गुप्त कहते हैं कि केवल केन्द्रीय मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तरदायी हैं और उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, मैं अपने उत्तरदायित्व को अस्वीकार नहीं करता। उनका कहना है कि हमारे पास पीलिया रोग की कोई दवाई नहीं है। कल ही हमने दिल्ली के सभी अस्पतालों तथा औषधालयों को सावधान किया है कि वे पीलिया रोग के मामले की सूचना तुरन्त दें तथा हमने इस बीमारी के इलाज के लिए सभी प्रबन्ध कर लिये हैं। हमें पीलिया के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि पीलिया फैलता है तो हमने बड़ी तेजी से इसका निवारण करने के लिए प्रबन्ध कर लिये हैं।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि दिल्ली नगर निगम अथवा इसके उपक्रम अथवा दिल्ली प्रशासन ने हिंडन से पानी की ठीक तथा लगातार सप्लाई के बारे में अब तक उत्तर प्रदेश सरकार से कोई करार क्यों नहीं किया है। हम इस समस्या को हल करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ताकि ऐसी बात फिर न हो।

जहां तक जल-दूषण को रोकने तथा जल-दूषण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कानून द्वारा दण्ड देने के लिए विधान का सम्बन्ध है, विधान तो पहले ही बना हुआ है और यह दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम का कार्य है कि इसका प्रयोग करे।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : जो प्रश्न यहां उठाया गया है वह केवल दिल्ली से सम्बन्धित नहीं है। जल-दूषण से राष्ट्र के स्वास्थ्य को जो खतरा पैदा हुआ है उसकी ओर सरकार की उदासीनता को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। स्वास्थ्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री में से कोई भी यहां नहीं है।

इस देश में लाखों लोग नदी का पानी पीते हैं। दिल्ली में, हमको छाना हुआ क्लोरिनीकृत तथा शुद्ध किया पानी मिलता है, लेकिन देश में लाखों लोग नदी का पानी पीते हैं और यह सरकार सारे देश में नदियों में औद्योगिक मल निस्राव की अनुमति दे रही है, यह कुछ भयानक सी बात है। लेकिन सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं, बहुत पहले नदी जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का निर्णय किया गया था, नदी जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जानी है न कि राज्य सरकार द्वारा। राज्यों में इसकी शाखाएँ हो सकती हैं। सूत्रपात भारत सरकार द्वारा किया जाना है, यह बात बहुत पहले से विचाराधीन है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछती हूँ कि इसे कब स्थापित किया जायेगा। डा० कु० ल० राव के अधीन जांच समिति से काम नहीं चलेगा क्योंकि डा० राव इन समितियों के साथ पहले भी बैठे थे। ओखला जल संयंत्र को बन्द करने की सिफारिशें की गई हैं, यह कहा गया था कि अस्थायी रूप से कुछ महीनों तक यह अधिक्लोरोनीकरण कर सकता है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अधिक्लोरोनीकरण कोई उपचार नहीं है।

वर्ष 1966 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और उसे स्वीकार भी किया गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके कार्यान्वयन में किस कारण विलम्ब हो रहा है। वजीराबाद तथा नजफगढ़ नाला सहित सभी नाले नदी में मिलते हैं और नदी में नालों का मलमूत्र वाला गन्दा पानी मिलाया जा रहा है। जो लोग नदी में नहाते हैं तैरते हैं तथा उसका पानी पीते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत हानिकार

है, ये नाले अनुपचारित मलमूत्र तथा अनुपचारित औद्योगिक मल निस्राव ले जाते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए खतरनाक हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि औद्योगिक मल निस्राव को कब उपचारित किया जायेगा और कब ऐसे प्रबन्ध किये जायेंगे कि अनुपचारित मल, अनुपचारित औद्योगिक मल निस्राव नदियों में न मिलाया जाये। नदी जल नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया जायेगा और वह कार्य करना कब आरम्भ कर देगा।

श्री० ब० सू० मूर्ति: उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिये हैं, उन पर विचार किया जायेगा। जहाँ तक जल-दूषण का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि 22 दिसम्बर, 1969 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया जा चुका है और वह यहाँ आयेगा तथा मैं उस के लिए सभी सदस्यों का समर्थन चाहूँगा। जहाँ तक पैसे का सम्बन्ध हो हमने इस बारे में कभी कंजूसी नहीं की।

उड़ीसा में घटना के बारे में

Re. INCIDENT IN ORISSA

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं उड़ीसा में हुई विक्षोभकारी तथा अपमान दायक घटना की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन आज मुझे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से एक नोट प्राप्त हुआ है जिसमें उस कथन को स्वीकार किया गया है जो रूसी राजदूत ने अपने व्यवहार के बारे में कहा। इस घटना के बारे में उड़ीसा सरकार ने भी भारत सरकार को पत्र दिया है लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उसे अब तक सभा-पटल पर नहीं रखा गया है। यह एक बात है कि भारतीय नागरिकों का विदेशों में अपमान किया जाता है। यहाँ तक कि श्री ब० रा० भगत का भी केन्या में अपमान किया गया था और हमने उसे सहन किया। लेकिन जब एक भारतीय नागरिक का, जो कि किसी राज्य का मुख्य मंत्री है भारत की इस भूमि पर विदेशी राजदूत द्वारा अपमान किया जाता है तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है। श्री जगजीवन राम भी उस समय उड़ीसा में थे और अप्र-जातांत्रिक तरीकों से प्रजातांत्रिक सरकार को गिराने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं सरकार से यह अनुरोध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि व इस मामले में एक स्पष्ट वक्तव्य दें। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है कि भारतीय नागरिकों का, वैदेशिक राजनयिक कर्मचारियों द्वारा, चाहे वे किसी भी देश के हों, तथा भारत में किसी भी हैसियत में हों, आगे अपमान न किया जाये ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is requested that the Ministry of External Affairs should issue instructions to the Ambassadors here that they should behave properly with the Indian Citizens, he may be the Chief Minister of a State and may belong to any Party because this is the question of honour of the whole country.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : इस पर आधे-घंटे की चर्चा होनी चाहिए। वह मुख्य मंत्री के अतिथि थे लेकिन उन्होंने उन्हीं का अपमान किया।

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने यह पत्र मुझे भेजा था तो मैंने उसे मंत्री महोदय को भेज दिया था, और मुझे आज सुबह उत्तर प्राप्त हुआ है।

श्री क० प्र० सिंह देव : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के इस नोट में ठीक-ठीक तथ्य नहीं दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें लिखा था कि वे इसे माननीय सदस्य को भेज दें।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमें रूसी राजदूत के वक्तव्य की अपेक्षा मुख्य मंत्री के वक्तव्य को अधिक सत्य मानना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही का विवरण मंत्री महोदय के पास भेज दूंगा । जो कुछ घटित हुआ है मुझे उस पर दुख है ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2799/70]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन् मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :—

- (एक) कि लोक-सभा द्वारा 24 फरवरी, 1970 को पास किये गये अतिरिक्त उत्पादशुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।
- (दो) कि लोक-सभा द्वारा 24 फरवरी, 1970 को पास किये गये संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों में संशोधन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: REVISION OF SCALES OF PAY AND ALLOWANCES OF EMPLOYEES OF THE UNION TERRITORIES

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य सांयकाल को दिया जायेगा । मैंने इसे 7 म० प० के लिये स्थगित कर दिया है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : मैं वक्तव्य अभी दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, वक्तव्य को पढ़ें ।

श्री के०एस० रामस्वामी : पहले सरकार की यह नीति थी कि निम्न संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा के कर्मचारियों के वेतनमान तथा भत्ते उनके पड़ोसी राज्यों जो प्रत्येक राज्य के सामने नीचे दिखाये

गये हैं, के कर्मचारियों के वेतन मानों तथा भत्तों के आधार पर निर्धारित किये जाते थे :—

(एक) हिमाचल प्रदेश (सचिवालय को छोड़ कर)	पंजाब
(दो) मनीपुर	आसाम
(तीन) त्रिपुरा	पश्चिम बंगाल
(चार) पाण्डिचेरी	तमिलनाडु
(पांच) दादरा और नगर हवेली	गुजरात
(छ) चंडीगढ़	पंजाब
(सात) नेफा	आसाम

दिल्ली, गोआ, दमन और दीव, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, और लक्कदीव, अमीन-दीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह संघ राज्यों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते केन्द्रीय वेतन तथा भत्तों के ढांचे पर आधारित रहते थे। सरकार ने सब संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते निर्धारित करने की नीति का पुनरीक्षण किया है और अब यह निर्णय किया गया है कि 6 मार्च, 1970 से सब संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते केन्द्रीय पद्धति के अनुसार निर्धारित किये जायें।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि श्री हेम राज जैसे वरिष्ठ सदस्य भी इस प्रकार अन्तर्-बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि प्रक्रिया के अनुसार इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I rise on a point of order. The people of Himachal Pradesh do not accept this statement. It is an injustice to the employees of Himachal Pradesh that they are not being given such grades as are given to the employees of Punjab.

Shri Hem Raj : Then we walk out.

Shri Prem Chand Verma : I also walk out.

इसके पश्चात श्री हेम राज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये।

Shri Hem Raj and some other hon. Members then withdraw from the House.

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के समय के पश्चात श्री महाराज सिंह भारती अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बज कर पांच मिनट म०प० पर पुनः सम्बैत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Five Minutes Past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[MR. DEPUTY SPEAKER in the chair]

पटना विश्वविद्यालय में हड़ताल के बारे में

RE: STRIKE IN PATNA UNIVERSITY

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Patna University has been closed. The employees of the University are on strike since the 5th instant. The Bihar State Government was unable to

find out any solution to the problem inspite of their best efforts. Therefore I request the Education Minister to make a statement in this regard and also to make efforts to settle the issue. The students have been deprived of their studies and examinations have been stopped. The situation may deteriorate further if no action is taken in time.

सामान्य बजट, 1970-71 सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1970-71—GENERAL DISCUSSION

Shri Maharaj Singh Bharti (Meerut) : The Members of the Congress (O) and the Sawatantra have said that the revenue estimates prepared by the Government were on the high side. But I am of the opinion that the fact is just the reverse of it. When the Government talk of checking the evasion of both direct and indirect taxes and of realising the tax arrears, the revenue estimates are on the low side, because that may more revenues can accrue and as a consequence thereof taxes in essential commodities could be reduced.

Shri Masani has described this budget as a budget of State Capitalism which was not expected from a man like him. He has also stated that in capitalism the return on one rupee invested comes to seven paise and in the Public Sector this return is two paise only. But the case is quite different. For example in H.M.T. and in the instrument factory in the Public Sector, the return is more than seven paise. It shows that the Public Sector undertakings are also in a position to earn profit by producing consumer goods.

It is a matter of great concern that the funds allocated in the budget for some very essential works are not utilised and they lapse. For example Rs. 6 crores in Agricultural and scientific Department, Rs. 17 crores in the construction of roads and Rs. 5 crores in respect Kalpakkam Power Station have not been utilised out of the provision made for them in the last budget. The funds should be spent on works for which they are allocated.

Cottage industries should be developed on a mass scale like Japan to solve the unemployment problem of the country. It will bring real socialism and prosperity in the country. In America and other countries crores of rupees are invested in the manufacture of sophisticated machinery which in Japan the same type of machinery is manufactured by the Cottage industries with a small capital which can compete in the world market. Employment opportunities should be created in villages and Towns so that people may not have to go to cities in search of employment. Government should have at least made a beginning in this direction. The results will be seen only after 8 to 10 years. But no provision has been made in the budget for this purpose.

So far as the production of milk is concerned the policy of Government will not help in increasing it. It is time that we are going to get about 120 thousand tonnes of milk powder and about 42 thousand tonnes of Ghee from Australia, New Zealand and European countries. This will meet our short-term requirements but in the long run it will ruin our own production of milk and milk products. I would request the Government to formulate longterm plan for the production of milk. I would also suggest that price of milk should also be raised in and around Delhi, so that farmers could be encouraged. Oil cakes should also be made available in Delhi at cheap rates. Steps should also be taken to improve the cow and buffalo breeding.

So far as the production of Sugar is concerned the Government should revise its policies and price of Sugar-cane should be raised. Unless fair price is given to the sugarcane growers they will not increase its production. This we have been experiencing for the last so many years. We can extract one maund of sugar from ten maunds of sugarcane. Government can export at the rate of one rupee per kilo by giving some subsidy to the producers.

In this connection I may also state that the capitalists are not in a position to establish Sugar plant complexes as they cannot invest hundred of crores of rupees. Establishing of a simple factory for the production of sugar cannot help nowadays as it cannot make good profits by way of producing by-products. This industry can make progress only if hundred of crores of

rupees are spent on it and this can be done only by Government. I would, therefore, suggest that this industry should be nationalised. Moreover, sugar industry should not be made dependent on sugar cane. Production of sugar beet should be encouraged and its minimum prices should be fixed by Government. I would also request the Government to withdraw the levy from Khandsari because this is being paid by the consumer.

So far as the production of iron and steel is concerned. I may say that we produce best quality iron-ore but even then the cost of production of steel in our country is the highest. It is due to the fact that we use inferior quality coal for producing steel. The ash-content is much higher in our coal. It is about 22 per cent whereas the ash-content in the coal which is being used by Japan is only eight per cent. The higher ash-content in the coal effect the efficiency adversely. I would, therefore, suggest that we should establish our steel plants at the sea-shore and good quality coal should be imported for using therein.

Demand of tractors is increasing in the country. A good quality tractor has been developed by the Research and Development Section of Durgapur.

I have come to know that Government is going to spend 35 crores of rupees on the import of 32 thousands tractors. I may suggest that with this amount we can establish a factory which may produce one lakh tractors a year. Instead of putting emphasis on import we should endeavour to produce tractors indigenously.

I am thankful to the Chair for providing me an opportunity to speak.

श्री बेद व्रत बरुआ (कलियाबोर) : श्री महता तथा मसानी आज सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री अशोक महता ने कल संसद में कुछ परस्पर विरोधी बातें कहीं थीं। उनका कहना था कि बजट को कुछ कठोर होना चाहिए अन्यथा उसकी अक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीक के विकास के लिए जो दो करोड़ रुपये की राशि रखी गई है वह पर्याप्त नहीं है, इस प्रकार बारानी खेती अथवा स्कूली बच्चों के भोजन के लिए भी पर्याप्त राशि नहीं रखी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामों को पानी सप्लाई का कार्य भी बहुत पहले हाथ में लिया जाना चाहिए था।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी विकास दर छः से सात प्रतिशत होनी चाहिये और उस के बिना हम सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परन्तु इस के लिये यह भी आवश्यक है कि हम अधिक संसाधन जुटाएँ। जब तक अधिक संसाधन नहीं जुटाये जायें, हम अधिक खर्च कैसे कर सकेंगे और जब तक अधिक खर्च नहीं किया जायेगा, तब तक विकास दर में वृद्धि कैसे हो सकेगी। संसाधनों को केवल उन क्षेत्रों पर, जिन पर अभी तक कर नहीं लगाया गया है, कर लगा कर ही जुटाया जा सकता है। इस लिये मैं श्री मसानी के इस कथन से कि बिना कोई कर लगाये अथवा करों में 30 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत कटौती करने से भी सुचारू रूप से काम चल सकता है, सहमत नहीं हो सकता। यह तर्क सही नहीं है। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि बिना कर लगाये संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। जब कोई शुल्क अथवा कर लगाया जायेगा तो चाहे वह कर प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष उस का किसी न किसी व्यक्ति पर तो अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा चाहे वह जन साधारण हो अथवा मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति अथवा धनी व्यक्ति अथवा कोई उद्योग। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि क्या वे कोई ऐसा जादू बता सकते हैं जिस से कोई ऐसा कर लगाया जा सके जिसका किसी पर भी कोई प्रभाव न पड़े ताकि हमारा ग्राम्य विकास कार्यक्रम 600 करोड़ रुपये का बन सके।

श्री मसानी ने कहा है कि समाजवादी कहलाना आजकल लोकप्रियता प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, अन्यथा इस का कोई अर्थ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि भारत ने प्रगति करनी है तो उसे समाजवादी आधार बनाना होगा और उस के लिये संघर्ष करना होगा। केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये समाजवाद का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। श्री मसानी ने प्रधान मंत्री को तीसरे दशक की मार्क्सवादी कहा है। मैं नहीं जानता कि श्री मसानी को तीसरे दशक

के मार्क्सवाद और सातवें दशक के मार्क्सवाद के अन्तर की जानकारी है। परन्तु मुझे यह जरूर ज्ञात है कि तीसरे दशक का मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता था। अब हमारे समक्ष जो आय-व्ययक है उसमें तो वर्ग संघर्ष की कोई बात नहीं है। उस में तो गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था है। राष्ट्रीय विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र को विकास का पूर्ण अवसर दिया गया है। अतः इस आय-व्ययक को तीसरे दशक का मार्क्सवाद कैसे कहा जा सकता है? इस आय-व्ययक को मार्क्सवादी कहना बहुत ही अनुचित है।

यह एक बहुत रोचक बात है कि इस आय-व्ययक को मुद्रा स्फीति का आय-व्ययक कहा गया है। मैं लार्ड किनीज का, जो कि 20वीं शताब्दी के पूंजीवाद के महान अधिवक्ता थे, उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि आधुनिक अर्थ शास्त्र में मुद्रा स्फीति नाम का कोई शब्द नहीं है। यदि सरकार गढ़े खुदवा रही है और फिर उन्हें भरवा रही है, तो भी वह अर्थ व्यवस्था का विकास कर रही है, क्योंकि इस से उत्पादक शक्ति को बल मिलता है और मांग पैदा होती है। हमारी कठिनाई यह है कि मांग तो बढ़ती है, मूल्य में वृद्धि भी होती है परन्तु उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। हमें इस चुनौती का सामना करना है।

एक तर्क यह पेश किया गया है कि यह सरकारी पूंजीपतिवाद का आय-व्ययक है और इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि सरकारी पूंजीपतिवाद क्या होता है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि श्री मोरारजी देसाई तथा श्री कृष्णामाचारी ने भी यह स्वीकार किया है कि यदि वे आय-व्ययक बनाते तो वे भी इसी प्रकार का आय-व्ययक बनाते। अतः मैं नहीं समझता कि इस आय-व्ययक के बनाने में सरकार की पहली नीति से कोई भिन्न कार्य किया गया है। इस आय-व्ययक को सरकारी पूंजीपतिवाद का प्रतीक बताना सही नहीं है।

श्री मसानी ने कहा है कि एक आदमी को एक रुपया कमाने के लिये 15 रुपये पैदा करने पड़ते हैं। वह उन लोगों की बात कर रहे हैं, जो करोड़पति हैं और जिन्हें एक रुपया कमाने के लिये 15 रुपये पैदा करने पड़ते हैं। उन्हें इस बात का भी दुख है कि उन लोगों पर जिन की आय 40,000 रुपये से अधिक है, अधिक कर लगाये गये हैं, परन्तु साथ साथ उन्होंने ने यह भी कहा है कि वही लोग करों का अपवंचन करते हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी पूंजीपतिवाद एक प्रकार की डकैती है। जब धन जुटाया जाता है, तो उसे डकैती नहीं कहा जाता, डकैती तो वह होती है, जब उत्पादन को बढ़ाये बिना मूल्यों में वृद्धि करके धन इकट्ठा किया जाता है।

श्री मसानी ने लेनिन तथा गांधी का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने हित के लिये गांधी जी का पक्ष लिया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि गांधी जी, मार्क्स तथा लेनिन में एक समानता थी। वे तीनों शोषण के विरुद्ध थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि पूंजीपति करों का अपवंचन करके तथा चोर बाजारी से धन कमायें। मैं नहीं समझ सका कि वह किस संदर्भ में गांधी जी का उल्लेख कर रहे थे? गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। यदि गांधी जी से पूछा जाता तो वह अवश्य यही कहते कि धनी व्यक्तियों को अपनी आय में से गरीबों को हिस्सा देना चाहिये। वह कर अपवंचन की बात कभी नहीं कहते। गांधी जी कभी यह नहीं चाहते थे कि केवल धनी व्यक्तियों का विकास हो।

श्री मसानी के अनुसार इस आय व्ययक में केवल एक ही अच्छी बात है और वह है कर छूट की सीमा को 5,000 रुपये तक बढ़ाना। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस आय व्ययक में जन साधारण के कल्याण का केवल एक यही उपबन्ध नहीं है, अपितु कई अन्य उपबन्ध भी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि में राज सहायता देने की व्यवस्था की गई है, औद्योगिक श्रमिकों के लिये पेंशन का उपबन्ध किया

गया है, पेय जल की सप्लाई के लिये व्यवस्था की गई है तथा एक नगरीय विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। देहाती बच्चों पर अधिक व्याज देने का प्रस्ताव किया गया है।

भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। गत तीन योजनाओं में प्रति व्यक्ति आय में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस के साथ साथ एयरकंडिशनर, स्कूटरों इत्यादि गैर आवश्यक विलासता की वस्तुओं की उपलब्धि में बहुत अधिक अर्थात् 214 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे यह पता चलता है कि जन संख्या के एक बहुत छोटे से समुदाय को बहुत अधिक लाभ हुआ है। इस लिये कोई ऐसी गलती है, जिसे हमें दूर करना है। इस के लिये कड़े कदम उठाये जाने चाहिये और स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये जिस से विलास की वस्तुओं में वृद्धि करते समय जन साधारण को न भुलाया जाये।

मेरा एक यह सुझाव है कि हमें संसाधन जुटाते समय तथा कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम उन लोगों पर ही कर लगायें, जो कर का भार वहन कर सकें, क्योंकि मध्यम आय वर्ग तथा उच्चतर मध्यम आय वर्ग की छूट देने की मांगों के होते हुए भी उन लोगों की मांगों को भी पूरा करना है जिन की वार्षिक आय औसतन 500 रुपये है और जिन की न्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होती हैं। इस लिये जब तक उन की मांगों को पूरा नहीं किया जायेगा, तब तक उचित विकास नहीं हो सकेगा।

राष्ट्रीय खर्च के बारे में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ। जहां तक पूंजी निर्माण का सम्बन्ध है दूसरी योजना में कुल पूंजीगत व्यय 49.5 प्रतिशत था। तीसरी योजना में यह व्यय 46.96 प्रतिशत था तथा इसी प्रकार इस में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है। जब इस पूंजी निर्माण में कमी आ रही है, तो इस से सिद्ध होता है कि गैर-उत्पादक खर्च में वृद्धि होती जा रही है। जब यह कहा जाता है कि गत 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगुनी हो गई है तो साथ साथ यह भी है कि गैर आवश्यक खर्च पांच गुना हो गया है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, हमें इसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें हर क्षेत्र में मितव्ययता बरतनी चाहिये।

इस समस्या के साथ निपटने के लिये कुछ ठोस उपाय किये जाने चाहियें। हमें आम जनता की समस्या का समाधान करने के लिये गम्भीर और संयुक्त प्रयास करने चाहियें। केवल नारे लगाने का कोई लाभ नहीं है।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में यदि समय पर उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई तो किसी भी तरह जनसंख्या में वृद्धि को रोका नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि क्या हम इस समस्या के समाधान के लिये विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण के बिना हमारे सभी प्रयास असफल रहेंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह कहा गया है कि हमें संयम का जीवन व्यतीत करना चाहिये। परन्तु इस दिशा में पहले मंत्रियों को कदम उठाना चाहिये। निर्धन लोगों और जनसाधारण की स्थिति का सुधार करने के सम्बन्ध में बड़े बड़े नारे लगाये जाते थे, परन्तु वास्तव में बजट में कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। यह जनता के साथ धोखा है जो अधिक समय तक नहीं चल सकता। मुख्यतः यह एक राजनीतिक बजट है। इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है। इस देश में जनसाधारण की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से यह बजट नहीं बनाया गया है। यदि इस प्रकार का बजट श्री मोरारजी देसाई ने पेश किया होता तो ये साम्यवादी इसको अत्यधिक प्रतिक्रियावादी बजट कह कर इसकी निन्दा करते।

इस बजट को समाजवादी बजट कहा गया है। विश्व में दो प्रकार के समाजवाद प्रसिद्ध हैं, एक समाजवाद वह जो साम्यवादी देशों में है। मार्क्सवादी समाजवाद का मूल सिद्धान्त यह है कि उत्पादन

और वितरण के सभी साधन सरकार के अपने हाथ में होने चाहियें और उन पर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये। जब ऐसा हो जाये तो शासक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति पर जबरन अपने विचार थोप सकता है, वह विरोधी पक्ष को समाप्त करके एक दल का शासन स्थापित कर सकता है। यदि सरकार वही समाजवाद चाहती है जो रूस में है तो उस समाजवाद और लोकतंत्रीय समाजवाद की विचारधारा में बहुत अन्तर है। ऐसे समाजवाद का लोकतंत्र के साथ कोई मेल नहीं है। प्रधान मंत्री को साम्यवादियों का साथ छोड़ देना चाहिये। मेरे विचार में लोकतंत्रीय विचारों का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के समाजवाद का पक्षपाती नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उन्हें बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहियें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : साम्यवादियों द्वारा इस प्रकार बाधा डालने को हम सहन नहीं कर सकते। माननीय सदस्य को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह की बात कहने वाली यह कौन होती हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सभा इस प्रकार की अन्तर्बाधाओं को सहन नहीं कर सकती। यदि उन्होंने अन्तर्बाधाएं डालीं तो हम भी उन्हें बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार कार्यवाही नहीं चल सकती। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सभा का और एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की बात को सुनें।

श्री बलराज मधोक : मार्क्सवादी, रूसी या चीनी समाजवाद का लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। कोई भी प्रजातन्त्रवादी उस तरह का समाजवादी नहीं हो सकता। इस देश में लोग उन्हें समाजवादी समझे बैठे हैं और जब वे समाजवाद की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य साम्यवाद से होता है। समाजवाद शब्द को तोड़मरोड़ दिया गया है और इस प्रकार के समाजवाद को हमेशा के लिये तिलांजली दे देनी चाहिये।

मेरा इस सभा तथा अपने समाजवादी मित्रों से निवेदन है कि वे समाजवाद की बजाय जन-कल्याण शब्द का प्रयोग करें।

यदि हम देश में लोकतन्त्रात्मक समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं तो वह उस समाजवाद से भिन्न होना चाहिये जिसकी हमारे साम्यवादी मित्र वकालत करते हैं। इसलिये हमें जन-कल्याणवाद या मानववाद स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये और हमने इस बजट को उसी दृष्टि से परखना है। हमारी मूल समस्या यह है कि वस्तुओं का भारी अभाव है। वस्तुओं के अभाव में हम लोगों की न्यूनतम जरूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं? इसलिए उत्पादन को सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। परन्तु क्या इस बजट में उत्पादन को महत्त्व दिया गया है। हालांकि प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हम उत्पादन के साथ साथ सामाजिक न्याय चाहते हैं। उत्पादन के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है। उन्होंने जो उपाय सुझाए हैं, घाटे का जो बजट बनाया है और कीमतों में जो वृद्धि होने जा रही है आगे चल कर उससे उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। तथ्य यह है कि गत 22 वर्षों से कृषि की उपेक्षा की जाती रही है। हमारी योजनाओं में नगरों को महत्त्व दिया गया है और गांवों की उपेक्षा की गई है। सरकार बोकारो के लिये करोड़ों रुपये की व्यवस्था कर सकती है परन्तु राजस्थान नहर पोंग बांध, थिएन बांध आदि के लिये सरकार के पास कोई पैसा नहीं है हालांकि उन्होंने अकाल राहत आदि के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

यदि सिंचाई कार्यों को उचित प्राथमिकता दी जाती तो सूखे की समस्या हल हो चुकी होती। सब से अधिक खेद की बात यह है कि सूखे से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये दी जाने वाली

राशि को राजनीतिक प्रयोजनों के लिये काम में लाया जाता है। राजस्थान में ऐसा ही हुआ है। हमें आर्थिक आयोजन को ग्राम-प्रधान बनाने की आवश्यकता है। हालांकि इस बारे में थोड़ी बहुत शुरुआत की गई है। परन्तु वह नाममात्र ही है।

दूसरी मूल समस्या बेरोजगारी की है। योजना आयोग का कहना है कि चौथी योजना के बाद बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 280 लाख हो जाने की आशंका है। परन्तु वास्तविक आंकड़े इस से भी अधिक होंगे। इस तरह के सरकारी उपक्रमों तथा भारी उद्योगों से हम बेरोजगारी कैसे दूर कर सकते हैं? बेरोजगारी को दूर करने के लिये हमें गांधी जी की आर्थिक नीति का पालन करना पड़ेगा। हमें ऐसे उद्योग स्थापित करने होंगे जिनसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। परन्तु अपने बजट भाषण में प्रधान मंत्री ने कुछ सार्वजनिक कार्यों के अलावा जिन में कुछ लाख लोगों को ही रोजगार दिया जा सकता है, बेरोजगारी की इस जटिल समस्या का सामना करने के लिये कुछ भी नहीं कहा है। हमें जनसाधारण की न्यूनतम जरूरियात मुहैया करनी हैं और अनाज उनमें से एक है। सरकार ने अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये हैं? कृषि की देवी प्रकोपों से रक्षा करने के लिये क्या कुछ किया है। राजकीय फारमों की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें राजकीय फारमों तथा सहकारी खेती के रुढ़िवादी सिद्धान्तों को छोड़ना पड़ेगा और पंजाब का अनुसरण करना होगा। वहां पर छोटे छोटे किसानों को उचित प्रोत्साहन देकर पंजाब सरकार उत्पादन में काफी वृद्धि कर सकी है। हमें मिट्टी के परीक्षण और सिंचाई की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये; तभी रसायनिक खादों का कोई लाभ हो सकता है। रसायनिक खादों के साथ साथ हरी खाद का भी उपयोग किया जाना चाहिये। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि अब समाप्त हो गई है। इसलिये हमें पूर्वी रावी, व्यास और सतलुज के जल के प्रत्येक कतरे को प्रयोग में लाने का अधिकार है। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि जबकि पाकिस्तान ने रावी पर मंगला बांध पूरा कर लिया है, हमारा पोंग बांध अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिये यह कहना केवल एक थोथा नारा ही है कि जनता तथा किसानों की भलाई ही हमारे लिये सर्वोपरि है। यदि ऐसी बात होती तो 80 प्रतिशत जनता की, जो गांवों में रहती है, उपेक्षा न की गई होती।

टेरीलीन पर जो शुल्क लगाया गया है उससे आम जनता पर भार पड़ेगा क्योंकि टेरीलीन पायदार होने की वजह से जन साधारण में लोकप्रिय हो गई है।

मकानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गृह निर्माण निगम की स्थापना के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। हम तो पिछले 15 वर्षों से इसकी मांग करते रहे हैं। गृह निर्माण कार्यक्रमों के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिये थी। वोकारो के लिये राशि में कटौती करके इस मद के लिये अधिक राशि नियत की जा सकती थी।

शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु सरकार ने शिक्षा के लिये क्या किया है? इस सभा में बराबर मांग की जाती रही है कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की दशा में सुधार किया जाना चाहिये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा के लिये भी एक केन्द्रीय अनुदान आयोग स्थापित किया जाना चाहिये। परन्तु बजट में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण दवाइयों के दाम भी बढ़ रहे हैं। दैनिक आवश्यकता की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार ने जो छोटी-मोटी राहत दी है वह निष्फल हो गई है। सरकार ने राहत कम दी है और कर अधिक लगा दिये हैं। इस बजट से जनसाधारण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और ऊंचे वर्गों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। बजट में सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने का भी कोई उल्लेख नहीं है। तीन महीने पहले यह घोषणा की

गई थी कि तीसरे वेतन आयोग की स्थापना की जायेगी परन्तु अब तक न तो उसके निर्देश-पदों और न ही सदस्यों के बारे में कोई घोषणा की गई है।

इस बजट में कुछ नियतन राजनीतिक उद्देश्यों से किये गये हैं जैसे कि राज्यों के लिये 175 करोड़ रुपये का उपबन्ध। जब राज्यों को केन्द्रीय निधि के बंटवारे के लिये वित्त-आयोग नियुक्त किया जाता है तब इस राशि का उपबन्ध करने की क्या आवश्यकता थी? इसका वितरण कौन करेगा? क्या सरकार मनमाने ढंग से इसका उपयोग नहीं करेगी? यह एक गलत तरीका है। यदि आप किसी राज्य को रुपया दें तो वह आप वित्त आयोग, एक अर्द्ध-न्यायिक संगठन की मार्फत दें, जो यह देख सके कि राज्य को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। राजनीतिक आधार पर ऐसा करने से समस्याएं बढ़ेंगी। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जाता है जैसे मद्रास, जम्मू और कश्मीर, नागालैण्ड आदि। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं। नागालैण्ड को रुपया दिया जाता है पर मणिपुर को नहीं जबकि उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल नागालैण्ड से कहीं अधिक हैं। क्या मणिपुर में भी नागालैण्ड जैसी स्थिति पैदा की जाये तब आप उसे रुपया देंगे। जम्मू और कश्मीर में भी ऐसा ही है। कश्मीर घाटी पर अधिक रुपया खर्च किया जाता है और जम्मू तथा लद्दाख पर, जो क्षेत्रफल में उससे कहीं बड़े हैं, बहुत कम रुपया खर्च होता है। परिणामस्वरूप वहां असंतोष व्याप्त है। वे कब तक चुप रह सकेंगे। तेलंगाना वाली स्थिति पैदा होने पर ही क्या आप उनके साथ न्याय करेंगे।

जम्मू और कश्मीर को एक इकाई मान कर अनुदान दिया जाता है जबकि वहां तीन अलग-अलग इकाइयां हैं : जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हैं। होना यह चाहिए कि आप जो भी अनुदान दें अलग-अलग इकाई को कितना दिया जाये यह पहले से निर्धारित कर दें। गजेन्द्रगडकर आयोग ने भी तीनों के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी, जो अभी तक पूरी तरह लागू नहीं की गई है। वहां असंतोष बढ़ता जा रहा है। एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण मैं चाहता हूं कि वहां ऐसी समस्याएं खड़ी न हों। पर जो नीतियां सरकार अब बरत रही हैं वे गलत हैं।

यही स्थिति मणिपुर की है। वह भी एक सीमावर्ती राज्य है और वहां के लोग सोचते हैं कि जब तक हम भी नागालैण्ड आदि के लोगों के समान रुख नहीं अपनाते तब तक न्याय नहीं मिल सकता। अतः मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि राज्यों के मन से इस भावना को दूर किया जाये कि उनके साथ पक्षपात किया जाता है।

अब सवाल है कि यह धन कैसे जुटाया जाये। इसके लिए उच्चस्तर पर मितव्ययता बरती जाये और यदि सरकारी क्षेत्र में कुछ किया जा सके तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

मैं सरकारी क्षेत्र के खिलाफ नहीं हूं अमरीका तक को भी इस क्षेत्र में अधिकाधिक आना पड़ रहा है। पर सवाल तो यह है कि क्या लोगों की मदद करनी चाहिए अथवा उन्हें लूटना चाहिए? सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सदस्य होने के नाते मुझे भी इसकी कुछ जानकारी है। इनमें से कुछ पिछले 10 सालों में 30 करोड़ रुपये की हानि उठा चुके हैं तथा अगले 2-3 सालों में और 10 से 20 करोड़ तक की हानि होगी और सम्भवतः तब तक वे कहीं समाप्त ही न हो जायें। यह अब क्यों चलना चाहिए? कर दाताओं पर यह भार क्यों? पर फिर भी इस सदन के पास सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के एक भी प्रतिवेदन पर चर्चा करने का समय नहीं है। क्योंकि समिति का प्रतिवेदन तथा इसमें दिए गये साक्ष्य जनता के सम्मुख नहीं रखे जाते। इस कारण इन उपक्रमों के लोग किसी बात की परवाह नहीं करते।

यदि आप सरकारी उपक्रमों को जनहित का उपक्रम बनाना चाहते हैं तो इनमें सुधार करने के लिए आप को बुनियादी निर्णय लेने होंगे। पहली बात तो यह है कि इस समिति के प्रतिवेदन को

जनता में परिचालित किया जाये जिससे कि इन पर कोई अंकुश लग सके। ब्रिटेन में ऐसा किया गया है और इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है।

मंत्री महोदय को भी इस समिति की बैठकों में बुलाया जाये क्योंकि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो अधिकारी कहते हैं यह मंत्री महोदय के पास भेज दिया गया है। मंत्री महोदय के समिति में आने में अगर कुछ वास्तविक कठिनाइयाँ हैं तो उसकी प्रक्रिया में कुछ सुधार किया जा सकता है।

तीसरे, हमें अधिकाधिक सर-सरकारी क्षेत्र के लोगों अथवा गैर-अधिकारी वर्ग के लोगों को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से सम्बन्धित करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि बोर्ड के अधिकतर सदस्य अधिकारी वर्ग के लोग हैं और उनके पास समय नहीं होता तथा इस कारण वे अपने अधिकार प्रबन्धकों को सौंप देते हैं और वे सुपर बिड़ला अथवा सुपर टाटा बन जाते हैं, जिनकी उपक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। जनता का पैसा होने के कारण वह किसी का पैसा नहीं होता। हम देखते हैं इन उपक्रमों में यद्यपि 4,000 करोड़ की धन राशि लगी हुई है पर फिर भी वे घाटे में चल रहे हैं। इस वर्ष यह घाटा 40 करोड़ रुपए था। यदि यह रुपया बैंक में भी डाला जाता तो प्रतिवर्ष 200 करोड़ मिलता श्री भगवती ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े कारखाने होने के कारण यह हानि है। पर असल बात यह है कि जिस-जिस उद्योग को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया उस-उस उद्योग में ऐसा ही हुआ है। भारी उद्योगों को ही देखिए रुक़ेला अथवा दुर्गापुर की तुलना में टाटा का कारखाना, यद्यपि वह बहुत पुराना हो चुका है, अधिक लाभ उठा रहा है। ऐसा क्यों इस पर गहराई से सोचना चाहिए तथा सरकार को इस हानि पर प्रभावकारी रोक लगानी चाहिए।

यह सही है कि सरकारी क्षेत्र में भी एयर इंडिया जैसे उपक्रम हैं, पर वह यह सब कठिन प्रतियोगिता के कारण ही कर सका है। प्रतियोगिता उन्नति का आधार है, पर सरकारी क्षेत्र हमेशा इससे बचता आया है। वास्तविकता यह है कि निजी क्षेत्र वाले यह चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र प्रतियोगिता में सामने आएँ क्योंकि तब वे सरकारी क्षेत्र की उत्पाद लागत अधिक होने के कारण, ऊँची कीमत तय किए जाने पर अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसलिए जब तक सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता न कर सके उसे आगे नहीं आना चाहिए। हम सब निजी एकाधिकार के विरुद्ध हैं पर सरकारी एकाधिकार भी कम बुरा नहीं है। क्योंकि उसके खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। अतः सरकार को प्रतियोगिता में उतर कर ही मैदान में आना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अमुक उद्योग को सरकार के अधीन ले लेने से लाभ होगा? यह फैसला सरकार नहीं वरन् एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण करे। यदि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रभावशाली ढंग से चला सके तो आपको ये कर लगाने की आवश्यकता न पड़े।

भारत को आजकल किसी वाद की आवश्यकता नहीं है उसे तो केवल भारतीय वाद की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री महोदय को इससे बड़ी चिढ़ है। यदि वे भारतीय होतीं तो ऐसा न होता। इस देश की नीतियाँ किसी वाद के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए वरन् वह देश के लोगों के लाभ के लिए होनी चाहिए।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परमणी) : माननीय सदस्य को कम से कम देश के गरीबों का ध्यान रखना चाहिए।

श्री बलराज मधोक : मैं भी उनमें से एक हूँ। प्रधान मंत्री महलों में रहने वाली हैं, वे उनका ध्यान नहीं रख सकतीं। वे नहीं जानती कि गरीब लोग क्या सोचते हैं।

हमारा देश एक धनी व्यक्ति की भाँति है, जिसके पास मकान बनाने के लिए पैसा, सीमेंट, ईंटें और अन्य सभी वस्तुएँ हैं किन्तु वास्तविक नहीं है, योजना नहीं है। परिणामस्वरूप वह भवन की

जगह टीला बना पाता है, हमारे पास अच्छी श्रम शक्ति, अच्छी भूमि, लोहा तथा इस्पात तथा अन्य सभी कुछ उपलब्ध है, जिससे कि हम देश को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, किन्तु दुर्भाग्य से हमारा नेतृत्व तथा नीतियां बुरी हैं ; जब तक नेतृत्व तथा नीतियों में परिवर्तन नहीं होता तब तक देश इसी प्रकार की समस्याओं से घिरा रहेगा, अतः हर लोक तंत्री, हर जन कल्याणवादी जो कि आम आदमी के कल्याण की सोचता होगा, को नेतृत्व परिवर्तन के लिए कार्य करना है। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक इस सदन में इस विषय में बोलना व्यर्थ है।

फिर भी मुझे भारत की नीति में विश्वास है। इस उद्देश्य के लिए कि एक न एक दिन हमारा देश एक बड़ा देश बनेगा मैं तथा मेरा दल काम करते रहेंगे और कुछ दिनों में हम अच्छा नेतृत्व प्राप्त कर सकेंगे।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : उपाध्याक्ष महोदय, श्रीमान, सर्व प्रथम मैं माननीय प्रधान मंत्री को उनकी दूर दर्शिता जो कि बजट में दिखाई गई है, के लिए बधाई देता हूं।

श्री हरदयाल देवगुण : पूंजीवादी बजट के लिए ?

श्री एस० आर० दामानी : मेरे विचार से बजट प्रस्तावों में उत्पादन वृद्धि का अधिक ध्यान रखा गया है। इनसे बचत को भी प्रोत्साहन मिलता है, अतः मैं इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूं।

कल मैंने अपने माननीय मित्र श्री अशोक मेहता तथा श्री मी० रु० मसानी के वक्तव्य को भली-भांति सुना। दोनों अर्थ शास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि इन बजट-प्रस्तावों में कहीं भी परिवर्तन की गुंजायश नहीं है। परन्तु यदि शुद्ध मन से देखा जाए तो यह बजट पहले बजटों से भिन्न है।

मैं श्री मसानी की इस बात को नहीं समझ सका कि हिस्सों की कीमतों में कुछ विशेष बड़े लोगों ने हेर-फेर किया है। बजट प्रस्तावों में आयकर तथा धन कर की दरों में बढ़ौतरी हुई है। यदि वे हिस्सों की कीमतों में हेर-फेर करें तो उनको आय-कर तथा धन कर अधिक देना पड़ेगा। मेरे विचार से हिस्सों की कीमतों को बढ़ाने के कारण कुछ और ही हैं। हिस्सों से प्राप्त आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। इससे मध्यम वर्गीय तथा कम आय वाले लोगों को हिस्से खरीदने में उत्साह पैदा होता है ताकि उनको इस छूट से लाभ मिल सकेगा। अतः स्पष्ट है कि बड़े लोगों द्वारा इसमें हेर फेर करने का कोई सवाल नहीं है।

मुझे हर्ष होगा यदि श्री मसानी इस चीज को साबित करने के लिए कि इसमें बड़े लोगों द्वारा हेर-फेर हुआ है, कोई पत्र या आर्थिक पत्रिका प्रस्तुत करें।

हमारी अर्थव्यवस्था में काफी प्रगति हुई है। आयात कम हो गया है। गत वर्ष लगभग 1,850 करोड़ रुपए के मूल्य का आयात हुआ था। इस वर्ष हमारा आयात 1,500 करोड़ रुपये के मूल्य का होगा, जिससे 350 करोड़ रुपये का आयात कम हो गया है।

इसी प्रकार हमारा निर्यात भी काफी ऊंचे स्तर को छू गया है। गत वर्ष हमने 1,360 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया, इस वर्ष यह 1,400 करोड़ हो जायेगा। पटसन तथा चाय के निर्यात में गिरावट आने पर भी हमारा निर्यात बढ़ा है। यदि पटसन तथा चाय की निर्यात की पहले वाली ही मात्रा होती तो आयात-निर्यात का संतुलन हमारे पक्ष में होता और दोनों के मध्य अन्तर कम हो जाता, फिर गत वर्ष यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन 500 करोड़ का था किन्तु इस वर्ष यह 100 करोड़ से 120 करोड़ तक ही रह जायेगा, यह तो देश की एक बहुत बड़ी सफलता है।

बजट में प्रधान मंत्री ने चाय पर निर्यात शुल्क हटा दिया है और पटसन की कुछ वस्तुओं पर भी। इससे चालू वर्ष में चाय तथा पटसन का निर्यात बढ़ेगा।

कई वर्षों के पश्चात् हमारे औद्योगिक उत्पादन में कुछ प्रगति हुई। गत वर्ष में यह $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ा है। और आगे भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। सारे इन्जीनियरिंग उद्योग पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और आगे एक साल तक के लिए भी इनके पास पूरा काम है। इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है।

इसी प्रकार प्रतिकूल मौसम के बावजूद हमारा कृषि उत्पादन 10 करोड़ मीटरी टन का हुआ है मुझे लगता है कि हमारे कृषि उत्पादन में और वृद्धि होगी।

हमारी विदेशी मुद्रा की दशा में भी सुधार आया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अदायगी करने के पश्चात् भी हमारे पास 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शेष बची हुई है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हमारी अर्थ व्यवस्था प्रगति कर रही है और जो प्रस्ताव प्रधान मंत्री ने बजट में किये हैं उनसे हमारे उद्योगों में प्रगति होगी और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।

लम्बे समय से लोग मांग कर रहे थे कि आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी जाए जो कि अब 5,000 रुपये कर दी गई है। इससे सब लोगों को लाभ होगा। साधारण लोगों तथा मध्यम वर्ग को लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री अगले वर्ष इसकी सीमा 6,000 कर देंगी। इस छूट में वृद्धि से आयकर विभाग को भी फायदा होगा। इससे आय-कर विभाग ऊंची आय वर्ग के मामलों को शीघ्र निपट सकेगा। आय कर के विषय में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां छोटे उद्यमकर्ताओं द्वारा चलाई जाती हैं, जिनको कि आय-कर 65 प्रतिशत की दर से देना पड़ता है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को 55 प्रतिशत की दर से आयकर देना होता है, 65 प्रतिशत आय कर देकर इन कम्पनियों को लाभांश का वितरण भी करना होता है, जिस पर फिर कर देना होता है। इस प्रकार से इन छोटे उद्यमकर्ताओं तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों पर कुप्रभाव पड़ता है। पहले इन दोनों प्रकार की कम्पनियों पर आयकर की दर समान थी। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों पर आय-कर की दर कम होनी चाहिए। मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा, कुछ समय पहले सरकार ने आय कर तथा प्रत्यक्ष करों के लिए राजस्व लेखा परीक्षा आरम्भ की थी। इसका उद्देश्य यह था कि लेखा परीक्षक देख सकें कि कर-संग्रहकर्ताओं ने ज्यादा-कम कर तो नहीं लिया, गिनने में कोई गलती तो नहीं की, अब तो उनके कार्यों का विस्तार हो चुका है। अब वे अधिकारियों के निर्णयों, आयुक्तों के निर्णयों और यहां तक कि न्यायालयों के निर्णयों में भी हस्तक्षेप कर लेते हैं, और व्याख्या कर लेते हैं, कि किस प्रकार कानून को लागू किया जाना चाहिए; इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं अतः राजस्व लेखा परीक्षकों को केवल लेखा परीक्षा ही करनी चाहिए और कानून की व्याख्या आदि में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

पिछली बार आयकर निर्धारण के लिए समय नियत किया गया था, कि दो वर्ष के अन्दर सारे मामले निपटा दिए जाएं। इससे अधिकांश मामले निपटा दिए जाते थे, परन्तु अब क्या होता है? अब अपीलों के निबटारे के लिए समय सीमा नियत नहीं है।

श्रीमान् जी अपीलों को कई वर्षों तक लम्बित रखा जाता है परन्तु यदि उन्हें एक निर्धारित समय में निबटा दिया जाये तो राजस्व में होने वाली कमी से बचा जा सकता है। यदि सरकार को अपीलों के निबटारे के लिये कुछ अधिकारियों को नियुक्त करना हो तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिये, परन्तु निश्चित समय अधिक से अधिक एक वर्ष होना चाहिये जिसमें अपीलों को निबटा कर अंतिम रूप दिया जाये, ताकि उस अवधि में सारा कार्य पूरा किया जा सके। छूट की सीमा 3,000 रुपये रखी गई है। जो व्यक्ति व्याज या लाभांश द्वारा 3,000 रुपये प्राप्त करते हैं उनसे कर मूल साधन से काटा जाता है तो वे पैसा वापिस लेने के लिये अपील करते हैं परन्तु मेरा सुझाव है कि 3,000 रु० से कम आय वाले

व्यक्तियों से यदि कर नहीं लिया जाये तो विभाग कुशलता पूर्वक कार्य कर सकेगा और जनता को सरकारी सिक्योरिटियों में पैसा लगाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

पूँजीगत वस्तुओं, मशीनरी आदि पर आयात-शुल्क 27½ प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यदि सरकार देश में निर्मित मशीनरी और संयन्त्रों पर अधिक मूल्य ह्रास तथा विकास छूट दे तो देश की बनी मशीनों आदि की बिक्री बढ़ेगी। परन्तु यह छूट उन्हीं मशीनों पर दी जानी चाहिए जो अब आयात की जाती हैं। यह मेरा सुझाव है।

अंत में रुई के आयात से सम्बन्धित मेरा सुझाव है कि हम प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपयों की रुई आयात करते हैं तथा विश्व की तुलना में हमारे देश में प्रति एकड़ 150 पौंड रुई पैदा होती है जब कि सूडान, मिश्र आदि देशों में 600 पौंड होती है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय सदस्य ने कपड़ा-उद्योग ही क्यों चुना, दूसरे उद्योग भी तो हैं।

श्री एस० आर० दामानी : मैं दूसरे उद्योगों, आय-कर और निर्यात क्षमता आदि के बारे में कह चुका हूँ। अब मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे देश में सूती कपड़ा उद्योग सबसे पुराना उद्योग है और 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस उद्योग में कार्य करते हैं परन्तु हमारी सरकार 20,000 एकड़ के विकास के लिए 50,000 रुपये की राशि की व्यवस्था करती है जो सन् 1960 में भी वही थी और गत 10 वर्षों से कपास उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है परन्तु यदि हम आयात करने के स्थान पर अधिक धन-राशि इस उद्योग के विकास के लिये लगायें तो 100 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा जो हम व्यय करते हैं, उसे बचा सकते हैं।

अंत में मैं उत्पादन शुल्क के बारे में कुछ कहना चाहूँगा—राजकोष को प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये उत्पादन शुल्क से मिलते हैं। परन्तु वर्तमान धन एकत्रित करने के तरीके को यथा मूल्य एकत्रित करने के तरीके में परिणत कर दिया जाना चाहिये क्योंकि यदि कोई 2 रुपये कीमत की सुपरफाइन मलमल खरीदता है तो उसे 8 आने उत्पादन शुल्क देना पड़ता है और जो 6 रुपये की कीमत की सुपरफाइन पाप्लीन खरीदता है उसे भी 8 आने उत्पादन शुल्क देना पड़ता है और यह गरीबों पर एक भार है अतः यथा मूल्य आधार पर शुल्क लगाना चाहिये।

यदि बिक्री कर को उत्पादन शुल्क के साथ मिला दिया जाये तो निर्बाध व्यापार होगा और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और बिक्रीकर में किसी प्रकार कोई कमी, जैसा कि हम सब जानते हैं, नहीं होगी।

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर) : मैं सुना अधिक करती हूँ और बोलती कम हूँ। मैंने यहां सदस्यों को ध्यान पूर्वक सुना है तथा सभा के बाहर भी देशवासियों को सुना है, चाहे वह उद्योग-क्षेत्र में हों या कृषि में। सभी को सहायता और राहत की आवश्यकता है। उनकी यह शिकायत कि उन पर बोझा बहुत अधिक है उनकी तकलीफ को दूर करने के लिये वचन दिये जाते हैं परन्तु अभी तक इस विषय में उनके लिये कुछ नहीं किया गया है।

देश के वे व्यक्ति जिनका हाथ सत्ता में है वे ही खुशहाल और समृद्ध हैं और देश में हर व्यक्ति का सत्ता प्राप्त करने का स्वतः ही झुकाव है। यदि कोई व्यापारी जब तक सत्ता में कोई हिस्सा नहीं रखता है तब तक वह अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता है।

मैं भी किसान परिवार से सम्बन्ध रखती हूँ और मैंने “कृषि क्रान्ति” के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर की गई बातें सुनी हैं परन्तु जब भी मैंने प्रति वर्ष इस सभा के समक्ष सत्य बातें लाने की कोशिश की है इन सत्य बातों पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।

कृषि क्रांति के बारे में प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से किसानों को सहायता देने की तारीफ की जाती है परन्तु इन सब बातों के उपरान्त किसान को कष्ट ही दिया गया है।

दिल्ली के आस-पास कल की ओलावृष्टि से फसल को कितना नुकसान होगा यह आंकड़ों से पता चलेगा। इस पर किसानों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50 रुपये दे दिये जायेंगे और नये बीजों से उत्पन्न फसल पर सरकार कर लगा देगी। परन्तु जब नये बीज का प्रयोग किया जाता है तो कितनी त्रुटियों का अनुभव होता है परन्तु जब अच्छी फसल होती है तो उसी को आधार मान कर सरकार कर लगा देती है। सरकार को कम और अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कर लगाना चाहिये।

हम कहते हैं कि बैलो को हटाकर हम यंत्रों से कृषि उत्पादन करके विकास करेंगे परन्तु पेट्रोल और डीजल महंगे होते जा रहे हैं तथा प्रत्येक किसान ट्रैक्टर खरीद भी नहीं सकता। उर्वरक भी बहुत महंगे हो रहे हैं। सन् 1969 में 17 रुपये की कीमत के उर्वरक के थैले के इस समय 28 रुपये लगते हैं।

मेरे कतिपय मित्र मनोरंजनार्थ जापान और अमेरिका जाते हैं तथा कहते हैं कि अध्ययन करने के दृष्टिकोण से यात्रा पर जाते हैं। यहां लौटकर अमरीकियों और जापानियों की प्रगति की बात बताते हैं परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं कि वहां के किसानों को कितनी सहायता मिलती है।

किसी भी 5000 रु० से अधिक आय वाले किसान पर कर लगाया जाता है और देश के विभिन्न राज्यों में कर-निर्धारण करने वाले कर्मचारी गये हुये हैं और वे कहते हैं कि यदि किसी के 5,000 रुपये बैंक में जमा हैं तो वह $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये की राशि पर ब्याज है इसलिये उसकी संपत्ति $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये की मानकर उस से अधिक राशि पर कर लगाया जाना चाहिये।

मैं मेहरौली के आस पास की भूमि का उदाहरण दूंगी। कुछ व्यापारी अपने काले धन को श्वेत धन में परिणत करने के उद्देश्य से वहां भूमि खरीदते हैं और किसान जिसका कि एक मात्र धंधा खेती है, वह वंचित रह जाता है क्योंकि प्रति एकड़ जमीन की कीमत 10,000 रुपये तक होती है। एक व्यापारी बम्बई से तथा दूसरा कलकत्ता से आया और 2-3 एकड़ जमीन खरीद ली। मैं इस सभा में देश के समस्त किसान समुदाय के हित में कहती हूं कि उन्हें अपनी पार्टी और नेताओं को साहस के साथ देश के प्रति वफादारी रखते हुये इस अन्याय की बात कहनी चाहिये।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं। संगरूर, जिला पटियाला में झझर क्षेत्र में फसल और सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। सारे पंजाब में कुल 617 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा है और इसमें से अकेले संगरूर क्षेत्र में लगभग 610 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस सम्बन्ध में 25 करोड़ की सहायता की मांग की गई है जब कि सहायता केवल 5 करोड़ रुपये की ही दी गई है जो कि बहुत अपर्याप्त है। उस क्षेत्र में जलमग्न की समस्या बरसों से चली आ रही है जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं चण्डीगढ़ के प्रश्न को लेती हूं। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। प्रधान मंत्री कहती रहीं कि वह धमकी के आगे नहीं झुकेंगी। किन्तु बाद में उन्हें संत फतेह सिंह की धमकी के आगे झुकना पड़ा। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान के त्याग और बलिदान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने अपने जीवन के मूल्यवान 23 वर्ष जेलों में बिताये। अतः जब माननीय बलिदान का प्रश्न आता है तो सरकार को मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

गंगा नगर में जो कुछ हुआ है उसके 10 प्रतिशत की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। समाचार पत्रों में सारी बातें नहीं आती हैं। समस्या का सामना करके ही उसको

हल किया जा सकता है। जब यहां गंगा नगर का उल्लेख किया जाता है तो वह मुस्कराती है। मैं समझती हूं इन मामलों पर अधिक गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

श्री भगवती (तेजपुर) : प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का देश भर में स्वागत किया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया बजट के दो उद्देश्य हैं : आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय। यदि एक ओर धन बर्बाद किया जाता है तो स्वभावतः दूसरी ओर के लोगों पर इसका असर पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारे सभी वर्गों के लोगों और सभी प्रदेशों को समान अवसर मिलें और राष्ट्रीय धन में उनको समान हिस्सा मिले।

इसके साथ ही हमें आर्थिक विकास पर भी बल देना चाहिये। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है। इसके लिये हमें साधन जुटाने के साथ-साथ जनता में पर्याप्त जोश पैदा करना है।

श्री मधोक ने कहा कि भारत को समाजवाद या पूंजीवाद की आवश्यकता नहीं है, भारतीयवाद की आवश्यकता है। समाजवाद एक निश्चित विचारधारा है। यदि हम जनता को प्रेरित करना चाहते हैं तो हमें उनके सामने निश्चित विचारधारा, निश्चित कार्यक्रम को रखना होगा। हमें अपने देश में समाजवाद को एक राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में स्वीकार करना होगा। हमारे पास जो जन शान्ति है उसको हमें देश की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयोग में लाना है। इसके लिये हमें प्रगतिवादी शक्तियों को संगठित करना होगा। राजनीतिक दलों को एक सामूहिक कार्यक्रम अपनाना चाहिये और उसे क्रियान्वित करना चाहिये।

हमारी अनेकों समस्याएं हैं। अन्य देशों के मुकाबले हमारी प्रति व्यक्ति भूमि तथा संसाधनों की उपलब्धता बहुत कम है। रोजगार के नये अवसर बनाये बिना भूमि की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास के बिना बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की जा सकती। यदि राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ ही उछालते रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये हमें लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा।

यदि हम अपने देश में आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र के कुछ लोगों को उद्योगों में ले जाना होगा। 80 प्रतिशत जनसंख्या को कृषि से रोजगार नहीं दिया जा सकता। हमें नये उद्योग स्थापित करने होंगे। भूमि की समस्या को हल करने के लिये हमें हल चलाने वालों को भूमि देनी होगी।

किन्तु आवश्यकता खाद्यान्नों से भिन्न खाद्यपदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिये ताकि हमारे बच्चों का अच्छा विकास हो। सोयाबीन में प्रोटीन की काफी मात्रा होती है और शाकाहारियों को उसे अवश्य लेना चाहिये। इस देश में दूध, अण्डे, मछली और गोश्त के उत्पादन पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है।

मैं प्रधान मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने आसाम के लिये पैकेज कार्यक्रम की घोषणा की। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि उस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये। जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, इसमें चाय के ऊपर जो वृद्धि की गई है उसका खण्ड 5 और 4 में बीच के दर्जे की चाय पर बुरा असर पड़ेगा। चाय पर से जो निर्यात शुल्क हटाया गया है उसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। किन्तु उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि को वापस ले लिया जाना चाहिये क्योंकि आसाम सरकार की आय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हमारा देश इस समय एक राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट का मुकाबिला करने के लिये सभी प्रगतिवादी शक्तियों को संगठित होना चाहिये।

हमें समझ लेना चाहिये कि यदि इस समय हम उचित कार्यवाही करने से चूके तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिये हमें कोई क्रान्तिकारी कार्यवाही करनी होगी, पुराने रूढ़िवाद से मुक्त होना होगा। मैं भी अपने देश के लिये—उसकी समृद्धि के लिये—उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करता हूँ जिन शब्दों में विश्व कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने की थी; अर्थात् हे प्रभो! मेरा देश ऐसा हो जहाँ हमारा मानस सभी प्रकार के भय से मुक्त हो, ज्ञान बन्धन हीन हो, जहाँ साम्प्रदायिकता अथवा समुदायवाद की तंग दीवारें न हों तथा जहाँ सच का बोल बाला हो; जहाँ कार्य कुशलता में प्रवीणता प्राप्त करने के लिये अथक परिश्रम किया जाये जहाँ हर चीज का निर्णय युक्तिसंगत हो तथा पुरानी आदतों अथवा परम्पराओं का रूढ़िवाद न हो, जहाँ विचार संकीर्णता न हो, जहाँ हर प्रकार की स्वाधीनता का साम्राज्य हो।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोन्डा) : गत 9 महीने से बड़े जोरों का प्रचार किया जा रहा है कि समाजवाद लाया जा रहा है और उस दिन की प्रतीक्षा—बजट पेश किये जाने वाले दिन की प्रतीक्षा—बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। हमें आशा थी कि इस बार का बजट गत वर्षों के बजट से कुछ भिन्न होगा क्योंकि अब तो प्रधान मंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं और अब उन्हें इस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार भी बाध्य नहीं कर सकता। परन्तु इस बजट को देख कर हमें बड़ी ही निराशा हुई है क्योंकि इस बार भी हमें कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। इस बारे में श्री अशोक मेहता तथा श्री मसानी भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। मैं मानती हूँ कि हम बजट में निर्धन लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य किये गये हैं—यह बड़ी अच्छी बात है, परन्तु इससे इस समस्या की जड़ में नहीं पहुँचा जा सकता इन उपायों से कोई आमूल भूत परिवर्तन नहीं होता जिससे निर्धन लोगों की स्थिति में कोई सुधार हो सके। प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था “कि निर्धन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाना अनिवार्य है। ऐसी कार्यवाहियाँ करनी होंगी जो गरीबों का कल्याण करने के साथ-साथ उत्पादन की गति को भी बढ़ायें।” उनके इस कथन में कोई दोष नहीं निकाल सकता। सरकार की प्रचार व्यवस्था बड़ी सशक्त है। इस संबंध में कहा गया है “कि इस बजट द्वारा इस दशक के लिये एक नया दौर आरम्भ किया गया है। जुलाई 1969 से घटी जा रही राजनीतिक घटनाओं को सब समझते हैं तथा जब से उन्होंने अपना पद सम्भाला है देश में सामाजिक न्याय तथा समाजवाद का एक युग आरम्भ हुआ है।”

मैं तो केवल यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को लोग स्वयं देखें कि क्या इस बजट में वस्तुतः ही कोई विशेष परिवर्तन मिलता है? वास्तव में कोई नीति परिवर्तन हुआ है? कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि समाजवाद के उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस बजट में गलत हिसाब-किताब लगाया गया है। जहाँ तक गरीबों का संबंध है जोकि पहले ही कम आय पाते हैं उन पर और अधिक भार पड़ेगा क्योंकि मुद्रा स्फीति अवश्य ही होगी तथा इसके फलस्वरूप रुपये का मूल्य घटेगा और सामाजिक तनाव बढ़ेगा। इससे नीति संबंधी अस्थिरता भी बढ़ेगी।

मुद्रा स्फीति का दूसरा कारण राज्यों द्वारा किया जाने वाला निरर्थक खर्च, बैंकों से अधिक धन निकालना, केन्द्र का पक्ष लेने वाले राज्यों द्वारा अधिक खर्च किया जाना तथा केन्द्र सरकार द्वारा व्यर्थ का खर्च किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप बचत कम होगी।

वर्ष 1965-66 में समाप्त होने वाले दशक में बचत की दर 8 प्रतिशत थी। वर्ष 1966-67 में यह दर घट कर 6.6 प्रतिशत रह गई। अब यह दर कुछ बढ़ी है। परन्तु इस बजट से यह प्रतीत नहीं होता कि इस दर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पुरानी नीति के कारण पंजी व्यय बढ़ा था, बचत

कम हुई थी तथा इस प्रकार पूंजी की कमी पड़ने के कारण प्रगति में बाधा पड़ी थी। अब सरकार समझती है कि वही नीति काम देगी और इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया गया।

निर्धन लोगों की भलाई के संबंध में बात करते हुए मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कितने विभिन्न कर उन पर लगाये गये हैं। मिट्टी के तेल, चीनी, चाय, सिगरेट, काफी, पेट्रोल पर लगे शुल्क तथा रेल भाड़े में हुई वृद्धि से सामान्य उपभोक्ताओं पर, मध्यम श्रेणी के लोगों पर ही बोझ पड़ेगा।

इस बजट में अतिरिक्त प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर लगाकर 170 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। उत्पादन-शुल्क से 135 करोड़ रुपये तथा सीमा शुल्क से 20 करोड़ रुपये जिसका अर्थ है कि अधिकतम राजस्व परोक्ष करों से प्राप्त होगा। यह कहा गया है कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का प्रयास किया है जिससे निर्धन तथा सामान्य लोगों पर भार न पड़े; परन्तु ऐसे परोक्ष कर तो सर्वाधिक कष्ट प्रद होते हैं। लोग उन्हें देख भी नहीं पाते परन्तु उन्हीं से मूल्यों में वृद्धि होती है।

हमें बताया गया है कि आयकर में कुछ छूट देना समाजवाद की ओर एक महान कदम है। इस थोड़ी सी रियायत के लिये मैं प्रधान मंत्री का धन्यवाद करती हूँ परन्तु इस रियायत से बहुत लोगों का भला नहीं होगा। बूथलिङ्गम समिति ने 7500 रुपये तक छूट देने की सिफारिश की थी और वही किया जाना चाहिये था। उन्होंने क्यों नहीं किया। फिर 40,000 तथा इससे ऊपर की आय पर आयकर बढ़ाया गया है। यह भी एक अच्छी समाजवादी कार्यवाही है। परन्तु फिर दोष कहाँ है? दोष प्रशासन में होगा। इस राशि को एकत्रित करने में दोष रहेगा : मैं जानना चाहूँगी कि बड़े बड़े उद्योगों— जिसका नाम एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में आता है, जो वस्तुतः धन का केन्द्रीकरण करते हैं, उन पर इस का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं मानती हूँ कि 93.5 प्रतिशत से अधिक की दर नहीं रखी जानी चाहिये परन्तु क्या मैं जान सकती हूँ कि इस दर का कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस से सरकार को कितनी धनराशि मिलेगी? हमें डर है कि इस कार्यवाही से कालेधन को एकत्रित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा जिससे कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भारी कुप्रभाव पड़ेगा। अतः इस सम्बन्धी सभी कमियों को दूर किया जाना चाहिये।

व्यक्तिगत तथा परिवार सम्पत्ति पर भी कर लगाया गया है परन्तु नियमित सम्पत्ति को छोड़ दिया गया है। बड़े-बड़े उद्योगपति अपने निजी नामों में सम्पत्तियाँ नहीं रखते। इस प्रकार उनकी सारी सम्पत्ति उपरोक्त कर से बची रहेगी। यह इस कार्यवाही में बड़ा भारी दोष पैदा करेगा जिसे दूर किया जाना चाहिये। और भी अनेक दोष हैं जिन में से मैं कुछ एक का ही वर्णन कर सकूँगी। एक अन्य बड़ी त्रुटि यह है कि विशेष रूप से गैर सरकारी कम्पनियों के शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में समुचित ढंग से कार्यवाही नहीं की गई है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति अपने 10 लाख रुपये से मकान को किन्हीं शेयरों के बदले में किसी कम्पनी को स्थानान्तरित कर सकता है और उस कम्पनी पर सम्पत्ति कर नहीं लगेगा। शेयरों पर सम्पत्ति कर लगाने से भी उचित राशि नहीं मिलेगी क्योंकि शेयरों की मूल्यांकन के लिये उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार करों से बचने के लिये प्रणाली में अनेक त्रुटियाँ हैं।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन जमा करने के लिये प्रोत्साहन देने संबंधी नये उपाय किये हैं। यह भी अच्छी कार्यवाही है। जैसे 1½ लाख रुपए पर सम्पत्ति कर नहीं लगेगा तथा इस जमा धनराशि से प्राप्त आय के 3000 रुपयों पर आय कर भी नहीं लगेगा। माना कि इससे जमाकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बैंकों में रुपया आयेगा परन्तु यह सब कुछ सरकारी कोष को हानि पहुंचा कर किया जा रहा है। क्या सरकार के लिये ऐसी कार्यवाही करना न्याय संगत है।

सरकार ने ऐसे धर्मार्थ ट्रस्टों पर भी कर लगाया है जो इन ट्रस्टों को अपनी आय पर कर लगाने से बचाने का साधन बनाते हैं। हम इस कार्यवाही का स्वागत करते हैं। हम मनोरंजन व्यवसाय पर भी कर लगाने का स्वागत करते हैं।

उत्पादन में वृद्धि हेतु पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के लिये कई वर्षों से निगमित कर में वृद्धि नहीं की गई है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब उत्पादन बढ़ गया है, विविधीकरण में वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी निगमित कर में वृद्धि क्यों नहीं की गई? क्या सरकार ने इस से संबंधित कमियों का पता लगाने तथा इन्हें दूर करने के लिये कोई प्रयास किया?

अब मैं मुद्रा स्फीति के बारे में बात करती हूँ। गरीबों के लिये अत्यधिक सहृदयता दिखाई जाती है परन्तु प्रति वर्ष मुद्रा स्फीति में वृद्धि ही होती जा रही है। इस से हम सभी को हानि हो रही है। मुद्रा स्फीति से गरीब, मध्यम श्रेणी के लोगों तथा निश्चित आय वाले लोगों को सर्वाधिक नुकसान होता है। कहा यह जाता है कि मुद्रा स्फीति कोई बड़ी समस्या नहीं है परन्तु कुछ समय तक मूल्यों में स्थिरता रखने के बाद मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति ने फिर सिर उठाया है। गत 12 महीनों में मूल्यों में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस से हमारे तमाम विकास संबंधी खर्चों का अनुमान गलत सिद्ध होगा इससे मजूरी, वेतन बढ़ाने की मांगें भी बढ़ेंगी।

प्रधान मंत्री का कथन है कि इस वर्ष खाद्यान्नों की अच्छी स्थिति को देखते हुए 225 करोड़ रुपये के घाटे की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। परन्तु केवल खाद्यान्नों की उदार सप्लाई करने से ही तो मुद्रा स्फीति नहीं रुक जायेगी। फसलें तो अब भी प्रकृति की दया पर निर्भर करती हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल ही भारी ओला वृष्टि हुई है जिससे इस वर्ष के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा। अतः उनके इस तर्क में कोई न्यायोक्ति नहीं है। सरकार ने कम से कम 100 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अधिक अनुमान लगाया है। इस के साथ ही राज्यों में प्रति वर्ष अधिकाधिक घाटा दिखाया जा रहा है। वे रिजर्व बैंक से अपनी जमाराशि से अधिक धन निकालते हैं। इस से मुद्रा स्फीति को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हानि हो रही है तथा आर्थिक समीक्षा के अनुसार 9093 करोड़ रुपये की पूंजी से चल रहे 55 उपक्रमों को वर्ष 1967-68 में 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। अकेले हिन्दुस्तान स्टील को जिस में लगभग 1084 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है, 38 करोड़ रुपये की हानि हुई। यदि सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें भी इस प्रकार भारी घाटे में चलेंगी तो मुद्रा स्फीति में वृद्धि तो होगी ही।

खेद है कि बजट में सरकार ने कहीं यह संकेत नहीं दिया है कि अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिये वह अपने प्रशासनिक अपव्यय में कमी करने का कोई प्रयास करेगी। यदि सरकार चाहे तो वे इस खर्च में कमी कर सकती है। मैं यदि उत्तर प्रदेश में बनी रहती तो वहां कम से कम 13 करोड़ रुपये की बचत करके दिखाती जबकि वहां का बजट केवल 300 करोड़ रुपये का है न कि 4000 करोड़ रुपये का। अतः मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष निकालना पड़ा है कि इस बजट से मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और इसे रोकने के लिये कुछ नहीं किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं से भी जो कुछ लाभ लोगों को होना है वह मुद्रा स्फीति के कारण समाप्त हो जायेगा। आज देश में मुद्रा के मूल्य को स्थायी रखने की मांग है ताकि लोगों को पता लगे कि वस्तुतः उनके रुपये का मूल्य क्या है।

इस बजट में और एक अदभुत प्रस्ताव है। प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों के लिये स्वाविवेक से खर्च किये जाने के लिये 175 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मुझे आश्चर्य है कि ऐसी आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई। जिस आयोग ने गत वर्ष ही अपना निर्णय दिया है। योजना आयोग भी प्रति वर्ष राज्यों की आवश्यकताओं का पता लगाता है तथा उनके लिये धनराशि आबंटित करता है। फिर भी ऐसा करने की क्या

आवश्यकता थी ? मुझे डर है कि यह धनराशि राजनैतिक उद्देश्यों, पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों तथा अन्य राज्यों में सरकारों को गिराने के लिये उपयोग में लाई जायेगी । यदि सरकार के पास ऐसे कार्य के लिये बहुत रुपया है तो वह एक आयोग नियुक्त कर दे जो राज्यों की आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें धन आबंटित कर दे । अतः प्रधान मंत्री के स्वविवेक पर इतनी धन राशि को छोड़ने के प्रस्ताव का मैं कड़ा विरोध करती हूँ ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को धन उपलब्ध कराने तथा उत्पादन की गति को तेज करने के उद्देश्य को लेकर किया गया था क्योंकि गैर सरकारी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को धन देने से इन्कार कर दिया था । परन्तु आर्थिक समीक्षा में लिखा है कि रिजर्व बैंक द्वारा की गई कई कार्यवाहियों के कारण वाणिज्यिक बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की गति बढ़ा दी । यह समीक्षा जून 1968 से जून 1969 तक की है । इस से कृषि क्षेत्र में यह ऋण राशि 45 करोड़ से 188 करोड़ हो गई तथा लघु उद्योगों के लिये 194 करोड़ से 294 करोड़ और निर्यात के लिये 174 करोड़ से बढ़कर 255 करोड़ रुपये हो गई । यह सब कुछ बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले ही हो गया और यह उस समय हुआ जब श्री मोरारजी भाई देसाई वित्त मंत्री थे जिन्हें प्रति-क्रियावादी, पूंजी पत्तियों का मित्र तथा गरीबों का शत्रु कहा गया ।

परन्तु मैं जानना चाहूंगी कि उस के बाद क्या हुआ ? इस समाजवादी प्रधान मंत्री द्वारा वित्त मंत्रालय सम्भालने के बाद क्या हुआ ? इस अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने क्या किया, कृषि के लिये क्या व्यवस्था की गई तथा लघु उद्योगों के लिये प्रधान मंत्री ने क्या किया ?

बजट को बड़ी चतुराई से तैयार किया गया है । ऊपर से तो यह बड़ा समाजवादी बजट दिखाई देता है परन्तु गहराई से देखने पर यह खोखला दिखाई देगा । निष्कर्ष यह है कि इस बजट में प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की सार्थकता कहीं नजर नहीं आती ।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : I am happy to note that the Budget for 1970-71 has received favourable reaction from all corners excepting those people who waited for the occasion to criticise the Prime Minister on the hope that the Prime Minister would impose such taxes which would put burden on the poor people of our country or world, in all her enthusiasm to bring in socialism, levy such heavy duties as may disturb the industrial set up and obstruct the way of progress. They were actually waiting for a chance to create misunderstanding and suspicion in the minds of the masses. But those reactionary and rigid forces were left in utter dismay. Smt. Tarkeshwari Sinha in particular has been very much disappointed in this regard.

Mr. Chairman, Sir, if we look at this Budget deeply and sincerely, we find that this Budget would reflect general consciousness and hopes of the common people at large. In this Budget special care has been taken to show that we have not repeated the earlier mistakes and we have made the people known that it is wrong to say that nothing has been done in regard to the upliftment of poor and to remove the social imbalances.

There is a backward and weak section of our society which need special care and protection of the Government. It is appreciable that several steps have been suggested in the budget for their welfare and upliftment. While preparing the budget care has also been taken to ensure that only that section of the society is taxed which has been benefitted most during the last two decades. It has also been kept in mind while formulating the budget proposals that these proposals do not in anyway slowdown the pace of development in the country.

This budget has been criticised only by those persons who always try to find fault with others. Shri Ashoka Mehta said that although the Budget made a provision for the welfare of children of the poor and the backward people it was very inadequate as the amount provided for this purpose was only Rs. 4 crores, whereas the number of such children was 5 crores. No

doubt it is true, but at the same time we should realise that even though the amount is small the purpose it is intended to serve is very laudable. Therefore, instead of criticising the proposed measures we should welcome them.

Another good provision in the budget is regarding the benefit of pension to the families of the deceased Government employees so that they will not have to go from door to door begging for help. Although it will impose a burden on the exchequer, it is certainly a very good step in the very right direction.

A question has been asked as to why the corporate sector has been spared from taxation ? Shrimati Sucheta Kripalani has also asked so many questions in this regard. In this connection, I would like to put a counter question : whether it is not a fact that for the last three or four years the corporate sector has been continuously getting concessions in the Budget. But those concessions have been stopped this year. Is it not a step in the right direction ?

There are several other important provisions in the Budget. I would like to say that if we want to eradicate poverty from the country, the most important thing is to improve agriculture. That is why a provision of Rs. 300 crores has been made in the Budget to provide irrigation facilities to farmers. Certainly this is a very important and very laudable step.

Slums are a blot on the face of our country. There is a provision in the Budget for slum clearance. Even though the amount provided for the purpose is only Rs. 10 crores, it indicates the direction in which the Government want to proceed.

Some hon. Members have criticised the proposed increase in the excise duty on tea. In this connection, I would like to say that we have to see as to what is the quality of tea which has been taxed and who are the people consuming it. It is only the high quality tea which has been taxed and which is consumed by few rich people of the country. Similarly, there is an increase in tax on Kerosene. It is the superior quality oil and not the cheaper quality used by the masses. The impact of imposition of tax on cigarettes also does not have any impact on the masses because the poor people do not consume cigarettes. Therefore I would like to say that the criticism in this regard is not tenable.

A very serious problem facing the country is that of unemployment. In November, 1969 there were 36 lakh people registered with employment exchanges. Naturally, the actual number of the unemployed must have been much more. This problem should be tackled on war footing. Government should see that all those registered with the employment exchanges get a job within two years. Otherwise it is the responsibility of the Government to feed those people.

Another serious problem which the country is facing is that of regional imbalance. The State Governments have ignored this problem on account of political reasons. The time has come when the responsibility for removing the regional imbalances should not be left on the State Governments. The Centre should itself take up the responsibility and see that there is a balanced development of all regions. In this connection the eastern districts of Uttar Pradesh deserve special consideration. Patel Commission was appointed to look into the problems of that area. The Commission submitted its report. But after Chinese and Pakistani attacks, our attention was diverted towards the Country's defence and I am sorry that it was made the State Government's liability to implement the report. The State Government in its turn threw it in the waste paper basket. I demand that the Central Government should again take the initiative to implement the Patel Commission's report.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मेरे हस्तक्षेप करने पर दो और जिलों को इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया था किन्तु दो वर्ष कार्य करने के पश्चात् इसे छोड़ दिया गया क्योंकि केन्द्र ने रुपया ही नहीं दिया था ।

Shri Chandra Jeet Yadav : She is trying to defend Mr. C.B. Gupta also. He himself was a member of the Development Council. The money received from the Centre was not spent on the backward areas. She is trying to conceal this fact.

Since 1947 we have been hearing this criticism that Public Sector Industries should be closed down because they are running in loss; this is being said more loudly after 1952, when these industries were established on a large scale. But only those, who do not want our country to progress, are raising this voice. Prime Minister has herself stated that last year Public sector contributed Rs. 162 lakhs in its expansion programme and we are expecting that this amount will go up to Rs. 202 lakhs in the present Budget— an increase of Rs. 42 lakhs. Public Sector is increasing its profit and is making progress by leaps and bounds. Therefore the above allegation is incorrect and this type of baseless criticism can not put an end to the Public Sector.

This Budget is actually an appreciable and bold step for removing poverty from the country and for the achievement of social and economic targets fixed by us and also for bridging the gulf between the rich and the poor. But Budget alone can not bring socialism in the country, neither have we claimed that. Socialism can be brought by controlling the economic and social powers as well as by bringing more and more sources of production in the fold of Government. Therefore, this Budget is a step in the right direction.

Shrimati Sucheta Kripalani has alleged that the Prime Minister has kept Rs. 175 crores under her control which will be used for discrimination against the States. Planning Commission and Finance Commission have both laid down certain rules on the basis of which, the income will be divided between the Centre and the State Governments. In spite of all that, State Governments are pressing for more & more funds. This money will be utilised to meet certain special problems of the States like drought, backward classes etc. There is no question of discrimination against any-body and the allegation made by the Hon. Members is politically motivated.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : सभापति महोदय, इस बजट के दो भाग हैं। एक भाग का सम्बन्ध प्रधान मंत्री से और दूसरे का सम्बन्ध नौकरशाही से है। प्रथम भाग में प्रधान मंत्री ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। उनके दोष निकालना ठीक नहीं होगा वरना पिछले छः मास से देश में जो उत्साह की लहर दौड़ गई है, आप उसे पहचान नहीं पायेंगे। वैसे दोष निकालना सहज है। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। श्री अशोक मेहता ने जो दोष निकाले हैं और श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा श्री मसानी ने जिन दोषों की चर्चा की है, हो सकता है वे ठीक हों किन्तु पिछले 20 वर्षों से विद्यमान देश के पिछड़ेपन को एक ही दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। उन्हें यह सब उत्तराधिकार रूप में मिला है।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : किससे उत्तराधिकार में मिला है ?

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : उनसे जो पिछले 20 वर्षों में बजट प्रस्तुत कर रहे थे, जो जनता के हितों के विरुद्ध बड़े-बड़े व्यापारियों को छूट देते रहे हैं। ये व्यापारी मंत्रियों को अनेक सुझाव देने आते हैं किन्तु प्रत्येक बार वे अपने लाभ की ही बात करते हैं। केवल इस बार ही उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ है।

मेरा विचार है कि डा० वी० के० आर० वी० राव तथा योजना आयोग के वर्तमान उप-चेयरमैन सरकार के परामर्शदाता थे। पं० जवाहरलाल नेहरू की यह आदत थी कि किसी एक व्यक्ति पर यदि उनका विश्वास जम जाये तो वह सदा उसका विश्वास करते थे। उन्होंने योजना आयोग के भरोसे पर सारा काम छोड़ दिया था। इसका परिणाम क्या हुआ ? 15 वर्षों के पश्चात् अनुभव हुआ कि सभी कुछ गलत हो रहा है, सभा में भी इस की आलोचना हुई और देश में प्रत्येक स्थान पर कहा जाने लगा कि यद्यपि करों का भार बढ़ता जा रहा है तथापि सारा धन कुछ ही व्यक्तियों के पास एकत्र हो रहा है। पहले तो पण्डितजी ने कहा कि सब कुछ ठीक हो रहा है किन्तु जब आलोचनायें बढ़ती ही रहीं तो उन्होंने प्रो० महलनवीस को नियुक्त किया। उनके प्रतिवेदन के आधार पर एकाधिकार आयोग तथा अन्य आयोगों की स्थापना की गयी और कई वर्षों के पश्चात् लोगों को पता चला, राजनीतिज्ञों को पता चला

कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान मंत्री का दोष केवल इतना ही है कि वह पिछली गलतियों को सुधार कर देश को नये पथ की ओर अग्रसर कर रही हैं। इन्दिरा जी भी नौकरशाही से बच नहीं सकी हैं, इसीलिये उन्होंने एक बहुत स्पष्ट वाक्य जोड़ दिया कि मैंने अतिशय दोष से बचने का प्रयत्न किया है। किन्तु यदि वह थोड़ा-सा काम और करतीं तो देश उसे भी स्वीकार कर लेता। पिछले 20 वर्षों में देश ने उन्नति की है किन्तु 80 या 85 प्रतिशत लोगों ने बिल्कुल भी उन्नति नहीं की है। यदि प्रधान मंत्री ने उन्नति के द्वार खोले हैं तो उसमें लोगों को प्रसन्न होना चाहिये।

किन्तु यदि प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता तो सारे किये-कराये पर पानी फिर जायेगा। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि प्रधान मंत्री सबसे पहले समस्त प्रशासन को स्वच्छ करे। उन्हें ऐसे विशेष तंत्र का निर्माण करना चाहिये जिससे सभी प्रतिक्रियावादी नौकरशाही से छुटकारा पाया जा सके। सरकारी नौकर बुरे नहीं होते। उनमें से कुछ तो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं जो 24-25 वर्ष की आयु में नौकरी में प्रवेश करते हैं और बहुत उन्नति कर जाते हैं किन्तु वे जन-जीवन से बहुत दूर चले जाते हैं, किसी मंत्री अथवा राजनीतिज्ञ के साथ सार्वजनिक-सभाओं में नहीं जाते। मैं चाहता हूँ कि वर्ष में एक बार वे मंत्रियों अथवा राजनीतिज्ञों के साथ अवश्य सार्वजनिक-सभाओं में जाये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि नौकरी में रहते हुये उन्हें चुनाव लड़ने की आज्ञा दी जाये जिससे वे जन-मानस को समझ सके। यह कहना कि मतदाता अनपढ़ हैं या राजनीतिज्ञ कम पढ़े-लिखे होते हैं, यह तो आप के हाथ में है। आप उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दें। जब तक नौकरशाही के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता तबतक प्रधान मंत्री के भाषण के 'क' भाग में व्यक्त विचार प्रभावहीन ही रहेंगे।

इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी का बोलबाला है। सभी भ्रष्ट हों ऐसी बात नहीं है किन्तु कुछ व्यक्तियों को ऐसी लत पड़ी होती है और वही व्यक्ति प्रशासन को गदा कर देते हैं, उनके सम्पर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसी के मस्तिष्क में वे कुंठा की भावना भर देते हैं और प्रशासन का स्तर उठाने के स्थान पर उसे और नीचे गिरा देते हैं। इन से छुटकारा पाने के लिये भी विशेष तंत्र का निर्माण करना आवश्यक है। फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा यहां भ्रष्टाचार कम है और सभी सरकारी अधिकारी बेईमान नहीं इसलिये देश में लोकतंत्र है और कई वर्षों से स्वतन्त्र निर्वाचन कराना सम्भव हो रहा है। अन्य देशों में तो सरकारों को ही गिरा दिया जाता है। मेरी शिकायत तो यह है कि उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। सरकारी अधिकारियों में से कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। यदि आप देश में नया वातावरण पैदा करना चाहते हैं और साथ ही किसी बड़े भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देते हैं तो माना जायेगा कि आप देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।

अतः इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये एक नये प्रकार की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।

कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भाषायी अथवा क्षेत्रीय आधार पर भारी भेदभाव बरतते हैं। इस संबंध में विशेष सावधानी से काम लिया जाना चाहिये। यदि उच्च अधिकारी इस बारे में सतर्क रहेंगे तो नीचे के स्तर पर भी इस की रोक थाम हो सकेगी। हम सदस्यों के पास अनेक लोग इस प्रकार की शिकायतें लेकर आते हैं भले ही उन लोगों की बातों में पूरी सच्चाई नहीं तो भी मेरे विचार से हमारे लोगों में इसकी रोक थाम के लिये छोटे छोटे न्यायाधिकरण पारित किये जाने चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतें उनके सामने पेश कर सकें तथा दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड मिल सके। परन्तु सरकार यह व्यवस्था नहीं करती तथा उसका प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने से कनिष्ठों को अपना दास समझता

है। सबसे पहले वर्ष 1857 में सरकारी कर्मचारियों की आधार संहिता बनाई गई थी और इसमें अभी भी संशोधन किये जा रहे हैं। मुझे पता लगा है कि कुछ दिनों में स्वयं सचिव के पद पर आसीन होने वाला उप-सचिव किस प्रकार सचिव के इशारों पर नाचता है। मैं ने कई राज्यों में देखा है कि उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक आदि को उनकी शिकायतें होने पर हम लोगों के पास आने से रोका जाता है। इस संहिता के नियमों में ऐसी व्यवस्था है। साथ ही हम संसद-सदस्यों तथा विधायकों की भी यह आदत सी बन गई है कि हम इस संहिता के नियमों का ध्यान रखे बिना ही हम मंत्रियों को पत्र आदि लिख डालते हैं। परन्तु जब किसी कर्मचारी की कुछ शिकायतें होती हैं, उनको लम्बे समय तक वेतन आदि नहीं मिलता और जब वह अपनी शिकायतों के बारे में स्मरणपत्र देता है तो उसे निलम्बित करने या अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी दी जाती है। अतः सरकारी कर्मचारियों के प्रति सभी स्तरों पर न्यायोचित व्यवहार किया जाना चाहिये। यदि उन्हें यह सन्तोष नहीं होगा कि उनकी शिकायतें सुनी जायेंगी, उन्हें दूर किया जायेगा, तो वे अपने कार्य में शिथिल रहेंगे तथा इससे भ्रष्टाचार दूर करने में सहायता नहीं मिलेगी। वे कर्मचारी “नियमानुसार” कार्य करने आदि की प्रवृत्ति अपनायेंगे। अतः मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में पुरानी व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से कोई नयी व्यवस्था बनायें।

जैसा कि मैं ने कहा बजट का दूसरा भाग नौकरशाही लोगों से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने चीनी, मिट्टी का तेल और पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार समझती है कि पेट्रोल भी ऐश्वर्य की एक वस्तु है। उत्पादन शुल्क बढ़ाने की सरकार की आदत सी हो गई है। हमारे प्रथम श्रेणी के मंत्रीगण ऐसे हैं कि एकबार अपने सचिव को अपने विचार बता देते हैं और बाद में वह सचिव अपनी मिसल पर जो कुछ भी लिखा लाये, खरियत इसी में है कि आप उस पर चुपचाप हस्ताक्षर कर दें। हमारे यहां ऐसे प्रथम श्रेणी के मंत्री अनेक हैं और इसी कारण पिछले 22 वर्षों में हम इस उदासीनता-पूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए हैं। अतः मैं मंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि वे ऐसे नौकरशाहों से सतर्क रहें। चीनी, परिरक्षित खाद्य पदार्थों आदि पर से उत्पादन शुल्क हटाया जाना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि संसद सदस्यों ने इस बारे में सरकार पर इतना जोर क्यों नहीं डाला जितना तीसरे दर्जे के रेल भाड़े में वृद्धि होने पर डाला था। जबकि उपरोक्त पदार्थों पर शुल्क बढ़ने से भी सामान्य जनता पर भारी असर पड़ता है।

श्री बूथ लिंगम ने आयकर की रियायत सीमा 7500 रुपये रखने की सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और यह सीमा 5000 रुपये कर दी। इस थोड़ी सी रियायत के लिए यद्यपि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं परन्तु यदि प्रधान मंत्री यह सीमा 7500 रुपये की कर देती तो भी अधिक हानि न होती। उन्होंने 40,000 रुपये से ऊपर की आय पर आयकर की दर बढ़ाई है इसके स्थान पर 25,000 रुपये की आय पर यह दर बढ़ाई जा सकती थी। यह कदाचित्त इस लिये हुआ कि इस सीमा में आने वाले अधिकारियों ने 40,000 से ऊपर की आय में आयकर की दर बढ़ाने की सिफारिश की थी। नौकरशाह लोग बड़े होशियार होते हैं। मैं ने हिसाब लगाकर देखा है कि यदि सरकार आयकर से मुक्त राशि की सीमा 7500 रुपये बढ़ा देती तथा 40,000 के बजाये 25,000 रुपये से ऊपर की आय पर आयकर दर बढ़ा देती तो सरकार को कोई हानि नहीं होती। इस से लोग समझेंगे कि संसद सदस्यों ने अपनी आय को बचा लिया तथा उन्हें बहुत लाभ होता है तो मैं कहूंगा कि संसद सदस्यों को दी जाने वाली छूट समाप्त कर दी जाये। संसद सदस्यों को केवल अपना कार्य करने की सुविधायें चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। ये सुविधायें देने के बाद चाहे उन्हें आप कुछ भी मत दीजिये।

प्रजातंत्र का अर्थ है कानूनी और बहुमत का शासन, प्रत्येक वर्ग तथा समुदाय व सम्प्रदाय के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जब तक यह न होगा वास्तविक राष्ट्रीय एकता स्थापित न हो सकेगी।

यहां मैं एक उदाहरण देता हूं। आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति की संस्कृत विद्यापीठ के एक पुस्तकालय कर्मचारी पर यह आरोप लगाया गया कि उसने दिसम्बर, 1967 में मद्रास में प्रकाशित होने वाले दैनिक "हिन्दू" पत्र के लिये "हिन्दी के लिये खोखला तर्क" तथा जनवरी, 1968 में "एजुकेशनल रिव्यू" के लिये एक अन्य लेख लिख कर संविधान के प्रति अप्रतिष्ठा दिखाई तथा उसका घोर उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम पारित हो जाने पर भी कि जब तक अहिन्दी भाषी राज्य न चाहेंगे अंग्रेजी जारी रहेगी, अनेक विभागों में कई विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नतियां, वेतन वृद्धियां आदि इसी बात पर रोक दी गई कि उन्होंने हिन्दी परीक्षाएँ पास नहीं की थीं, इससे तो राष्ट्रीय एकता को बल नहीं मिलता। सम्भव है मंत्रीगण अथवा अन्य उच्चतम अधिकारी इन बातों से अवगत न हों, परन्तु यदि ऐसा होता है तो सरकार को इससे होने वाली हानि को सहन करना ही होगा।

मैं कह चुका हूं कि गरीब आदमी की उपेक्षा की जा रही है तथा मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण किया जा रहा है। वस्तुतः तो यह शिक्षित मध्यम वर्ग ही हमारे संविधान की रक्षा करता है। यदि आप इन गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने संविधान की रक्षा करते हैं तथा अपने लोक तंत्र की जड़ें मजबूत करते हैं। हमें अपने हर कृत्य में यह बात मस्तिष्क में रखनी चाहिये।

अनेक पदार्थों के उत्पादन तथा उसकी खपत के बारे में हम विदेशों से बहुत पिछड़े हुए हैं। यहां तक कि दूध के बारे में भी हमारी खपत और उत्पादन दोनों ही बहुत कम हैं। दूध जीवन का मूल आधार है। हमारे बच्चों के पोषण के लिये दूध मिलना ही चाहिये। यदि उन्हें दूध न मिलेगा तो हमारा राष्ट्र सुदृढ़ कैसे बनेगा? और फिर कैसे उसकी विचारधारा संतुलित होगी? वस्तुतः आप दूध के स्रोतों को समाप्त करते जा रहे हैं। अनेक ऐसी नई चीजें उत्पन्न हुई हैं जिनसे गाय-भैंसों को मारा जा रहा है। उन्हें केवल मांसाहारी ही नहीं मारते बल्कि वे लोग भी मारते हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो दुग्ध-चूर्ण का आयात कर रहे हैं। रसायनिक खाद्य भी इस में हाथ बटा रहे हैं। इस प्रकार गाय-भैंसों की अनेक तरीकों से हत्या हो रही है। वास्तव में गाय तो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है।

जिन पदार्थों के बारे में मैं ने अभी कहा है उनके उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रधान मंत्री क्या कर रही हैं? क्या राष्ट्रीकृत बैंकों से केन्द्र तथा राज्यों में उपलब्ध धनराशि को एक धनराशि मान कर उसे सारे राष्ट्र के विकास के लिये लगाये जायगा? केन्द्र तथा राज्यों में पृथक 2 योजनाय बनाने का कोई लाभ नहीं। इस सारी निधि को समस्त राष्ट्र की एक निधि समझा जाये तथा सामान्य जनता के हितों के कार्य में लगाया जाये और इसके लिये कोई योजना बनाई जाये, राष्ट्रीय विकास परिषद इस उद्देश्य के लिए एक उप समिति गठित करे तथा विभिन्न उद्देश्यों को लेकर सारी धनराशि का उपभोग करे। प्रत्येक राज्य ने अपनी अपनी योजनाओं में अपने अपने कार्यों के लिये वरीयतायें तय कर रखी हैं और इस प्रकार प्रत्येक राज्य को विभिन्न वरितायें हैं। इस लिये सारी राशि को एक सामूहिक निधि मानकर वरियतायें निर्धारित की जायें।

देश में बहुत सी ऐसी भूमि पड़ी है जिसका विकास किया जाना है आप उस भूमि का विकास कीजिये और भूमि-हीनों की उसका उपयोग करने संबंधी कोई व्यवस्था बनाईये।

पेय जल हेतु कुयें खोदने के लिये धन मत दीजिये जैसा कि पुराने दिनों में किया जाता रहा है। आप इस सम्बंध में बैंकों या राज्य सरकारों को निदेश दें कि वे कुछ स्थानों पर पेय जल की व्यवस्था

करने के लिये ऋण दें। परन्तु इससे भी समस्या हल नहीं होगी क्योंकि हमारे देश में 40 से 50 प्रतिशत कुओं में पीने योग्य जल नहीं है। इस लिये हमारे देश में जहाँ भारी मात्रा में लोह अयस्क जमा है वहाँ हम ढले लोहे कितने ही लम्बे लोहे के पाईप बिछा सकते हैं। उत्तर बिहार और बंगाल में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। अतः इन ढले लोहे के नलों द्वारा उन्हें परस्पर जोड़ सकते हैं तथा बूस्टर पम्पों तथा नलों की सहायता से देश के किसी भी भाग में जल पहुंचा सकते हैं। इस लिये एक भूमि सुधार बोर्ड बनाया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा ग्रामीण क्षेत्रों में जल-सप्लाई की समस्या हल नहीं होगी।

अन्त में, मैं गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में भी एक शब्द कहना चाहता हूँ। आज हमारे शिक्षित, अर्ध-शिक्षित तथा उपर्याप्त रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के विचार केवल गन्दी बस्तियों में रहने के कारण ही पूरी तरह विकसित नहीं है। इन गन्दी बस्तियों को साफ़ किया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये कोई नियमित राशि निर्धारित की जानी चाहिये। यह राशि 200 या 300 करोड़ रुपये हो। पेय जल के लिये 40 या 50 करोड़ रुपये रखे जायें। 400 करोड़ रुपये ऐसे लोगों के पुनर्वास और आवास के लिये आवंटित किये जायें। आप इन लोगों को पोषक आहार नहीं देते, स्वास्थ्य के लिये हानिकार सफ़ेद चीनी, सफ़ेद गेहूँ तथा सफ़ेद चावल देते हैं। यहां तक कि आज हमारे किसान भी खेतों में परिश्रम नहीं कर पाते। अतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में नये दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये इस से आप सारे राष्ट्र का भला करेंगे। गरीब लोग ही देश के उद्योग के लिये कच्चा माल तैयार करते हैं। उद्योग में मन्दी इसी लिये आई कि सूखा पड़ा और कृषि उत्पादों में कमी हुई। आप किसान को पोषक आहार दें और सारे देश को स्वस्थ व सुदृढ़ बनायें। मध्य श्रेणी के लोगों का शोषण मत कीजिये।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K.N. Tewari in the chair].

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : Hon. Speaker, I want to congratulate the Prime Minister for the presentation of this useful Budget.

Our Budgetary provision is increasing day by day but the output is not increasing. Besides, Political parties are not prepared to do anything constructive. That is why, efficiency in working is declining day by day.

More and more taxes are imposed on the public but nothing is done for the rural areas. 60 percent of the Budgetary provision is spent on the administration and departments which are increasing. But the poor people are suffering.

It is said that the public sector Industries are working efficiently but the fact is that that all such industries are running in loss. For example, Surat Garh Farm is running in loss. Production is less than our expectations and we have to depend upon other countries for food grains. Similarly, State Trading Corporation, which deals with the procurement of food grains from farmers and distributing them to the businessmen, is also running in loss of 58 crores of rupees.

We should work efficiently and tax-evasion should be detected.

Staff has been increased for the collection of direct taxes but Wealth Tax revenue is the same as it was in the last year. The problem is that that department has been expanded but the work of collection of taxes remains stagnant. So I would suggest that not only staff and expenditure should be decreased but the percentage of expenditure on administration should also be decreased. Relief should be given to poor people.

Taxes on Incomes are very heavy and one can not afford to pay such a huge amount of income-tax. If one earns one lakh rupees in a year, he has to pay 72 thousands as Income-tax. So he is compelled to think of alternative measures and that creates corruption. Income-tax should not be so high that man should think of tax-evasion. Further, I want to say something about Wealth-Tax. There is no criterion for the assessment of Wealth-Tax. Rules should be framed about the survey-period. I can only suggest but its implementation is the work of administration.

Buildings in Delhi are increasing day by day but Wealth tax collection is not increasing. I know the reason. Area inspectors used to go to the areas concerned to suggest to the people to maintain such accounts as are not taxable. That is why the amount of collection remains the same. Similarly, taxes are not received in the case of Gifts.

There is Wealth Tax, Expenditure Tax, Gift Tax. In this way man can not expend more, donate more. There is also tax for charitable tax purposes. I will suggest that relief should be given to such persons. If a person wants to donate for public welfare he should be encouraged. Government should not put obstruction in his way by asking returns for previous year. Because of the present law people hesitate to spend for public purposes because if they do so they will have to pay charitable tax. I request that this tax be merged into expenditure tax.

Now I want to say something about the problem of Telengana. Telengana was merged conditionally after keeping safe-guards by Late Pandit Nehru but even after ten years those safe guards have not been implemented. Ours is a rural area. Nothing is spent for the development of Telengana. People do not get employment. Government has suppressed our movement. In the movement 300 children lost their lives and students had to suffer in their studies.

Within the small State of Assam there are three States, Assam, Meghalaya and Nangaland, but Telengana has got no separate State although it has got population of 130 lakhs. I would request the Prime Minister as well as the Parliament that our grievances must be removed otherwise would have bad results.

Sh. K.N. Pandey (Padrauna) : Hon. Speaker, the Budget presented before the Parliament has been called as socialistic, but the fact is that the burden of indirect taxes has fallen upon the poor people. Taxes levied on Sugar, Tea, Kerosene oil and Cigarettes will be recovered from the poor people. Government has declared that employment opportunities would be provided to unemployed persons through Rural works Programme but that is not sufficient. It is just a drop in the ocean.

It has been stated that Government would spend Rs. 4 crores for the nourishment and better health of children. I would like to know whether this amount will be sufficient for 5 crores children ? How such Budget can be called socialistic ?

The Prices of Free Sugar as well as levy sugar have been increased but the price of Sugar-cane remains the same. Thus this Budget is not in the interest of farmers who produce sugar cane.

Government has declared that the prices of Food grains will not increase. Government wants that Farm-production should be cheap. It has not been considered that the cost of production of food-grains will increase as the price of manure is increased. It is not understood how Government declares that prices will not increase due to deficit financing.

Deficit financing would affect the prices. Therefore it is natural that the prices will go up. In 1965-66 the whole sale prices were 135.5 and in the Second Year they increased to 158.24. In third year they went up to 160.3 and in the fourth year they have been 165.1. The prices of sugar, kerosene oil and tea have been increased. Similarly the whole sale prices will also go up. You can think that how much burden of taxes is on the poor people. Honourable Member Shri Chanderjit said that late Pandit Jawahar Lal Nehru was not a socialist and Smt. Indira

Gandhi is a Socialist. I do not agree with it. Shri Chander jit was previously a member of Communist Party. There is difference between the socialism of Communist Party and that of our party. Ours is democratic socialism. When Pandit Jawahar Lal Nehru was Prime Minister Shri Chander jit was a member of Communist Party. When Nehru ji was no more Prime Minister, Shri Chander jit joined Congress. I want to know whether he was not socialist previously ? If he knew that Congress was a socialist organisation then why did he join Communist Party. And if he knew that Congress is not a socialist organisation then why did he join it. We should do something for our Constituencies, otherwise who will give us vote without doing anything ? During the Prime Ministership of late Shri Jawahar Lal Nehru, Patel Commission was appointed on the request of late Shri Vishwanath Gohamari for the development of Eastern Districts of U.P. For two years Central Government gave money for setting up of Small Scale Industries, roads and other things, but as Smt. Indira Gandhi became Prime Minister, the implementation of the Patil Commission's recommendations stopped. When Indira ji visited that area I produce a notice mentioning that that is a backward area where there are no canals, no tube wells no road etc. therefore, it was necessary to set up a Commission. After the Completion of three Five Year Plans we find that per capita income in U.P. has decreased. In 1951-52 per capita income in U.P. was 259 but after the 3rd Plan it declined to 238. I as well as the Chief Minister requested to hold inquiry, but Indira ji did not tell us as to why Eastern Districts are backward. Gupta ji also requested to set up a Commission to investigate the reasons for decrease of per Capita income there. But every time it has been reiterated that it was done to the disputes among the leaders that the per capita income could not increase. This is all to be fool the people. Perhaps Pandit Jawahar Lal Nehru hesitated in doing something for the development of U.P. because he hailed from U.P. But what about Indira ji ?

Secondly, I want to tell you that there is no security of life and property in this country. Rich and poor, both are not protected, who is responsible for this ? Can socialism come in this country in such circumstances ?

I want to say something about Sugar industry. Our friend Shri Uma Nath has said that sugar industry should be nationalized. I also agree with it. By nationalization the sugar industry there will be some improvement in the condition existing at present. Shri Jagjivan Ram said that the U.P. sugar industry could be nationalized for which they had obtained legal opinion. What about the sugar industry in Bihar ? Is it better than U.P. sugar industry ? But I want to request you that U.P. is an agricultural State and sugar industry is the only important industry there. Bharat Heavy Electricals and Triveni structurals are the two industries which are big industries. In spite of large investment in these industries, they are able to give employment only to 15.20 thousand people, whereas 71 sugar mills are giving employment to one lakh people.

Shri Charan Singh has formed a Committee consisting of Shri Virender Verma, Shri Genda Singh, Shri Prithvi Nath Sethi. Now only rich people will think about the nationalization. I want to say that merely slogans will not do, we shall have to do something practical for the progress of the country.

When Shri Vishwanatham was Minister, he appreciated secretaries. But now, when he is only Member of Parliament, he is criticizing bureaucracy. I beg to be pardoned by the honourable Minister for saying that today our Government is being run by bureaucracy. Today secretaries will follow Smt. Indira Gandhi and next time if Suchetaji is Prime Minister, they will follow her policy. They are responsible for the bad practice. In 1947, when India got independence the circumstances were entirely different. Every thing was done by the secretaries and the Ministers only signed the files. But today they are condemning bureaucracy.

The condition of sugar industry is pitiable for which Government is responsible. No policy could be adopted for the benefit of farmers. When the production of sugar cane is more, the prices go down and when the production is less the prices go up. The farmers are helpless to day. Such type of treatment is being meted out to the farmers. One day or the other farmers will claim their rights.

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती इला पालचौधरी

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : उठीं— ।

एक माननीय सदस्य : आधे घंटे की चर्चा का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए, उनको आरम्भ करने दीजिए ।

श्रीमती इला पालचौधरी : जब मैं ने उस ओर कि माननीय सदस्य को सुना

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकती हैं ।

*भारत द्वारा परमाणु बम का निर्माण

*MANUFACTURE OF ATOM BOMB BY INDIA

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Our country is surrounded by two enemies—China and Pakistan. China's rapid advancement in nuclear power has gone beyond the expectating of the world. Therefore, with a view to avoid menace to the security of the country and ensuring our survival, manufacturing of Atom bomb is a must. Our traditional arms are not a befitting reply to China's Atom bomb. What is the remedy them ? Should we join some block, but that is against our policy. The other alternative is that we should manufacture Atom bomb.

Nuclear threats only can prevent China from her sinister designs. It was only the nuclear fear of America which prevented China's entry into 38 parallel in Korea in 1952, prevented her from occupying Gumoy and Matsu Islands in 1958 and again recently in 1966 the same threat did not allow her to interfere in Vietnam.

As regards the assistance from America or Russia in the event of nuclear invasion by China their attitudes are apparent. They can help where they have some axe to grind. The role of America during Indo-Pak Conflict may be cited as a reply to this question. In case all these four powers—America, Russia, China and Pakistan invite and ask India to surrender Kashmir to Pakistan, then what will we do ? Government must reply this question. We are a peaceful nation, no doubt, the atom bomb with us will be a deterrent against China's nuclear threat.

Some of the experts have estimated Rs. 8,000 crores for manufacturing Atom bomb. I take it as absurd. Keeping in view our development and cheap labour, I presume that its manufacture may take about Rs. 800 crores Prof. Swami—a leading economist of Howard University—has also estimated its cost at Rs.750 crores. However, this is not merely a question of cost since our Freedom and existence are intertwined with it therefore, a political decision is required to be taken in the matter. As regards funds, I may state that if the problem is laid here before the public, the people will offer any sacrifice which the Government desires us to make. War of 1965 bears a testimony to the fact. Moreover, the manufacture of Atom bomb will be a march towards industrial-revolution and national prosperity. Goods will be cheaper and the import will be reduced to half of its present rate, which will lead to the improvement of economy. Besides, there will be no unemployed engineer and the country will be proud of having an Atom-bomb.

Our country is being pressed by both the big powers to sign the non proliferation treaty. The big powers are busy in piling up nuclear weapons and want other nations to sign the non proliferation treaty. Although we are happy that the problem is being faced boldly even then what we want is a declaration from the Government not to sign the treaty.

I congratulate Prime Minister for her statement in consultative Committee about the study of the cost and feasibility of atom bom. Prof. Swami and other experts should be called

*आधे घंटे की चर्चा

*Half-an-hour discussion

for such studies and the nation be told about the factual position. Besides, Government should review its policy of not making atom bomb. We should at least be non-committal to its not making.

I will request Hon. Minister to reply to the satisfaction of the nation.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): History tells that India has been less up-to-date in war-fields in comparison to other nations, therefore, she has to suffer humiliations. First War of Panipat and other such examples bear testimony to this fact. We will have to think that if India runs the same risk now her freedom might be in peril. Dr. Bhaba, in his statement in Geneva, at the time of Chinese invasion, had declared that India was capable of manufacturing atom bomb within 18 months. If that is so, what advancement has since been made in that direction?

Dr. Bhaba had figured out Rs. 15 to 18 lacks, the manufacturing cost of Atom bomb for India. If the figures are correct, then what hinders its manufacture? Let us cancel three or four tours which will provide us its manufacturing cost.

What are the up-to-date equipments with the nation to meet the challenge of nuclear invasion? We have got a nuclear plant for peaceful purposes. Can we convert it, when required for the production of war material?

Lastly, I would like to know whether the Government is apprised of the supply of nuclear materials to Pakistan by America.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (साम्बलपुर) : यह सत्य है कि भारतीय सरकार संविधानानुसार जनता के प्रतिनिधियों की पूर्व स्वीकृति के बिना ही कोई भी संधि कर सकती है। फिर भी हम मंत्री-महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि परमाणु अप्रसार सन्धि पर, सदन की पूर्व स्वीकृति के बिना, हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे।

क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि यदि चीन अथवा चीन की सहायता से पाकिस्तान या अन्य कोई शक्ति हम पर परमाणु शस्त्रों से आक्रमण करेगा तो बम न बनाने के निर्णय पर अडिग रहते हुये तथा विदेशी सहायता के अभाव में भी उसका सामना करने के लिये हमारे पास उपयुक्त साधन विद्यमान हैं।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : परमाणु क्षेत्र के विकास में हमारे देश ने आरम्भ में अच्छा कार्य किया। 1954 में इस क्षेत्र में हम चीन से 10 वर्ष आगे थे परन्तु सरकार की अकुशलता तथा विषयानुगत उदासीनता के कारण चीन भारत से आगे निकल गया। परमाणु खनिज हमारे पास अमेरिका से भी अधिक हैं परन्तु सरकार वर्तमान युग की युद्ध-आवश्यकताओं की ओर ध्यान ही नहीं देती। सरकार सदैव यही कहती है कि परमाणु-बम बनाने में बहुत बड़ी धन राशि व्यय होगी। जैसा कि मेरे मित्र श्री गुप्ता जी ने बताया कि इसके लिये 750 करोड़ की आवश्यकता है, मेरे विचार से यह धनराशि उपलब्ध करना कठिन नहीं है। लगभग 400 करोड़ तो हमें अभी आय-कर से ही एकत्र करना है इसके अतिरिक्त हम अपने अन्य प्रसाधनों को भी गतिशील करेंगे।

प्रतिरक्षा मंत्री बार-बार यही कहते हैं कि हम किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिये तैयार हैं। यदि चीन ने परमाणु-बम का प्रयोग किया तब हमारे पास उसका क्या उत्तर है? क्या मंत्री महोदय उस समय किसी बड़ी परमाणु शक्ति की सहायता पर निर्भर करेंगे। क्या वह सदन को आश्वस्त करेंगे कि ऐसा करने पर वह इस शक्ति के हाथों की कठपुतली नहीं होंगे।

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह विषय अनेक बार सदन के सम्मुख आया है। विशेषतया विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बंध में कोई नवीन बात प्रकाश में आई है जिसके कारण हमारी नीति में परिवर्तन अपेक्षित है। माननीय मित्र गुप्ता जी तथा

अन्य सदस्यों के विचार सदन में पहले ही रखे जा चुके हैं और सरकार ने उन पर सावधानी से विचार कर यह दृष्टिकोण अपनाया कि जोखिम को देखते हुये हमें प्राथमिकतायें निर्धारित करनी हैं।

हमें अपनी वृहद् सीमाओं तथा पड़ोसी देश के साथ सम्बन्धों को ध्यानगत करते हुये यह देखना है कि देश को किस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ सकता है। परम्परागत झगड़ों से सम्बन्धित अपने सुरक्षा-प्रयत्नों में हम किसी प्रकार का व्यवधान नहीं दिखा सकते। इस संबंध में स्थल सेना तथा वायु सेना का बड़ा महत्त्व है। अतः देश की अखंडता एवं सार्वभौमिकता को स्थिर रखने के लिये एक निश्चित संख्या में स्थल सेना तथा वायु सेना रखनी है।

इन सेनाओं को बहुत से आश्वासन देने हैं और स्वानिर्मित शस्त्र प्रदान करने हैं। आवश्यक वस्तुयें विदेशों से भी मंगानी होती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यार्ड-प्रतिरक्षा के निर्धारित प्रसाधनों में कुछ बचत हो तभी इस विषय पर सोचा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अर्थ व्यवस्था की चिन्ता किये बिना ही यह सरलता से कह सकता है कि हमें राजनैतिक निर्णय लेना चाहिये। इतिहास साक्षी है कि जिन देशों ने भी ऐसा किया है और अपने को मरुस्थल में भटकते पाया है। संसाधनों के अभाव में जो देश युद्ध आदि की बात चलाते हैं उनका मिट जाना अवश्यभावी होता है।

ऐसी परिस्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि परमाणु-प्रसार संधि का आशय क्या है और अब कैसी स्थिति है? मैं श्री कंवरलाल गुप्ता की इस बात से सहमत हूँ कि समस्या निसन्देहः राजनीतिक है परन्तु अब क्या हुआ है? ऐसा मालूम हुआ है कि परमाणु-प्रसार संधि पर किये गये हस्ताक्षरों से स्थिति बदल गई है। सरकार के परमाणु अप्रसार-संधि के प्रति दृष्टि कोण को मैंने इस सदन में प्रतिवादित किया है। हम भेद मूलक अप्रसार-संधि से सहमत नहीं हो सकते जिसमें एक देश में होने वाले परमाणु प्रसार पर ध्यान तो दिया नहीं जाता और बड़े देशों द्वारा परमाणु शस्त्रागार बनाने पर रोक नहीं हो। हमें शांति के लिये परमाणु शक्ति के विकास पर जो संधि नियन्त्रण लगाती हो वह अस्वीकार्य है। इन कारणों से हम परमाणु-प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में और निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस निर्णय को स्पष्ट कर दिया गया है।

40 देशों द्वारा अनुसमर्थन करने के पश्चात् अप्रसार संधि क्रियान्वित होगी परन्तु यह जो अन्य समर्थन करने वाले देशों की न्यूनतम संख्या है—बहुत से ऐसे भी देश हैं कि जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये हैं परन्तु इससे हमारी सुरक्षा सम्बन्धी समस्या बदल नहीं पाई है।

समाचार-पत्रों द्वारा उद्धृत तत्सम्बन्धी आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकते इसके गहन अध्ययन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र-संघ के एक दल ने इस की लागत पर विचार किया है। जो कि गोपनीय नहीं है। सभी इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र-संघ के महासचिव द्वारा नियुक्त परमाणु विशेषज्ञ समिति के अनुसार किसी देश को परमाणु शक्ति में सक्षम बनने के लिये 130 करोड़ रुपये प्रति वर्ष परिव्यय करने होंगे और 10 वर्षों में 1300 करोड़ रुपये हो जायेंगे परन्तु यह पर्याप्त नहीं है और प्रति वर्ष 420 करोड़ रुपये लगेंगे जो दस वर्षों में 4200 करोड़ रुपये हो जायेंगे।

दस वर्षों में 4200 करोड़ और 1300 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय होगा। परन्तु हमें इसके प्रत्येक पहलू पर विचार करना है। यदि हम राजनीतिक निर्णय लेकर कहें कि अर्थ-व्यवस्था का ध्यान रखेगी, उसका कोई उपयोग नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार अणु-बम के व्यय के बारे में अध्ययन करेगी।

श्री स्वर्ण सिंह : तो फिर आपको यदि यहां बहस करनी है तो दूसरे पहलू को भी सुनना होगा प्रधान मंत्री ने क्या कहा, वही मैं कह रहा हूं।

मेरे मित्र ने फ्रांस के बारे में पूछा। 1956 से 1970, जिसमें से 14 वर्ष व्यतीत हो गये हैं, के बीस-वर्षीय कार्यक्रम में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है और फ्रांस अभी तक प्रथम-श्रेणी का परमाणु शक्ति वाला देश नहीं है। हमें इस बारे में सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विकास आदि पर भी विचार करना होगा।

शीघ्र नष्ट होने वाले बमों का परमाणु विकास शीघ्र नष्ट होने वाला भी होता है अतः प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये से 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने होंगे ताकि 9 वर्षों में होने वाले बमों के स्थान पर दूसरे बम रखे जा सकें।

मैं राष्ट्र-संघ द्वारा लागत के बारे में, जिसमें परमाणु बनाने वाले और परमाणु नहीं बनाने वाले देशों के वैज्ञानिक भी शामिल हैं, दिये गये कागज के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए कहूंगा।

क्या मैं देश को यह दिलासा दे सकता हूं कि यदि हमारे पास 30-40 बम हों तो देश खतरे का मुकाबला कर सकेगा। यह तो वही बात हुई कि किसी के पास 1000 टैंक हैं तो हम भी एक जोड़ा टैंक रखें। इस तरह से काम नहीं होगा।

मैं सदन में बड़ी शक्तियों की प्रक्षेपणास्त्रों के बारे में विरोधी बातें बताऊं कि रूस और अमेरिका ने प्रक्षेपणास्त्र के खतरे का मुकाबला करने के लिये प्रक्षेपणास्त्र विरोधी कार्यक्रम आरंभ किया है।

उसके लिये अनुमानित व्यय 600 अरब डालर है और दोनों ही देशों (रूस व अमेरिका) के वैज्ञानिकों का प्रयास इस दौड़ को रोकने का है परन्तु यदि आप इस परमाणु दौड़ में शामिल हो गये तो फिर उसे आप रोक नहीं सकेंगे और आप को अणु-बम के स्थान पर उद्‌जन बम बनाना पड़ेगा और उससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा।

वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परमाणु-शक्ति होते हुये भी परमाणु-आक्रमण से सुरक्षा नहीं हो सकती है।

कुछ माननीय सदस्य साधारणतया परमाणु-आक्रमण के बारे में कहते हैं। यदि दिये गये आंकड़ों को वे देखें तो पता चलेगा कि जो दो बड़ी शक्तियां हैं उनमें से किसी एक द्वारा किये गये परमाणु आक्रमण में आठ करोड़ से दस करोड़ व्यक्ति आधे घंटे में मारे जाते हैं और जब विरोधी आक्रमण होता है तो करीब 1 घंटे में 17 करोड़ से 20 करोड़ व्यक्ति मारे जाते हैं। आज उनके शस्त्रागार इस तरह भरे पड़े हैं कि विश्व को कभी भी समाप्त किया जा सकता है और वनस्पति और पशु नहीं बचेंगे तथा यह प्रभाव कितने समय तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते।

जब हम यह जानते हैं तो क्या संभव है कि कोई भी परमाणु शक्ति वाला देश विश्व के किसी परमाणु शक्ति विहीन देश पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

श्री म० ला० सोंधी : जापान।

श्री स्वर्ण सिंह : जापान पर अमेरिका द्वारा इस शक्ति का प्रयोग जब किया गया था उस समय विश्व में किसी अन्य देश के पास यह शक्ति नहीं थी। आज विश्व में बहुत सी शक्तियां हैं। क्या आप समझते हैं कि इन शक्तियों को अणु-शक्ति का प्रयोग करने दिया जायेगा जिससे करोड़ों लोगों की हानि होती है। हमें उन महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना है।

श्री म० ला० सौंधी : आप स्व० नेहरू, स्व० शास्त्री और श्रीमती गांधी द्वारा दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध जा रहे हैं और यह रूसी और अमरीकी दबाव के कारण है। आपने प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की अवहेलना की है। हमें पूरे तथ्य और आंकड़े जानने हैं। हम सदन को वहकाने नहीं देंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : सदन के और देश के समक्ष सत्य बात रखने का मेरा कर्तव्य है। किसी बात में धकेले जाने के लिये नहीं है.....

मेरे माननीय मित्र ने बताया कि प्रधान मंत्री ने अनौपचारिक समिति में कुछ कहा था। तदनुसार आणुविक शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने सदस्यों का ध्यान राष्ट्र-संघ के महासचिव के प्रतिवेदनों की ओर दिलाया जो अणु-शस्त्रों के और अधिक विकास से संभावित प्रभाव से संबन्धित हैं। यह प्रतिवेदन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था जिसमें भारत-आणुविक शक्ति आयोग के अध्यक्ष भी एक सदस्य थे। इस प्रतिवेदन से जो प्राप्त सूचना है उसे अन्य कागजों से मिलाने के बाद जो सूचना मिलेगी वह दी जायेगी।

अणु-विस्फोट से उत्पन्न खतरे एवं उससे सम्बन्धित आर्थिक प्रभाव को बताना मेरा कर्तव्य था। हमें सारा आशय समझ लेने के बाद एक स्पष्ट नीति अपनानी है और हमारे माननीय सदस्यों को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि विचार के बाद अपनाई गई नीति में कोई परिवर्तन किया गया है।

श्री श्रीधरन द्वारा इस सम्बन्ध में उठाई गई बातों का मैं उत्तर दे चुका हूँ और मैंने उन्हें उसकी लागत और आंकड़े भी दे दिये हैं। इस सम्बन्ध में अर्थात् सरकार द्वारा अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के कदम को सदन में पहले ही प्रतिवादित कर चुका हूँ और यदि सरकार का परिवर्तन करने का विचार हुआ तो सदन को सूचित कर दिया जायेगा हमने संधि से पूर्व सदन की राय लेने की कोई प्रथा अभी तक नहीं कर रखी है।

इस सम्बन्ध में टेक्नोलाजी के विकास के बारे में जो बात है वह महत्वपूर्ण है और इस का उद्योग में विकास करना आवश्यक भी है।

श्री रणधीर सिंह : यदि पाकिस्तान अणुबम बनाता है तो हमारी क्या स्थिति होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : वे सफल नहीं होंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा अंतिम प्रश्न है : क्या आप इसकी लागत और संभाव्यता की वैज्ञानिक जाँच करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री झा ने लागत आदि के बारे में कई बातें उठाई थीं जिनके उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। फिर एक प्रश्न रखा गया कि परमाणु आक्रमण होने पर क्या हम रक्षा कर सकेंगे। इस के उत्तर में मैं कह चुका हूँ कि मुश्किल से सुरक्षा की जा सकेगी। फिर एक प्रश्न आया कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को अणुबम निर्माण में सहायता करेगा ? वे नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने किसी देश की कोई सहायता नहीं की है। प्रारंभ में रूस ने चीन की सहायता की परन्तु कालान्तर में चीन को स्वयं उसे विकसित करना पड़ा। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान की सहायता नहीं करेगा।

श्री कंवरलाल गुप्त के लागत और संभाव्यता सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। जो लागत का अनुमान हमारे पास उपलब्ध था, उसे बता दिया गया है।

श्री कंवरलाल गुप्त : राष्ट्र-संघ के अनुसार नहीं बल्कि आपके स्वयं के अध्ययन के आधार पर अनुमान होना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : राष्ट्र-संघ द्वारा दिये गये कागज से हम बहुत सहमत हैं ।

जिन प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर की आप आशा नहीं करते वैसे प्रश्न आपको करने नहीं चाहियें । हमारे पास डा० विक्रम साराभाई जैसे मुख्य सलाहकार जो कि बहुत ऊँचे दर्जे के हैं और परमाणु सम्बन्धी आँकड़ों की वैज्ञानिक रूप से जानकारी रखने वाले वैज्ञानिकों के समुदाय में से एक हैं । अतः आपको वास्तविकता की ओर से आँखें मूंद नहीं लेनी चाहिये ।

दूसरा प्रश्न यह था कि हम हर वक्त हर प्रश्न के उत्तर में 'न' क्यों कहते हैं । तो श्रीमान् जी जब आप कल्पित प्रश्न करेंगे तो वैसे ही उत्तर आप को मिलेंगे । इस समय जो नीति हम अपना रहे हैं वह हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है । यदि स्थिति बदलेगी तो हम फिर निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिये :

Shri Kanwar Lal Gupta : Kindly take an open opinion in the House.

श्री स्वर्ण सिंह : हमें इन विषयों पर सदन की राय लेने में कोई भय नहीं है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं आपको चुनौती देता हूँ । सदन की राय ले लीजिये । मैं जीतूंगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह गम्भीर मामला है और इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए । इस बारे में पारस्परिक चुनौतियों से कोई लाभ नहीं ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 मार्च, 1970/21 फाल्गुन, 1891 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock of Thursday, the 12th March, 1970/
Phalguna 21, 1891 (Saka)